# हिमाचल प्रदेश

# का

# आर्थिक सर्वेक्षण

# 2012–13

# अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग

# प्रस्तावना

आर्थिक सर्वेक्षण बजट प्रलेख है जो सरकार की मुख्य आर्थिक गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। वर्ष 2012–13 में हिमाचल प्रदेश अर्थ–व्यवस्था की स्थिति व प्रगति की समीक्षा प्रथम भाग में तथा सांख्यिकी तालिकायें भाग दो में दी गई हैं।

समय पर सूचना उपलब्ध करवाने के लिये मैं सभी विभागों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। इस सर्वेक्षण के लिये इतनी अधिक तथा विस्तृत सामग्री का एकत्रीकरण, संकलन और इसको संक्षेप में प्रस्तुत करने का कार्य अर्थ एवम् सांख्यिकी विभाग ने किया है। मैं विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किए गए परिश्रम की प्रशंसा करता हूं।

**डा0 श्रीकांत बाल्दी**
**प्रधान सचिव**
**(वित्त, योजना तथा अर्थ एवं सांख्यिकी)**
**हिमाचल प्रदेश सरकार।**

# विषय सूची


| | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. सामान्य समीक्षा | .. | 1 |
| 2. राज्य आय एवम् लोक वित्त | .. | 10 |
| 3. संस्थागत् एवम् बैंक वित्त | .. | 15 |
| 4 आबकारी एवम् कराधान | .. | 31 |
| 5. भाव संचलन | .. | 34 |
| 6. खाद्य सुरक्षा एवम् नागरिक आपूर्ति | .. | 36 |
| 7. कृषि एवम् उद्यान | .. | 41 |
| 8. पशु तथा मत्स्य पालन | .. | 55 |
| 9. वन तथा पर्यावरण | .. | 65 |
| 10.जल स्त्रोत प्रबंधन | .. | 69 |
| 11. उद्योग एवम् खनन | .. | 72 |
| 12. श्रम और रोजगार | .. | 77 |
| 13. विद्युत | .. | 81 |
| 14. परिवहन एवम् संचार | .. | 112 |
| 15. पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन | .. | 116 |
| 16. शिक्षा | .. | 120 |
| 17. स्वास्थ्य | .. | 135 |
| 18. समाज कल्याण कार्यक्रम | .. | 143 |
| 19. ग्रामीण विकास | .. | 154 |
| 20. आवास एवम् शहरी विकास | .. | 162 |
| 21. पंचायती राज | .. | 168 |
| 22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी | .. | 171 |

# 1. सामान्य समीक्षा

## राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

**1.1** भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2011–12 में अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्थाओं के धीमेपन, ठहराव तथा बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियां, जैसा कि तेल मूल्य में वृद्वि, यूरो अर्थव्यवस्था का नकारात्मक विकास व मंदी तथा देश के निर्यात व औद्योगिक लाभांश में कमी के कारण सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 6.2 प्रतिशत आंकी गई है जोकि वर्ष 2010–11 में 9.3 प्रतिशत आंकी गई थी। अर्थ–व्यवस्था में लगातार बढ़ती हुई मुद्रा–स्फीति अभी भी चिन्ता का विषय है।

**1.2** विश्व भारत को तेजी से उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में देखता है परन्तु कार्पोरेट एवं ढांचागत निवेश में सुविधा देने के लिए अविलम्ब कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे विश्व व्यापी आर्थिकी सम्भवतः वर्ष 2013 तक सुधर जाएगी। यह उपाय भारत की अर्थ व्यवस्था में सुधार में सहायक होगें।

**1.3** ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 8.0 प्रतिशत आंकी गई है जोकि र्निधारित लक्ष्य 9.0 प्रतिशत से कम रहा है परन्तु 10वीं पंचवर्षीय योजना की 7.8 प्रतिशत वृद्वि से अधिक है। भूतकाल में विकासात्मक गति तुरन्त वृद्वि कुछ समय पश्चात् मंदी की ओर गतिशील हो जाती थी, परन्तु अब अर्थव्यवस्था स्थिर आर्थिक वृद्वि की ओर अग्रसर एवं दृढ़ रहेगी।

**1.4** नए आधार वर्ष 2004–05 के अनुसार स्थिर भावों पर वर्ष 2011–12 में कुल सकल घरेलू उत्पाद ₹52,43,582 करोड़ आंका गया है जबकि 2010–11 में यह ₹49,37,006 करोड़ आंका गया था। प्रचलित भावों पर वर्ष 2011–12 में ₹83,53,495 करोड़ की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2010–11 में लगभग ₹72,66,967 करोड़ है जोकि 15.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में भारतीय अर्थ–व्यवस्था (आधार 2004–05) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 9.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011–12 में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की। वर्ष 2011–12 में सकल घरेलू उत्पाद 6.2 प्रतिशत की वृद्वि मुख्यतः वित्त,बीमां, स्थावर सम्पदा व व्यवसायिक सेवाएं (11.7 प्रतिशत), यातायात व संचार में (8.4 प्रतिशत), विद्युत, गैस व जल–आपूर्ति (6.5 प्रतिशत) व्यापार, होटल व रेस्टोरेंट क्षेत्र(6.2 प्रतिशत)

**1.5** वित्तीय वर्ष 2012–13 में लगभग 5.0 प्रतिशत की वृद्वि दर पूर्वानुमानित की गई है।

**1.6** प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2010–11 में ₹54,151 थी जो वर्ष 2011–12 में 13.7 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाते हुए यह ₹61,564 हो गई। स्थिर (2004–05) भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2010–11 में ₹36,342 से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹38,037 हो गई जो कि 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

**1.7** मुद्रा स्फीति दर थोक भाव सूचकांक से आंकी जाती है। प्रचलित वर्ष में मुद्रा स्फीति अत्याधिक रहने के बाद अगस्त 2012 से कम होनी शुरु हो गई।

थोक भाव सूचकांक के आधार पर दिसम्बर, 2012 में मुद्रा–स्फीति की दर 7.2 प्रतिशत रही जोकि दिसम्बर, 2011 में 7.7 प्रतिशत के स्तर पर थी। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में यह वृद्वि दिसम्बर,2012 में 11.2 प्रतिशत रही जबकि यह दिसम्बर, 2011 में 6.5 प्रतिशत थी।

## हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति

**1.8** हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र के विकास में अग्रणी अर्थ–व्यवस्था तथा कृषि, फल उत्पादन के परिक्रमण और साथ में विद्युत और पर्यटन के क्षेत्र के निवेश में अधिमानित गंतव्य के रूप में उभर रहा है। विशाल आर्थिक परिस्थितियां तथा अनुकूल प्रशासन द्वारा अर्थ–व्यवस्था में अपनी वचनबद्वता, आधारभूत संरचना के कारण प्रदेश एक स्वस्थ अर्थ–व्यवस्था की ओर अग्रसर है। प्रचलित वर्ष में 6.2 प्रतिशत की विकास दर आने की संभावना है जोकि राष्ट्रीय वृद्वि के लगभग 5.0 प्रतिशत की वृद्वि की तुलना से वेहतर है। प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था निम्न ग्राफ में दर्शाई गई है:–

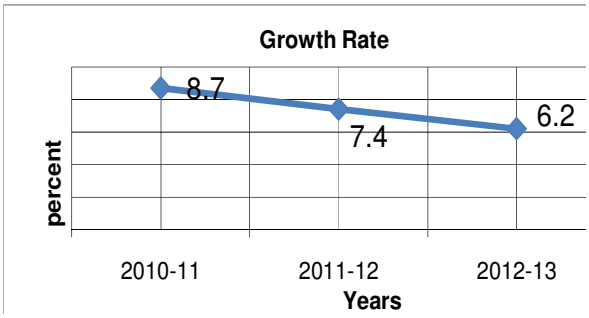


**1.9** वर्ष 2010–11 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भावों (2004–2005) पर ₹39,036 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹41,939 करोड हो जाने से इस वर्ष की आर्थिक विकास दर 7.4 प्रतिशत रही जबकि यह दर पिछले वर्ष 8.7 प्रतिशत थी। प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2010–11 में ₹56,355 करोड़ की तुलना में वर्तमान वर्ष 2011–12 में ₹63,812 करोड़ आंका गया है। यह 13.2 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है।

**1.10** वर्ष 2010–11 में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय ₹67,475 से बढ़कर वर्ष 2011–12 अनुमानों के अनुसार ₹74,694 हो गई जो कि 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारण सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं 20.0 प्रतिशत, यातायात व व्यापार क्षेत्र की 8.9 प्रतिशत, वित्त व स्थावर सम्पदा 8.1 प्रतिशत रही जबकि प्राथमिक क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत की कमी आई है। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2010–11 में 14.94 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2011–12 में 15.54 लाख मीट्रिक टन रहा और 2012–13 में उत्पादन बढ़कर 15.80 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। फल उत्पादन में 63.7 प्रतिशत की कमी हुई। फल उत्पादन वर्ष 2010–11 में 10. 27 लाख मीट्रिक टन से घटकर 2011–12 में 3.73 लाख मीट्रिक टन तथा 2012–13 में (दिसम्बर,2012 तक) 4.67 लाख मीट्रिक टन हुआ।

## सारणी–1.1
## मुख्य सूचक

| सूचक | 2010–11 | 2011–12 | 2010–11 | 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| | कुल पूर्ण मान | | पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन | |
| सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में) | | | | |
| प्रचलित भावों पर | 56355 | 63812 | 16.9 | 13.2 |
| स्थिर भावों पर | 39036 | 41939 | 8.7 | 7.4 |
| खाद्यान्न उत्पादन (लाख टन) | 14.94 | 15.54 | 34.5 | 4.0 |
| फलोत्पादन (लाख टन) | 10.27 | 3.73 | 168.8 | (–) 63.7 |
| उद्योग क्षेत्र का घरेलू उत्पाद (₹करोड़ में)* | 10528 | 11310 | 19.4 | 7.4 |
| विद्युत उत्पादन (मिलियन युनिट) | 2045 | 1906 | 13.4 | (–) 6.8 |
| थोक भाव सूचकांक | 143.3 | 156.1 | 9.6 | 8.9 |
| श्रमिक वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (हि.प्र.) | 163 | 175 | 7.9 | 7.4 |

*प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद

**1.11** वर्ष 2012 में दिसम्बर माह तक आर्थिक स्थितियों के मध्यनज़र व अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर वर्ष 2012–13 में लगभग 6.2 प्रतिशत होने की संभावना है।

**1.12** प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था जोकि मुख्यतः कृषि व संबंधित क्षेत्रों पर ही निर्भर है में 1990 के दशक में विशेष उतार चढाव नहीं आए और विकास दर अधिकांशतः स्थिर ही रही। इस दशक में औसत वार्षिक विकास दर 5.7 प्रतिशत रही जोकि राष्ट्रीय स्तर के समरूप ही है। अर्थ व्यवस्था में कृषि क्षेत्र से उद्योग व सेवा क्षेत्रों के पक्ष में रूझान पाया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत योगदान जो वर्ष 1950–51 में 57.9 प्रतिशत था तथा घटकर 1967–68 में 55.5 प्रतिशत, 1990–91 में 26.5 प्रतिशत और 2011–12 में 20.0 प्रतिशत रह गया।

**1.13** उद्योग व सेवा क्षेत्रों का प्रतिशत योगदान 1950–51 में क्रमशः 1.1 व 5.9 प्रतिशत से बढ़कर 1967–68 में 5.6 तथा 12.4 प्रतिशत, 1990–91 में 9.4 तथा 19.8 प्रतिशत और 2011–12 में 18.0 तथा 12.3 प्रतिशत हो गया। शेष क्षेत्रों में 1950–51 के 35.1 प्रतिशत की तुलना में 2011–12 में 49.7 प्रतिशत का सकारात्मक सुधार हुआ है।

**1.14** कृषि क्षेत्र के घट रहे अंशदान के बावजूद भी प्रदेश अर्थ–व्यवस्था में इस क्षेत्र की प्रभुता पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अर्थ–व्यवस्था का विकास अधिकतर कृषि उत्पादन द्वारा ही निर्धारित होता रहा क्योंकि कुल घरेलू उत्पाद में इसका मुख्य योगदान है और अन्य क्षेत्रों में भी निवेश, रोजगार तथा आय सम्बधताओं के कारण इसका विशेष प्रभाव है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा कृषि उत्पादन अभी भी

अधिकांशतः सामयिक वर्षा व मौसम स्थिति पर निर्भर करता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

**1.15** राज्य ने फलोत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। विविध जलवायु तथा उपजाउ, गहन और उपयुक्त निकासी वाली भूमि तथा भू–स्थिति में भिन्नता तटीय क्षेत्र के उत्पादन के लिए अन्य समशीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। प्रदेश का क्षेत्र फलोत्पादन के अन्य सहायक व सम्बन्धी उत्पाद जैसे फूल, मशरूम, शहद और हॉप्स की पैदावार के लिए भी उपयुक्त है।

**1.16** वर्ष 2012–13 में (दिसम्बर,2012 तक) 4.67 लाख टन फलों का उत्पादन हुआ तथा 4,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र फलों के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है जिसके विपरीत दिसम्बर,2012 तक 3,528 हैक्टेयर क्षेत्र लाया जा चुका है। दिसम्बर,2012 तक 9.40 लाख विभिन्न प्रजातियों के फलों के पौधों का वितरण किया गया। प्रदेश मे बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2011–12 में 13.57 लाख टन सब्जी उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2010–11 में 12.69 लाख टन का उत्पादन हुआ था जोकि 7.0 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाता है। वर्ष 2012–13 में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन 13.85 लाख टन होने का अनुमान है।

**1.17** तीव्र आर्थिक वृद्वि तथा राज्य के सम्पूर्ण विकास में जल विद्युत प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। जल विद्युत सस्ती, प्रदुषण रहित तथा पर्यावरण मुक्त है। विद्युत नीति सभी मुद्दों जैसे कि क्षमता, विद्युत संरचना, उपलब्धता, दक्षता, पर्यावरण व हिमाचल के लोगों को रोजगार देना सुनिश्चित करने पर जोर देती है। यद्यपि निजी क्षेत्रों के योगदान को यह प्रोत्साहित करती है, परन्तु हिमाचल के नियोजकों के लिए 2 मैगावाट की लघु परियोजनाओं को आरक्षित रखा गया है और 5 मैगावाट की परियोजनाओं तक उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

**1.18** पर्यटन उद्योग जोकि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभर रहा है को भी उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त व उचित सुविधाओं की सरंचना की जा रही है जिसमें.नागरिक सुविधाएं, सड़क मार्ग,दूर संचार, विमानपतन, यातायात सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में आने वाले पर्यटकों की सख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है जोकि सारणी 1.2 से स्पष्ट हैः–

**सारणी 1.2**

**आने वाले पर्यटक (लाखों में)**

| वर्ष | भारतीय | विदेशी | कुल |
|---|---|---|---|
| 2005 | 69.28 | 2.08 | 71.36 |
| 2006 | 76.72 | 2.81 | 79.53 |
| 2007 | 84.82 | 3.39 | 88.21 |
| 2008 | 93.73 | 3.77 | 97.50 |
| 2009 | 110.37 | 4.01 | 114.38 |
| 2010 | 128.12 | 4.54 | 132.66 |
| 2011 | 146.05 | 4.84 | 150.89 |
| 2012 | 156.46 | 5.00 | 161.46 |

**1.19** सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार सृजन व राजस्व अर्जन के व्यापक अवसर हैं। प्रशासन में प्रवीणता व पारदर्शिता लाने के उद्वेश्य से सरकार ने "एस.यू.जी.यू.एम", अस्पताल प्रबन्धन सूचना (एच.एम.आई.एस),

सामुदायिक सेवा केन्द्र, राज्य डाटा सैंटर, ई–प्रक्योरमैंट, ई–समाधान, कृषि संसाधन, सूचना तंत्र, 'हिम स्वान', प्रणालियां प्रदेश में शुरू की हैं।

**1.20** हिमाचल प्रदेश राज्य ने ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को कम करने, मौसम परिवर्तन चक्र परिवर्तन में ठोस पग उठाते हुए अग्रिम भूमिका निभाई है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उचित प्रयोग हेतु तकनीकी प्रगति एवं जैविक तकनीक से हिमाचल राज्य को तकनीकी आयाम व उचांईयों तक पहुंचाएगी।

**1.21** मुद्रा–स्फीति रोकना सरकार की प्राथमिकता है। हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2011–12 में दिसम्बर,2012 तक 10.7 प्रतिशत बढा जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 11.2 प्रतिशत रहा। यह दर्शाता है कि सरकार का मूल्य वृद्वि पर पूर्ण नियंत्रण एवं सही व्यवस्था है।

**1.22** 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप ₹22,800.00 करोड़ रखा गया है जबकि वर्ष 2013–14 की योजना के लिए ₹4,100.00 करोड़ प्रस्तावित है जोकि वर्ष 2012–13 से 11.0 प्रतिशत अधिक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के लिए प्रस्तावित क्षेत्रवार व्यौरा निम्न हैः–

| क्र. सं. | क्षेत्र | प्रस्तावित परिव्यय (₹करोड़) | प्रतिशत भाग | प्राथ–मिकता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषि एवं संबंधित गतिविधियां | 2,906.79 | 12.75 | III |
| 2 | ग्रामीण विकास | 1,276.73 | 5.60 | VI |
| 3 | विशेष क्षेत्र | 155.75 | 0.68 | X |
| 4 | सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण | 1,972.37 | 8.65 | V |
| 5 | विद्युत | 2,805.59 | 12.31 | IV |
| 6. | उद्योग एवं खनिज | 224.42 | 0.98 | IX |
| 7 | यातायात एवं संचार | 4,709.88 | 20.66 | II |
| 8. | विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण | 104.92 | 0.46 | XI |
| 9 | सामान्य आर्थिक सेवाएं | 596.59 | 2.62 | VII |
| 10 | सामाजिक सेवाएं | 7,674.22 | 33.66 | I |
| 11 | सामान्य सेवाएं | 372.74 | 1.63 | VIII |
| | **कुल** | **22,800.00** | **100.00** | |

**1.23** भारत निर्माण का मुख्य उद्वेश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचों के विकास, जैसे सिंचाई, सड़कों से जोड़ना, ग्रामीण पेयजल योजना, आवास, ग्रामीण विद्युतिकरण और गांवों को दूरभाष द्वारा जोड़ना, को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है।

**1.24** जनता के प्रति बचनबद्धता को निभाने के लिए प्रत्येक सचालित लोक सेवा विभाग में माननीय मुख्यमन्त्री की प्रत्यक्ष देख–रेख में अलग से एक जन शिकायत निवारण विभाग की स्थापना की गई है। इसको अधिक व्यवहारिक बनाने

हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार देश में पहला प्रदेश है जिसने ई–समाधान के द्वारा जन शिकायतों के निवारण का प्रावधान किया है।

**1.25** प्रगति और समृद्धि की कोई सीमा नही है । सरकार की प्राथमिकता हमेशा से ही सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की रही है। लोक सेवा प्रदान करने में दक्षता व गुणवता, में सुधार लाने हेतू एकताबद्व प्रयास किये गये हैं।

सामाजिक आर्थिक पुनरूत्थान की राह में मुख्य उपलब्धियां निम्न हैः–

- राज्य ने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की सभी पंजाब पुर्नगठन अधिनियम के अंतर्गत् पन विद्युत परियोजनाओं में 7.19 प्रतिशत का हिस्सा लेने में सफलता प्राप्त की।
- सामाजिक सुरक्षा पैंशन ₹ 450 से बढ़ाकर ₹ 500 प्रतिमाह की गई
- राज्य के सरकारी विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई।
- नवजात शिशुओं व उनकी माताओं को अस्पताल से घर जाने हेतू निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई।
- राज्य में कृषि संबंधी अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के कुल बजट का 12 प्रतिशत इस मुख्य क्षेत्र पर व्यय किया जा रहा है।
- किसान काल सैंटर योजना के तहत कृषि संबंधी जानकारी देने के लिए, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 1800–180–1551 पर निःशुल्क कॉल की सुविधा दी जाती है।
- प्रदेश सरकार द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू की गई। कुल बीमित राशि पर देय प्रीमियम 50:25:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा बागवानी तकनीक मिशन के लिए ₹30.00 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की गई है।
- राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपदान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे उन्हें मूल्य वृद्वि से जुझना न पड़ें।
- राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2011–12 में ₹74,694 हो गई है जोकि वर्ष 2010–11 से 10.7 प्रतिशत अधिक है। 2012–13 में प्रति व्यक्ति आय ₹82,611 होने का अनुमान है।
- प्रदेश में उपलब्ध 23,000 मैगावाट बिजली संभावित लक्ष्य में से 8,368 मैगावाट विद्युत का दोहन किया गया है। वर्ष 2011–12 में 1,906 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।
- वर्ष 2011–12 में प्रदेश राज्य आय में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 17 प्रतिशत रहा है तथा प्रदेश में औद्योगिक पैकेज

जारी रखने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत् इस वर्ष 159.36 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए तथा 4,11,828 परिवार लाभान्वित हुए।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीब लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए 6,404 घर स्वीकृत किए गए।
- गुरू रवि दास योजना के अन्तर्गत वार्डों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी है तथा सहायता राशि ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है।
- व्यापारियों की सहायता हेतु बैव पोर्टल 24X7 उपभोक्ता स्वयं सेवा शुरू की गई।
- महिला मण्डलों को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना शुरू की गई।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रही महिलाओं को उनकी मृत्यु एवं अपंगता होने पर महिला शक्ति बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया।
- समाज के वंचित वर्ग के शैक्षणिक स्तर को सुधारने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार की छात्रवृति/ बजीफा प्रदान किया जा रहा है।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- पुरूष व महिला साक्षरता दर के अनुपात को कम करने के लिए शिक्षा से पिछड़े हुए ब्लॉकों में लड़कियों के लिए छात्रावास शुरू किए गए।
- आई.सी.टी.परियोजना के अंतर्गत नवीं से बाहरवीं कक्षा तक विभिन्न विषय एल.सी.डी.–टी.वी. एवं एल.सी.डी.–प्रोजेक्टर की सहायता से पढ़ाए जाएंगें।
- कन्या शिशु के प्रति नकारात्मक सोच को बदलने के उद्देश्य से **बेटी है अनमोल** नामक योजना शुरू की गई। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को कन्या जन्म (दो कन्याओं) पर ₹10,000 की अनुदान राशि कन्या के नाम पर डाकघर में जमा किए जाते हैं जो उन्हें 18 वर्ष की आयु पर दिए जाते हैं।
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सहायता राशि ₹21,000 के हिसाब से 360 कन्याओं के शुभ विवाह पर प्रदान की गई।
- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की शिशु स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को ₹4,000 का प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है।

- आम जनता को उनके घर–द्वार पर समान स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय सरकारी संस्थानों के सहयोग से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन किया गया।
- राज्य में ''मातृ सेवा योजना'' के अंतर्गत् सभी वर्गों की गर्भवती महिलाओं को सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क संस्थागत प्रसव सुविधा प्रदान की जा रही है।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शिमला नगर में 75 बसों को शामिल किया गया।
- ''हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना'' के अन्तर्गत 69 रूट परमिट दिए गए।
- हिमाचल प्रदेश राज्य को स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (हिम स्वान) और ई–समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रहने का गौरव प्राप्त हुआ है।
- हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 1,320 सरकारी कार्यालयों को स्वान से जोड़ा है।
- प्रदेश की जनता को पारदर्शी, स्वच्छ, शीघ्र तथा कम लागत पर विभिन्न प्रभावी सेवाएं जैसे सरकार से नागरिक, व्यापार से नागरिक, नागरिक से नागरिक, उपलब्ध करवाने के लिए जन सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना है।
- सरकार ने सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग एवं भण्डार नियंत्रक की खरीद प्रणाली में पार्दशिता लाने के लिए ई.जी.पी. (ई–सरकारी खरीद) व्यवस्था को लागू किया है।
- प्रदेश में बेहतर व शीघ्र सेवा के लिए ''सेवा अधिनियम'' लागू किया गया।

## सारणी 1.3
## राज्य सरकार की प्राप्तियां तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

| मद | 2009–10 (वा.) | 2010–11 (वा.) | 2011–12 (स.) | 2012–13 (ब.) |
|---|---|---|---|---|
| **1. राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)** | **10346** | **12710** | **14425** | **16343** |
| 2. कर राजस्व | 3436 | 5358 | 6341 | 7430 |
| 3. कर रहित राजस्व | 1784 | 1695 | 1835 | 2003 |
| 4. सहाय अनुदान | 5126 | 5657 | 6249 | 6910 |
| **5. राजस्व व्यय** | **11151** | **13246** | **13967** | **15969** |
| क. ब्याज भुगतान | 1956 | 1950 | 2071 | 2250 |
| **6. राजस्व घाटा (1–5)** | **– 805** | **– 536** | **458** | **374** |
| **7. पूंजी प्राप्तियां** | **3138** | **3745** | **2772** | **3981** |
| क. उधार वसूलियां | 34 | 73 | 25 | 25 |
| ख. अन्य प्राप्तियां | 552 | 1904 | 600 | 650 |
| ग. उधार एवं परिसम्पतियां | 2552 | 1768 | 2147 | 3306 |
| **8. पूंजी व्यय** | **2880** | **2885** | **3345** | **4275** |
| **9. कुल व्यय** | **14031** | **16131** | **17312** | **20244** |
| क. योजना व्यय | 3199 | 3648 | 3998 | 3883 |
| ख. गैर योजना व्यय | 10832 | 12483 | 13314 | 16361 |
| **सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत** | | | | |
| **1. राजस्व प्राप्तियां** | **21.47** | **22.55** | **22.61** | **22.68** |
| 2. कर राजस्व | 7.13 | 9.51 | 9.94 | 10.31 |
| 3. कर रहित राजस्व | 3.70 | 3.00 | 2.88 | 2.78 |
| 4. सहाय अनुदान | 10.64 | 10.04 | 9.79 | 9.59 |
| **5. राजस्व व्यय** | **23.14** | **23.50** | **21.89** | **22.16** |
| क. ब्याज भुगतान | 4.06 | 3.46 | 3.25 | 3.12 |
| **6. राजस्व घाटा** | **– 1.67** | **– 0.95** | **0.72** | **0.52** |
| **7. पूंजी प्राप्तियां** | **6.51** | **6.65** | **4.34** | **5.52** |
| क. उधार वसूलियां | 0.07 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |
| ख. अन्य प्राप्तियां | 1.14 | 3.38 | 0.94 | 0.90 |
| ग. उधार एवं परिसम्पतियां | 5.30 | 3.14 | 3.36 | 4.59 |
| **8. पूंजी व्यय** | **5.98** | **5.12** | **5.24** | **5.93** |
| **9. कुल व्यय** | **29.12** | **28.62** | **27.13** | **28.09** |
| क. योजना व्यय | 6.64 | 6.47 | 6.27 | 5.39 |
| ख. गैर योजना व्यय | 22.48 | 22.15 | 20.86 | 22.70 |

**टिप्पणीः वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12(द्रुत) तथा 2012–13 (अनन्तिम) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकडें।**

# 2. राज्य आय एवम् लोक वित्त

## सकल राज्य घरेलू उत्पाद

**2.1** राज्य आय अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोचित मापदण्ड़ है। द्रुत अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011–12 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद ₹41,939 करोड़ आंका गया जबकि वर्ष 2010–11 में यह ₹39,036 करोड़ था। वर्ष 2011–12 में प्रदेश के आर्थिक विकास की दर स्थिर भावों (आधार:2004–2005) पर 7.4 प्रतिशत रही।

**2.2** प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011–12 में पिछले वर्ष 2010–11 के ₹56,355 करोड़ की तुलना में ₹63,812 करोड़ आंका गया है जो कि 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। विकास दर की इस वृद्धि का मुख्य श्रेय कृषि तथा सम्बन्धित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि को है। वर्ष 2011–12 में खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2010–11 के 14.94 लाख मी0टन से बढकर 15.54 लाख मी0 टन अपेक्षित है।

**2.3** हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता तथा औद्योगिक आधार कमजोर होने के कारण खाद्यान्नों व फलों के उत्पादन का उतार–चढाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। वर्ष 2011–12 के दौरान कुल राज्य की आय का लगभग 13.69 प्रतिशत योगदान कृषि व संबंधित क्षेत्रों से ही प्राप्त हुआ है।

**2.4** राज्य की अर्थ–व्यवस्था वृद्वि स्थिति स्थापन की ओर अग्रसर है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के वर्ष 2012–13 में राष्ट्रीय स्तर के 5.0 प्रतिशत वृद्वि की तुलना में 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

**2.5** गत तीन वर्षों में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास दर सारणी 2.1 में दर्शाई गई है:–

**सारणी 2.1**

**(प्रतिशत)**

| वर्ष | हिमाचल प्रदेश | समस्त भारत |
|---|---|---|
| 2010–11(संशोधित) | 8.7 | 9.3 |
| 2011–12 (द्रुत) | 7.4 | 6.2 |
| 2012–13 (अग्रिम) | 6.2 | 5.0 |

## प्रति व्यक्ति आय

**2.6** राज्य आय के द्रुत अनुमानों वर्ष 2011–12 (नई श्रंखला आधार वर्ष 2004–05) के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर ₹74,694 है जोकि वर्ष 2010–11 ₹67,475 की तुलना में 10.7 प्रतिशत अधिक है। 2004–05 के स्थिर भावों पर वर्ष 2010–11 में प्रति व्यक्ति आय ₹46,821 आंकी गई थी जो कि वर्ष 2011–12 में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हुए ₹48,923 हो गई है।

## विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

**2.7** क्षेत्रीय विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2011–12 में प्रदेश की राज्य आय में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान 19.15 प्रतिशत रहा। गौण क्षेत्रों का 40.20 प्रतिशत,

सामुदायिक वैयक्तिक क्षेत्रों का 18.14 प्रतिशत, परिवहन संचार एवं व्यापार का 14.91 प्रतिशत तथा वित्त एवं स्थावर सम्पदा का योगदान 7.60 प्रतिशत रहा।

**2.8** प्रदेश अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान में इस दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाए गए। कृषि क्षेत्र जिसमें उद्यान व पशुपालन भी सम्मिलित है का प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2011–12 में 13.69 प्रतिशत रह गया। फिर भी प्रदेश की अर्थव्यस्था में कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक महत्व रहा। यही कारण है कि खाद्यान्न/फल उत्पादन में आया तनिक भी उतार–चढाव अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान, जिनमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा खनन व उत्खनन सम्मिलित हैं, 1990–91 में 35.1 प्रतिशत से घट कर 2011–12 में 19.15 प्रतिशत रह गया।

**2.9** गौण क्षेत्रों जिनका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में दूसरा प्रमुख स्थान है में वर्ष 1990–91 के पश्चात महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसका प्रतिशत योगदान वर्ष 1990–91 में 26.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 40.20 प्रतिशत हो गया जो कि प्रदेश औद्योगिकरण व आधुनिकीकरण की ओर स्पष्ट रूझान को दर्शाता है। विद्युत, गैस व जल आपूर्ति जो कि गौण क्षेत्रों का ही एक अंग है का भाग वर्ष 1990–91 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 8.5 प्रतिशत हो गया, अन्य सेवा सम्बन्धी क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, यातायात, संचार, बैंक, स्थावर सम्पदा और व्यवसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक व वैयक्तिक सेवाओं का योगदान भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2011–12 में 40.65 प्रतिशत रहा।

## विभिन्न क्षेत्रों के अधीन प्रगति

**2.10** वर्ष 2011–12 में विभिन्न क्षेत्रों की निम्न रूपेण प्रगति के कारण ही सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 7.4 प्रतिशत रही।

### प्राथमिक क्षेत्र

| प्राथमिक क्षेत्र | 2011–12 (₹करोड़ में) | % कमी /वृद्धि |
|---|---|---|
| 1. कषि एवं अन्य | 5,167 | -5.1 |
| 2. वन | 1,837 | -5.5 |
| 3. मत्सय | 43 | 8.8 |
| 4.खनन तथा उत्खनन | 133 | -11.5 |
| **कुल प्राथमिक क्षेत्र** | **7,180** | **-5.2** |

**2.11** प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, वानिकी, मत्सय खनन तथा उत्खनन सम्मिलित हैं, के विकास में वर्ष 2011–12 में 5.2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्वि रही। मौसम के अनुकूल रहने के कारण कृषि उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा बढा परन्तु फल उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रहने के कारण इस क्षेत्र के विकास दर में वृद्वि नकारात्मक रही।

### गौण क्षेत्र

| गौण क्षेत्र | 2011–12 (₹करोड़ में) | % कमी /वृद्धि |
|---|---|---|
| 1. विनिर्माण | 6,960 | 12.2 |
| 2. निर्माण | 7,076 | 5.1 |
| 3. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति | 3,110 | 6.1 |
| **कुल गौण क्षेत्र** | **17,146** | **8.0** |

**2.12** गौण क्षेत्र में जिसमें विनिर्माण, पंजीकृत व अपंजीकृत, निर्माण तथा विद्युत गैस व जल आपूर्ति सम्मिलित

हैं, वर्ष 2011–12 में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जोकि राष्ट्रीय स्तर से अधिक है। इस क्षेत्र में पिछल वर्षो की अच्छी उपलब्धियो की अपेक्षा इस वर्ष विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि स्थिर होकर रह गई है।

**सेवा क्षेत्र**

| सेवा क्षेत्र | 2011-12 (₹करोड़ में) | % कमी / वृद्धि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.परिवहन, संचार व व्यापार | 6,516 | 8.9 |
| 2.वित्त एवं स्थावर सम्पदायें | 3,866 | 8.1 |
| 3.सामुदायिक संवायें | 7,231 | 20.0 |
| **कुल सेवा क्षेत्र** | **17,613** | **12.9** |

**परिवहन, संचार एवं व्यापार**

**2.13** वर्ष 2011–12 में इस क्षेत्र की विकास दर 8.9 प्रतिशत रही। इस क्षेत्र के संचार से सम्बन्धित विकास दर 14.7 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाती है।

**वित्त एवं स्थावर सम्पदा**

**2.14** इस क्षेत्र में बैंक, बीमा, स्थावर सम्पदा, आवासों का स्वामित्व एवं व्यवसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की विकास दर वर्ष 2011–12 मे 8.1 प्रतिशत रही।

**सामुदायिक एवं निजि सेवाएं**

**2.15** इस क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2011–12 में 20.0 प्रतिशत है।

**सम्भावनाएं–2012–13**

**2.16** दिसम्बर,2012 तक प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर आधारित अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012–13 में विकास दर **6.2 प्रतिशत** आने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह दर लगभग **5.0 प्रतिशत** है। प्रदेश ने गत दो वर्षों में विकास की दर 7.4 प्रतिशत व 8.7 प्रतिशत प्राप्त की हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भावों पर) लगभग ₹72,076 करोड़ होने की संभावना है।

**2.17** अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय 2012–13 में ₹82,611 आंकी गई है जोकि वर्ष 2011–12 में ₹74,694 की तुलना में 10.6 प्रतिशत की वृद्वि दर्शाती है।

**2.18** हिमाचल प्रदेश में आर्थिक विकास के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर सदैव समस्त भारत की विकास दर के समकक्ष ही रहती रही है, जैसा कि सारणी 2.2 में दर्शाया गया है:–

## सारणी 2.2

| अवधि | औसतन विकास दर प्रतिशत | |
|---|---|---|
| | हिमाचल प्रदेश | समस्त भारत |
| प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) | (+) 1.6 | (+) 3.6 |
| द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) | (+) 4.4 | (+) 4.1 |
| तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) | (+) 3.0 | (+) 2.4 |
| वार्षिक योजना (1966–67 से 1968–69) | .. | (+) 4.1 |
| चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74) | (+) 3.0 | (+) 3.4 |
| पंचम पंचवर्षीय योजना( 1974–78) | (+) 4.6 | (+) 5.2 |
| वार्षिक योजना (1978–79 से 1979–80) | (-) 3.6 | (+) 0.2 |
| छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) | (+) 3.0 | (+) 5.3 |
| सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) | (+) 8.8 | (+) 6.0 |
| वार्षिक योजना (1990–91) | (+) 3.9 | (+) 5.4 |
| वार्षिक योजना (1991–92) | (+) 0.4 | (+) 0.8 |
| आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) | (+) 6.3 | (+) 6.2 |
| नवम पंचवर्षीय योजना (1997–2002) | (+) 6.4 | (+) 5.6 |
| दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002–2007 | (+) 7.6 | (+) 7.8 |
| ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना 2007–2012 | (+) 8.0 | (+) 8.0 |

# लोक वित्त

**2.19** प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहाय अनुदान आदि हैं। वर्ष 2012–13 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹16,343 करोड़ है जोकि वर्ष 2011–12 संशोधित में ₹14,425 करोड़ थी जो 13.30 प्रतिशत की बढौतरी वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 की तुलना में दर्शाती है।

**2.20** राज्य करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2010–11 में ₹3,642 करोड तथा वर्ष 2011–12 संशोधित में ₹4,280 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012–13 में (बजट अनुमान) ₹5,057 करोड़ आंकी गई जोकि वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमान से 18.15 प्रतिशत अधिक है।

**2.21** राज्य के कर रहित राजस्व जिसमें मुख्यतया ब्याज प्राप्ति, उर्जा, परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2012–13 (बजट अनुमान) में ₹2,003 करोड़ आंका गया था जोकि कुल राजस्व का 12.26 प्रतिशत था।

**2.22** केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2012–13 (बजट अनुमान) में ₹2,373 करोड़ आंका गया है।

**2.23** राज्य करों से प्राप्त आय के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 (बजट अनुमान) में बिक्री करों से प्राप्त आय ₹3,162 करोड़ आंकी गई है जोकि कुल कर प्राप्ति का 42.56 प्रतिशत है। वर्ष 2011–12 में व वर्ष 2010–11 में यह क्रमशः 41.49 व 39.21 प्रतिशत थी। बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012–13 में राज्य उत्पादन शुल्क से प्राप्त आय ₹800 करोड़ आंकी गई है।

**2.24** वर्ष 2010–11 में राजस्व घाटा कुल सकल घरेलू उत्पाद का (–) 0.95 प्रतिशत है जबकि वर्ष 2011–12 में राजस्व आधिक्य की प्रतिशतता 0.72 प्रतिशत है।

# 3. संस्थागत एवम् बैंक वित्त

**3.1** राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए बैक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर सभी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण आपूर्ति को पूरा करने का उत्तरदायित्व भी निभा रहे हैं। केन्द्र सरकार की प्ररेणा से वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवाओं का विस्तार तथा जनसंख्या के बड़े हिस्से को वित्तीय लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। वित्तीय समावेश के अधीन "इलेक्ट्रोनिक लाभ हस्तातरण" (ई.बी.टी.) के अन्तर्गत लाभार्थियों के खाते में वित्तीय लाभ सीधे जमा करने का प्रावधान किया गया है जिसे लाभार्थी बैंक शाखाओं या ए.टी.एम. और 32 योजनाओं के रोडमैप ई.बी.टी. के जरिए उपदान को चरणबद्व तरीके से प्राप्त कर सकेगें।

**3.2** सितम्बर,2012 तक बैंक शाखाओं की संख्या 1,614 थी। इस समय हिमाचल प्रदेश में 31 वाणिज्यिक बैंकों की 1,614 शाखाएं जिसमें 1,292 शाखाएं ग्रामीण और 86 शाखाएं शहरी और 236 अर्ध–शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त बैंक द्वारा अभी तक 692 ए.टी. एम. मशीने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित की गई हैं। राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने यूको बैंक को संयोजक बैंक के रूप में 145 शाखाओं के जाल के साथ उत्तरदायित्व सौंपा है। अन्य बड़े बैंकों में पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) की 266 शाखाएं, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस.बी. आई.) की 203 शाखाएं, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (एस.बी.ओ.पी.) की 98 शाखाएं और सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की 47 शाखाएं कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में बड़े मजबूत जाल के साथ 4 को–आपरेटिव बैंक 440 शाखाओं के साथ और दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 180 शाखाओं के साथ कार्यरत हैं।

**3.3** हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक सीमित एक अल्पावधि ऋण ढांचे का शीर्ष बैंक है। हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, मण्डी, सिरमौर, तथा चम्बा में इसकी 184 शाखाएं हैं इनमें एक शाखा दिल्ली भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य में दो केन्द्रीय सहकारी बैंक, कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जबकि कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की पांच जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, उना तथा लाहौल–स्पिति में 187 शाखाएं हैं तथा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक की केवल सोलन जिलें में 22 शाखाएं हैं। वित्तीय समावेश योजना के अधीन भारत सरकार ने एच.पी.एस.सी.बी. तथा के.सी.सी.बी. को सी. बी.एस. सुविधा के आधार पर मंजूरी प्रदान की है। सितम्बर,2012 तक इन बैंकों द्वारा की गई उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा सारणी 3.1 में दर्शाया गया हैः–

## सारणी 3.1
## हिमाचल प्रदेश में बैंकों के तुलनात्मक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

| मद | सितम्बर,2011 | सितम्बर,2012 | वर्ष के दौरान परिवर्तन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. जमा राशि (पी.पी.डी.) | | | |
| ग्रामीण | 26586.06 | 29742.87 | 3156.81 |
| अर्ध शहरी | 18459.51 | 23657.60 | 5198.09 |
| **कुल** | **45045.57** | **53400.47** | **8354.90** |
| 2. अग्रिम (ओ/एस) | | | |
| ग्रामीण | 10364.41 | 11438.91 | 1074.50 |
| अर्ध शहरी | 10693.03 | 9835.52 | (-) 857.51 |
| **कुल** | **21057.44** | **21274.43** | **216.99** |
| 3. जमा उधार अनुपात (प्रतिशत में) | | | |
| थोरेन्ट कमेटी की सिफारिश के आधार पर | 67.54 | 69.29 | - |
| 4. बैंकों द्वारा राज्य सरकार के बांड़/प्रतिभूतियों में निवेश | 359.57 | 6531.58 | 6172.01 |
| 5. प्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम (ओ/एस) जिनमें से: | 12642.79 | 15265.49 | 2622.70 |
| (i) कृषि | 3801.89 | 4758.68 | 956.79 |
| (ii) एम.एस.एम.ई. | 5216.49 | 7430.60 | 2214.20 |
| (iii) ओ.पी.एस. | 3624.41 | 3076.12 | (-) 548.29 |
| 6. गरीबों को अग्रिम | 3664.87 | 4405.58 | 740.71 |
| 7. ड़ी. आर. आई. अग्रिम | 15.45 | 9.62 | 3.17 |
| 8. अल्प संख्यकों को ऋण | 408.92 | 571.37 | 162.45 |
| 9. अप्राथमिक क्षेत्रों में अग्रिम | 8414.63 | 6008.93 | 2395.61 |
| 10 .महिलाओं के लिए ऋण | 1157.02 | 1808.51 | 651.49 |
| 11. अनुसूचित जातियों को अग्रिम | 1827.01 | 2225.00 | 397.99 |
| 12..अनुसूचित जन–जातियों को अग्रिम | 623.87 | 848.79 | 224.92 |
| 13.सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत अग्रिम | 802.63 | 954.96 | 152.33 |
| 14.शाखाओं की संख्या | 1510 | 1614 | 104 |

### अग्रिम एवं जमा राशि

**3.4** सितम्बर,2012 के अंत तक राज्य में सभी कार्यरत बैंकों में कुल जमा राशि ₹53,400 करोड़ के साथ 18.55 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज की गई। सितम्बर,2012 के अंत तक साल दर साल का उधार ₹21,274 करोड़ दर्ज किया गया इसके अतिरिक्त राज्य के बाहर की बैंक शाखाओं से विधिवत स्वीकृति के उपरांत हिमाचल प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं में ₹7,805 करोड़ का ऋण लगाया गया। सितम्बर,2012 तक थोरेन्ट कमेटी के सुझाव के आधार पर जमा एवं अग्रिम अनुपात 69.29 प्रतिशत रहा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के निश्चित लक्ष्य से 60 प्रतिशत ज्यादा रहा।

## प्राथमिकता क्षेत्र में उधार

**3.5** कुल प्राथमिकता क्षेत्र में बैंकों द्वारा सितम्बर,2011 तक दिए गए ऋण ₹12,693 करोड़ के मुकाबले यह राशि सितम्बर,2012 में 21.00 प्रतिशत की वृद्वि दर्ज करते हुए ₹ 15,265 करोड़ हो गई। उल्लेखनीय है कि प्राथमिक क्षेत्र में उधार की भागीदारी 72 प्रतिशत से भी अधिक दर्ज की गई जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय मानक के आधार पर भागीदारी 40 प्रतिशत है। वर्ष 2012–13 में सितम्बर,2012 तक बैंकों द्वारा ₹ 4,472 करोड़ के नए ऋण वार्षिक जमा योजना के अधीन दिए गए हैं। ₹ 9,348 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य 47.84 प्रतिशत है। राज्य में इस अवधि के दौरान पुनरीक्षण में 2,34,423 नई ईकाईयां आंवटित की गई जिनमें से 1,20164 किसानों को ऋण स्वीकृत किए गए। क्षेत्रवार उपलब्धि निम्न सारणी में दर्शाई गई है:–

**सारणी 3.2**

**(₹ करोड़ में)**

| क्षेत्र | वार्षिक वचनबद्धता 2012–13 | वास्तविक उपलब्धि सितम्बर, 2012 तक | सितम्बर,2011 के लक्ष्य की प्रतिशत उपलब्धि |
|---|---|---|---|
| 1. कृषि | 1509.13 | 1413.38 | 94.00 |
| 2. एम.एस.एम.ई. | 1156.87 | 1139.17 | 98.00 |
| 3. अन्य प्राथमिक क्षेत्र | 1031.77 | 798.91 | 77.00 |
| 4. गैर प्राथमिक क्षेत्र | 695.83 | 1120.71 | 161.00 |
| **कुल योगः** | **4393.60** | **4472.17** | **102.00** |

## सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत बैंकों का योगदान

### क. प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम

**3.6** यह योजना तीन नोडल संस्थाओं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, के.वी. आई.सी., के.वी.आई.बी. तथा डी.आई.सी. द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। सितम्बर,2012 तक 630 परियोजना प्रस्तावों में से 389 को स्वीकृत किया। 1,751 बेरोजगारों को रोजगार दिया तथा ₹539.53 लाख की राशि आंवटित की गई।

### ख. स्वर्ण ज्यन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

**3.7** यह योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। सितम्बर, 2012 तक व्यक्तिगत 2,552 स्वरोजगार लाभकारियों को ₹265.37 लाख और स्वरोजगार समूहों को ₹786.95 लाख की राशि आंवटित की गई तथा ₹157.43 लाख की राशि उपदान के रूप में व्यक्तिगत् व स्वरोजगारियों को आंवटित की गई।

### ग. स्वर्ण ज्यन्ती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.–2012–13)

**3.8** इस योजना के अन्तर्गत सितम्बर,2012 तक बैंकों द्वारा शहरी स्वरोजगारों के 26 ऋण मामलों को ₹22.13 लाख के ऋण स्वीकृत किए गए।

### घ. शहरी निर्धनों के लिए आवासीय ब्याज पर उपदान योजना (आई.एस.एच.यू.पी.)

**3.9** शहरी निर्धनों के लिए आवासीय व्याज पर उपदान योजना का

कार्यान्वयन का कार्य, कुछ रूकावटों के कारण शुरू नहीं हो पाया है। इस योजना के स्थान पर शीघ्र ही "राजीव आवास योजना" नगर निगम व शहरी विकास विभागों के संयुक्त प्रयत्नों द्वारा जल्द ही आरम्भ कर दी जायेगी।

### 3.10 अप्रायोजित कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा

**प्रगति एक दृष्टि में**

**(₹ करोड़ में)**

| क्र.सं. | योजना | वास्तविक उपलब्धि सितम्बर,2012 तक | | संचित स्थिति सितम्बर,2012 तक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | किसान क्रेडिट कार्ड | 16075 | 178.91 | 491756 | 2334.08 |
| 2 | सुक्ष्म वित्त (एस.जी.एच.) | 553 | 5.28 | 63862 | 196.12 |
| 3 | क्रेडिट कार्ड (जी.सी.सी./एस.सी.सी./ए.सी.सी.) | 1296 | 4.17 | 49419 | 75.16 |
| 4 | संयुक्त दायित्व समूह | 29 | 0.46 | 674 | 6.79 |
| 5 | मूल बचत बैंक जमा खाते | 21109 | 3.22 | 722633 | 193.84 |
| 6 | प्रवासी मजदूरों के खाते खोले | 268 | 0.06 | 821 | 0.33 |
| 7 | स्ट्रीट बैंडरज के खाते खोले | 140 | 0.01 | 765 | 0.40 |
| 8 | आवासीय ऋण बांटे | 4024 | 172.64 | 84751 | 388.47 |
| 9 | शिक्षा ऋण बांटे | 1308 | 20.17 | 18827 | 406.54 |
| 10 | वीवर क्रेडिट कार्ड | 108 | 0.58 | 108 | 0.58 |

### 2000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में बैंक सेवाओं का 'रोडमैप'

**3.11** भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार कनवनर यूको बैंक ने 3 वर्षों की अवधि (मार्च,2013 से मार्च, 2015 तक) 20,016 बिना बैंक वाले गावों में आई.सी.टी, बी0सी0 मॉडल के अन्तर्गत सभी गावों में बैंक सेवाओं को सुनिश्चित करना है।

**राज्य का अंतिम रोडमैप निम्न प्रकार से है:–**

| क्र.सं. | विवरण | मार्च,2013 | मार्च,2014 | मार्च,2015 | योग |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बी.सी. के अधीन गांव | 2959 | 6204 | 10691 | 19854 |
| 2 | नई बैंक शाखाएं | 76 | 54 | 32 | 162 |
| | **योग** | **3035** | **6258** | **10723** | **20016** |

**जिलावार रोडमैप**

| क्र.सं. | जिला | गांवों की संख्या | बी.सी.मॉडल के तहत | नई बैंक शाखाएं |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बिलासपुर | 923 | 3 | 920 |
| 2 | चम्बा | 1069 | 0 | 1069 |
| 3 | हमीरपुर | 1601 | 0 | 1601 |
| 4 | कांगड़ा | 3736 | 3 | 3733 |
| 5 | किन्नौर | 212 | 0 | 212 |
| 6 | कुल्लू | 3083 | 0 | 3083 |
| 7 | लाहौल–स्पिति | 277 | 0 | 277 |
| 8 | मण्डी | 2714 | 28 | 2686 |
| 9 | शिमला | 2459 | 6 | 2453 |
| 10 | सिरमौर | 912 | 28 | 884 |
| 11 | सोलन | 2331 | 63 | 2268 |
| 12 | उना | 699 | 31 | 668 |
| | **हिमाचल प्रदेश** | **20016** | **162** | **19854** |

## 3.12 सितम्बर,2012 तक राष्ट्रीय मानकों की स्थिति

| क्र.सं. | क्षेत्र | अग्रिम प्रतिशत 30.9.2011 | अग्रिम प्रतिशत 30.9.2012 | राष्ट्रीय मानक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्राथमिकता के क्षेत्र में उधार | 60.04 | 71.76 | 40 |
| 2 | कृषि ऋण | 18.05 | 22.37 | 18 |
| 3 | एम.एस.ई.ऋण(पी.एस.सी.) | 41.26 | 48.68 | – |
| 4 | अन्य प्राथमिक क्षेत्र (पी.एस.सी.) | 28.67 | 20.11 | – |
| 5 | कमजोर वर्ग ऋण | 17.40 | 20.71 | 10 |
| 6 | पिछले वर्ष के कुल ऋण के डी. आर.आई.ऋण | 0.07 | 0.05 | 1 |
| 7 | महिला ऋण | 5.49 | 8.50 | 5 |
| 8 | जमा एवं अग्रिम अनुपात | 67.54 | 69.29 | 60 |
| 9 | अनुसूचित जाति ऋण(पी.एस.सी.) | 14.45 | 14.57 | – |
| 10 | अनुसूचित जन–जाति ऋण (पी.एस.सी.) | 4.93 | 5.56 | – |
| 11 | अल्पसंख्यक ऋण | 2.23 | 3.74 | – |

**ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता संस्थान**

**3.13** भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार बैंकों ने 10 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता संस्थान जिला मुख्यालयों पर चालू कर दिए हैं। सभी जिलों के पास अपनी एफ.एल.सी.सी. की स्थापना हैं जो कि बैंकों द्वारा क्रियाशील है। यह एक सारे देश में अपनी किस्म की अनोखी उपलब्धि है।

### नाबार्ड द्वारा दूध गंगा योजना की पूंजी योजना लागू करना

**3.14** दूध गंगा योजना लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन करने के लिए ₹9 करोड़ की उपदान राशि, जून, 2012 तक राज्य में उपयोग कर ली गई। वर्तमान में यह योजना आस्थगन है, जिसकी अनुमति की प्रतीक्षा केन्द्र सरकार से की जा रही है।

## नाबार्ड

**3.15** राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण संरचना विकास, लघु ऋण, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, लघु सिंचाई तथा अन्य कृषि क्षेत्रों के अतिरिक्त ग्रामीण ऋण वितरण व्यवस्था का राज्य में सुदृढ़ीकरण व विस्तृतीकरण करके एकीकृत ग्रामीण विकास एवं विकास प्रक्रिया में निरन्तर सहयोग दिया है। नाबार्ड के सक्रिय सहयोग के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बहुत से सामाजिक व आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं। नाबार्ड अपनी योजनाओं के अतिरिक्त केंद्रीय प्रायोजित ऋणयुक्त सबसिडी योजनाएं जैसे डेरी उदमियता विकास योजना (डी.ई.डी.एस.), जुगाली करने वाले छोटे पशु खरगोश का एकीकृत विकास, ग्रामीण गादामों का निर्माण, एग्रीक्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र, पोल्ट्री वेंचर, कैपीटल फंड, कृषि विपणन, आधार सरंचना, ग्रेडिंग एवं मानकीकरण का सशक्तिकरण योजना इत्यादि योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

### ग्रामीण आधार संरचना

**3.16** भारत सरकार द्वारा नाबार्ड में वर्ष 1995–96 में ग्रामीण संरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को, चल रही योजनाओं को पूर्ण करने तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ऋण दिए जाते हैं। किसी स्थान से संबंधित विशेष सरंचना ढांचे के विकास, जिसका सीधा असर समाज व ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था से हो, के लिए इस योजना का विस्तार पंचायती राज संस्थाओं, स्वंय सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों तक भी कर दिया गया है।

**3.17** आर.आई.डी.एफ योजना के लागू होने से 31 दिसम्बर,2012 तक हिमाचल प्रदेश सरकार का विभिन्न क्षेत्रों में 4,816 परियोजनाओं जैसे पौली हाउस, सिंचाई, सड़क व पुल, पीने का पानी, बाढ नियंत्रण, जल संरक्षण व प्राथमिक पाठशाला के कमरों के निर्माण हेतु ₹ 3,959.81 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

**3.18** चालू वित्त वर्ष में 31 दिसम्बर,2012 तक ग्रामीण सुविधा संरचना विकास निधि के अन्तर्गत प्रदेश सरकार को ₹ 360 करोड़ स्वीकृत किए गए। वर्ष 2012–13 के दौरान, 31 दिसम्बर,2012 तक प्रदेश सरकार को ₹ 300.54 करोड़ वितरित किए गए जिससे सरकार को अब तक का कुल वितरण ₹ 2,258.27 करोड़ हो गया है ।

**3.19** स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन/पूर्ण होने के उपरान्त 26,99,126 लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा, 7,265.25 कि.मी. वाहन योग्य सडकें बनेगी, 19,131.80 मी. लम्बे पुलों का निर्माण होगा, 147 हैक्टेयर भूमि को पौली हाउस के अंतर्गत लाया जाएगा, 86,244.79 हैक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई के तहत आएगी, 20,139.52 हैक्टेयर भूमि को बाढ संरक्षण उपाय के अंतर्गत लाया जाएगा, 6,219 हैक्टेयर भूमि को जल संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत लाया लाएगा। प्राथमिक पाठशालाओं में 2,921 कमरों का निमार्ण व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 64 विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जायेगा। 25 नए सूचना प्रौद्योगिक केन्द्र व 397 पशु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भादान केन्द्रों का निर्माण किया जाएगा।

## पुनर्वित्त सहायता

**3.20** डेरी विकास, पौध रोपण, उद्यान, कृषि यंत्र संरचना, लघु सिंचाई, भूमि विकास, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना व गैर कृषि क्षेत्र की उन्नति इत्यादि विभिन्न कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा प्रदेश में कार्यरत विभिन्न बैंकों को ₹7.49 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2011–12 के दौरान और ₹43.92 करोड़ की वित्तीय सहायता वर्ष 2012–13 के दौरान (31 दिसम्बर,2012 तक) दी गई। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों द्वारा फसल ऋण वितरण में अधिक योगदान करने के लिए इस वर्ष ₹403.00 करोड़ की ऋण सीमा स्वीकृत की है जिसके तहत 31 दिसम्बर,2012 तक इन बैंकों द्वारा ₹355.77 करोड़ का पुनर्वित नाबार्ड से लिया गया है।

## सूक्ष्म ऋण

**3.21** स्वंय सहायता समूह (एस.एच. जी.) कार्यक्रम अब सारे प्रदेश में एक सशक्त आधार के साथ फैल गया है। इस कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचाने में मानव संसाधनों और वित्तीय उत्पादों का विशेष योगदान रहा है। इस समय 31 मार्च,2012 तक प्रदेश में 62,286 स्वंय सहायता समूह बचत बैंक खाते के माध्यम से बैंक से जुड़े हैं और इनमें लगभग 6.23 लाख लोग कार्यरत हैं। मार्च,2012 तक प्रदेश के 62,286 स्वंय सहायता समूह बचत बैंक खाते के माध्यम से बैंक से जुड़े हैं, में से 56,754 स्वंय सहायता समूहों ने विभिन्न बैंको से ऋण लिया है और इनका ₹ 142.33 करोड़ का ऋण बकाया है। 31 मार्च,2012 को प्रदेश में लगभग 825 संयुक्त देयता समूहों को विभिन्न बैंको से ₹1,406.19 लाख का ऋण दिया गया है। वर्ष 2011–12 में लगभग 666 संयुक्त देयता समूहों को विभिन्न बैंको से ₹1,269.89 लाख का ऋण दिया गया है। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए नाबार्ड राज्य में 80 एन.जी.ओ. के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। साथ ही नाबार्ड महिला और बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ भी मिलकर इस हेतु कार्य कर रहा है।

## कृषि क्षेत्र में की गई पहल

**3.22** नाबार्ड द्वारा 31 दिसम्बर,2012 तक राज्य में 2,503 कृषक क्लब बना दिए गए हैं जिनसे 5,700 गांवों के 33,000 किसान जुड़े हैं, रयुटर मार्किट लाइट(आर.एम.एल.) कार्यक्रम के तहत नाबार्ड एक योजना को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसके अन्तर्गत् मौसम

संबंधी भविष्यवाणी, फसल के बारे में राय, उस स्थान पर उपलब्ध स्पोट मार्किट प्राइज के संबंध में कृषकों को एस.एम.एस. द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। सिरमौर जिले में कृषक क्लबों का संगठन बनाया गया हैं। नाबार्ड वाटरशैड विकास कार्यक्रमों को भी सहयोग कर रहा है और अब तक 6 वाटरशैड विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए जा चुके हैं जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कृषकों को नई तकनीक तथा खेती के नए तरीकों की जानकारी देने के लिए स्कीम फॉर टैक्नोलाजी (कैट) के अन्तर्गत् भ्रमण एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण (राज्य के अंदर और बाहर) दिया जा रहा है ताकि किसान उन्हें अपना सके। इसके अन्तर्गत् पौली हाउस तकनीक, जैविक खेती, बायोखाद, वर्मी कम्पोस्ट, सुगंधीय तथा औषधिया पौधों की खेती, मशरूम की पैदावार पर व्यवहारिक तथा प्रायोगिक तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है ऐसे भ्रमण कुछ चुनिंदा अनुसंधान केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2011–12 में ऐसे 27 कार्यक्रम आयोजित किए गए और वर्ष 2012–13 में 31 दिसम्बर,2012 तक 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा संचित रूप से अब तक 75 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 1,500 किसान शामिल हुए हैं, 11 जिलों के 60 गांवों को वी.डी.पी. (ग्रामीण विकास कार्यक्रम) में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 2,000 परिवारों को शामिल किया जाएगा। नाबार्ड द्वारा उना, मण्डी, चम्बा तथा कांगड़ा जिलों में धान एवं गेंहूं की खेती के गहनीकरण के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में शीतोषण फलों, विदेशी सब्जियों, सब्जी नर्सरियों, मधुमक्खी पालन, मक्का और गेहूं की उत्पादकता में वृद्वि, उन्नत चारा फसलों से संबंधित टैक्नोलॉजी अंतरण के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की है।

## ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र

**3.23** नाबार्ड द्वारा ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। नाबार्ड वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों को राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करवाता रहा है। नाबार्ड ने संरचना जरूरतों, सेवा प्रदान करने वालों की क्षमता विकास तथा ऋण की जरूरतों पर विचार कर "पर्यटन क्लस्टर" विकसित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण टुरिजम एवं एग्रो टुरिजम से संबन्धित सभी गतिविधियॉ नाबार्ड के गैर कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत पुनर्वित प्राप्त कर सकेगी। नाबार्ड स्वरोजगार ऋण कार्ड योजना (एस.सी.सी) को ग्रामीण हथकरघा एवं लघु उद्यमियों के हित के लिए समर्थन देगा जिससे वे कार्यशील पूंजी तथा अवरूद्ध पूंजी दोनों के लिए ही समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाया जा सके।

**3.24** ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादों के विपणन और उत्पादन के लिए पुनर्वित उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त नाबार्ड युवाओं के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है तथा साथ ही मास्टर शिल्वकार के प्रशिक्षण तथा रूडसेटी जैसी संस्थाओं एवं जो भी ग्रामीण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देते हैं, ताकि यदि उनके अन्दर क्षमता है जो रोजगार उपलब्ध

हो और आय–सृजक कार्य शुरू कर सकें। इन योजनाओं को संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः–

1. कौशल विकास पहलः समूह या व्यक्तिगत रूप से रोजगार या आजीविका की तलाश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मौजूदा कौशल का विकास करना, उन्नत करना या विविधकृत करना कौशल विकास पहल में शामिल है। दिसम्बर,2012 तक राज्य में कुल 204 कौशल विकास कार्यक्रम स्वीकृत किए हैं जिनके लिए ₹ 95.1 लाख की अनुदान सहायता दी जाएगी और इससे लगभग 4,000 लोग लाभान्वित होंगे।
2. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि ग्रामीण गैर–कृषि क्षेत्र के विकास में मार्केटिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा ग्रामीण हाट, ग्रामीण मार्केट व्यवस्था का अभिन्न अंग रही है, नाबार्ड इस प्रकार की हाट स्थापित करने के लिए अनुदान/ उदार शर्तों पर ऋण सहायता प्रदान करती है। अब तक, मण्डी, उना, तथा सिरमौर जिलों में ₹ 23.74 लाख की अनुदान सहायता से 5 ग्रामीण हाट स्वीकृत किए गए हैं।
3. इनमें निहित शुरूआती जोखिम को शामिल करते हुए खुदरा दुकान स्थापित कर दस्तकारों, हस्तकला और कृषि आधारित उत्पादों के लिए मार्केटिंग लिंकेज उपलब्ध करवाना ग्रामीण मार्ट योजना का लक्ष्य है। अब तक नाबार्ड ने ₹32.20 लाख की अनुदान सहायता से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को 35 ग्रामीण मार्ट स्वीकृत किए हैं। ₹28.52 लाख जारी भी कर हैं, इन मार्ट/दुकानों से बेचे जाने वाले मुख्य उत्पाद दूध तथा दुग्ध उत्पाद, सॉफट टॉयज, आचार, जैम, जेली, सॉस, चटनी, सेवइयॉ, वाडी, सिसाल, बगर एवं खजूर पेड़ के रेशों से बनने वाले हस्तकला उत्पाद, हैंडबैग, मोबाइल कवर, चाय कोस्टर, टेबल मैट, हस्तनिर्मित कागज आदि जो विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जाते हैं।

## आधार स्तर पर ऋण प्रवाह

**3.25**

i) वर्ष 2011–12 में प्राथमिक क्षेत्रों के लिए आधार स्तरीय ऋण प्रवाह ₹6,552.97 करोड़ तक पहुंच गया जो कि वर्ष 2010–11 से 24.3 प्रतिशत अधिक है। नाबार्ड की पी. एल.पी. के आधार विभिन्न बैंकों के लिए ₹7,867.64 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30 सितम्बर 2012 तक ₹3,551.18 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।

ii) नाबार्ड राज्य के सभी जिलों के लिए हर वर्ष संभाव्यता युक्त ऋण योजना (पीएलपी) तैयार करता रहा है जिसमें आधार स्तरीय सम्भाव्यताओं और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक ऋण एवं गैर–ऋण लिंकेजों का वास्तविक आकलन किया जाता है, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स अर्थात राज्य सरकार, जिला प्रशासन, बैंकों, एन.जी.ओ., किसानों और एनी सम्बन्धित एजेंसियों के साथ विस्तृत विचार–विमर्श कर

पी.एल.पी. तैयार की जाती है, हिमाचल प्रदेश के लिए मुख्य क्षेत्रवार पी.एल.पी. अनुमान ₹9,842.43 करोड़ आकलित किया गया है। आर.बी.आई. के मार्ग निर्देशों के अनसार बैंकों को अपनी वार्षिक ऋण योजना वर्ष 2013–14 में पी.एल.पी. को आधार मानकर तैयार की जाती है।

## वित्तीय समावेशन

**3.26**

i) हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने 1 जनवरी 2007, को उस समय अपनाए गए मानकों के आधार पर 100 प्रतिशत वित्तीय समावेश के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। राज्य का अगला लक्ष्य 100 प्रतिशत ऋण समावेशन प्राप्त करना है। 30 सितम्बर,2012 को राज्य 10,50,998 परिवारों के लक्ष्य के समक्ष 9,16,707 परिवारों चक्रीय ऋण द्वारा जुड़े हैं तथा 87.22 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई है। यह सराहनीय उपलब्धि है किन्तु फिर भी आदर्श वित्तीय समावेशन से हम अभी दूर हैं। हमारी जनसंख्या के उस हिस्से को सभी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करवाना कठिन कार्य है जिनके पास वित्तीय सेवाओं की पहुंच नही है। अतः इसे पूरा करने के लिए सुव्यवस्थित और सुनियोजित रूप से कार्य करने की जरूरत है। इसके मदेनजर, केन्द्र और राज्य सरकारों एवं बैंकों ने वित्तीय समावेशन योजनाएं तैयार की हैं जिनका लक्ष्य जनसंख्या के आधार पर गांवों को इस योजना में शामिल करना है। तदनुसार ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी।

ii) राज्य में 48 गांवों की जनसंख्या 2,000 या उससे अधिक है जिनमें बैंक नहीं हैं। अतः इन 48 अबैंकीकृत गांवों को 31 मार्च,2012 तक विभिन्न बैंकों द्वारा कवर करना था। इसके समक्ष 100 प्रतिशत उपलब्धि रही। 48 चिन्हित गांवों में से 44 गांवों को बी.सी. मॉडल द्वारा कवर किया गया था और 4 गांवों को बैंक शाखा खोलकर कवर किया गया था (तब से 44 बी.सी. लोकेशंस में से 33 को अल्ट्रा स्माल ब्रांच के रूप में बदल दिया गया है)। उसके बाद 1,000 से 2,000 तक की जनसंख्या वाले 532 अबैंकीकृत गांवों को बैंकों को 31 मार्च,2013 तक कवर करने के लिए आंवटित किया गया है।

iii) 'रोडमैप के अनुसार 20,016 अबैंकीकृत गांवों को 31 मार्च,2015 तक कवर करना है जिनमें से 162 गांवों को बैंक शाखा खोलकर कवर किया जाएगा और शेष 19,854 गांवों को बी. सी. द्वारा कवर किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि बैंकों द्वारा इस हेतु तैयारी चरण पूरा कर लिया गया है और वित्तीय समावेशन आन्दोलन अब पूरी तरह से शुरू होने के लिए तैयार है।

iv) एस.एच.जी. आन्दोलन के प्रोत्साहन के लिए नाबार्ड अनेक गतिविधियों को सहयोग करता रहा है। वर्ष 2011–12 के दौरान 58 प्रशिक्षण कार्यक्रमों, 8 बी.एल.बी.सी एक्सपोजर विजिटस, 15 एम.ई.डी.पी., एस.एच.जी. के लिए मण्डी में एक रिसोर्स सेंटर की स्थापना और 3 मार्केटिंग इंटरवेंशनों पर ₹12.51 लाख खर्च किए गए हैं

जिनमें 4,027 लोगों को कवर किया गया है। इसके अलावा, राज्य में एस. एच.जी. के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं सहायता प्रोत्साहन संस्थाओं को ₹24.17 लाख की अनुदान सहायता दी गई है।

v) वित्तीय समावेशन के लिए नाबार्ड की पहले–वित्तीय समावेशन के लिए नाबार्ड ने अनेक पहलें की है, प्रमुख पहलें नियमानुसार हैं:–

- आई.सी.टी. आधारित सोल्यूशन्स को अपनाने के लिए आर.आर. बी. और सहकारी बैंकों को सहायता जिससे न केवल वे अपने ग्राहकों को गुणवत्तापरक सेवाएं देने में सक्षम होंगे बल्कि नए ग्राहक जोड़कर अपनी पहुंच को बढ़ाने में भी समर्थ हो सकेंगें।
- आर.आर.बी. और सहकारी बैंकों को वित्ती साक्षरता (एफ.एल.सी.) की स्थापना के लिए सहायता। आर.आर.बी. प्रति जिला एक एफ.एल.सी की स्थापना कर सकता है और सहकारी बैंक प्रति ब्लॉक एक एफ.एल.सी. की स्थापना कर सकता है। एफ. एल.सी. न केवल ग्रामीण जनता में जागरूकता पैदा करेंगे बल्कि ग्रामीण जनता और बैंको के बीच एक रिश्ता बनाने में भी मदद करेंगे जिससे बैंकों का आधार बढ़ेगा।
- सी.बी.एस. आधारित के.सी.सी. (Rupay कार्ड) के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को सहायता। यह बैंकों को अपने ग्राहकों को नवीनतम तकनीकी सुविधाओं के साथ के.सी.सी. उपलब्ध करवाने में सक्षम बनाएगा। कार्य आधार इनेबल्ड होना चाहिए और ए.टी. एम. मशीनों एवं पॉइंट ऑफ सेल (POS) दोनों में चलना चाहिए। अधिकतम ₹25.00 प्रति कार्ड सहायता उपलब्ध है और सभी मौजूदा एवं भविष्य में बनाए जाने वाले के.सी.सी. कार्डों के लिए उपलब्ध है। योजना तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।
- बैंक कर्मचारियों को वित्तीय समावेशन के बारे में जानकारी देने के लिए सहायता उपलब्ध है।
- राज्य में कार्यरत बैंकों के साथ परामर्श कर नाबार्ड ने वित्तीय साक्षरता के प्रसार के लिए एक राज्य व्यापी अभियान तैयार किया है। इसकी शुरूआत में, चालू वर्ष के दौर 1,000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में जागरूकता शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सभी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में क्विज प्रतियोगिता आयोजित करना भी प्रस्तावित है। इन कार्यों के लिए नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

vi) वित्तीय साक्षरता के प्रसार करने के लिए नाबार्ड ने अनेक पहलें की हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

- इन्डियन स्कूल ऑफ माइक्रोफाइनान्स फॉर बूमन

(ISMW),अहमदाबाद के सहयोग से चार ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 120 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और इसकी लागत ₹4.40 लाख आई है। इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए ट्रेनर्स का एक पूल तैयार करना है।

- मण्डी जिले के 5 अंदरूनी ब्लॉकों की 150 ग्राम पंचायतों में 'कला जत्थों' के माध्यम से वित्तीय सहायता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मण्डी साक्षरता एंवं जन विकास समिति (MSJVS), मण्डी को ₹7.47 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई थी। चूंकि हमें सकारात्मक फीडबैक मिला। अतः मण्डी जिले की 200 से अधिक पंचायतों में इसी तरह के शिविरों का आयोजन करने के लिए एजैंसी को ₹16.06 लाख की एक और अनुदान सहायता मंजूर की गई है। वर्तमान में यह कार्यक्रम चल रहा है।
- 2,000 से अधिक की आबादी वाले 17 चिन्हित अबैंकीकृत गांवों में 'जागरूकता और ओरिएन्टेशन शिविर' आयोजित करने के लिए अंकुर वेलफेयर एसोसिएशन, उना को ₹1.31 लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है।

## नई बिजनेस पहलें

### नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सहायता (NIDA)

**3.27** ग्रामीण बुनियादों ढांचा परियोजनाओं के वित पोषण के लिए ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सहायता (NIDA) फंड के रूप में एक नई क्रेडिट लाईन (NIDA) की स्थापना की गई है। NIDA से राज्य स्वामित्व वाली संस्थाओं/निगमों को ऋण दिया जाएगा, जिनके पास आय के निरंतर स्त्रोत हैं और आर.आई.डी.एफ. उधार के दायरे के बाहर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार के बजटीय संसाधनों पर निर्भर हुए बिना सीधे नाबार्ड को ऋण चुका सकते हैं।

### प्रोडयूसर्स संगठन को वित्तीय सहायता (PODF):

**3.28** निर्माता संगठनों को सहयोग देने और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड ने ''प्रोडयूसर्स संगठन विकास फंड (PODF)'' की स्थापना की है, इस फंड की स्थापना का उद्देश्य निर्माताओं को समय पर ऋण (ऋण और सीमित अनुदान का मिश्रण) उपलब्ध करवाने निर्माताओं का क्षमता निर्माण करने और प्रोडयूसर्स संगठनों का सशक्तिकरण कर निर्माताओं (किसानों, कारीगरों, हथकर्घा बुनकर,) आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्माताओं द्वारा स्थापित रजिस्टर्ड प्रोडयूसर्स संगठनों अर्थात प्रोडयूसर्स (जैसाकि कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग XIA की धारा के तहत परिभाषित है), प्रोडयूसर्स सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत किसान फैडरेशनों, म्यूचूअली एडेड सहकारी समितियों,

औद्योगिक सहकारी समितियों, अन्य पुजीकृत महासंघों PACS, आदि को सहयोग देना है।

**पैक्स (PACS) को बहुउद्देश्य गतिविधियॉं करने के लिए वित्तीय सहायताः**

**3.29** पैक्स (PACS) को अपने सदस्यों को और अधिक सेवाओं प्रदान करने के लिए सक्षम बनाने हेतु और अपनेलिए आय उत्पन्न करने लिए पैक्स (PACS) को बहुउद्देशीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक पहल की गई है ताकि पैक्स (PACS) अपने सदस्यों को सहायक सेवाएं पेदान करने और अतिरिक्त व्यापार करने और अपनी गतिविधयों में विविधता लाने में सक्षम हो सके।

**फैडरेशनों को वित्तीय सहायताः**

**3.30** कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों में मार्केटिंग फेडरेशनों/सहकारी संसिओं को सशक्त बनाने के मार्केटिंग फेडरेशनों/सहकारी संस्थाओं के लिए अलग क्रेडिट लाइन अर्थात फेडरेशन को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि कृषि उन्पादों के विपणन और अन्य कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके, मार्केटिंग फेडरेशन/सहकारी संस्थाएं, जिनके सदस्य/शेयरहोल्डर पैक्स या अन्य प्रोडयूसर्स संगठन है, इस येजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, वित्तीय सहायता लघु अवधि के कर्ज के रूप अधिकतम समर्थन मूल्य (एम. एस.पी.) योजना के तहत के फसल की खरीद के लिए और किसानों को बीज की आपूर्ति, उर्वरक, कीटनाशक, पौध संरक्षण आदि के लिए उपलब्ध होगी और लंबी अवधि के कर्ज के रूप में छंटाई और ग्रेडिंग, प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन आदि सहित पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन के लिए उपलब्ध होगी, इन फेडरशनों/ सहकारी संस्थाओं को कृषि सलाहकार सेवाएं और ई–कृषि विपणन के माध्यम से बाजार की जानकारी प्रदान करने के लिए भी सहयोग दिया जाना चाहिए।

**सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायताः**

**3.31** नाबार्ड पारंपरिक रूप से जिला सहकारी बैंकों (सी.सी.बी.) को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है, वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनसार सहकारी बैंकों के लिए पुनर्द्धार पैकेज के कार्यान्वयन के तहत सी.सी.बी (C.C.Bs.) राज्स सहकारी बैंक (SCB) के अलावा भी अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटा सकते हैं, तदनुसार, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और सम्बन्ध प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) की कार्यशील पूॅंजी और खेत परिसंपति रखरखाव जरूरतों को पूरा करने हेतु अल्पकालिक बहु उद्देशीय ऋण सीधे ही सी.सी.बी.(C.C.Bs.) को उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड न एक अल्पकालिक बहु–उद्देशीय ऋण डिज़ाइन किया है।

**कोर बैंकिंग सोल्यूशंस लागू करने हेतु सहकारी बैंकों को सहायताः**

**3.32** सी.बी.एम. सभी बैंकिंग सेवाओं, नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी और सतत प्रगतिशील संचार प्रौद्योगिकी का मिलन बिंदू है, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स के कार्यान्वयन के लिए टी.सी.एस. और विप्रो दो कम्पनियों से करार किया है, इसके अलावा, नाबार्ड इस

प्रोडक्ट के रोल–आउट के सम्बन्ध में डी. सी.सी.बी.(D.C.C.B.) को प्रोजक्ट प्रबन्धन और सलाहकार सहयोग भी प्रदान करेगा।

**निवेश ऋण**

**3.33** विभिन्न कृषि उत्पादों के उत्पादन और मार्केटिंग सरप्लस की पोस्ट–हार्वेस्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में मार्केटिंग सम्बन्धी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने कृषि विपणन इन्फ्रास्ट्रचर, ग्रडिंग और मानकीकरण (AMIGS) विकास/सशक्तीकरण योजना तैयार की है, 2011–12 के दौरान स्थापित कुल बीस इकाइयों के लिए ₹43.52 लाख सब्सिडी जारी की गई है और 2012–13 में (सितम्बर 2012 तक), 15 इकाईयों की स्थापना की गई जिनके लिए ₹149.76 लाख सब्सिडी जारी की गई है।

**3.34** ग्रामीण गोदामों का नेटवर्क छोटे किसानों को उनकी धारण क्षमता (होल्डिंग कैपेसिटी) को बढ़ाने में मदद करेगा ताकि वे अपनी उपज को लाभकारी मूल्य पर बेच सके और संकट बिक्री बच सके। तदनुसार, भारत सरकार ने 2001–2002 में ग्रामीण भण्डार योजना, ग्रामीण गोदाम के निर्माण/नवीनीकरण के लिए एक पूंजी निवेश सब्सिडी योजना शुरू की थी। 2012–13 के दौरान (सितम्बर,2012) इसके तहत एक इकाई की स्थापना की गई और इस हेतु ₹1.32 लाख सब्सिडी जारी की गई है।

**3.35** बेहतर मवेशी और दूध प्रबन्धन द्वारा राज्य में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण लोगों के लिए स्थाई रोजगार के अवसर प्रदान करने, उनकी आय के स्तर बढ़ाने और दूध उत्पादन में भी वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार की डी.ई.डी.एस.(D.E.D.S.)योजना को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री द्वारा 25 सितम्बर, 2009 को शुरू किया गया था। भारत सरकार की इस योजना के तहत मवेशियों की खरीद, दुग्ध प्रसंस्करण, कोल्डचेन प्रणाली, दूध और दूध उत्पादों के परिवहन और पशु चिकित्सा सुविधाओं के लिए नाबार्ड के माध्यम से पहले ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया था और अब पूंजी सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। सितम्बर 2009 से अगस्त 2010 तक ₹1,809 लाख की ₹1,901 इकाईयों के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया और पूंजी सब्सिडी योजना के तहत 4063 इकाइयां मंजूर की गई और सितम्बर, 2010 से 31 दिसम्बर, 2012 तक ₹1,736.33 लाख की सब्सिडी प्रदान की गई। इस प्रकार योजना के तहत अब तक कुल 6,000 लाभार्थियों को लाभ मिला है।

**3.36** पशु पालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग (DAHD&F), भारत सरकार ने वर्ष 2005–06 के दौरान ''डेयरी और पोल्ट्री के लिए वेंचर कैपिटल स्कीम (DPVCF)" नामक एक पायलट योजना का शुभारम्भ किया। जिन राज्यों में पाल्ट्री सेक्टर अभी विकास की शुरूआती अवस्था में है वहां इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में पोल्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देना और उन्नत राज्यों में इस योजना मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र से पोल्ट्री उत्पादों के निर्यात के लिए इन्सेंटिव देना और बुनियादी सुविधाएं सृजित करना है। 2011–12 के दौरान, 4 इकाइयां स्थापित की गई जिनके लिए कुल ₹7.61 लाख की सब्सिडी जारी की गई।

**3.37** ग्रामीण आबादी के सबसे गरीब लोगों द्वारा भेड़ और बकरियों का पालन किया जाता है और वे हमारे समाज को मांस, उन, दूध और खाद प्रदान करते है। इन मवेशियों में विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के प्रति काफी ज्यादा अनुकुलशीलता होती है। वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का योगदान अनुमानतः ₹2,400 करोड़ है जिससे मुख्यतः भूमिहीन, सीमांत और छोटे किसानों को आजीविका मिलती है। यह पशुधन उत्पादों के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत है। 2011–12 के दौरान 301 इकाइयों का वित्त किया गया और ₹8.62 लाख की सब्सिडी जारी की गई और 2012–13 में (सितम्बर 2012 तक), 95 इकाइयॉ वित्त पोषित की गई एवं ₹31.45 लाख की जारी की गई।

## नैवकान्स (Nabcons)

**3.38** नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज (Nabcons) कृषि और ग्रामीण विकास (नाबार्ड) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडिरी है और यह कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों को परामर्श प्रदान करती है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में विशेषकर बहु–विषयी प्रोजेक्ट्स, बैंकिंग, संस्थागत विकास, बुनियादी सुविधाओं, प्रशिक्षण आदि के नैबकॉन्स नाबार्ड की विशेष योग्यता (कोर कम्पीटेंसी) पर निर्भर है। नाबार्ड कन्सल्टेंसी सर्विसेज जिन मुख्य क्षेत्रों में परामर्श कार्य प्रदान करती है वे हैं–व्यवहारता अध्ययन, परियोजना तैयार करना, मूल्यांकन, वित्तपोषण व्यवस्था, परियोजना प्रबंधन और निगरानी, समवर्ती और प्रभाव मूल्यांकन, कृषि व्यापार इकाइयों का पुनर्गठन, दृष्टि प्रलेखन, विकास प्रशासन और सुधार, संस्थागत विकास और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं का प्रतिवर्तन, ग्रामीण एजेंसियों की रेटिंग, बैंक पर्यवेक्षण, नीति और कार्य अनुसंधान अध्ययन, ग्रामीण विकास विषयों पर सेमिनार, सूक्ष्म वित्त से सम्बन्धित प्रशिक्षण, प्रदर्शन यात्राएं और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण, गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना।

**3.39** नाबार्ड कंसल्टेंसी द्वारा वर्ष 2011–12 में हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए ''कृषि में मैको प्रबन्धन'' और ''पौलीहाउस अध्ययन'' नामक दो अध्ययन पूरे किए गए हैं। इसके अलावा, नैबकॉन्स ने 2012–13 में (2012 दिसम्बर तक) एफ. एम.सी. और नियाम (NIAM) के लिए शिमला, मंडी, सिरमौर जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसने किन्नौर जिले में ''सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम'' के तहत विभिन परियोजनाओं के लिए भी परामर्श कार्य किया है।

## हिमाचल प्रदेश के सहकारिता में सी.बी.एस

**3.40** 175 शाखाओं के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और अपनी 167 शाखाओं के साथ कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक पहले से ही सी.बी. एस प्लेटफार्म पर है। एच.पी.एस.सी.बी. और कांगड़ा सी.सी.बी. दोनों पहले से ही आर.टी.जी.एम. और एन.ई.एफ.टी. से जुड़े हैं। एच.पी.एस.सी.बी. और कांगड़ा सी.सी. बी. दोनों ने अपने स्तर पर सी.बी.एस लागू किया है। जोगिंद्रा सी.सी.बी. और सोलन भी कोर बैंकिंग सोल्यूशन्स लागू करने के लिए नाबार्ड की पहल में शामिल हो गया

है। जोगिंद्रा सी.सी.बी. और नाबार्ड ने इस हेतु दिनांक 30 मई, 2012 को एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर किए हैं। जोगिंद्रा सी.सी.बी. में सी.बी.एस. कार्यान्वयन के लिए विप्रो को वेंडर के रूप में चुना है। नाबार्ड की सी. बी.एस. पहल में एप्लीकेशन सेवा प्रदाता (ए.एस.पी) मॉडल को अपनाया है। यह सी. बी.एस. के लिए एक आउटसोर्सिंग मॉडल है, जिसमें सी.बी.एम. सॉफटवेयर के लिए बैंक को कोई लाइसेंस नहीं खरीदना है, साथ ही डाटा सेंटर, आपदा वसूली, कनेक्टिविटी का कम ए.एस.पी. द्वारा किया जाना है। बैंक के भीतर हार्डवेयर की खरीद और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी बैंक की है।

**3.41** जोगिंद्रा सी.सी.बी. और विप्रो के बीच सेवा स्तर समझौता पर 29 अगस्त, 2012 को हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्तमान में जोगिंद्रा सी.सी.बी. में सी.बी.एस. कार्यान्वयन का काम चल रहा है। योजना के अनुसार शेष तीन बैंकों में भी मार्च, 2013 तक सी.बी.एस. लागू हो जाएगा।

# 4. आबकारी एवं कराधान

**4.1** आबकारी एवं कराधान विभाग प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। वर्ष 2011–12 के दौरान कुल ₹ 3,573.46 करोड़ राजस्व संग्रहण में से वैट संग्रह ₹2,476.78 करोड़ था जो कि कुल राजस्व का 69.31 प्रतिशत बनता है। आबकारी नियम के तहत निर्धारित लक्ष्य ₹718.25 करोड़ के स्थान पर ₹707.36 करोड़ का संग्रहण किया गया, जो कि कुल संग्रहित राजस्व का 20.09 प्रतिशत है, शेष 10.89 प्रतिशत हि.प्र. पी.जी.टी. अधिनियम, हि0 प्र0 विलासिता अधिनियम, हिमाचल प्रदेश सी. जी.सी.आर. अधिनियम, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन कर अधिनियम और हिमाचल प्रदेश टोल टैक्स अधिनियम से किया गया।

**4.2** वर्ष 2011–12 के दौरान राजस्व जुटाने के लिए जिन वस्तुओं पर सरकार को राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी, पर माह अप्रैल, 2010 से प्रवेश कर लगाया जिसमें सरकार को वर्ष 2010–11 में ₹117.02 करोड़, वर्ष 2011–12 में ₹163.54 करोड़ तथा वर्ष 2012–13 में 31.12.2012 तक ₹118.64 करोड़ प्रवेश कर के रुप में आय प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा प्रदेश को नशा मुक्त करने हेतु बीड़ी पर 9.75 प्रतिशत से 11 प्रतिशत तथा सिगरेट पर 16 से 18 प्रतिशत कर लगाने की अधिसूचना दिनांक 19.4.2012 को जारी की गई है। सी व डी श्रेणी के ठेकेदारों के लिए एक विशेष टी.डी.एस. योजना तैयार की गई है, जो सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त ढाबों, कैन्टीन तथा अन्य खाना खाने के स्थानों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा पंजीकरण हेतु कुल आवत ₹4.00 लाख से बढ़ाकर ₹6.00 लाख कर अधिसूचना दिनांक 14.01.2013 को जारी की जा चुकी है, इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा औद्योगिक आदानों की प्रविष्टि को युक्तिसंगत करने के लिए प्रस्तावना सरकार को भेजी गई है जो कि सरकार के विचाराधीन है। रजिस्टर्ड डीलरों को टिन नम्बर जारी करने की कार्यवाही चली हुई है।

**4.3** यात्री एवं भाड़ा कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम/नियमों में आवश्यक संशोधन हेतु मामले सरकार के विचाराधीन है। यात्री एवं भाड़ा कर अधिनियम के अन्तर्गत अधिनियम/नियमों को लागू करने के लिए खाका तैयार कर दिया गया है जोकि विभाग के विचाराधीन है व इसे टैस्ट करने के उपरान्त आरम्भ कर दिया जाएगा। चालू वित वर्ष 2012–13 के दौरान आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत ₹800.13 करोड़ के लक्ष्य को शीर्ष–0039 के अंतर्गत पार किये जाने की अपेक्षा है। तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में पैट बोतलों में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंद्व लगाया गया है तथा प्रदेश में अच्छी गुणवता वाली मदिरा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में बिकने वाली प्रत्येक शराब की बोतल पर होलोग्राम लगाया जाना अनिवार्य किया गया है ।

**4.4** आवकारी एवं कराधान विभाग द्वारा राज्य में महत्वाकांक्षी परियोजना हिमाचल प्रदेश वैट आई.टी. शुरू कर दिया गया है। यह परियोजना केन्द्र सरकार की सहायता से शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश वैट आई.टी. परियोजना

एकीकृत और स्वचालित आई.टी. प्रणाली है जिसकी सहायता से राज्य के करदाताओं एवं विभाग के अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रोनिक सेवाएं प्रदान की गई हैं।

यह राज्य सरकार की सबसे बडी परियोजना है। इस परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 110 + कार्यालयों व बहुउद्देश्य जांच नाकों में केन्द्रीकृत सेवाऐं और जी2बी, जी2सी, जी2जी और बी2बी सेवाऐं प्रदान करने के लिए राज्य के प्रधान कार्यालय के साथ जोड़ दिया गया है। विभाग ने इस परियोजना के तहत निम्नलिखित सेवाओं का प्रावधान किया गया है।

### 1. पारदर्शी जवाब देय शासन

- पारदर्शिता और सेवाओं के लिए बेहतर प्रतिक्रिया ।
- सूचना के प्रसार का एकल बिंदु।
- ई–सेवाओं की एक ही स्थान पर उपलब्धता।
- विभाग के बारे में बुनियादि जानकारी प्रदान करना–कार्य, गतिविधियों, पदानुक्रम, सूचना का अधिकार आदि।
- विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों पर नवीनतम अधिनियम, नियम, अनुसूचियां उपलब्ध करना।
- सूचना रिपोजिटरी और इलेक्ट्रानिक सेवाओं के लिए गुलदस्ताः–जो व्यापारियों के लिए समय, प्रयास और कम लागत में कर दाताओं को वैट प्रावधानों का पालन करने के लिए सुविधा प्रदान करता है।
- महत्वपूर्ण जानकारी एक जगह पर, त्वरित और आसान उपयोग के लिए।
- विभाग द्वारा विभिन्न प्रशासित करों पर जानकारी प्रदान करता है।

### 2. प्रभावी लोक सेवा डिलीवरी

- विभाग के करदाताओं के लिए सुविधाएं ई–पंजीकरण, ई–संशोधन, ई–भुगतान, ई–रिर्टन फाईलिंग, ई–वैधानिक फार्म, ई–रिफंड, ई–अपील, ई–संचार और लेन–देन को देखने की सुविधा।
- करदाताओं के समय और लागत में बचत।
- समय और स्थान की आजादी–विभागीय कार्यालयों और बैंको के लिए कम यात्रा/यात्रा करने की आवश्यकता नहीं।
- पोर्टल पर करदाता होमपेज पर सभी ई–सेवा के लिए एकल बिंदु।
- उपयोगकर्ता के लिए डाउन लोडफार्म उपलब्ध करवाना।
- कर कानून, आदेश आदि के लिए विभिन्न परिपत्र/ अधिसूचनाएं/ संशोधन आदि का प्रदान करना।
- पंजीकृत करदाता अपने स्वयं के लेनदेन के बारे में जानकारी (केवलब्राउज) लेनदेन की सुविधा।
- वेब पोर्टल पर 24X7 ग्रहक स्वयं सेवा।

## शीर्ष–वार राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | राज्य आवकारी | बिकी कर | पी.जी.टी. | ओ.टी.डी. | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | 209.17 | 302.05 | 43.05 | 52.60 | 606.87 |
| 2001-02 | 236.28 | 355.08 | 34.26 | 63.74 | 689.36 |
| 2002-03 | 273.42 | 383.33 | 31.45 | 75.10 | 763.30 |
| 2003-04 | 280.30 | 436.34 | 33.96 | 85.00 | 835.60 |
| 2004-05 | 299.90 | 542.37 | 38.32 | 97.83 | 978.42 |
| 2005-06 | 328.97 | 726.98 | 42.61 | 124.14 | 1222.70 |
| 2006-07 | 341.86 | 914.45 | 50.21 | 118.64 | 1425.16 |
| 2007-08 | 389.57 | 1092.16 | 55.12 | 137.13 | 1673.98 |
| 2008-09 | 431.83 | 1246.31 | 62.39 | 169.00 | 1909.53 |
| 2009-10 | 500.72 | 1488.16 | 88.74 | 197.13 | 2274.75 |
| 2010-11 | 561.53 | 2101.10 | 93.46 | 284.21 | 3040.30 |
| 2011-12 | 429.68 | 1709.31 | 65.42 | 190.48 | 2394.89 |
| 2012-13 30.11.2012 तक | 491.12 | 1829.87 | 71.74 | 224.70 | 2617.43 |

# 5. भाव संचलन

## भाव स्थिति

**5.1** मुद्रा स्फीति का नियंत्रण सरकार की प्रमुखता सूची में एक है। मुद्रा स्फीति आम व्यक्तियों को उनकी आय कीमतों की पहुंच से दूर रहने के कारण परेशान करती है। मुद्रा–स्फीति के उतार–चढ़ाव को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर थोक भाव सूचकांक दिसम्बर माह के वर्ष 2011 को 157.3 से बढ़कर दिसम्बर,2012 माह में 168.6(अ) हो गया जो कि मुद्रा स्फीति की दर 7.18 प्रतिशत दर्शाता है। माहवार थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2012–13 में मुद्रा स्फीति की दर नीचे सारणी 5.1 में दर्शाई गई है:–

**सारणी 5.1**

**अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक आधार 2004–05=100**

| मास | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | मुद्रा–स्फीति दर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| अप्रैल | 107.8 | 114.5 | 123.5 | 125.0 | 138.6 | 152.1 | 163.5 | 7.5 |
| मई | 108.7 | 114.7 | 124.1 | 125.9 | 139.1 | 152.4 | 163.9 | 7.6 |
| जून | 109.9 | 114.8 | 127.3 | 126.8 | 139.8 | 153.1 | 164.7 | 7.6 |
| जुलाई | 110.8 | 115.7 | 128.6 | 128.2 | 141.0 | 154.2 | 165.8 | 7.5 |
| अगस्त | 111.5 | 116.0 | 128.9 | 129.6 | 141.1 | 154.9 | 167.3 | 8.0 |
| सितम्बर | 112.2 | 116.0 | 128.5 | 130.3 | 142.0 | 156.2 | 168.8 | 8.1 |
| अक्तूबर | 112.7 | 116.3 | 128.7 | 131.0 | 142.9 | 157.0 | 168.5 | 7.3 |
| नवम्बर | 112.6 | 116.8 | 126.9 | 132.9 | 143.8 | 157.4 | 168.8(अ) | 7.2 |
| दिसम्बर | 112.2 | 116.7 | 124.5 | 133.4 | 146.0 | 157.3 | 168.6(अ) | 7.2 |
| जनवरी | 112.4 | 117.5 | 124.4 | 135.2 | 148.0 | 158.7 | ... | ... |
| फरवरी | 112.6 | 119.0 | 123.3 | 135.2 | 148.1 | 159.3 | ... | ... |
| मार्च | 112.8 | 121.5 | 123.5 | 136.3 | 149.5 | 161.0 | ... | ... |
| **औसत** | **111.4** | **116.6** | **126.0** | **130.8** | **143.3** | **156.1** | ... | ... |

**अ = अस्थाई**

**5.2** हिमाचल प्रदेश में भाव की स्थिति पर निरन्तर नियंत्रण रखा जा रहा है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा प्रदेश में भाव पर निगरानी, आपूर्ति की प्रक्रिया का रख–रखाव एवं आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए 4,737 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से कर रहा है। खाद्य में असुरक्षा एवं भेद्यता के मॉनिटर एवं व्यवस्थित करने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जी.आई.एस.के माध्यम द्वारा एफ.आई.वी.आई.एम.एस.(खाद्य असुरक्षा भेद्यता मैपिंग प्रणाली) लागू कर रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं के भाव नियंत्रण में रहने के कारण हिमाचल प्रदेश का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में कम गति से बढ़ा। दिसम्बर,2012 में हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की 11.2 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की वृद्वि केवल 10.7 प्रतिशत आंकी

गई। इसके साथ–साथ जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा हेराफेरी द्वारा आवश्यक उपभोग की वस्तुओं की बिक्री तथा वितरण पर निगरानी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने कई आदेशों/ अधिनियमों को कड़ाई से लागू किया है। वर्ष के दौरान नियमित साप्ताहिक प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के भावों का अनुश्रवण करना जारी रखा गया ताकि भावों में अनुचित बढ़ौतरी को समय पर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

## सारणी 5.2

**हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक**

**(आधार 2001=100)**

| माह | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| अप्रैल | 126 | 133 | 141 | 158 | 167 | 185 | 10.8 |
| मई | 125 | 132 | 142 | 158 | 169 | 185 | 9.5 |
| जून | 125 | 134 | 144 | 158 | 169 | 186 | 10.1 |
| जुलाई | 126 | 136 | 149 | 163 | 174 | 192 | 10.3 |
| अगस्त | 126 | 137 | 150 | 164 | 174 | 195 | 12.1 |
| सितम्बर | 127 | 140 | 151 | 165 | 176 | 195 | 10.8 |
| अक्तूबर | 127 | 141 | 152 | 165 | 179 | 195 | 8.9 |
| नवम्बर | 127 | 141 | 155 | 165 | 179 | 196 | 9.5 |
| दिसम्बर | 126 | 139 | 156 | 166 | 177 | 196 | 10.7 |
| जनवरी | 127 | 139 | 156 | 168 | 178 | ... | ... |
| फरवरी | 128 | 140 | 156 | 166 | 178 | ... | ... |
| मार्च | 130 | 140 | 157 | 165 | 180 | ... | ... |
| **औसत** | **127** | **138** | **151** | 163 | 175 | ... | ... |

## सारणी 5.3

**अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिकों के लिए**

**(आधार 2001=100)**

| माह | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | पिछले वर्ष से प्रतिशतता में परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| अप्रैल | 128 | 138 | 150 | 170 | 186 | 205 | 10.2 |
| मई | 129 | 139 | 151 | 172 | 187 | 206 | 10.2 |
| जून | 130 | 140 | 153 | 174 | 189 | 208 | 10.1 |
| जुलाई | 132 | 143 | 160 | 178 | 193 | 212 | 9.8 |
| अगस्त | 133 | 145 | 162 | 178 | 194 | 214 | 10.3 |
| सितम्बर | 133 | 146 | 163 | 179 | 197 | 215 | 9.1 |
| अक्तूबर | 134 | 148 | 165 | 181 | 198 | 217 | 9.6 |
| नवम्बर | 134 | 148 | 168 | 182 | 199 | 218 | 9.5 |
| दिसम्बर | 134 | 147 | 169 | 185 | 197 | 219 | 11.2 |
| जनवरी | 134 | 148 | 172 | 188 | 198 | ... | ... |
| फरवरी | 135 | 148 | 170 | 185 | 199 | ... | ... |
| मार्च | 137 | 148 | 170 | 185 | 201 | ... | ... |
| **औसत** | **133** | **145** | **163** | 180 | 195 | ... | ... |

# 6. खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति

**लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

**6.1** लोगों को गरीबी रेखा से उपर उठाने की सरकार की नीति का एक विशेष घटक उचित मूल्य की 4,737 दुकानों द्वारा जरूरी वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, लेवी चीनी तथा मिटटी के तेल का लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत पूर्ति को सुनिश्चित कराना है । खाद्य पदार्थों को वितरित करने हेतु सभी परिवारों को विभिन्न 4 श्रेणियों में बांटा गया है (i) ए.पी.एल. गरीबी रेखा से उपर (ii) बी. पी.एल. गरीबी रेखा से नीचे (iii) अन्त्तोदय (अतिनिर्धन) (iv) अन्नपूर्णा (निःसहाय वृद्धों के लिए) जिन्हें वृद्वा पैंशन नहीं मिलती।

**6.2** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश में 16,78,811 राशन कार्डों की संख्या है जिनके अंतर्गत 76,03,325 व्यक्तियों को 4,737 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही है जिनमें सहकारी सभाओं के अंतर्गत 3,141, पंचायतों द्वारा 39, नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 116, व्यक्तिगत 1,434 तथा महिला मण्डल द्वारा 7 उचित मूल्य की दुकाने चलाई जा रही है।

**6.3** वर्ष 2012–13 में दिसम्बर, 2012 तक निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की मात्रा उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा वितरित की गई हैं :–

## सारणी 6.1

| क.सं. | वस्तु का नाम | इकाई | वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर,2012 तक |
|---|---|---|---|
| 1. | गेहूं /गेहूं का आटा (ए.पी.एल.) | मी..टन | 1,50,847 |
| 2. | चावल (ए.पी.एल.) | मी..टन | 78,652 |
| 3. | गेहूं (बी.पी..एल.) | मी..टन | 68,221 |
| 4. | चावल (बी.पी.एल.) | मी..टन | 50,671 |
| 5. | गेहूं(ए.ए.वाई.) | मी..टन | 36,808 |
| 6. | चावल (ए.ए.वाई.) | मी..टन | 27,529 |
| 7. | चावल अन्पूर्णा | मी..टन | 132 |
| 8. | दोपहर का भोजन | मी..टन | 14,342 |
| 9. | लेवी चीनी | मी..टन | 40,190 |
| 10. | मिट्टी का तेल | कि.ली. | 18,951 |
| 11. | पैट्रोल | कि.ली. | 1,22,998 |
| 12. | डीजल | कि.ली. | 3,85,725 |
| 13. | एल.पी.जी. | संख्या | 40,96,594 |
| 14. | नमक | मी..टन | 12,840 |
| 15. | दाल चना | मी..टन | 12,783 |
| 16. | दाल उड़द | मी..टन | 13,845 |
| 17. | काला चना | मी..टन | 6,978 |
| 18. | सरसों का तेल | कि.ली. | 6,156 |
| 19. | रिंफाईण्ड तेल | कि.ली. | 17,604 |

**6.4** प्रदेश सरकार द्वारा माह फरवरी,2011 में अनुदानित वस्तुओं के वितरण में कुछ परिवर्तन किया गया है जिसका व्यौरा निम्न प्रकार से किया जा रहा है:–

## सारणी 6.2

| क.सं | प्रति राशन कार्ड | वितरण मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | एक से दो सदस्य तक | एक किलोग्राम दाल उड़द, एक किलोग्राम नमक व केवल एक लीटर रिफाईण्ड तेल। |
| 2. | तीन से चार सदस्य तक | एक किलोग्राम चना दाल, एक किलोग्राम नमक, एक किलोग्राम दाल उड़द, दो लीटर रिफाईण्ड तेल। |
| 3 | पांच से अधिक सदस्यों को | एक किलोग्राम चना दाल, एक किलोग्राम नमक, एक किलोग्राम काला चना, दो लीटर रिफाईण्ड तेल व एक किलोग्राम उड़द सावुत/ दाल चना ₹25.00 प्रति किलोग्राम, चना होल ₹ 20.00 प्रति किलोग्राम। उड़द दाल ₹35.00 प्रति किलोग्राम, खाद्य तेल ₹ 40.00 प्रति लीटर, नमक ₹4.00 प्रति किलोग्राम। |
| 4 | ए.पी.एल. कार्ड धारकों को | 18 किलोग्राम आटा ₹8.50 प्रति किलोग्राम की दर से<br>9 किलोग्राम चावल ₹10.00 प्रति किलोग्राम की दर से |
| 5 | बी.पी.एल. कार्ड धारकों को | 20 किलोग्राम गंदम ₹5.25 प्रति किलोग्राम की दर से<br>15 किलोग्राम चावल ₹6.85 प्रति किलोग्राम की दर से |
| 6 | ए.ए.वाई. कार्ड धारकों को | 20 किलोग्राम गंदम ₹2.00 प्रति किलोग्राम की दर से<br>15 किलोग्राम चावल ₹3.00 प्रति किलोग्राम की दर से |
| 7 | अन्नपूर्णा कार्ड धारकों को | 10 किलोग्राम चावल मुफत में |
| 8 | लेवी चीनी | समस्त राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 700 ग्राम प्रति माह ₹13.50 की दर से |

## सारणी 6.3
### जन–जातीय क्षेत्र के लिए वस्तुओं का भण्डारण

| क.सं. | वस्तु का नाम | इकाई | वस्तुओं का प्रेषण दिसम्बर,2012 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | गेहूं /गेहूं का आटा (ए.पी.एल.) | मी..टन | 6,714 |
| 2. | चावल (ए.पी.एल.) | मी..टन | 2,208 |
| 3. | गेहूं (बी.पी..एल.) | मी..टन | 2,909 |
| 4. | चावल (बी.पी.एल.) | मी..टन | 1,586 |
| 5 | गेहूं(ए.ए.वाई.) | मी.टन | 2,747 |
| 6. | चावल(ए.ए.वाई.) | मी..टन | 1,356 |
| 7. | चावल अन्नपूर्णा | मी..टन | 9 |
| 8. | लेवी चीनी | मी..टन | 1,537 |
| 9. | मिट्टी का तेल | कि.ली. | 1,260 |
| 10. | एल.पी.जी. | संख्या | 1,60,434 |
| 11. | स्टीम कोयला | मी..टन | 0 |
| 12. | नमक | मी..टन | 417 |
| 13. | दाल चना | मी..टन | 296 |
| 14. | दाल उड़द | मी..टन | 264 |
| 15. | काला चना | मी..टन | 247 |
| 16 | खाद्य तेल | कि.ली. | 717 |

## अन्य कार्य/उपलब्धियां

### पैट्रोल तथा पैट्रालियम उत्पादन

**6.5** इस समय प्रदेश में 36 मिट्टी तेल के विभिन्न कम्पनियों के थोक विक्रेता, 319 पैट्रोल पम्प तथा 117 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं।

## नागरिक आपूर्ति

**6.6** हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम केन्द्रीय प्रापण अभिकरण के तौर पर राज्य में कार्यरत है। निगम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत नियन्त्रित व अनियन्त्रित खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रापण एवं वितरण का कार्य कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में दिसम्बर,2012 तक निगम ने विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ₹809.23 करोड़ का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इसी अवधि में मूल्य ₹792.10 करोड़ थी।

वर्तमान में निगम दूसरी आवश्यक वस्तुओं जैसे कि रसोई गैस, डीजल/पैट्रोल/ मिटटी तेल और जीवन रक्षक दवाईयां को उचित मूल्यों पर 116 थोक भण्डारों, 110 उचित मूल्यों की दुकानों, 52 गैस एजेंसियों, 4 पेट्रोल पम्प और 36 दवाईयों की दुकानों की मदद से मुहैया करता रहा है। इसके अतिरिक्त निगम ने उन वस्तुओं का जो कि नियंत्रण में नहीं आती जैसे चीनी, दालें, चावल, आटा, साबुन, चाय पत्ती, कापी, सीमेंट, सी. जी.आई.शीटस, दवाईयां, विशेष पोषाहार स्कीम की विभिन्न वस्तुएं, मनरेगा सीमेन्ट व पैट्रोलियम पदार्थों का थोक गोदामों व परचून दुकानों के माध्यम से प्रापण एवं वितरण कर रहा है। इसके साथ–साथ

खुले बाजार की कीमतों के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान वित्त वर्ष में दिसम्बर,2012 तक निगम द्वारा विभिन्न वस्तुओं का मूल्य ₹ 27,587.32 लाख का प्रापण एवं वितरण किया गया है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में मूल्य ₹25,134.81 लाख थी। निगम दोपहर के भोजन स्कीम के अन्तर्गत प्राथमिक व अपर प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को सम्बन्धित जिलाधीशों द्वारा आंवटित चावलों की मात्रा की आपूर्ति की व्यवस्था कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में दिसम्बर,2012 तक 14,643 मी0 टन चावल जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 15,062 मी0 टन थे का वितरण किया है। निगम सरकार की विशेष अनुदानित स्कीम के अंतर्गत चिन्हित वस्तुओं (दालें/ खाद्य तेल/नमक) की सरकार द्वारा गठित प्रापण कमेटी के निर्णयानुसार आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 में दिसम्बर,2012 तक ₹194.53 करोड़ की इन वस्तुओं का प्रापण व वितरण किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि में ₹203.29 करोड़ थी।

**6.7** वर्ष 2012–13 के दौरान निगम का कारोबार ₹1,382.36 करोड़ रहने की संभावना है जो गत वर्ष 2011–12 के दौरान ₹1,259.41 करोड़ था।

## नए बिक्री केन्द्र शुरू/ अनुमोदित

जनता की भलाई के लिए निगम ने 2012–13 में निम्नलिखित विक्रय केन्द्रों को शुरू/ अनुमोदन किया गया।

| क्र सं. | विक्रय केन्द्र का नाम | जिला |
|---|---|---|
| 1 | थोक विक्रय भंडार, तलयाड़ (अति शीघ्र खोला जा रहा है) | मण्डी |
| 2 | थोक विक्रय भंडार, चुराग | मण्डी |
| 3 | दवाई की दुकान,नादौन | हमीरपुर |
| 4 | दवाई की दुकान,नगरोटा बगवां | कांगड़ा |
| 5 | एल.पी.जी.गोदाम, जोगिन्द्रनगर | मण्डी |

उपरवर्णित विक्रय केन्द्रों के इलावा एल.पी.जी गैस की एजेंसी 2013–14 में कुल्लू व नादौन में शुरू करनी प्रस्तावित है।

## सरकारी आपूर्ति

**6.8** हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम सरकारी अस्पतालों को अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवाईयों, सीमेंट सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों/ अन्य सरकारी संस्थाओं और जी.आई./डी.आई/ सी.आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को आपूर्ति के लिए प्रापण का प्रबंध कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष 2012–13 में सरकारी आपूर्ति (अंनन्तिम स्थिति) निम्न प्रकार रहेगी:–

| | | |
|---|---|---|
| 1 | सीमेंट की आपूर्ति सरकारी विभागों/ बोर्ड/ उपक्रमों को | ₹ 90.00 करोड़ |
| 2 | दवाईयों की आपूर्ति स्वास्थ्य एवं आयुर्वेदा विभाग को | ₹ 18.05 करोड़ |
| 3 | जी.आई./डी.आई/ सी. आई पाईपें सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को | ₹140.00 करोड़ |
| 4 | स्कूल वर्दी शिक्षा विभाग को | ₹ 45.00 करोड़ |

## मनरेगा सीमेंट की आपूर्ति

**6.9** वित्तीय वर्ष 2012–13 में (दिसम्बर,2012 तक) निगम ने प्रदेश की विभिन्न पंचायतों के विकास कार्य में प्रयोग किए जाने वाले 21,00,006 बैग सीमेंट जिसकी राशि ₹ 49.93 करोड़ बनती है का सीमेन्ट फैक्ट्रियों से प्रापण व आपूर्ति सुनिश्चित की है।

## राज्य में जन–जातीय एंव दुर्गम क्षेत्रों के लिए खाद्य व्यवस्था

**6.10** निगम लगभग ₹20.00 करोड़ का निवेश करके वे सभी जरूरी उपभोग वस्तुएं एवं पैट्रालियम पदार्थ (मिटटी तेल व एल.पी.जी. को मिलाकर) उन सभी जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में उपलब्ध करवाने के लिए बचनबद्व है जहां पर निजी व्यवसायी कम लाभ के कारण आगे नही आते हैं। वर्ष 2012–13 में जरूरी वस्तुएं एवं पैट्रालियम पदार्थों की आपूर्ति उन सभी जन–जातीय एवं हिम आच्छादित क्षेत्रों में सरकार के कार्य योजना के अनुसार उपलब्ध करवाई गई।

# 7. कृषि एवम् उद्यान

## कृषि

**7.1** कृषि हिमाचल प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 89.96 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए कृषि व बागवानी पर प्रदेश के लोगों की निर्भरता अधिक है और कृषि से ही रोजगार उपलब्ध होता है।

**7.2** राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 15 प्रतिशत कृषि तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। प्रदेश के कुल 55.67 लाख हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 9.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र 9.33 लाख किसानों द्वारा जोता जाता है। प्रदेश में औसतन जोत 1.04 हैक्टेयर है। कृषि गणना 2005–06 के अनुसार भू–जोतों के वितरण संबंधित नीचे दी गई सारणी 7.1 से स्पष्ट है कि कुल जोतों में से 87.03 प्रतिशत जोतें लघु व सीमान्त किसानों की है। लगभग 12.54 प्रतिशत अर्ध–मध्यम/मध्यम व 0.43 प्रतिशत जोतें बड़े किसानों की है।

**सारणी 7.1**

**भू–जोतों का वर्गीकरण**

| जोतों का आकार (हैक्टेयर) | वर्ग (किसान) | जोतो की संख्या (लाख) | क्षेत्र लाख हैक्टेयर | जोत का औसत आकार(है0) |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 से कम | सीमान्त | 6.36 (68.17%) | 2.58 (26.65%) | 0.41 |
| 1.0–2.0 | लघु | 1.76 (18.86%) | 2.45 (25.31%) | 1.39 |
| 2.0–4.0 | अर्ध–मध्यम | 0.88 (9.43%) | 2.40 (24.79%) | 2.73 |
| 4.0–10.0 | मध्यम | 0.29 (3.11%) | 1.65 (17.05%) | 5.69 |
| 10.0 व अधिक | बड़े | 0.04 (0.43%) | 0.60 (6.20%) | 15.00 |
| **जोड़** | | **9.33** | **9.68** | **1.04** |

**7.3** कुल जोते गए क्षेत्र में से 81.5 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। चावल, गेंहू, तथा मक्की राज्य की मुख्य खाद्य फसलें हैं। मूंगफली, सोयाबीन तथा सूरजमुखी खरीफ मौसम की तथा तिल, सरसों और तोरियां रबी मौसम की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। उड़द, बीन, मूंग, राजमाश राज्य में खरीफ की तथा चना मसूर रबी की प्रमुख दालें है। कृषि जलवायु के अनुसार राज्य को चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जैसे

- उपोष्णीय, उप पर्वतीय निचले पहाडी क्षेत्र
- उप समशीतोष्ण नमी वाले मध्य पर्वतीय क्षेत्र
- नमी वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र
- शुष्क तापमान वाले उंचे पर्वतीय क्षेत्र व शीत मरूस्थल।

प्रदेश की कृषि जलवायु आलू, अदरक तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है।

**7.4** खाद्यान्न उत्पादन के अतिरिक्त राज्य सरकार समयानुसार तथा प्रचुर मात्रा में कृषि संसाधनों की उपलब्धता, उन्नत कृषि तकनीकी जानकारी, पुराने किस्म के बीजों को बदल कर एकीकृत, कीटाणु प्रबन्ध को उन्नत कर तथा जल संरक्षण वेकार जमीन के विकास के उपायों द्वारा बेमौसमी सब्जियों आलू अदरक, दालों व तिलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। वर्षा के अनुसार चार विभिन्न मौसम है। लगभग आधी वर्षा बरसात में ही होती है तथा शेष बाकी मौसमों मे होती

है। राज्य में औसतन 1,435 मी.मी. वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कांगड़ा जिले में होती है और उसके बाद सिरमौर, मण्डी और चम्बा जिला आते हैं।

## मौनसून 2012

**7.5** कृषि कार्यकलाप का मौनसून से गहन सम्बन्ध है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012 के मौनसून के मौसम (जून–सितम्बर) में कांगड़ा तथा कुल्लू में अत्याधिक बिलासपुर, हमीरपरु, मण्डी, शिमला, सोलन तथा उना जिलों में सामान्य तथा चम्बा, किन्नौर व सिरमौर में कम और लाहौल–स्पिति जिला में छुटपुट वर्षा हुई। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में मौनसून मौसम में सामान्य वर्षा की तुलना में –16 प्रतिशत कम वर्षा हुई। सारणी 7.2 में विभिन्न जिलों में दक्षिण पश्चिम मौनसून मौसम में वर्षा की स्थिति को दर्शाया गया है।

### सारणी 7.2
### मौनसून वर्षा
**(जून–सितम्बर 2012)**

| जिला | वास्तविक मि.मी. | सामान्य मि.मी. | अधिकता / कमी | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कुल (मि.मी.) | प्रतिशतता |
| बिलासपुर | 812 | 877 | -65 | -7 |
| चम्बा | 666 | 1406 | -740 | -53 |
| हमीरपुर | 1174 | 1079 | 95 | 9 |
| कांगड़ा | 1912 | 1582 | 330 | 21 |
| किन्नौर | 123 | 264 | -141 | -54 |
| कुल्लु | 669 | 520 | 149 | 29 |
| लाहौल–स्पिति | 112 | 458 | -346 | -76 |
| मण्ड़ी | 1143 | 1093 | 50 | 5 |
| शिमला | 606 | 634 | -28 | -4 |
| सिरमौर | 984 | 1325 | -341 | -26 |
| सोलन | 893 | 1000 | -107 | -11 |
| उना | 838 | 863 | -25 | -3 |

### सारणी 7.3
### मौनसून बाद वर्षा के आंकड़े
**(1.10.2012 से 31.12.2012)**

| जिला | वास्तविक मि.मी. | सामान्य मि.मी. | अधिकता / कमी | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कुल (मि.मी.) | प्रतिशतता |
| बिलासपुर | 25 | 70 | -45 | -64 |
| चम्बा | 67 | 127 | -60 | -47 |
| हमीरपुर | 36 | 86 | -50 | -58 |
| कांगड़ा | 44 | 105 | -61 | -58 |
| किन्नौर | 19 | 102 | -83 | -81 |
| कुल्लु | 95 | 98 | -3 | -3 |
| लाहौल–स्पिति | 45 | 144 | -99 | -69 |
| मण्ड़ी | 31 | 81 | -50 | -62 |
| शिमला | 22 | 75 | -53 | -71 |
| सिरमौर | 19 | 87 | -68 | -78 |
| सोलन | 22 | 89 | -67 | -75 |
| उना | 53 | 72 | -19 | -27 |

**टिप्पणीः**

सामान्य –19 प्रतिशत से +19 प्रतिशत
अधिक –20 प्रतिशत से अधिक
न्यून –20 प्रतिशत से –59 प्रति शत
अपर्याप्त –60 प्रतिशत से –99 प्रतिशत

## फसल उत्पादन 2011–12

**7.6** हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवथा मुख्यतः कृषि पर निर्भर करती है तथा अभी तक भी राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2011–12 में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्रों का कुल राज्य घरेलू उत्पाद में लगभग 15 प्रतिशत योगदान है। खाद्यान्न उत्पादन में तनिक भी उतार–चढ़ाव अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करता है। ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना, 2007–12 के दौरान बेमौसमी सब्जियों, आलू, दालों तिलहनी फसलें व खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर पर्याप्त आदान आपूर्ति, सिंचाई के अंतर्गत क्षेत्र लाकर, जल संरक्षण विकास तथा सुधरी हुई कृषि प्रौद्योगिकी के प्रभावकारी प्रदर्शन

व जानकारी द्वारा विशेष महत्व दिया गया है। वर्ष 2011–12 कृषि के लिए सामान्य अच्छा वर्ष होने की वजह से खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2010–11 के 14.94 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2011–12 में 15.54 लाख मीट्रिक टन रिकार्ड उत्पादन हुआ। वर्ष 2010–11 के 2.06 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन के तुलना में वर्ष 2011–12 में आलू उत्पादन 1.53 लाख मीट्रिक टन हुआ। सब्जियों का सम्भावित उत्पादन वर्ष 2010–11 के 12.69 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2011–12 में 13.57 लाख मीट्रिक टन हुआ।

## 2012–13 के अनुमान

**7.7** वर्ष 2012–13 में कुल उत्पादन का लक्ष्य 15.60 लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। खरीफ उत्पादन मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मौनसून पर निर्भर करता है क्योंकि राज्य के कुल जोते गए क्षेत्र में से लगभग 81.5 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा पर निर्भर करता है। बीजे गए क्षेत्र के पुर्वानुमान के अनुसार खरीफ सीजन 2012 में उत्पादन लक्ष्य जो कि 8.87 लाख मी. टन के विपरीत 8.57 लाख मी.टन रहने की संभावना है। रवी सीजन में बीजाई सामान्यता अक्तूबर व नवम्बर महीनों में शुरू होती है। बीजाई के समय वर्षा अपर्याप्त होने से भूमि में पर्याप्त नमी न होने की वजह से रवी फसलों की बीजाई कुछ हद तक प्रभावित हुई है। दिसम्बर, 2012 के प्रथम पक्ष में कुछ वर्षा तो हुई परन्तु यह न तो पर्याप्त और न ही अधिक विस्तृत क्षेत्र में थी जिसके कारण 2012–13 का उत्पादन लक्ष्य से कम रहने की संभावना है। राज्य में वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 का वास्तविक खाद्यान्न उत्पादन तथा वर्ष 2012–13 का अनुमानित उत्पादन एवं वर्ष 2013–14 के लक्ष्य सारणी 7.4 में दर्शाए गए हैः–

**सारणी 7.4**

**खाद्यान्न उत्पादन**

**( '000 टनों में)**

| फसले | 2009–10 | 2010–11 | 2011–12 | 2012–13 (अनुमानित उपलब्धियां) | 2013–14 (लक्ष्य) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| चावल | 105.90 | 128.92 | 131.35 | 105.20 | 130.00 |
| मक्की | 543.19 | 670.90 | 715.42 | 730.18 | 735.00 |
| रागी | 2.21 | 2.11 | 2.80 | 2.91 | 3.00 |
| अनाज | 1.85 | 3.28 | 3.31 | 3.42 | 5.50 |
| गेंहू | 414.41 | 614.89 | 632.95 | 544.44 | 635.00 |
| जौं | 22.94 | 32.17 | 32.68 | 30.27 | 34.00 |
| चना | 0.37 | 0.60 | 0.66 | 1.40 | 2.50 |
| दालें | 20.29 | 40.99 | 34.92 | 32.14 | 35.00 |
| **कुल खाद्यान्न** | **1111.16** | **1493.86** | **1554.37** | **1449.96** | **1580.00** |
| **2.वाण्ज्यिक फसलें** | | | | | |
| आलू | 184.43 | 205.97 | 152.98 | 185.00 | 190.00 |
| सब्जियां | 1206.24 | 1268.90 | 1356.60 | 1385.00 | 1400.00 |
| अदरक (शुष्क) | 3.12 | 1.56 | 3.15 | 4.00 | 4.00 |

## खाद्यान्न उत्पादन का विकास

**7.8** क्षेत्र विस्तार द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी सीमाएं हैं। जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है सारे देश की तरह हिमाचल भी अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां भूमि को इस उद्देश्य हेतु बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के साथ विविधता पूर्ण उच्च मूल्य वाली फसलों को अपनाने का प्रयास आवश्यक है। नकदी फसलों की तरफ बदलें हुए रूझान की वजह से खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत क्षेत्र धीरे–धीरे कम हो रहा है। जैसे कि यह 1997–98 में 853.88 हजार हैक्टेयर था जो घटते हुए वर्ष 2012–13 में 769.78 हजार हैक्टेयर रह गया। प्रदेश में बढ़ता हुआ उत्पादन, उत्पादकता दर में वृद्धि को दर्शाता है जो कि सारणी 7.5 से पता चलता है।

**सारणी 7.5**
**खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्र तथा उत्पादन**

| वर्ष | क्षेत्र ('000 हैक्टेयर) | उत्पादन ('000 मी.टन) | प्रति हैक्टेयर उत्पादन (मी.टन) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2007–08 | 811.98 | 1440.66 | 1.77 |
| 2008–09 | 797.25 | 1226.79 | 1.53 |
| 2009–10 | 784.02 | 1111.16 | 1.41 |
| 2010–11 | 795.18 | 1493.87 | 1.88 |
| 2011–12 | 790.70 | 1554.38 | 1.96 |
| 2012–13(अनुमानित उपलब्धि) | 769.78 | 1449.96 | 1.88 |
| 2013–14(लक्ष्य) | 780.00 | 1580.00 | 2.02 |

## अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में संबंधित कार्यक्रम (एच.वाई.वी.पी.)

**7.9** खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों के वितरण पर जोर दिया गया । अधिक उपज देने वाली मुख्य फसलों जैसे मक्की, धान, गेहूं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में लाया गया क्षेत्र तथा 2013–14 के लिए लक्ष्य रखा गया, जो सारणी 7.6 में दिया गया है।

**सारणी 7.6**
**अधिक उपज देने वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्र**

**('000 हैक्टेयर)**

| वर्ष | मक्की | धान | गेहूं |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2007–08 | 280.31 | 73.56 | 332.09 |
| 2008–09 | 280.51 | 74.61 | 325.22 |
| 2009–10 | 286.50 | 75.00 | 328.00 |
| 2010–11 | 278.65 | 75.20 | 327.00 |
| 2011–12 | 279.05 | 75.08 | 330.35 |
| 2012–13(संभावित) | 285.00 | 75.00 | 340.00 |
| 2013–14(लक्ष्य) | 290.00 | 76.00 | 340.00 |

प्रदेश में बीज उत्पादन के 21 फार्म केन्द्र स्थापित किए गए है जिनसे किसानों को बीज उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 3 सब्जी विकास केन्द्र, 13 आलू विकास केन्द्र तथा 1 अदरक विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए हैं।

## पौध संरक्षण कार्यक्रम

**7.10** फसलों की पैदावार बढानें के उद्देश्य से पौध संरक्षण उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना जरूरी है। प्रत्येक मौसम में फसलों की बीमारियों, इनसैक्ट तथा पैस्ट इत्यादि से लड़ने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई.आर.डी.पी. परिवारों, पिछड़ें क्षेत्रों के किसानों तथा सीमान्त व लघु किसानों को पौध संरक्षण रसायन उपकरण 50 प्रतिशत कीमत पर दिए जाते हैं। अक्तूबर,1998 से सरकार बड़े किसानों को इस सामान के लिए 30 प्रतिशत उपदान दे रही है। संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य सारणी 7.7 में दर्शाए गए हैं।

**सारणी 7.7**

**संभावित एवं प्रस्तावित लक्ष्य**

| वर्ष | पौध संरक्षण के अधीन लाया गया क्षेत्र ('000 हैक्टेयर) | रसायनों का वितरण (मी.टन) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2006–07 | 450.00 | 134 |
| 2007–08 | 440.00 | 135 |
| 2008–09 | 435.00 | 135 |
| 2009–10 | 442.00 | 169 |
| 2010–11 | 438.00 | 141 |
| 2011–12 | 315.00 | 120 |
| 2012–13(संभावित) | 320.00 | 121 |
| 2013–14(लक्ष्य) | 350.00 | 140 |

## मिट्टी की जांच कार्यक्रम

**7.11** प्रत्येक मौसम में मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किसानों से मिट्टी के नमूने इकटठे किए जाते हैं तथा मिटटी जांच प्रयोगशाला में इनका विश्लेषण किया जाता है। लाहौल–स्पिति जिला के अतिरिक्त जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, जबकि चार चलते फिरते वाहन जिसमें से एक जनजातीय क्षेत्र के लिए हैं, साईट पर मिट्टी की जांच के लिए कार्यरत हैं। यह प्रयोगशालाएं आधुनिक उपकरणों द्वारा मजबूत की जा रही है। वर्ष 2010–11 में दो मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया तथा एक चलित प्रयोगशाला पालमपुर जिला कांगड़ा में स्थापित की गई। प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित किए गए हैं। वर्ष 2011–12 में 1.26 लाख मिट्टी के नमूने का विश्लेषण किया गया और 1.25 लाख मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। वर्ष 2012–13 में लगभग 1.25 लाख मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण का लक्ष्य रखा गया है जिससे किसानों को अपने खेतों की मिटटी में पोषकता तथा उर्वरकता की स्थिति और पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। राज्य सरकार ने मिटटी जांच को भी हि0प्र0 सार्वजनिक सेवाएं गारन्टी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित की है।

## जैविक खेती

**7.12** सभी संबंधित लोगों के लिए जैविक खेती स्वास्थ्य, पर्यावरण मित्र होने के कारण आजकल लोकप्रिय होती जा रही है। किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शनी, मेले/गोष्ठियों द्वारा राज्य में जैविक खेती बहुत ही योजनाबद्व तरीके के साथ उन्नत हो रही है। 12वीं योजना के अन्त तक यह भी फैसला किया गया है कि हर घर में बरमी खाद की ईकाईयां स्थापित की जाए। इस योजना के अन्तर्गत प्रति किसान को ₹3,750 की राशि (50 प्रतिशत अनुदान पर) (10x6x1.5फीट का गड्डा तैयार करने के लिए तथा ₹250 दो किलोग्राम बरमी–कल्चर बीज के लिए दिए जाते हैं। इस वित वर्ष के अंत तक 4,000 बरमी कलचर ईकाईयां स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसानों की सामुहिक उपयोगिता को मध्यनजर सुलभ आई.एस. आई.एच.डी.पी.ई. वर्मी वैड भी वर्मी खाद तैयार करने के लिए प्रचारित किए जा रहे हैं। किसानों को 50 प्रतिशत (₹4,000) प्रति पोर्टेवल वैड अनुदान दिया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान 20,000 ईकाईयां स्थापित की जा रही हैं।

## बायो गैस विकास कार्यक्रम

**7.13** पारम्परिक ईंधन, जैसे जलावन लकड़ी की उपलब्धता के कम होने से बायोगैस संयन्त्रों ने राज्य के निचले तथा मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में महता प्राप्त की है। इस कार्यक्रम के शुरू होने से मार्च,2012 तक राज्य में 43,803 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके हैं। हिमालय क्षेत्र के कुल बायोगैस उत्पादन में से लगभग

90.86 प्रतिशत अकेले हिमाचल प्रदेश में ही होता है। वर्ष 2011–12 में राज्य में 300 बायोगैस संयन्त्र लक्ष्य के मुकाबले 353 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए तथा वर्ष 2012–13 में 300 बायोगैस संयन्त्र लगाने के लक्ष्य में से नवम्बर,2012 तक 152 बायोगैस संयन्त्र लगाए गए। वर्ष 2013–14 के दौरान 300 बायोगैस संयंत्र लगाने प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम संतृप्ति के पड़ाव पर है।

## उर्वरक उपभोग तथा उपदान

**7.14** उर्वरक ही एक ऐसा इनपुट है जो काफी हद तक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देता है। 50वें दशक के अन्त में तथा 60वें दशक के शुरू में हिमाचल प्रदेश मे उर्वरक के प्रदर्शन शुरू हुए तब से उर्वरक का उपभोग लगातार बढ़ता गया। उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 1985–86 के 23,664 टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2011–12 में 51,425 टन हो गया। सरकार राज्य में उर्वरक की एक जैसी कीमत रखने के लिए सभी प्रकार के उर्वरकों की हिमफेड के भण्डार गृहों से विक्रय केन्द्रों तक ढुलाई के लिए 100 प्रतिशत उपदान देती है। राज्य सरकार, कैन, यूरिया तथा अमोनियम सल्फेट पर ₹200 प्रति मीट्रिक टन तथा मिश्रित उर्वरक एन.पी.के. 12:32:16, 10:26:26 डी.ए.पी. के अनुपात व मिश्रित उर्वरक एन.पी.के. 15:15:15 के अनुपात पर ₹500 प्रति मीट्रिक टन उपदान देती है। यह उपदान योजना स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जा रहा हैं वर्ष 2012–13 में लगभग 50,000 मीट्रिक टन खाद पोषक तत्व के रूप में वितरित करना प्रस्तावित है। उर्वरक उपभोग निम्न सारणी 7.8 में दर्शाया गया है।

**सारणी 7.8**
**उर्वरक उपभोग**

(मी. टन)

| वर्ष | नाईट्रो–जिनियस (एन.) | फोस–फेटिक (पी.) | पोटास (के.) | कुल (एन. पी. के.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2007–08 | 32338 | 8908 | 8708 | 49954 |
| 2008–09 | 35462 | 10703 | 11198 | 57363 |
| 2009–10 | 31319 | 10901 | 11018 | 53239 |
| 2010–11 | 32594 | 10728 | 11811 | 55133 |
| 2011–12 | 32802 | 9701 | 8922 | 51425 |
| 2012–13(संभावित) | 31500 | 9400 | 9100 | 50000 |
| 2013–14(लक्ष्य) | 31500 | 9800 | 9200 | 50500 |

## कृषि ऋण

**7.15** ग्रामीण परिवारों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण पारम्परिक वित्त के गैर संस्थागत स्त्रोत ही ऋण के मुख्य साधन है। इनमें से कुछ एक बहुत अधिक ब्याज पर धन उपलब्ध करवाते हैं और गरीब लोगों के पास बहुत कम सम्पति होती है जिसके कारण उनके लिए समानान्तर जमानत जुटा पाने के अभाव में वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना बहुत मुश्किल है फिर भी सरकार ने ग्रामीण परिवारों को कम दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं। किसानों की इस प्रवृति के मध्य नजर, जो कि अधिकतर सीमान्त तथा छोटे किसान है,उनको इनपुट की खरीद के लिए ऋण को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। संस्थागत ऋण व्यापक रूप से दिए जा रहे हैं परन्तु इसके कार्यक्षेत्र को विशेषकर फसलों मे जो कि बीमा योजना के अंतर्गत आते है, बढानें की जरूरत है। सीमान्त तथा लघु किसानों और अन्य पिछड़े वर्ग को संस्थागत ऋण सही तरीके से उपलब्ध करवाना और उनके द्वारा नवीनतम तकनीकी तथा सुधरे कृषि तरीकों को अपनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मिटिंग में

फसल विशेष ऋण योजना तैयार की है ताकि ऋण बहाव का जल्दी अनुश्रवण हो सके।

## किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.)

**7.16** यह योजना पिछले बारह वर्षों में बहुत ही सफल रही है। 1,614 बैंक शाखाएं इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। सितम्बर,2012 तक 4,91,756 किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए, जबसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है तब से बैंक ने सितम्बर,2012 तक ₹2,334.08 करोड़ के ऋण दिए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति सारणी 7.9 में दर्शाई गई है।

**सारणी 7.9**
**किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति**

| क्र. सं. | बैंक | सितम्बर, 2012 तक जारी (₹करोड़) | सितम्बर,2012 तक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | वाणिज्यिक बैंक | 1442.23 | 1,78,949 |
| 2 | कोओपरेटिव बैंक | 791.22 | 2,23,489 |
| 3 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 47.99 | 88,144 |
| 4 | अन्य प्राईवेट बैंक | 52.64 | 1,174 |
| | **कुल** | **2334.08** | **4,91,756** |

## फसल बीमा योजना

**7.17** सभी फसलों तथा सभी किसानों को बीमा योजना के अंतर्गत लाने के लिए सरकार ने राज्य में वर्ष 1999–2000 के रबी मौसम से 'राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना' शुरू की। शुरू में मक्की, चावल, जौं तथा आलू की फसलों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। लघु एवं सीमान्त किसानों को बीमा किस्त पर छूट सन–सैट के आधार पर दी जाएगी। यह योजना विस्तृत जोखिम बीमा, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, कीट व बीमारी इत्यादि को कवर करती है। वर्ष 2007–08 से रवी पर अनुदान 10 से 50 प्रतिशत तक लघु एवं सीमांत किसानों को बढ़ा दिया है। यह परियोजना ऋणी किसानों के लिए आवश्यक एवं गैर ऋणी किसानों के लिए उनकी मर्जी पर है। इस परियोजना को भारत की कृषि वीमा कम्पनी चला रही है। फसलों के नुकसान के कारण किश्तों पर छूट की भरपाई को भारत सरकार और राज्य सरकार समान रूप से वहन करेगी। खरीफ फसल 2008 के दौरान सिरमौर जिला की अदरक की फसल को पायलट के आधार पर शामिल किया गया है। रवी फसल 2012–13 के दौरान यह योजना प्रगति पर है। सभी बैंक शाखाओं द्वारा 31 मार्च,2013 तक ऋणी किसानों द्वारा दिए गए प्रस्ताव मान्य होगें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने टमाटर की फसल जिला सोलन तथा जिला बिलासपुर के सदर विकास खण्ड में तथा आलु की रबी फसल जिला कांगड़ा व उना में अग्रगामी आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) का वर्ष 2012–13 में प्रबंध किया गया है।

## बीज प्रमाणीकरण

**7.18** कृषि मौसमीय स्थिति राज्य में बीज उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त है। बीज की गुणवता को बनाए रखने के लिए तथा उत्पादकों को बीज की कीमतें देने के लिए बीज प्रमाणीकरण योजना को अधिक महत्व दिया गया। राज्य के विभिन्न भागों में बीज उत्पादन तथा उनके उत्पादन के प्रमाणीकरण के लिए 'हिमाचल राज्य बीज रासायनिक खाद उत्पाद प्रमाणीकरण एजैंसी' उत्पादकों को रजिस्टर कर रही है।

## कृषि विपणन

**7.19** कृषि विपणन तथा कृषि उत्पादन को राज्य में व्यवस्थित करने के

लिए हिमाचल प्रदेश कृषि वानिकी उत्पादन विपणन एक्ट 2005 लागू किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत राज्य स्तर पर हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। सारा हिमाचल प्रदेश 10 अधिसुचित विपणन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्वेश्य कृषक समुदाय के अधिकार को सुरक्षित रखना है। व्यवस्थित स्थापित मण्डियां किसानों को लाभदायक सेवाएं उपलब्ध करवा रही है। सोलन में कृषि उत्पादों हेतु एक आधुनिक मण्डी ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा अन्य स्थानों पर मार्किट यार्डों का निर्माण हुआ। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मार्किट फीस 2 प्रतिशत से 1 प्रतिशत की गई। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो राजस्व प्राप्त होगा उसे मूलभूत सुविधाओं के उनन्यन तथा कृषि उत्पाद के लाभकारी विपणन को सुनिश्चित करना है। हिमाचल प्रदेश कृषि उपज मार्किट अधिनियम को आदर्श अधिनियम में दर्ज किया गया जिसको भारत सरकार ने परिचालित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी मार्किट की स्थापना करना, सीधे तौर पर विपणन, ठेके पर कृषि, एवं एक बिन्दु पर प्रवेश शुल्क की उगाही मण्ड़ियों का कम्प्यूटरीकरण भी किया जा रहा है। विपणन बोर्ड बिना किसी योजना सहायता के स्वयं अपनी निधि से सभी कार्यकलापों को चला रही है।

## चाय विकास

**7.20** चाय के अन्तर्गत 2,300 हैक्टेयर क्षेत्र है जिसमें 8–10 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। लघु एवं सीमान्त चाय पैदावार करने वालों को कृषि औजारों पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। कुछ वर्षों से मण्डी में गिरावट की वजह से चाय उद्योग पर विपरीत असर पड़ा है। उत्पादकों को चाय उत्पादन के अच्छे दाम उपलब्ध करवाने पर बल दिया जा रहा है। प्रदर्शन और नतीजों के उपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।

## कृषि का मशीनीकरण

**7.21** इस योजना के अन्तर्गत किसानों को नए कृषि औजार/ मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत नई मशीनों का परीक्षण किया गया। विभाग का प्रस्ताव पहाडी स्थिति के लिए अनुकूल छोटे ईंधन से चलने वाले हल एवं औजार को लोकप्रिय बनाने का है। किसान कृषि संबंधी कोई भी जानकारी दूरभाष संख्या 1800–180–1551 पर सम्पर्क कर मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्य दिवसों के दौरान उपलब्ध रहती है। यह स्कीम शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित है।

## कृषि विकास के लिए सूक्ष्म प्रबन्धन दृष्टिकोण

**7.22** विगत में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई केन्द्रीय प्रायोजित योजना को समरूप से संगठित किया गया था और बहुत से मामलों में स्थिति प्रदेश की स्थिति के अनुकूल नहीं थी। राज्य सरकार ने इन मुश्किलातों को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में कुछ लचीलापन लाने हेतु त्वरित कृषि विकास में नए प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु भारत सरकार के समक्ष रखा। इस दृष्टिकोण के आधार पर राज्य सरकार ने जो कार्य योजना प्रस्तुत की उस के हिसाब से राज्य को वर्ष 2000–01 तक 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता (80 प्रतिशत अनुदान तथा 20 प्रतिशत ऋण) रूप में मिलेगें तथा 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य योजना का होगा। इस योजना के अन्तर्गत मुख्य प्राथमिकता अनाज की फसलों की बेहतरी, प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण, पानी के संग्रहण के टैंकों का निर्माण, बेमौसमी सब्जियों के विकास, मसाले, उच्च गुणवता

वाले बीजों का उन्नयन, एकीकृत पोषण प्रबन्धन एवं सीधे तौर पर कृषि से जुडी महिलाओं के बीच सामान्जस्य स्थापित करने को दी जाएगी।

## भू एवं जल संरक्षण

**7.23** भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर हमारी भूमि में कटाव इत्यादि आ जाता है। जिस के कारण हमारी भूमि का स्तर गिर जाता है। इस के अलावा भूमि पर जैविक दबाव है। विशेष रूप से कृषि भूमि पर इस प्रक्रिया को रोक लगाने हेतु विभाग द्वारा राज्य सैक्टर के अन्तर्गत दो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

यह योजनाएं हैं:–

i) भू संरक्षण कार्य
ii) जल संरक्षण और विकास

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और लघु सिंचाई योजनओं को प्राथमिकता दी गई है। विभाग द्वारा वर्षा जल संचयन के लिए टैंक, तालाब, चैक डैम व भण्डार संरचनाओं के निर्माण हेतु योजना तैयार की है। इस के अलावा कम पानी उठाने वाले उपकरण व फव्वारों के माध्यम से कुशल सिंचाई प्रणाली को भी लोकप्रिय किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से भू संरक्षण तथा फार्म कृषि स्तर में रोजगार के अवसर अर्जित करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

## हि0प्र0 में लघु सिंचाई योजनाओं तथा अन्य सम्बन्धित आधारभूत ढांचे का विकास

**7.24** कृषि विभाग ने कृषि क्षेत्र में अधिक व जल्दी विकास हेतु नकदी फसलों का उत्पादन पौली गृह के द्वारा खेती करने के लिए परियोजना बनाई है। इस परियोजना का उद्वेश्य अधिक पैदावार और क्ष्त्र की इकाई के आधार पर आय, प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल एवं जमीन का सही उपयोग, सारे वर्ष आश्रितों की उपलब्धता, पैदावार की गई फसलों की गुणवता एवं निवेश में कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है। नाबार्ड ने इस परियोजना को आर.आई.डी.एफ.–XIV के आधार पर ₹154.92 करोड़ स्वीकृत किए हैं जिसे इस वित्तीय वर्ष 2008–09 से शुरू करके चार वर्षों में लागू कर दिया जाएगा। वर्ष 2011–12 तक 10,105 पौली गृहों का निर्माण किया गया। 111.25 हैक्टेयर क्षेत्र संरक्षित खेती के अंतर्गत लाया गया तथा ₹82.76 करोड़ व्यय किए गए। वर्ष 2012–13 के लिए ₹35.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त लघु सिंचाई योजनाओं तथा अन्य संबंधित आधारभूत ढांचे के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.–XIV के अर्न्तगत ₹198.09 करोड़ स्वीकृत किए। यह परियोजना 2009–10 से आगामी चार वर्षों के लिए लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 17,312 स्पिंकलर/ ड्रीप सिंचाई स्कीमें स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 16,020 पानी स्त्रोतों जिसमें पानी के टैंक, उथले कुओं व टयूबैलों को गहरा करने, गहरे कुओं, छोटे व मध्यम उठाउ पम्प सैटों का वास्तविक आवश्यकतानुसार निर्माण किया जाएगा। किसानों को कुल लागत का 80 प्रतिशत अनुदान तथा 20 प्रतिशत लाभार्थी को वहन करना होगा। वर्ष 2011–12 तक 16,795 स्पिंकलर सेट स्थापित किए गए जिसके अंतर्गत 11,458.12 हैक्टेयर क्षेत्र लाया गया और ₹59.25 करोड़ व्यय किए गए। वर्ष 2012–13 के लिए इस मद में ₹15.44 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

## राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

**7.25** कृषि एवं इसके साथ जुड़े क्षेत्रों की धीमी विकास दर को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारम्भ की है। इसके अंतर्गत 4 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषि संबंधी क्षेत्रों को सम्पूर्ण विकास के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं:–

1. राज्य को प्रोत्साहन देना ताकि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश हो।
2. राज्यों को कृषि एवम् समवर्गी क्षेत्र योजना के लिए योजनाएं बनाने तथा कार्यान्वयन करने के लिए लचीलापन और स्वतन्त्रता देना।
3. कृषि संबंधी योजनाओं को राज्य तथा जिलों के लिए कृषि जलवायु प्रभाव तथा तकनीकी और प्राकृतिक स्त्रोत में सुविधा सुनिश्चित करना।
4. राज्यों द्वारा कृषि योजना में स्थानीय जरूरतें/ फसलें/ प्राथमिकताएं भली–भांति प्रकार से व्यक्त हों यह सुनिश्चित करना।
5. सरकारी हस्तक्षेप से महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन में अंतर को दूर करने के लिए लक्ष्य प्राप्त करना।
6. किसानों को कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अधिकतम प्राप्ति का लक्ष्य।
7. उत्पादन व उत्पादकता में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न घटकों का कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में सम्पूर्ण रूप से बताया जाना।

भारत सरकार ने कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें बागवानी, पशुपालन, मत्स्य व ग्रामीण विकास भी शामिल है के लिए धन आवंटित किया गया है। यह योजना वर्ष 2007–08 से आरम्भ की गई है। वर्ष 2011–12 में कृषि एवं सम्बन्धित विभागों द्वारा ₹98.50 करोड़ अनुमानित व्यय किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरम्भ होने के बाद भारत सरकार से ए0सी0ए0 के अधीन प्राप्त हो रही है। वर्ष 2012–13 के लिए कृषि विभाग को सामान्य योजना एस0सी एस0पी0 व टी0ए0एस0पी0 के अन्तर्गत ₹73.48 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

## उद्यान

**7.26** हिमाचल प्रदेश की विविध जलवायु, भौगोलिक क्षेत्र तथा उनकी स्थिति में भिन्नता, उपजाउ, गहन तथा उचित जल निकास व्यवस्था वाली भूमि समशीतोष्ण तथा उष्ण कटीबन्धीय फलों की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है । यह क्षेत्र अन्य गौण उद्यान्न उत्पादन जैसे फूल, मशरूम, शहद तथा हौप्स की खेती के लिए भी बहुत उपयुक्त है ।

**7.27** प्रदेश की इस अनुकूल स्थिति के परिणामस्वरूप पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग अब कृषि से फलोत्पादन की ओर स्थानान्तरित होता जा रहा है। वर्ष 1950–51 में फलों के अधीन कुल क्षेत्र 792 हैक्टेयर था जिसमें कुल उत्पादन 1200 टन हुआ । यह बढ़ कर वर्ष 2011–12 में 2,14,574 हैक्टेयर क्षेत्र हो गया तथा कुल फल उत्पादन 3.73 लाख टन हुआ तथा वर्ष 2012–13 में दिसम्बर,2012 तक कुल फल उत्पादन 4.67 लाख टन आंका गया है। 2012–13 में 4,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को फल पौधों के अंतर्गत लाने के लक्ष्य की तुलना में 31 दिसम्बर,2012 तक 3,528 हैक्टेयर क्षेत्र को पौधरोपण के अंतर्गत लाया गया तथा विभिन्न फलों के 9.40 लाख पौधे वितरित किए गए।

**7.28** हिमाचल प्रदेश में फलोत्पादन में सेब का प्रमुख स्थान है जिसके अंतर्गत फलों के अधीन कुल क्षेत्र का लगभग 48 प्रतिशत है तथा उत्पादन कुल फल उत्पादन का लगभग 84 प्रतिशत है। वर्ष 1950–51 में सेबों के अंतर्गत 400 हैक्टेयर क्षेत्र था जो कि 1960–61 में बढ़कर 3,025 हैक्टेयर तथा वर्ष 2011–12 में 1,03,644 हैक्टेयर हो गया।

**7.29** सेब के अतिरिक्त समशीतोषण फलों के अंतर्गत वर्ष 1960–61 में 900 हैक्टेयर क्षेत्र से बढ़कर 2011–12 में 27,472 हैक्टेयर हो गया। सूखे फल तथा मेवों का क्षेत्र 1960–61 के 231 हैक्टेयर से बढ़कर 2011–12 में 11,039 हैक्टेयर हो गया तथा निम्बू प्रजाति एवं उपोषण देशीय फलों का क्षेत्र वर्ष 1960–61 के 1,225 हैक्टेयर तथा 623 हैक्टेयर से बढ़कर 2011–12 में क्रमशः 22,396 हैक्टेयर तथा 50,023 हैक्टेयर हो गया। अन्य फलों के उत्पादन में पिछलें वर्षों में कोई अधिक परिवर्तन नहीं आया ।

**7.30** प्रतिकूल मौसम व बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के कारण सेब उत्पादन में आ रही अस्थिरता विकास के रूख में बाधक हो रही है। विश्व व्यापार संगठन व जी.ए.टी.टी. तथा अर्थ–व्यवस्था के उदारीकरण के परिणामस्वरूप भी हिमाचल प्रदेश में सेब जो फल उद्योग की प्रभुता पर अपना स्थान बनाये रखने में कई चुनौतियां पेश आ रही है। गत कुछ वर्षों में सेब उत्पादन में आ रहे उतार चढ़ाव ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। प्रदेश के विशाल फलोत्पादन क्षमता के पूर्ण दोहन के लिए अब विभिन्न कृषि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

**7.31** फलो–उद्यान विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा रख–रखाव में निवेश करके सभी फल फसलों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जैसे फलोत्पादन विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, नई तकनीकों की जानकारी एवं अखरोट, हैजलनट, पिस्ता, आम तथा लीची विकास कार्यक्रम, स्ट्राबेरी कार्यक्रम, औषधीय एवं सुगन्धित पौध कार्यक्रम एवं छोटी अवधि के अनुसंधान कार्यक्रम इत्यादि चलाए जा रहे हैं।

**7.32** हाल ही में आम एक मुख्य फसल के रूप में उभरा है। कुछ क्षेत्रों में लीची भी महत्व प्राप्त कर रही है। आम तथा लीची की बेहतर कीमतें मिल रहीं है। मध्यम उॅचाई वाले क्षेत्रों में नए फलों जैसे किवी, जैतून, पीकैन तथा स्ट्राबैरी की खेती के लिए कृषि मौसम बिलकुल उपयुक्त है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दिसम्बर,2012 तक के फल उत्पादन के आंकड़े सारणी 7.10 में दर्शाए गए है।

**सारणी 7.10**

**फल उत्पादन**

**(हजार टन)**

| **मद** | **2009–10** | **2010–11** | **2011–12** | **2012–13 (31दिसम्बर 2012 तक)** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| सेब | 280. 11 | 892.11 | 275.04 | 392. 10 |
| अन्य समशीतोष्ण फल | 37. 08 | 61.38 | 31.18 | 47. 74 |
| सूखे मेवे | 2. 81 | 3.62 | 2.49 | 1. 32 |
| नीबू प्रजाति | 28. 14 | 28.68 | 25.03 | 1.79 |
| अन्य उपोष्णीय फल | 34. 10 | 42.03 | 39.08 | 24.27 |
| **कुल** | 382. 24 | 1027. 82 | 372. 82 | 467. 22 |

**7.33** फल उत्पादकों को उनके फलों को पैक करने की पैकिंग सामाग्री उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक पग उठाये गये है । प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि फलों की पैकिंग खासकर सेब की पैकिंग हेतु वर्ष 2012–13 में सी0 एफ0 बी0 टेलिस्कोपिक कार्टन जो की टू–पीस कार्टन है, के स्थान पर स्टैण्डर्ड यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग किया जाये ताकि बागवानों द्वारा ओवरफिलिंग न की जा सके जिससे कि फलों की गुणवत्ता को बनाया रखा जा सके। इस वर्ष प्रयोग के तौर पर स्टैण्डर्ड यूनिवर्सल कार्टन को सेब की पैकिंग हेतु प्रयोग में लाया गया है ताकि क्षमता से अधिक सेब की भराई न की जा सके, परिवहन के दौरान फलों को क्षतिग्रस्त होने से बचाकर फलों की गुणवत्ता कायम रखी जा सके तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरा उतरा जा सके।

**7.34** बागवानी को बढ़ावा देने हेतु कुल 556 हैक्टेयर क्षेत्र को फूलों की खेती के अंतर्गत 31.12.2012 तक लाया गया। खुम्ब उत्पादन, मौन पालन उत्पादन को बढ़ावा दे कर उद्यान उद्योग में विविधता लाई जा रही है। वर्ष 2012–13 में दिसम्बर,2012 तक चम्बाघाट तथा पालमपुर स्थित 2 विभागीय मशरूम विकास परियोजनाओं में 346.00 मीट्रिक टन पास्चूराईजड़ खाद तैयार कर मशरूम उत्पादकों को बांटी गई जिससे 3,471.20 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ। मौन पालन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 31 दिसम्बर,2012 तक 1,500 मीट्रिक टन शहद उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में 243.03 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ।

**7.35** हिमाचल प्रदेश में मौसम आधारित फसल बीमा योजना को शुरू में 6 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए तथा 4 विकास खण्डों में आम फसल हेतु रवी सीजन वर्ष 2009–10 में लागू किया गया। वर्ष 2010–11 में रबी सीजन में इस योजना को 15 विकास खण्डों में सेब फसल के लिए तथा 9 विकास खण्डों में आम फसल के लिए आगे बढ़ाया गया जिसमें 14,037 सेब उत्पादक ऋणी व गैर ऋणी किसानों ने अपने 13,86,503 सेब पौधों व 283 आम उत्पादक किसानों ने अपने 20,379 विभिन्न आयु वर्ग के पौधों का बीमा करवाया। वर्ष 2010–11 में 12,335 बागवानों को ₹8.07 करोड़ का लाभ आंवटित किया गया। इस योजना की सफलता को देखते हुए इस योजना को 17 सेब उत्पादक विकास खण्डों जिसमें शिमला जिला के ठियोग, नारकण्डा, जुब्बल, रोहडू, चौपाल, चिड़गांव, रामपुर, ननखड़ी मण्डी जिला के करसोग, जंजैहली, कुल्लू जिला के आनी, बन्जार, नग्गर, निरमण्ड किन्नौर जिला का निचार तथा चम्बा जिला के तीसा, सलूणी इस योजना में शामिल किए गए हैं। 10 आम उत्पादक विकास खण्ड जिसमें कांगड़ा जिले के इन्दौरा, नूरपुर, नगरोटा सूरियां, फतेहपुर, हमीरपुर जिला के हमीरपुर, नादौन, बमसन बिलासपुर जिला का सदर विकास खण्ड, उना जिला का अम्ब तथा सिरमौर जिला का पांवटा साहिब विकास खण्ड इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। रबी फसल वर्ष 2011–12 के दौरान एच.डी.एफ.सी., ई.आर.जी.ओ. को विकास खण्ड नारकण्डा, निरमण्ड, रामपुर और आई0सी0आई0सी0आई0 लोमबारड को विकास खण्ड ननखडी, रोहडू और चिडगॉव विकास खण्ड मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अर्न्तगत आबटिंत किये गये।

रबी फसल वर्ष 2011–12 के दौरान कुल 21,669 बागवानों को इस योजना के अर्न्तगत लाया गया जिसमें से 21,365 बागवानों को लाभान्वित किया गया। इस बीमा योजना का कार्यान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरैंस कम्पनी ऑफ इण्डिया आई.सी. आई.सी.आई– लोम्वार्ड तथा एच.डी.एफ.सी. ई.–आर.जी.ओ. द्वारा किया जाएगा। मौसम आधारित बीमा योजना में देय प्रीमियम की कुल बीमित राशि का 11.5 प्रतिशत प्रति पौधा की दर से वसूल किया जाएगा। कुल बीमित राशि पर देय प्रीमियम को कृषक, केन्द्र सरकार एवम् राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 50:25:25 के अनुपात में वहन किया जाएगा। वर्ष 2010–11 से भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत ऋणी कृषकों के लिए जाने वाले प्रीमियम को सेवा कर का 10.30 प्रतिशत से मुक्त कर दिया गया है। रबी फसल वर्ष 2011–12 सेब फल फसल को ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु प्रायोगिक तौर पर अतिरिक्त मौसमी कारक (Add-on/Index Plus) के रूप में जिला शिमला के चार विकास खण्डों क्रमशः जुब्बल–कोटखाई, रोहडू, ठियोग और नारकण्डा तथा दो विकास खण्डों क्रमशः रामपुर व चिडगॉव में बादल–फटने हेतु लागू की गई है । यह योजना रबी फसल वर्ष 2012 में इन विकास खण्डों में जारी रहेगी। इन कारक योजना का आरम्भ 1अप्रैल, 2013 से 30जून,2013 तक ओलावृष्टि के लिए और 1जुलाई से 31जुलाई,2013 तक बादल फटने के लिए शुरू होगी ।

**7.36** फलोद्यान के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय व सहयोग लाने हेतु प्रदेश में ₹115.50 करोड़ की वित्तीय सहायता से उद्यान विकास के लिए उद्यान तकनीकी मिशन को शुरू किया गया ताकि उत्पादन, उत्पादनोपरान्त प्रबन्धन, उपभोग और उद्यान विकास हेतु निर्मित निवेश सरंचना से अधिक से अधिक आर्थिक, पर्यावरण सम्बन्धी और सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके, अधिक उत्पाद मूल्य को प्राप्त करने के लिए स्थिर पर्यावरण गहनता का विकास आर्थिक रूप से कुशल रोजगार का वांछित विभाजन, पौधारोपण का विकास और पारम्परिक बुद्धिमता तथा तकनीकी ज्ञान का नवीनतम तकनीकी व ज्ञान जैसे जैव प्रौद्यौगिकी, सूचना प्रौद्यौगिकी तथा आकाशीय तकनीकी का समिश्रण की तरफ पर्याप्त व समयानुसार और निरन्तर ध्यान दिया जा सके तथा उन कार्यक्रमों के चतुर्मुखी व व्यापक तालमेल से उद्यान क्षेत्र का विकास किया जा सके। इस परियोजना के अर्न्तगत् वर्ष 2011–12 के दौरान भारत सरकार द्वारा उद्यान तकनीकी मिशन योजना के अंतर्गत ₹37.00 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है जिसमें से वर्ष 2012–13 के लिए ₹30.00 करोड़ की कार्य योजना को स्वीकृति दी गई है जिसमें से ₹10.85 करोड़ की पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

## एच.पी.एम.सी.

**7.37** एच.पी.एम.सी. राज्य का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसकी स्थापना ताजे फलों व सब्जियों के विपणन जो बाजार तक नहीं पहुंच सके उनके विधायन तथा तैयार किए गए उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से की गई है। एच.पी.एम.सी. आरम्भ से ही बागवानों को उनके उत्पादन की लाभप्रद प्राप्तियां उपलब्ध करवाने में मुख्य भूमिका निभा रही है।

**7.38** वर्ष 2012–13 में 31 दिसम्बर,2012 तक एच.पी.एम.सी. ने ₹809.97 लाख के अपने संयंत्रों में तैयार

उत्पादों को घरेलु बाजार में बेचा। मण्डी मध्यस्थ योजना के अंतर्गत एच.पी.एम.सी. ने केवल 6,938.64 मीट्रिक टन सेबों की खरीद की जिसे एच.पी.एम.सी. सयंत्रों में प्रोसेस किया जिसमें से 418.55 मीट्रिक टन का कन्सैन्ट्रैट जूस तैयार किया गया। कार्पोरेशन इस वर्ष आमों की खरीद केवल 600 किलोग्राम ही कर पाई क्योंकि बागवानों को इस वर्ष खुले बाजार में अधिक दाम मिले। निगम ने 15.01.,2013 तक 57.46 मी.टन नींबु प्रजाति के फलों की खरीद की जिसका प्रसंस्करण निगम के संयंत्रों में जारी है। एच.पी.एम.सी. अपने उत्पादों को प्रतिष्ठित संस्थानों, निजी संस्थानों, खुले बाजार और एच.पी.एम.सी. जूसबार के लिए भेज रही है। 31.12.2012 तक एच.पी.एम.सी. ने इन संस्थानों के लिए ₹ 809.97 लाख के उत्पाद भेजे हैं। एच.पी. एम.सी. अपने उत्पादों को आई.टी.डी.सी. के होटलों एवं संस्थानों को जो मेट्रो सिटिज दिल्ली, मुम्बई और चण्डीगढ़ में हैं लगातार भेज रही है। एच.पी.एम.सी.ने इन संस्थानों के लिए 31.12.2012 तक ₹ 347.50 लाख के फल एवं सब्जियां भेजी हैं। इसी तरह एच.पी.एम.सी. ने 31.12.2012 तक ₹ 159.50 लाख के पैकिंग का सामान एवं अन्य औजार प्रदेश के फल उत्पादकों को बेचे हैं। निगम को दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, परवाणु तथा प्रदेश सेब उत्पादक क्षेत्र में स्थित 5 शीतल भण्डार गृहों से ₹ 329.80 लाख राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। एच.पी.एम.सी. ने वर्तमान ईकाइयों ग्रेडिंग व पैंकिंग गृह जरोल टिक्कर, (कोटगढ), गुम्मा (कोटखाई), ओडी (कुमारसैन), पतलीकुहल (कुल्लू) तथा रिकांगपिओ (किन्नौर), वातानुकुलित सी.ए. स्टोर, गुम्मा (कोटखाई) व जरोल टिक्कर (कोटगढ), जिला शिमला, नादौन (हमीरपुर) में एक आधुनिक पैक हाउस व कोल्ड रुम प्रोजक्ट, घुमारवीं जिला बिलासपुर में फलों की पैकिंग/ ग्रेडिग, फूलों व सब्जियों तथा जड़ी–बूटियों की वातानुकुलित स्टोरेज कोल्ड रुम प्रौजेक्ट के तकनीकी उन्नतिकरण करने हेतु एपेडा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। एपेडा, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने एच.पी.एम.सी. की उपरोक्त सभी परियोजनाओ को स्वीकार कर ₹2,949.74 लाख की धनराशि 100 प्रतिशत अनुदान के रुप में स्वीकृत की ।

**7.39** एच.पी.एम.सी. ने चार एप्पल लाईन गुम्मा (कोटखाई), जरोल टिक्कर (कोटगढ), पतलीकुहल (कुल्लु) , ओडी (कुमारसैन) तथा दो वातानुकुलित सी.ए. स्टोर, गुम्मा (कोटखाई) व जरोल टिक्कर (कोटगढ) स्थापित कर लिए हैं । परवाणु जिला सोलन में स्थित जुसों की टैट्रा पैंकिग के लिए टी.बी.ए.–9 को टी.बी.ए.–19 में परिवर्तित कर सभी संयंत्रों को स्थापित कर दिया है।

# 8. पशु तथा मत्स्य पालन

## पशु पालन तथा डेरी उद्योग

**8.1** पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश में पशुधन एवं फसलों तथा सांझी सम्पति साधनों (जैसे वन, पानी, चरने योग्य भूमि) में बहुत गहन सम्बन्ध है। पशु अधिकतर उस चारे में घास जो कि सांझी सम्पति साधनों तथा फसलों व फसल अवशेषों से प्राप्त होती है पर निर्भर करते हैं। उसी प्रकार पशु सांझी सम्पति साधनों के लिए चारा घास तथा फसल अवशेष प्रदान करते हैं जो कि खेतों में खाद का काम करते है तथा सूखे के लिए अधिक आवश्यक शक्ति प्रदान करते है।

**8.2** हिमाचल प्रदेश में पशुधन अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में विशेष सहायक है। वर्ष 2011–12 में 11.20 लाख टन दूध, 1,648 टन उन, 105.00 मिलियन अंडे, 3,966 टन मांस का उत्पादन हुआ। वर्ष 2012–13 में क्रमशः 11.40 लाख टन दूध, 1,660 टन उन, 108.00 मिलियन अंडे तथा 4,000 टन मांस का उत्पादन होने की संभावना है। सारणी 8.1 दूध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता को दर्शाती है।

**सारणी 8.1**

**उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता**

| वर्ष | दूध उत्पादन (लाख टन) | प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम प्रति दिन) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2011–12 | 11.20 | 446 |
| 2012–13 | 11.40 | 455 |

**8.3** ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उभारने में पशु पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा राज्य में पशुधन विकास कार्यक्रम में।

(i) पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण,
(ii) गोजातीय विकास,
(iii) भेड़ प्रजनन तथा उन विकास,
(iv) कुक्कट विकास,
(v) पशु आहार व चारा विकास
(vi) पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा
(vii) पशु गणना पर ध्यान दिया जा रहा है।

**8.4** वर्ष 31.12.2012 तक पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में 1 राज्य स्तरीय पशु–चिकित्सालय, 7 पोलीक्लीनिक, 49 उप–मण्डलीय पशु चिकित्सालय, 282 पशु–चिकित्सालय, 30 केन्द्रीय पशु औषधालय, तथा 1,762 पशु औषधालय एवम् 6 पशु निरीक्षण चौकियां हैं जो तुरन्त पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं तथा पशुओं के आवागमन पर नज़र रखते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत दिसम्बर,2012 तक 1,251 पशु औषधालय खोले गए है।

**8.5** राज्य में भेड़ व उन विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म ज्यूरी (शिमला) सरोल (चम्बा), ताल (हमीरपुर) कड़छम (किन्नौर) द्वारा भेड़ पालकों को उन्नत किस्म की भेड़े प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011–12 में इन फार्मों में 2,094 भेड़े पाली गई और 187 नर मेंढ़े भेड़ पालकों को वितरित किए गए। प्रदेश में शुद्व नस्ल के मेंढ़ों, सोवियत मैरिनों तथा

अमरिकन रैम्बूलैट की उपयोगिता को देखते हुए राजकीय प्रक्षेत्रों पर शुद्व नस्ल से प्रजनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 9 भेड़ व उन प्रसार केन्द्र भी कार्यरत हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान 1,660 मीट्रिक टन उन के उत्पादन होने की सम्भावना हैं। खरगोशों के प्रजनन के लिए खरगोश प्रदान करने हेतु जिला कांगडा में कन्दबाड़ी तथा जिला मण्डी में नगवाई में अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत हैं।

**8.6** हिमाचल प्रदेश में डेरी विकास, पशुपालन का एक अभिन्न अंग है तथा छोटे व सीमान्त किसानों की आय वृद्धि में इसकी प्रमुख भूमिका है। पिछले वर्षों में बाजार प्रेरित अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन को, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कि शहरी उपभोक्ता केंद्रों के दायरे में आते है, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इससे किसानों को पुरानी स्थानीय नसल की गउओं को क्रासबीड गउओं में बदलने के लिए प्रोत्साहन मिला है। क्रासबीड गउओं को बेहतर समझा जाता है क्योंकि यह गउएं अधिक समय तक व अधिक दूध देती है, इस कारण पशुपालन से सम्बन्धित ढांचे जैसे पशु संस्थान तथा दुग्ध फैडरेशन में भी वृद्धि हुई है। पहाड़ी नसल की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नसल में क्रास ब्रीडिंग (सकंरीत) द्वारा विकसित किया जा रहा है। भैंसों को भी अधिक दूध देने वाली क्रास ब्रीड़िंग नसल द्वारा विकसित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक द्वारा जमे हुए वीर्य स्ट्रा से गायों तथा भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जाता है। वर्ष 2011–12 में 8.06 लाख गायों के व 2.03 लाख भैंसों के वीर्य तृणों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2012–13 के लिए 8.40 लाख गायों और 2.30 लाख भैंसों के लिए वीर्य तृणों के होने की संभावना है। 2011–12 में 1.02 लाख लीटर तरल नाईट्रोजन एल.एन.2 गैस उत्पादित की गई और 2012–13 में 1.10 लाख लीटर का उत्पादन किया जाएगा। वर्ष 2012–13 में 2,084 संस्थाओं में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 6.75 लाख गायें व 1.40 लाख भैंसों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। क्रॉस ब्रीड गायों को पालने की वरीयता दी जाती है क्योंकि (सकंरित) गायों को पालने के लिए अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इनमें शुष्क रहने का समय कम व दूध देने की क्षमता अधिक होती है और लम्बे समय तक दूध देती है।

**8.7** पशु–पालन विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में अठारहवीं पशु गणना करवाई गई और इसके आंकड़ों को राज्य के मुख्यालय में अंतिम रूप दिया गया है। पशु गणना के आंकड़ों का सॉफ्टवेयर मोडयूल भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेरी एवं मत्स्य विभाग द्वारा राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए हैं। उन्नसवी पशु गणना भारत सरकार द्वारा 15 सितम्बर,2012 से 15 अक्तूबर,2012 तक के बीच करवाई गई। बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 3.00 लाख चूजों का वितरण हैच प्रजनन होने की संभावना है तथा 700 कुक्कट पालकों को प्रशिक्षण का लक्ष्य है। बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम अनुसूचित परिवारों में बहुत लोकप्रिय है। इस स्कीम के अंतर्गत 5,643 अनुसूचित परिवारों के लिए 1.82 लाख चूजे नवम्बर,2012 तक बांटे गए। वर्ष 2011–12 में 350 ईकाईयां स्थापित की गई व 2012–13 में 388 ईकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज तक

40 ईकाईयों की स्थापना हो चुकी है और यंत्र निविदाएं प्रक्रिया में हैं। जिला लाहौल–स्पिति के लरी नामक स्थान पर घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है जिससे स्पिति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखा जा रहा है। वर्ष 2011–12 में इस प्रक्षेत्र में 63 घोड़े–घोड़ियों को रखा गया है। इसी भवन में याक प्रजनन प्रक्षेत्र भी हैं जहां पर वर्ष 2011–12 में 55 याक पाले गए हैं। दाना व चारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में 15.00 लाख चारा जड़ों व 0.70 लाख चारा पौंधों का वितरण तथा 3.75 लाख किलोग्राम चारा बीज वितरण किए जाने की संभावना है।

## दूध गंगा योजना

**8.8**

दुध गंगा योजना प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से चलाई जा रही है। इस योजना के लाभ निम्न प्रकार से हैं:–

- अधिकतम 10 दुधारू पशु खरीदने के लिए ₹ 5 लाख का ऋण जिसमें लाभार्थी का 10 प्रतिशत हिस्सा भी शामिल होगा गौशाला निर्माण हेतु दिया जाएगा।
- दूध निकालने की मशीनें व दूध कूलर इत्यादि स्थापित करने हेतु ₹18 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान है।
- दूध के देशी उत्पाद बनाने की इकाईयां स्थापित करने हेतु ₹24 लाख तक के ऋण प्रदान करने का प्रावधान है।
- सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को ऋण पर 25 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति के किसानों को 33.33 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है।

## पशुधन बीमा योजना

**8.9**

- यह स्कीम जिला मण्डी और कांगड़ा में मार्च, 2006 में शुरू की गई थी अब जिला हमीरपुर , शिमला व चम्बा तक विस्तृत की गई है जिसका उद्धेश्य पशुधन मालिकों को उच्च किस्म के पशु व भैंसों की मृत्यु से होने वाले नुकसान से बचाना है ।
- प्रतिदिन पांच लीटर या इससे अधिक दूध देने वाली गायें और भैंसों का इस स्कीम के अन्तर्गत बीमा किया जाता है ।
- बीमे का प्रीमियम तीन साल के लिए 5.15 प्रतिशत रखा जाता है और 2.91 प्रतिशत प्रथम वर्ष के लिए है जिसका 50 प्रतिशत सरकार व 50 प्रतिशत भाग मालिक द्वारा दिया जाता है ।

## पशु एवं भैंस विकास राष्ट्रीय परियोजना

**8.10**

पशु एवं भैंस विकास राष्ट्रीय परियोजना भारत सरकार द्वारा शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता पद्धति के आधार पर स्वीकृत की गई है । प्रथम चरण में प्रजनन योग्य पशु एवं भैंस की कृत्रिम गर्भाधान के लिए शत–प्रतिशत प्राप्ति के लिए ₹12.75 करोड़ राज्य के लिए जारी किए गए थे। अब दूसरे चरण में इस कार्य के लिए राज्य को ₹14.15 करोड़ राशि स्वीकृत की जा चुकी है। परियोजना का उद्धेश्य पशुपालन विभाग की निम्न गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना है:–

1. तरल नत्रजन के भण्डारण, यातायात और वितरण सुदृढ़ करना।
2. वीर्य एकत्रित केन्द्रों, वीर्य बैंकों और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को सुदृढ़ करना।
3. दूर–दराज क्षेत्रों में प्राकृतिक गर्भाधान एवं वीर्य एकत्रित केन्द्रों के लिए उच्च नस्ल के साण्डों का प्रबन्ध करना।
4. प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना।
5. कम्पयूटरीकरण और ई.टी.टी.लैब के लिए।

## आंगनबाड़ी कुक्कट पालन

**8.11** हिमाचल प्रदेश में कुक्कट क्षेत्र के विकास के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश सरकार निम्न योजनाएं चला रही है :–

- आंगनबाड़ी कुक्कट परियोजना के अन्तर्गत दो तीन सप्ताह के चूजे कलर्ड स्ट्रेन किस्म के जो कि चाबरों किस्म के हैं राज्य के किसानों को दिए जाते हैं।
- एक यूनिट 50 से 100 चूजे होते हैं, एक चूजे की कीमत ₹ 20 होती है।
- ये चूजे नाहन और सुन्दरनगर हैचरी में खोले जाते हैं जो कि केन्द्रीय संचालित स्कीम राज्य को कुक्कट पालन सहायता के अन्तर्गत है।

## पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता

**8.12** पड़ौसी राज्यों से भारी संख्या में अन्तर्राज्यीय आवाजाही व पौष्टिक दाना चारा की कमी और पहाड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण पशु विभिन्न पशु बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं । केन्द्रीय सरकार ने संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार को एस्कार्ड स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्रदान की है । जिसमें 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार का तथा 25 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का है।

जिन रोगों के लिए मुफत टीकाकरण सुविधा प्रदान की जाती है उनमें मुंहखुर, बी0क्यू0 एन्टरोटोम्सेमिया, पीपीआर, रैबीज, रानीखेत और मरैक्स रोग सम्मिलित हैं।

## भेड़पालक समृद्धि योजना

**8.13** पूंजीगत जोखिम राशि की योजना राज्य सरकार में नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। खरगोश विकास के लिए कुल्लू एवं शिमला जिला का चयन किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत भूमिहीन, सीमान्त कृषक, व्यक्तिगत कृषक, स्वयं सहायता समूह के भेड़ पालकों को सहायता दी जाती है जिसमें से पारम्परिक भेड़ पालकों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। राशि की सीमा वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारण कर दी जाएगी जो निम्न प्रकार से है:–

i) भेड़ पालकों को 40 भेड़े व 2 बकरों के लिए कुल ₹1.00 लाख की वित्तीय राशि जिसमें कुल राशि का 33.33 प्रतिशत उपदान जो अधिकतम ₹33,000 होगा एवं इसमें 10 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति का होगा।

ii) भेड़ बकरी प्रजनन इकाई के अंतर्गत 500 भेड़ें एवं 25

बकरियों के लिए ₹25.00 लाख दिए जाएंगे जिसमें कुल राशि का 33.33 प्रतिशत तथा अधिकतम ₹8.33 लाख उपदान होगा एवं 25 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति का होगा।

iii) खरगोश पालक इकाइयों के लिए ₹ 2.25 लाख दिए जाएंगे जिसमें कुल राशि का 33.33 प्रतिशत तथा अधिकतम ₹75,000 उपदान होगा एवं 10 प्रतिशत हिस्सा लाभान्वित व्यक्ति का होगा। इस योजना के लिए वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एवं राज्य सहकारी बैंक पात्र वित्तीय संस्थान होगें।

## भेड़पालक बीमा योजना

**8.14** यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 2007–08 में शुरू की गई है। इस स्कीम में प्रीमियम ₹330 प्रति वर्ष पशुपालक से लिया जाएगा जिसका ₹100:150:80 के अनुसार में जीवन बीमा निगम, भारत सरकार व गडरिया का होगा ।

## भेड़पालकों को मिलने वाले लाभ

- प्राकृतिक तौर पर मृत्यु ₹ 60,000
- दुर्घटना से मृत्यु ₹1,50,000
- दुर्घटना से पूर्णतयाः अपंगता ₹1,50,000
- दो आंखें या दो हाथ–पांव की अपंगता ₹1,50,000
- एक आंख या एक हाथ–पांव की अपंगता ₹75,000

इसके अलावा इस योजना में शामिल होने पर भेड़ पालक को एक मुफ्त लाभ जिसे एड ओन बेनिफिट कहा जाता है, मिलता है । इसमें भेड़पालक के दो बच्चों को 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक पढ़ने के लिए ₹1,200 प्रतिमाह वजीफा मिलता है ।

## दूध पर आधारित उद्योग

**8.15** हिमाचल प्रदेश दुग्ध फैडरेशन राज्य में डेरी विकास कार्यक्रम चला रही है। दूध फैडरेशन में 800 समितियां हैं। इन समितियों के सदस्यों की कुल संख्या 36,503 है जिसमें 179 महिला डेरी सहकारी समितियां भी कार्यरत हैं। डेरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों से गांवों का अतिरिक्त दूध एकत्रित किया जाता है तथा दुग्ध फैडरेशन इसे बाजार में उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में दुग्ध फैडरेशन 23 दुग्ध अभिशीतल केंद्र चला रही है जिनकी कुल क्षमता 75,500 लीटर दूध प्रतिदिन है और 8 दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट जिनकी कुल क्षमता 85,000 लीटर दूध प्रतिदिन है तथा 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लांट दत्तनगर, जिला शिमला में कार्यरत है और एक 16 मी0टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार संयंत्र भी भोर, जिला हमीरपुर में स्थापित किया गया है। इस वर्ष मिल्कफैड रोजाना औसतन 67,000 लीटर दूध प्रतिदिन ग्राम डेरी समितियों द्वारा गांवों से एकत्रित कर रही है। "दुग्ध फैडरेशन प्रतिदिन लगभग 25,000 लीटर दूध की आपूर्ति कर रहा है जिसमें पंजाब एवं सैनिक युनिट डगशाई, शिमला, पालमपुर और योल शामिल हैं।" दुग्ध को ठण्डे करने वाले केन्द्रों से दुग्ध को इक्ट्ठा करके इसे प्लांट में भेजा जाता

है जहां से यहां प्रसंस्करण होकर पैकेट व खुला बिकने के लिए भेजा जाता है।

हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ग्रामीण क्षेत्रों में संगोष्ठियां व कैम्प लगाकर ग्रामीणों को डेरी के क्षेत्र में तकनीकी जानकारी से भी जागरूक करवाती है। इसके इलावा किसानों के घर द्वार पर, पशु–चारे व साफ दुग्ध उत्पादन की क्रिया से भी अवगत करवाती है।

**8.16** हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1.04.2012 से दुग्ध के मूल्य में ₹1.00 प्रति लीटर की वृद्वि करके 36,503 परिवारों को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने ₹37.00 करोड़ 2011–12 के दौरान राज्य के ग्रामीणों के विकास हेतु उत्पादकों को दिए गए और राज्य के गांवों का टिकाउ विकास किया गया।

## विकासात्मक प्रयत्न

**8.17** अतिरिक्त दूध को उचित रूप से उपयोग करने हेतु, राजस्व को बढ़ाने हेतु तथा हानि को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश, दुग्ध प्रसंघ ने नीचे दिए हुए विकासात्मक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं:–

- आई.डी.डी.पी. के अंतर्गत 5,000 लीटर की क्षमता वाले दो नए दुग्ध अभिशीतन केन्द्र जिला हमीरपुर के जंगलबैरी व नालागढ़, जिला सोलन में लगाए जा रहे हैं।
- एकीकृत डेरी विकास परियोजना (आई.डी.डी.पी) व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत रामपुर क्षेत्र के दत नगर जिला शिमला में एक नया दुग्ध विधायन संयंत्र जिसकी क्षमता 20,000 लीटर प्रतिदिन और 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला एक मिल्क पाउडर प्लांट जिनकी लागत ₹8.00 करोड़ है, लगाया गया है।
- दो नए अभिशीतलन केन्द्र 5,000 व 2,000 लीटर क्षमता के जिला मण्डी के तांदी व चौतड़ा में ₹56.00 लाख और ₹25.00 लाख से डी.आर.डी.ए. योजना के अंतर्गत लगाए गए हैं।
- शिमला जिला के कोटखाई के गुम्मा नामक स्थान पर 5,000 लीटर क्षमता वाला ₹33.00 लाख की लागत से एक दुग्ध अभिशीतन केन्द्र स्थापित किया गया है।
- जिला हमीरपुर, भौरन्ज के समीप एक नया 16 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला पशु आहार का प्लान्ट ₹170.00 लाख की लागत से लगाया गया है।
- भारत सरकार द्वारा ₹2.95 करोड़ की लागत से आई.डी.डी.पी. योजना के अंतर्गत जिला बिलासपुर के लिए नई योजना स्वीकृत की है।
- सी.एम.पी. योजना के अंतर्गत ₹342.15 लाख मूल्य की एक नई परियोजना सिरमौर, मण्डी व शिमला जिलों के लिए स्वीकृत की है।
- ग्रामीण डेरी समितियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लगभग

2,000 लोगों का रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

**नया नवीकरण**

**8.18** कल्याण विभाग के आई.सी. डी.एस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न्यूट्रीमिक्स का उत्पादन शुरू किया है। न्यूट्रीमिक्स उत्पाद संयंत्र "चक्कर" में इस विभाग की जरूरत को पूरा करने के लिए लगाया गया है। वर्ष 2011–12 में 22,102.94 क्विंटल न्यूट्रीमिक्स की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने इन खण्डों को वर्ष 2011–12 में 5,698.92 क्विंटल स्किम मिल्क पाउडर कल्याण विभाग के व्लॉक्स को दिया है और इस वर्ष नवम्बर,2012 तक 3,390.89 क्विंटल स्किम मिल्क पाउडर आई.सी.डी.एस. ब्लॉकों को इस वर्ष दिया जाएगा।

- वर्तमान में विकास की गति को ध्यान में रखते हुए विभाग ने भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई परियोजनाएं भेजी है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादकों को अच्छी गुणवता वाला दूध उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ उन्नत उत्पादकों को प्रकट यात्राओं (Exposure Visit) पर आनन्द (गुजरात), राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल और क्षेत्रीय प्रर्दशन एवं प्रशिक्षण केन्द्र जालन्धर (पंजाब) भी भेजता है।
- आई.डी.डी.पी. तृतीय के अंतर्गत 110 ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियों को सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर जिलों में प्रत्येक नई ग्रामीण डेयरी सहकारी समिति को ₹ 18 हजार की प्रबंधकीय ग्रांट दी जाएगी।
- सोलन, हमीरपुर तथा किन्नौर जिलों में आई.डी.डी.पी. तृतीय के अंतर्गत 300 पशुओं को ₹ 15 हजार प्रति पशु खरीदने पर 50 प्रतिशत का अनुदान प्रस्तावित किया गया है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ ने मिठाईयां बनाने का कार्य भी सफलतापूर्वक शुरू किया है तथा इस वर्ष दिवाली के त्यौहार पर लगभग 195 क्विंटल मिठाईयां और वर्ष 2012–13 में लोहड़ी त्यौहार पर 21 क्विंटल गचक का कारोबार किया है।
- हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में रक्तदान करने वालों को हल्का पौष्टिक आहार भी उपलब्ध करवा रहा है।

**हिमाचल प्रदेश दुग्ध प्रसंघ की उपलब्धियां**

| क्र. सं | विवरण | 2011–12 | 2012–13 30–11–12 तक |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1 | संगठित डेरी सहकारी सभाएं | 765 | 800 |
| 2 | दुग्ध उत्पादक सदस्य | 35153 | 36503 |
| 3 | दुग्ध संकलन की मात्रा (लाख ली0) | 252.07 | 190.16 |
| 4 | बेचा गया दूध(लाख ली0) | 93.94 | 52.40 |
| 5 | घी की बिक्री (मी0 टन) | 266.00 | 150.78 |
| 6 | पनीर की बिक्री(मी0 टन) | 53.35 | 32.41 |
| 7 | मक्खन की बिक्री(मी0 टन) | 22.83 | 14.97 |
| 8 | दही की बिक्री(मी0 टन) | 185.89 | 111.91 |
| 9 | पशु आहार बिक्री(किवंटलों में) | 35216 | 26591 |

**8.19** हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड ने न केवल पिछड़े और दूर–दराज के क्षेत्रों के लिए लाभकारी बाजार बल्कि शहरी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भी दुग्ध व इससे बने पदार्थ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर उपलब्ध करवाई है। हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड यह निशिचित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर दुग्ध ठण्डा हो इसके लिए 84 बड़े दुग्ध शीतक ग्रामीण स्तर पर राज्य के विभिन्न भागों में लगाए गए हैं। दुग्ध को जांचने में पारदर्शिता लाने के लिए फैडरेशन ने 111 स्वःचालित दुग्ध संचय ईकाईयां विभिन्न ग्राम डेरी सहकारी समितियों में लगाई हैं।

## उन एकत्रीकरण एवं विपणन संघ समिति

**8.20** उन संघ का मुख्य उद्वेश्य हिमाचल प्रदेश में उनी उद्योग को बढ़ावा देना तथा उन उत्पादकों को बिचौलियों/व्यापारियों के शोषण से मुक्त करना है।

उन संघ अपने उपरोक्त उद्वेश्यों का अनुसारण करते हुए भेड़ व अंगोरा उन की खरीद, भेड़ों की चारागाह स्तर पर मशीन शियरिंग, भेड़ उन की धुलाई (स्कावरिंग), और उन के विक्रय में प्रयासरत है। भेड़ कल्पन आयातित स्वचालित मशीनों द्वारा करवाई जाती है।

वर्ष 2012–13 में 31.12.2012 तक 69,052.7 किलोग्राम भेड़ उन तथा अंगोरा उन की खरीद की गई है जिसका मूल्य ₹38.46 लाख है।

संघ द्वारा कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों का क्रियान्वयन प्रदेश के भेड़ व अंगोरा पालकों के लाभ व उत्थान के लिए भी किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में इन स्कीमों से लगभग 15,000 अंगोरा एवं भेड़ पालकों को इसका लाभ प्राप्त होने की संभावना है। उन उत्पादकों / स्थानीय दस्तकार/बुनकरों को विपणन सहायता उपलब्ध करवाने के लिए संघ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वूलन एकस्पो का भी आयोजन करता है। उन संघ, उन उत्पादकों को उनके उत्पाद का समुचित मूल्य उपलब्ध करवा रहा है तथा इसका विपणन उनी बाजार में किया जा रहा है। उन संघ का वर्ष 2013–14 के लिए प्रस्तावित कार्य निम्न प्रकार से हैः–

| क्र. सं. | प्रस्तावित कार्य | अनुमानित व्यय– ₹लाख में |
|---|---|---|
| 1 | भेड़ उन खरीद–152000 कि.ग्रा. | 80.19 |
| 2 | अंगोरा उन खरीद–500 कि.ग्रा. | 03.00 |
| 3 | भेड़ कल्पन संख्या–75,000 | – |
| 4 | उन स्कावरिंग, कार्बोनाईजिंग – 60000 कि.ग्राम | – |

## मत्स्य एवं जलचर पालन

**8.21** हिमाचल प्रदेश भारतवर्ष के उन राज्यों में से है जिन्हें प्रकृति द्वारा पहाड़ों से निकलने वाली बर्फानी नदियों का जाल प्रदान किया गया है जो कि राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध मैदानी और मैदानी क्षेत्रों से होती हुई पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। राज्य में बारामासी नदियां व्यास, सतलुज, यमुना और रावी नदी बहती हैं जिनमें मत्स्यकि की शीतल जलीय प्रजातियां जैसे गुगली (साइजोथरैक्स), सुनैहरी महाशीर व ट्राउट पाई जाती है। शीतल जलीय मत्सयकि संसाधनों के दोहन के लिए महात्वकांक्षी "इन्डो–नार्वेजन ट्राउट फार्मिग" परियोजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन से राज्य ने वाणिज्यिक ट्राउट पालन को

निजी क्षेत्र में प्रचलित करने का गौरव अर्जित किया है। प्रदेश के दो बडे जलाश्य गोबिन्दसागर व पौंग डैम में उत्पादित व्यवसायिक तौर पर महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियां क्षेत्रीय लोगों के आर्थिक उत्थान का मुख्य साधन बन गई है। प्रदेश में लगभग 4,000 मछुआरे अपनी रोजी के लिए जलाश्यों के मछली व्यवसाय पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान दिसम्बर,2012 तक प्रदेश के विभिन्न जलाश्यों में 5,761 मीट्रिक टन मच्छली उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ₹ 3,719 लाख है। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों को गोबिन्द सागर में देशभर में सर्वाधिक प्रति हैक्टेयर मतस्य उत्पादन तथा पौंग डैम की मछलियों का सर्वोच्च विक्रय मूल्य का गर्व प्राप्त है। इन दोनों जलाशयों में दिसम्बर,2012 तक 1,075 मी0टन उत्पादन हुआ जिसका मूल्य ₹ 698.00 लाख आंका गया। गोबिन्द सागर में प्रति हैक्टेयर जलाश्य को वर्ष के दौरान दिसम्बर,2012 तक राज्य में फार्मों से 13.56 टन ट्राउट मच्छली उत्पादन से ₹72.54 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है जो सारणी संख्या 8.3 में दर्शाया गया है।

**सारणी 8.3**
**टेवल साईज ट्राउट उत्पादन**

| वर्ष | उत्पादन (टन) | राजस्व (₹लाख में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2008–09 | 14.00 | 69.11 |
| 2009–10 | 15.20 | 74.67 |
| 2010–11 | 19.07 | 89.26 |
| 2011–12 | 17.98 | 83.01 |
| 2012–13 (दिसम्बर,12 तक) | 13.56 | 72.54 |

**8.22** मत्स्य कृषकों, ग्रामीण तालाबों और जलाश्यों की मांग को पूरा करने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा कार्प तथा ट्राउट फार्मों की सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में स्थापना की गई है। कार्प फार्म बीज का उत्पादन वर्ष 2011–12 में 216.30 लाख था तथा 2012–13 में 98.26 लाख फार्म बीज का उत्पादन (दिसम्बर,12) तक हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राज्य में शीतल जलचर पालन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" ₹1,164.00 लाख की योजना स्वीकृत हुई है जो कि निम्न हैं:–

| | |
|---|---|
| 1.कार्प फार्म दयोली, बिलासपुर का विस्तार | ₹ 100.00 लाख |
| 2.मत्स्य बीज संग्रहण | ₹ 10.00 लाख |
| 3.सामुदायिक तालाबों के निर्माण/ मुरम्मत | ₹ 42.00 लाख |
| 4.ट्राउट रेसवेज का निर्माण | ₹ 15.00 लाख |
| 5.कार्प फार्म दियोली, उना का सुदृढ़ीकरण | ₹ 59.00 लाख |
| 6.मछली फार्मों के लिए उपकरणों का क्रय | ₹ 20.00 लाख |
| 7.कार्प फार्म दियोली, गगरेट के लिए विशेष मुरम्मत | ₹668.00 लाख |
| 8.एक्वाकल्चर विकास हेतु | ₹250.00 लाख |
| **कुल** | **₹1164.00 लाख** |

**8.23** विभाग द्वारा जलाश्य मछली दोहन में लगे मछुआरों एवं मत्स्य पालन के आर्थिक उत्थान के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई है। मछुआरों को अब दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है जिसके तहत दुर्घटना में मृत्यु की दशा में संतप्त परिवार को ₹1,00,000 तथा अपंगता की स्थिति में ₹50,000 बीमा राशि के तौर पर प्रदान किए

जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य उपकरणों के नुकसान की भरपाई के लिए कुल लागत का 33 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। वर्जित काल के दौरान मछुआरों के लिए जीवन यापन हेतु अंशदायी बचत योजना चलाई जा रही है जिसमें मछुआरों द्वारा दिए गए अंशदान के बराबर राशि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है जिसे वर्जित काल के दौरान विभाग द्वारा जलाशय माहीगीरों को दो किस्तों में वितरित किया जाता है। जलाशयों में कार्यरत माहीगीरों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका विवरण नीचे दर्शाया गया है :–

| क्र. सं | योजना का नाम | अधिकतम अनुदान राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | मछुआ सामुहिक दुर्घटना बीमा योजना | ₹1 लाख (मृत्यु उपरांत) ₹0.50 लाख (अपंगता पर) |
| 2 | वर्जित काल के दौरान सहायता | ₹1,200 (दो किश्तों में) |

मत्स्य पालन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ. करने में अपना विशेष योगदान दे रहा है तथा विभाग द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा अब तक 185 स्व–रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। जलाश्य मत्स्यकि, हिमाचल मत्स्यकि का एक महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है जहां बांध विस्थापितों के उत्थान के लिए उन्हें सहकारी सभा के रूप में संगठित करके जलाश्य के दोहन हेतु प्रेरित किया जा रहा है।

**8.24** विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में माह दिसम्बर,2012 तक प्राप्त उपलब्धियां तथा मार्च,2013 तक प्रस्तावित एवं वर्ष 2013–14 का निर्धारित लक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार से है:

| विवरण | दिसम्बर,2012 तक की उपलब्धियां | मार्च,2013 तक की सम्भावित उपलब्धियां | सम्भावित निर्धारित लक्ष्य 2013–14 |
|---|---|---|---|
| मत्स्य उत्पादन (टन) | 5761.00 | 8060.00 | 8080.00 |
| कार्प बीज उत्पादन (मिलियन) | 98.27 | 220.00 | 220.00 |
| खाने योग्य ट्राउट उत्पादन सरकारी क्षेत्र(टन) | 13.55 | 18.00 | 18.00 |
| खाने योग्य ट्राउट उत्पादन निजी क्षेत्र(टन) | 59.41 | 120.00 | 150.00 |
| रोजगार सृजन (संख्या) | 185 | 420 | 425 |
| विभागीय राजस्व (लाखों में) | 183.69 | 143.59 | 150.00 |

# 9. वन तथा पर्यावरण

**वन**

**9.1** हिमाचल प्रदेश में वनों के अधीन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 66.5 प्रतिशत अर्थात 37,033 वर्ग किलामीटर क्षेत्र आता है । हिमाचल प्रदेश सरकार की वन नीति का मूल उद्धेश्य वनों के उचित उपयोग के साथ–साथ इनका संरक्षण तथा विस्तार करना है । इन्ही नीतियों को पूर्ण रूप देने के लिए वन विभाग द्वारा कुछ योजना कार्यक्रम चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार से हैः–

**वन रोपण**

**9.2** वन रोपण का कार्य वनोत्पादक वन योजना तथा भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जा रहा है । इन योजनाओं में वन आच्छादन में सुधार विभागीय पौधरोपण व सार्वजनिक वितरण के लिए नर्सरी तैयार करना, चरागाह में सुधार, ईंधन व चारा, गौण वन उपज सांझी वन योजना तथा भू एवं नमी संरक्षण इत्यादि आतें हैं। नवम्बर,2012 तक ₹1,442.00 लाख की लागत से 4,330 हैक्टेयर क्षेत्र इस वन योजना के अंतर्गत लाया गया और 31.3.2013 तक इस कार्य हेतु 400 हैक्टेयर क्षेत्र में ₹143.00 लाख व्यय किए जाने अपेक्षित हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में सांझा वन संजीवनी वन योजना के अन्तर्गत 45 लाख औषधीय पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है व 24.48 लाख पौधे रोपित किए जा चुके हैं।

**वन्य प्राणी तथा प्रकृति सरंक्षण**

**9.3** हिमाचल प्रदेश विभिन्न प्रकार के पशु–पक्षियों के लिए प्रसिद्व है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणी शरण्यस्थलों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में सुधार एवं सुरक्षा प्रदान करना है जिससे विभिन्न लुप्त होने वाले पशु–पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को बचाया जा सके। वर्ष 2012–13 में ₹412.00 लाख जन–जातीय उप–योजना समेत राज्य योजना के अन्तर्गत आबंटित किये गये है जिसमें से नवम्बर, 2012 तक ₹228.37 लाख व्यय किये जा चुके है और शेष धनराशि 31.3.2013 तक व्यय कर दी जायेगी। अगले वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ₹454.00 लाख राज्य योजना का प्रावधान प्रस्तावित है जिसमें ₹45.00 लाख जन–जातीय उप–योजना के अंतर्गत भी शामिल है।

**वन सुरक्षा (वन प्रबंधन योजना संचार तंत्र)**

**9.4** वनों में आग, अवैध कटान एवं अतिक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उचित स्थानों पर चैकपोस्ट स्थापित किए जाएं ताकि लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सके तथा उन सभी वन मण्डलों में जहां आग एक विध्सवंसक तत्व है अग्नि शमन उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध करवाई जाए। वनों के अच्छे प्रबन्धन एवं सुरक्षा के लिए भी एक अच्छे संचार तंत्र की आवश्यकता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में ₹50.00 लाख दिए गए हैं जिसमें से नवम्बर, 2012 तक ₹3.37 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है तथा बकाया राशि 31.3.2013 तक व्यय की जानी अपेक्षित है। वर्ष 2013–14 के लिए ₹55.00 लाख प्रस्तावित है। वन

सम्पदा की सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा 11 वन थाने पहले ही स्थापित कर दिए गए हैं तथा 6 वन थाने संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

**स्वान नदी बाढ़ प्रबन्धन परियोजना– (सी.ए.टी.– I)**

**9.5** आरम्भ में यह योजना वर्ष 2006–07 से 2013–14 तक 8 वर्षों के लिए बनाई गई थी तथा परियोजना व्यय ₹160 करोड़ रखा गया था। अब सूक्ष्म–योजना स्तर पर क्रियान्वित करने तथा वर्ष 2011 में योजना पर अर्धवार्षिक मध्यावधि समीक्षा एवं मूल्यांकन (MTR&E) की सिफारिशों के अनुसार यह योजना 2006–07 से 2014–15 तक 9 वर्षों के लिए ₹215 करोड़ की संशोधित की गई है। यह योजना स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबंधन परियोजना, ऊना जिला की 96 पंचायतों में चलाई जा रही है। इस योजना की लागत 85 प्रतिशत ऋण (Loan) तथा 15 प्रतिशत राज्य हिस्सा जिसमें स्टाफ को वेतन तथा कर (Taxes) इत्यादि के रूप में निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए ₹3500 लाख निर्धारित किए गए हैं जिसमें से नवम्बर,2012 तक ₹2,043.51 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा शेष राशि मार्च,2013 तक उपयोग कर दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ₹4,294.00 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

**विश्व बैंक की सहायता से मध्य हिमालय के विकास की परियोजनाः**

**9.6** मध्य हिमालय वाटर शैड परियोजना प्रदेश में 1.10.2005 से शुरू की गई यह योजना 6 वर्षों के लिए है जिस की कुल लागत ₹365 करोड़ है। परियोजना की लागत विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा 80:20 के आधार पर वहन की जाएगी एवं परियोजना की लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा लाभार्थियों द्वारा उठाया जाएगा। अब यह परियोजना अतिरिक्त धन मध्य हिमालयन जलागम विकास परियोजना के नाम से नई योजना के रूप में वर्ष 2015–16 तक स्वीकृत की गई है जिसकी लागत राशि ₹231.25 करोड़ है। यह योजना 704 पंचायतों में क्रियान्वित है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों में आई कमी को पूरा करना, प्राकृतिक सम्पदा की संभावित उर्वरता को बढ़ाना तथा योजना–क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की आय में वृद्वि करना है। चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान इस कार्य हेतु ₹ 3,500.00 लाख का प्रावधान रखा गया है जिसमें से नवम्बर,2012 तक ₹1,661.18 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा शेष राशि 31.3.2013 तक व्यय कर ली जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ₹4,296.00 लाख की धन राशि प्रस्तावित है।

**ईको–टूरिज्म**

**9.7** हिमाचल प्रदेश में पारिस्थितिक पर्यटन की गतिविधियां प्रदेश सरकार की ईको– टूरिज्म नीति 2005 के अन्तर्गत चलाई जा रही हैं जिसकी अधिसूचना सं0एफ0एफ0ई0–15–3/2005 दिनांक 2.11. 2006 द्वारा अधिसूचित की गई है।

**(क)** हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रयोगात्मक तौर पर पोटर हिल नामक स्थान निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:–

- अस्थाई टैन्ट में ठहरने की व्यवस्था।
- पर्यटकों को स्थानीय भोजन उपलब्ध करवाना।

- स्थानीय हस्त निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए स्थानीय लोगों को रोजगार देना।
- पर्यटकों को सशक्त बनाने हेतु उन्हें टैन्ट अथवा स्थान उपलब्ध करवाना।

इसी तरह हिमाचल प्रदेश वन निगम ने नारकन्डा में एक स्थल विकसित किया है जहां पर छः स्वीश वुडन कॉटेज तथा 10 टैंट पर्यटकों के लिए बनाए हैं।

**(ख)** भारत सरकार द्वारा पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से ₹3.68 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी जिसके तहत पूर्व चिहिन्त ईको सर्कट जहां पर्यटन की अधिक संभावना है, कार्य किया गया व किया जा रहा है पर ₹2.945 करोड़ व्यय किए जा चुके है। पर्यटन विभाग से धन राशि प्राप्त होते ही उसे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारियों के प्रमुख ईको सर्कट में खर्च करने हेतु इलैक्ट्रोनिकली जारी कर दी जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य गतिविधियां पुराने/धरोहर वन विश्राम गृहों का रख–रखाव एवं पशु–पक्षियों की पहचान का प्रशिक्षण आदि शामिल है। प्रमुख ईको सर्कट निम्नलिखित हैं:–

1. कुल्लू–कुल्लू से कोठी वाया मनाली।
2. शिमला– मान्दली से डोडराक्वार।
3. किन्नौर–शांगटांग से पूह।
4. बिलासपुर–श्री नैना देवी जी क्षेत्र।

## पर्यावरण

### पर्यावरण नीति में संशोधन

**9.8** वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार का लक्ष्य सतत विकास सुनिशिचित करने के लिए पर्यावरण नीति का पुनः विवेचन तथा पुनर्गठन करना है।

### जलवायु परिवर्तन पर राज्य की नीति एवं कार्य योजना

**9.9** जलवायु परिवर्तन पर राज्य की नीति एवं कार्ययोजना को अनुकूल बनाने और शमन करने संबंधी रणनीतियां तैयार करने हेतु एक भाग के रूप में अंतिम रूप दिया जाएगा।

### राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

**9.10** राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र के आधारभूत ढांचे को और अधिक मजबूत किया जाएगा ताकि यह राज्य को जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान बारे आवश्यक जानकारी प्रदान कर सके।

### विकास नीति ऋण(डी.पी.एल.)/ भारत सरकार

**9.11** हिमाचल प्रदेश सरकार को हरित एवं सतत विकास के लिए भारत सरकार के सहयोग से विश्व बैंक से 100 मिलियन यू.एस.डॉलर का विकास नीति ऋण प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार को सतत आर्थिक हरित विकास के एक मॉडल की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव करना होगा। इस कार्यक्रम के विस्तार और हरित विकास की दिशा में स्थानान्तरित करने के लिए विश्व बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की जाएगी।

### पर्यावरण मास्टर प्लान

**9.12** हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के दौरान प्रभावी रूप से राज्य के संवेदनशील पर्यावरण प्रबंध के लिए पर्यावरण मास्टर प्लान दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जाएगा।

## स्कूल पर्यावरण ऑडिट

**9.13** वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य परिषद प्रदेश में 100 ईकों क्लबों की स्थापना विभिन्न संसाधनों के प्रशिक्षण जैसे पानी, उर्जा, भूमि, बेकार पदार्थो और वायु का ऑडिट करने के लिए करेगा।

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्रस्तावित प्रमुख नीतिगत कार्य योजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैः–

## सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वैव आधारित निगरानी एवं मूल्यांकन

**9.14** राज्य सरकार त्वरित निर्णय लेने और प्रशासनिक गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकारी संसाधनों का जी.आई.एस. तकनीक के उपयोग को बढ़ाने में कर रही है। इस प्रकार की निगरानी एवं मूल्यांकन से सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी आएगी तथा कार्यक्रमों का और अधिक विस्तार होगा। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों का और अधिक विस्तार होगा। वर्ष 2013–14 के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों के अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए डेस्कटॉप और वेब आधारित अनुप्रयोगों का विकास और स्थानिक और भू स्थानीक प्रौद्योगिकियों के उपयोग की सुविधा आर्यभटट जियो–इॅफॉर्मेटिक्स एण्ड स्पेस एप्लीकेशन सैंटर (AGISAC) के तकनीकी सहयोग से राज्य के सभी प्रमुख विभागों को जोड़ा जाएगा।

## हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का 'विजन दस्तावेज' तैयार करना

**9.15** पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 'हिमाचल प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी–विजन–2030' दस्तावेज तैयार करेगा जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के सतत विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभ स्थानीय एवं ग्रामीण स्तर पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सके।

## जैव प्रौद्योगिकी का परिशोधन

**9.16** राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में खेती प्रणाली में प्रभावी तकनीक एवं कौशल लाने की दिशा में जैव प्रौद्योगिकी नीति दस्तावेज का पुनर्गठन किया जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी मानव संसाधन के विकास के अतिरिक्त यह सुनिश्चित करेगी कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार–प्रसार प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हो।

## हि0 प्र0 राज्य जैव विविधता बोर्ड

**9.17** हिमाचल प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जैव विविधता अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन को मजबूत बनाने और राज्य में पायलट आधार पर प्रावधानों को सांझा करने के लिए GEE-UNEP-MoEF परियोजना को लागू किया जाएगा।

## हिमाचल प्रदेश विज्ञान सम्मेलन

**9.18** हिमाचल प्रदेश में प्रथम राज्य स्तरीय विज्ञान सम्मेलन की व्यवस्था की जाएगी जिसमें शोधकर्ताओं, योजनाकारों, नीति निर्माताओं और स्कूलों को एक साथ शामिल किया जाएगा ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मिलने वाले लाभ का इस्तेमाल राज्य में सतत विकास के लिए किया जा सके।

# 10. जल स्त्रोत प्रबन्धन

## पेयजल

**10.1** जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के समस्त गांवों को मार्च,1994 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल योजनाओं पर अंतिम/युक्तियुक्त सर्वेक्षण के आधार पर प्रदेश में सभी 45,367 बस्तियों को मार्च,2008 तक स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। वर्ष 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार द्वारा दोबारा मार्च,2005 में अंतिम रूप दिया गया जिसके आधार पर प्रदेश में कुल 51,848 बस्तियां चिन्हित हुई हैं जिनमें से 45,367 बस्तियां जो पुराने सर्वेक्षण के अनुसार थी भी सम्मिलित हैं। सर्वेक्षण द्वारा चिन्हित बस्तियों में पूर्ण रूप से 20,112, आंशिक रूप से 22,347 तथा 9,389 पेयजल रहित बस्तियां पाई गईं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति/ बस्तियों की मैपिंग के अनुसार नए निर्देशों के आधार पर जो 1.4.2009 को लागू हुए के अनुसार कुल 53,205 बस्तियां चिन्हित हुई तथा 1.4.2009 की वस्तु स्थिति के अनुसार 19,473 बस्तियों में से (7,632 बस्तियां जिनकी जनसंख्या व्याप्ति >0+<100+11,841 बस्तियां शून्य जनसंख्या व्याप्ति वाली) ऐसी हैं जहां पर पेयजल सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु मापदण्ड बस्तियों की जगह जनसंख्या पर आधारित है।

वर्ष 2012–13 में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उपरान्त बस्तियों का पुनः आकलन किया गया जिसके अनुसार 01–04–2012 को इन बस्तियों की स्थिति नीचे दी गई है:–

| बस्तियों की संख्या | बस्तियां जिनमें शत–प्रतिशत जनसंख्या को सम्मिलित किया गया | ऐसी बस्तियां जिनकी जनसंख्या >0+<100 सम्मिलित किया गया |
|---|---|---|
| 53,201 | 42,476 (79.84%) | 10,725 (20.16%) |

वित्तीय वर्ष 2012–13 में 2,530 बस्तियों (1,250 बस्तियों को राज्य भाग के रूप में एवं 1,280 बस्तियों को केंद्रीय भाग के रूप) को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके लिए राज्य एवं केंद्रीय परिव्यय का भाग क्रमशः ₹ 185.92 करोड़ एवं ₹ 91.83 करोड़ रखा गया है। इनमें से 31.12.2012 तक राज्य भाग के रूप में ₹91.83 करोड़ (दिसम्बर,2012 तक) खर्च करके 227 बस्तियां तथा ₹ 85.99 करोड़ केन्द्रीय भाग के रूप में परिव्यय करके 1,778 बस्तियों में से 1,531 बस्तियों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

## हैंण्डपम्प कार्यक्रम

**10.2** सरकार द्धारा प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में पेयजल की कमी के चलते हैण्डपम्प लगाने का कार्य निरन्तर चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 2012 तक प्रदेश में कुल 26,132 हैंण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2012–13 में प्रदेश में कुल 2,500 हैंण्डपम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके अन्तर्गत नवम्बर,2012 तक 2,023 हैंण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं तथा

शेष 477 लक्षित हैंडपम्पों को मार्च, 2013 तक स्थापित किया जायेगा।

## जलमणी कार्यक्रम

**10.3** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी ग्रमीण विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु Simple Stand Alone Drinking Water Purification System (UV.&.Terafil) लगाए जा रहे हैं। 31.3.2012 तक 3,746 Simple Stand Alone Drinking Water Purification System (UV.&.Terafil) विद्यालयों में लगाए जा चुके हैं तथा वर्ष 2012–13 में 2,000 यूनिटस लगाने का लक्ष्य है जिसके अन्तर्गत दिसम्बर 2012 तक 1,776 यूनिटस लगाए जा चुके हैं।

## शहरी पेयजल कार्यक्रम

**10.4** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 49 शहरों की पेयजल योजनाओं का रख–रखाव सिंचाई एंव जनस्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इनमें से 44 शहरों की पेयजल योजनाओं का कार्य मार्च,2012 तक पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 4 शहरों की पेयजल योजनाओं का सम्बर्धन कार्य प्रगति पर है तथा 1 शहर की पेयजल योजना का सम्बर्धन कार्य निकट भविष्य में प्रारम्भ किया जाएगा। वर्ष 2012–13 में कुल ₹13.00 करोड़ योजनाओं के सम्वर्धन कार्य के लिये रखे गये हैं जिसके अन्तर्गत दिसम्बर,2012 तक कुल ₹2.83 करोड़ खर्च करके 2 शहरी पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है। इस प्रकार अब तक प्रदेश की 46 शहरी पेयजल योजनाओं के सम्वर्धन का कार्य 31.12 2012 तक पूर्ण किया जा चुका है।

## सिंचाई

**10.5** कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पर्याप्त तथा समय पर सिंचाई की पूर्ति की जरूरत उन क्षेत्रों में है जहां वर्षा बहुत कम तथा अनियमित होती है। कृषि योग्य भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बहुविध फसलों तथा प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक फसल पैदावार उगाने के लिए सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है । राज्य योजना में सिंचाई की संभावना तथा उसके अनुकूल उपयोग के सृजन पर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ।

**10.6** हिमाचल प्रदेश के कुल 55.67 हैक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 5.83 लाख हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की सिंचाई की क्षमता लगभग 3.35 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 0.50 लाख हैक्टेयर मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है तथा शेष 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र विभिन्न एजैन्सियों की लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लाया जा सकता है।

**10.7** राज्य में कांगडा जिलें में शाहनहर परियोजना ही एकमात्र मुख्य सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के पूर्ण होने से 15,287 हैक्टेयर क्षेत्र में संभावित सिंचाई की जाएगी।

**10.8** राज्य में पांचवी योजना में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिया गया। तब से 5 मध्यम परियोजनाओं में अब तक राज्य में 13,586 हैक्टेयर क्षेत्र में सी.सी.ए. सृजित करने का कार्य पूर्ण किया गया है। ये परियोजनाएं हैः– i) गिरी सिंचाई परियोजना (सी.सी.ए. 5263 हैक्टेयर) ii) बल्ह घाटी परियोजना (सी.सी.ए. 2410 हैक्टेयर) iii) भभौर साहिब चरण–। (सी.सी.ए. 923 हैक्टेयर) iv )भभौर साहिब चरण–।। (सी.सी.ए. 2640 हैक्टेयर) तथा v)चंगर क्षेत्र जिला बिलासपुर (सी.सी.ए. 2,350 हैक्टेयर)।

**10.9** निर्धारित सिंचाई संभावनाएं तथा सी.सी.ए. का सृजन सारणी 10.1 में दिया गया है:–

**सारणी 10.1**

**निर्धारित सिंचाई संभावनाएं तथा सीसीए सृजित क्षेत्र**

**(लाख हैक्टेयर)**

| मद | क्षेत्र |
|---|---|
| कुल भौगोलिक क्षेत्र | 55.67 |
| शुद्ध बोया गया क्षेत्र | 5.83 |
| अन्तिम उपलब्ध सिंचाई सम्भावनाएं | |
| (क) मुख्य तथा मध्यम सिंचाई | 0.50 |
| (ख) लघु सिंचाई | 2.85 |
| सृजित सीसीए | |
| 31.3.2001 तक | 1.95 |
| 31.3.2002 तक | 1.97 |
| 31.3.2003 तक | 1.99 |
| 31.3.2004 तक | 2.02 |
| 31.3.2005 तक | 2.04 |
| 31.3.2006 तक | 2.07 |
| 31.3.2007 तक | 2.12 |
| 31.3.2008 तक | 2.17 |
| 31.3.2009 तक | 2.22 |
| 31.3.2010 तक | 2.36 |
| 31.3.2011 तक | 2.43 |
| 31.3.2012 तक | 2.49 |
| 31.12.2012 तक | 2.54 |

**नोटः** ऐसी सिंचाई परियोजनाएं जिनके सी.सी.ए. 10,000 हैक्टेयर से अधिक हो, मुख्य सिंचाई परियोजनाओं, 2,000 हैक्टेयर से अधिक सी.सी.ए. तथा 10,000 हैक्टेयर तक की, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं, 2,000 हैक्टेयर से कम सी.सी.ए. वाली योजनाओं के अंतर्गत आती है।

वर्ष 2012–13 में योजना–वार निम्न उपलब्धियां प्राप्त की गईः–

## मुख्य तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

**10.10** वर्ष 2012–13 में ₹6,510.00 लाख के प्रावधान से 4,200 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य था। दिसम्बर,2012 तक ₹ 4,380.45 लाख व्यय किए गए तथा दिसम्बर,2012 तक 1,930 हैक्टेयर भूमि को मुख्य तथा मध्यम परियोजनाओं के अंतर्गत लाया गया।

## लघु सिंचाई

**10.11** वर्ष 2012–13 में राज्य क्षेत्र मे ₹ 15,107.00 लाख का प्रावधान 3,300 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। दिसम्बर,2012 तक ₹ 8,147.36 लाख व्यय किये जा चुके थे तथा इस अवधि में 2,755 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई गई।

## कमांड विकास कार्यक्रम

**10.12** वर्ष 2012–13 के दौरान ₹1,000.00 लाख जिसमें केन्द्रीय सहायता भी सम्मिलित है, के अंतर्गत 5,000 हैक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल तथा शाहनहर परियोजना के अंतर्गत 5,000 हैक्टेयर में बाराबन्दी का प्रावधान था। नवम्बर,2012 तक 1,750 हैक्टेयर क्षेत्र फील्ड चैनल तथा 1,100 हैक्टेयर बाराबन्दी के अंतर्गत लाया जा चुका है।

## बाढ़ नियन्त्रण

**10.13** वर्ष 2012–13 में 1,200 हैक्टेयर भूमि बाढ़ नियंत्रण कार्य के अंतर्गत लाने के लिए ₹7,426.00 लाख का प्रावधान रखा गया था। दिसम्बर,2012 तक ₹3,347.47 लाख व्यय किए जा चुके थे तथा इस अवधि में 955 हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है।

## वर्ष 2013–14 के लिए प्रस्तावित लक्ष्य

| क्र. सं | क्षेत्र | वर्ष 2013–14 के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य(सी.सी.ए. है0) | वर्ष 2013–14 के लिए प्रस्तावित बजट (₹लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | मध्यम सिंचाई | 2000 | 9100.00 |
| 2 | लघु सिंचाई | 3000 | 13370.00 |
| 3 | कमांड विकास कार्यक्रम | | |
| | अ) फिल्ड चैनल | 5000 | |
| | ब) बाराबन्दी | 5000 | 1040.00 |
| 4 | बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम | 1200 | 4942.00 |

# 11. उद्योग एवं खनन

## उद्योग

**11.1** हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न कार्यकलापों के अनुवर्ती लाईसैंसों को खत्म करने के परिणाम स्वरूप राज्य में निवेश प्रवाह कई गुणा बढ़ रहा है। विभाग को प्रदेश में नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए उद्यमियों से अत्यधिक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है ।

**11.2** इस समय 31.12.2012 तक प्रदेश में 494 मध्यम व बड़े तथा लगभग 38,592 लघु पैमाने की औद्योगिक ईकाइयां कार्यरत है जिनमें लगभग ₹16,588.56 करोड़ का पूंजी निवेश है और यह उद्योग लगभग 2,11,163 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहें हैं। नये एवं पहले से स्थापित उद्योगों को समस्त सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एकल खिड़की औद्योगिक परियोजना स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण प्रदेश में स्थापित होने वाले सभी मध्यम एवं बड़े क्षेत्र की परियोजनाओं को समस्त सहायता प्रदान करता है तथा यदि किसी उद्योगपति को कोई कठिनाईं हो तो उसे पारदर्शिता और कुशलता के आधार पर दूर करने का प्रयास करता है। भारत सरकार द्वारा जनवरी,2003 के विशेष प्रोत्साहन पैकेज के बाद 8,375 लघु उद्योगों 298 मध्यम एंव भारी उद्योग इकाइयों का स्थाई पंजीकरण किया गया जिनमें ₹ 13,923.22 करोड़ का पूंजी निवेश अक्तूबर,2012 में हुआ एवं 1,15,013 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ।

## औद्योगिक क्षेत्र/ एस्टेटस

**11.3** उद्योगों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य मे 41 औद्योगिक बस्तियों तथा 17 औद्योगिक एस्टेटस की स्थापना की गई है। राज्य में औद्योगिक आधार भूत ढांचा के सुधार के लिए दिसम्बर,2012 तक ₹ 16 करोड़ व्यय किए गए। राज्य सरकार ने एक भूमि बैंक की स्थापना की है जिसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी एवं निजी भूमि लगभग 7,693.04 बीघा चिहिन्त की गई है। उद्योगों के लिए और भूमि चिन्हित करने के प्रयास जारी हैं।

## प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पी.एम.ई.जी.पी.)

**11.4** भारत सरकार ने 31.3.2008 से चल रही प्रधानमंत्री रोजगार योजना तथा ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाओं का विलय करके ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थापित सूक्ष्म प्रतिष्ठानों के द्वारा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार उत्पादन कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जो कि सूक्ष्म, छोटे व मध्यम प्रतिष्ठान द्वारा कार्यन्वित की जाती है। राज्य स्तर पर यह योजना के.बी.आई.सी निदेशालय द्वारा, राज्य खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केन्द्र और बैंकों द्वारा निम्न उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित की जाएगी।

i) देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नए कार्यक्रम/ प्रोजेक्ट/ सूक्ष्म प्रतिष्ठान

स्थापित करके रोजगार के अवसर प्रदान करना।

ii) ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवकों तथा परम्परागत कारीगरीं को इकटठा कर उचित स्थान पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

iii) ग्रामीण युवकों के शहरी क्षेत्रों के प्रवास को रोकने के लिए परम्परागत कारीगरों को लगातार तथा उचित अवसर प्रदान करना।

iv) शहरी तथा ग्रामीण रोजगार उत्पादन दर को बढ़ाने के लिए कारीगरों की मजदूरी दर को बढ़ाने के लिए।

**वित्तीय सहायता की भौतिकी एवं राशि की मात्रा**
**प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत्**

| क. सं. | लाभार्थी की श्रेणीं | लाभार्थी का अंशदान (परियोजना मूल्य से) | अनुदान की दर | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ग्रामीण क्षेत्र | शहरी क्षेत्र |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | सामान्य श्रेणी | 10 % | 25 % | 15 % |
| 2. | विशेष (अ0जा0 / अ0ज0जा0 / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / स्त्री / भूतपूर्व सैनिक / विकलांग / एन.ई.आर. / पहाड़ी एवं सीमा क्षेत्र आदि) | 05 % | 35 % | 25 % |

**नोटः–**

i) कुल परियोजना / ईकाई लागत मूल्य उत्पादन क्षेत्र में ₹ 25 लाख तक।

ii) व्यापार / सेवा क्षेत्र में ₹10 लाख और

iii) बकाया राशि कुल परियोजना की लागत की शेष राशि बैंको द्वारा अवधि ऋण के रूप में दी जाएगी।

**लाभार्थी की योग्यता के लिए शर्तेः**

i) लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से उपर।

ii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कोई भी आय की सीमा नहीं होगी।

iii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र में ₹ 10 लाख से ज्यादा की लागत के प्रोजेक्टों को स्थापित करने तथा 5 लाख से उपर व्यापार क्षेत्र के प्रोजैक्टों को स्थापित करने के लिए लाभार्थी की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं पास होनी चाहिए।

iv) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत केवल नए प्रोजेक्टों को ही सहायता प्रदान की जाएगी।

v) स्वंय सहायता समूह से संबंध रखने वाले (बी.पी.एल. जिन्होंने किसी भी योजना के अंतर्गत लाभ न उठाया हो) भी इस कार्यकम्र के पात्र होगें।

vi) वे संस्थान जो समिति पंजीकरण एक्ट 1,860 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

vii) उत्पादन सहकारी समितियां और धमार्थ ट्रस्ट।

viii) जो ईकाइयां (पी.एम.आर.वाई, आर.ई.जी.पी.) या कोई भी अन्य योजना जो कि भारत सरकार या राज्य सरकार की हो या ऐसी ईकाइयां जिन्होंने किसी भी प्रकार की सरकारी अनुदान राशि प्राप्त की हो इसके पात्र नहीं हैं।

विभाग को 252 मामलों का लक्ष्य दिया गया जिसके लिए 443 मामले विभिन्न बैंकों में वित्तीय लाभ के लिए अभी तक भेजे गए हैं।

## रेशम उद्योग

**11.5** रेशम उद्योग राज्य का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है जिससे लगभग 9,000 ग्रामीण परिवारों को रेशम ककून उत्पाद से लाभकारी रोजगार प्राप्त होता है। 8 रेशम के धागे की रीलिंग यूनिट निजि क्षेत्र जिला कांगड़ा(3), हमीरपुर(1), मण्डी(1), बिलासपुर (3) को सरकार की सहायता से स्थापित किया गया है। वर्ष 2012–13, में दिसम्बर, 2012 तक 179.55 मीट्रिक टन रेशम के ककून का उत्पादन किया गया था जिनमें से 22.45 मी0टन कच्चे रेशम में परिवर्तित कर दिया गया है। राज्य में रेशम उत्पाद की बिक्री का प्रत्याशित उत्पादन 182 मीट्रिक टन है और 475.50 लाख आय प्रदान करता है। वर्ष के दौरान कच्चे रेशम का उत्पादन 22.75 मीट्रिक टन है ।

## कला एवं प्रदर्शनी

**11.6** राज्य में औद्योगिक ईकाईयों द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के दृष्टिगत प्रदेश द्वारा राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न मेंलों, त्यौहारों व प्रदर्शनियों में भाग लिया है। चालू वर्ष के दौरान प्रदेश ने नई दिल्ली में आयोजित 32वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2012 में कुल्लू के दशहरा मेले इत्यादि में अपने राज्य में उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन किया। ₹ 75 लाख की राशि वर्ष के दौरान मेले में प्रचार पर खर्च की गई है।

## हथकरघा एवं हस्तशिल्प (सामुहिक योजना)

**11.7** सामूहिक योजना के अंतर्गत, हथकरघा विकास योजना, तीसरे चरण कांगड़ा तथा गोहर हथकरघा सामूहिक योजना पूरी हो गई है जिसमें 1,127 बुनकरों को लिया गया है। तीसरे चरण में रामपुर तथा रिकांगपिओं हथकरधा सामूहिक योजना में लिया गया है तथा दूसरे चरण में ज्वाली, जंजैहली तथा तीसा में हिमाचल प्रदेश हथकरधा तथा हस्तशिल्प योजना और हिमबुनकर कुल्लू द्वारा चलाए जा रहे हैं। तीसरे चरण वाले हथकरघा कलस्टर के कार्यान्वयन हेतु ₹7.80 लाख दूसरे चरण वाले हथकरघा कलस्टरों हेतु ₹30.99 लाख की राशि चलाने वाले उद्योगों को इन कलस्टरों में बेस लाइन सर्वे, समूह बनाने

हेतु, कार्यकुश्लता बढाने हेतु प्रशिक्षण, डिजाइनिंग विकास, उत्पाद विविधिकरण, प्रचार व प्रदर्शनी इत्यादि के लिए दिए गए। तीसरे चरण वाले हथकरघा कलस्टरों में 647 बुनकर, दूसरे वाले हथकरघा कलस्टरों में 800 बुनकरों को लाभान्वित किया गया।

सामुहिक योजना के अन्तर्गत पहले चरण में 17 छोटे बुनकर समूहों के 325 बुनकर शिमला, कांगड़ा तथा कुल्लू जिला को लाभान्वित किया गया जिसमें ₹20.29 लाख भारत सरकार द्वारा दिए गए।

बाजार प्रोत्साहन योजना के अंर्तगत राज्य की 58 इकाईयों के वर्ष 2010–11 के ₹113.86 लाख के दावे भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे गए।

**महात्मा गांधी बनुकर बीमा योजना**

**11.8** प्रचलित वर्ष में 31.12.2012 तक 9 जिलों के 3,000 बुनकरों को इस योजना के अधीन लाया गया।

**हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना**

**11.9** दिसम्बर, 2012 तक 9 जिलों के 12,030 बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया।

**बाजार प्रगति योजना**

**11.10** हथकरघा उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम तथा हिमबुनकर कुल्लू में 5 प्रदर्शनियों बिक्री के लिए राज्य के विभिन्न भागों तथा राज्य से बाहर लगाई गई।

**11.11** इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम को विकास हेतु अनुदान दिया गया। प्रचलित वर्ष में दिसम्बर,2012 तक ₹1.12 करोड़ का अनुदान हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम को तथा ₹ 3.24 करोड़ खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक बोर्ड को विकास कार्यों हेतु अनुदान दिया गया।

**निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए राज्यों को सहायता योजना**

**11.12** निर्यात प्रोत्साहन के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के उद्वेश्य से 'राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन हेतु सहायता योजना' भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कार्यान्वयन की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय निर्यात सम्बर्धन समीति का गठन किया गया है व हि. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम को नोडल अभिकरण बनाया गया है। भारत सरकार से वर्ष 2012–13 के लिए ₹ 527 लाख की राशि ली गई है।

**खनन**

**11.13** खनिज प्रदेश के आर्थिक आधार का एक मुख्य तत्व है । उत्तम किस्म का चूना पत्थर जो कि पोर्टलैंड़ सीमेंट उद्योग के लिए आवश्यक पदार्थ यहां प्रचूरता में प्राप्त है। वर्तमान में छः सीमेंट प्लांट (दो इकाईयां) ए0सी0सी0 बरमाण जिला बिलासपुर, दो इकाईयां अम्बुजा, कशलोग जिला सोलन, (एक इकाई) मै0 जे0पी0 उद्योग वागा भालग तथा एक इकाई मै0 सी0सी0आई0 राजबन, जिला सिरमौर में चल रहा है। अन्य तीन सीमेंट संयंत्र सुन्दरनगर, जिला मण्डी मै0 हरीश सीमेंटस (ग्रासिम), गुम्मा रूहाना, जिला शिमला, इण्डिया सीमेंट लि0, अलसींडी, जिला मण्डी, लफार्ज इण्डिया लि0 चल रहे हैं तथा तदनुसार खनन पटटों को उनके

पक्ष में प्रदान किया गया है। बरोह सिन्ड, जिला चम्बा के लिए सरकार ने बड़े सीमेन्ट प्लांट लगाने के लिए मै0 जे.पी.इण्डस्ट्रीज के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर दिया है। खनन पटटे में अनुदान के लिए आवेदन क्षेत्र को संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अभाव के कारण आवेदन लंबित है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने संभावित लाईसैंस भी निम्नलिखित कम्पनियों को जारी किए हैं ताकि अन्य गौण खनिजों के साथ जमा खनिजों की गुण एवं मात्रा का पता लगाने के लिए गहन अध्ययन कर सकें। यह लाईसैंस निम्न कम्पनियों को दिए गए। मै0 ऐसोसिएटिड सीमेन्ट कम्पनी धारा बडू, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, मै0 डालमियां सीमेन्ट, गांव/ मौजा करियाली– कोठी–साल–वाग, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0। मै0 अम्बुजा सीमेन्ट लिमिटिड, गांव/मौजा घाना, चलयान वसयाणा बरसानु, मंगु करारा, तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0। मै0 एशीनस सीमेंट कम्पनी सनून, रूरी, लांवा लुंड़ा कमल, तहसील अर्की, जिला सोलन। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.9.2010 में 25 वर्ग किलोमीटर के स्थान में मौजा, सुग्रठी, ठागंर, कूड़ा खेडा, पौली खेरा काडल और वडेरा जो तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश) में लाइसैंस के लिए संभावित है जबकि चुनी हुई कम्पनी में चूने के पत्थर के मात्रा और स्तर, अन्य खनिज के साथ विस्तृत रूप में विवरण जानकारी प्राप्त की है। यह क्षेत्र पहले इन्दोरामा सीमेंट कम्पनी लिमिटिड की सहायतार्थ था।

1. मै0 ए.सी.सी, मुम्बई।
2. मै0 रिलांइस सीमेटेशन प्राईवेट लिमिटिड, महाराष्ट्र।
3. मै0 लाफर्ज इंडिया प्राईवेट लिमिटिड, मुम्बई।
4. मै0 जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटिड, नई दिल्ली
5. मै0 अंबुजा सीमेंट लिमिटिड, मुम्बई।
6. मै0 डालमिया सिमेंट लिमिटिड, नई दिल्ली।
7. मै0 अभिजित सिमेंट लिमिटिड, नागपूर।
8. मै0 आथा माईन्ज लिमिटिड, कलकता।
9. मै0 एन. एस. एल. इन्टस्ट्रीज लिमिटिड. हैदराबाद।

इन कम्पनियों की वार्षिक रिपार्टों का वित्तीय मूल्यांकन हिमकोन द्वारा किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 20.6.2012 को सीमेंट संयत्र स्थापित करने के लिए सूची तैयार की गई तथा एजेडा नोट भी सभी कमेटी के सदस्यों को दिनांक 16.6.2012 को वितरित किया गया। परन्तु यह बैठक अगले आदेश तक स्थागित कर दी गई।

अन्य खनिज जिनका प्रदेश में वाणिज्यक दोहन किया जा सकता जैसे शेल बेराईट ससिल्का रेत, चटटानी नमक कोरजाईट और भवन सामग्री जैसे कि सेडसटोन रेत व बजरी और भवन पत्थर, खनिजों के विकास तथा विनिमय को करने के लिए भूगर्भीय ईकाई भू–तकनीकी अन्वेषण निरीक्षण विभिन्न मार्गों को मिलाना, पुल की जगह का अन्वेषण, और भू–पर्यावरण संबधित अध्ययन इत्यादि करना है।

# 12. श्रम और रोजगार

## रोजगार

**12.1** 2001 जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में 32.31 प्रतिशत मुख्य कामगार, 16.92 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा शेष 50.77 गैर कामगार थे। कुल कामगारों (मुख्य+सीमांत) में से 65.33 प्रतिशत काश्तकार, 3.15 प्रतिशत कृषि श्रमिक, 1.75 प्रतिशत गृह उद्योग इत्यादि तथा 29.77 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में कार्यरत थे। राज्य में 3 क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों, 9 जिला रोजगार कार्यालयों, 2 विश्वविद्यालयों में रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र और 55 उप–रोजगार कार्यालय, विकलांगों के लिए निदेशालय में एक विशेष रोजगार कार्यालय, एक केन्द्रीय रोजगार कक्ष निदेशालय में तथा मण्डी, शिमला व धर्मशाला में व्यवसायिक इकाईयां पूरे प्रदेश में आवेदकों तथा नियोक्ताओं की सेवा में कार्य कर रहे हैं।

### रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम

**12.2** वर्ष 1960 से रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार आंकड़े जिला स्तर पर एकत्र किए जा रहे हैं । प्रदेश में 31.12.2011 तक सार्वजनिक क्षेत्र के कुल कामगारों की संख्या 2,69,287 व निजी क्षेत्र में कामगारों की संख्या 1,25,216 तथा सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 3,988 व निजी क्षेत्र में कुल 1,460 नियोक्ता हैं।

### व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र

**12.3** श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीन इस समय चार व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन केन्द्र तथा शेष तीन केन्द्र क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित है। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोजगार के संदर्भ में आवेदकों को उचित व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। प्रदेश में कई शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक मार्ग–दर्शन संबंधी कैम्पों का आयोजन भी किया जाता है। दिनांक 1.4.2012 से 30.11.2012 तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 58 कैम्प आयोजित किए गए।

### केन्द्रीय रोजगार कक्ष

**12.4** हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत एवं लगाई जा रही औद्योगिक इकाईयों, संस्थानों के लिए तकनीकी तथा उच्च कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में स्थित केन्द्रीय रोजगार कक्ष हमेशा की तरह वर्ष 2012–13 में भी अपनी सेवाएं अर्पित करता रहा है। इस प्रकार इस योजना द्वारा एक ओर रोजगार इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता व अनुभव के अनुसार निजी क्षेत्र में उचित रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होती है तथा दूसरी ओर नियोक्ता बिना धन व समय बर्बाद किए उचित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के दौरान नवम्बर,2012 के अंत तक निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा विभिन्न प्रकार की कुल 120 रिक्तियां अधिसूचित की गई। प्रदेश की विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाओं कुशल वर्ग सहित 1,166

आवेदकों को सम्प्रेषित किया गया। दिनांक 30.11.2012 के अन्त तक प्रदेश के निजी क्षेत्र की विभिन्न औघोगिक इकाईयों में कुल 22 रोजगार के इच्छुक आवेदकों को नौकरी पर लगाया गया। 01.4.2012 से 30.11.2012 तक इस कक्ष के माध्यम से 92 कैम्पस साक्षात्कार करवाए गए जिसमें 780 आवेदकों की नियुक्तियां की गई। केन्द्रीय रोजगार कक्ष राज्य में रोजगार मेलों का आयोजन किया। विभाग ने 01–04–2012 से 30–11–2012 तक 7 रोजगार मेलों का आयोजन किया जिसमे 5,794 प्रार्थियों को राज्य के विभिन्न उद्योगों में रोजगार दिया गया।

## विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु)

**12.5** सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोजगार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोजगार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष 1976 से विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई। यह कक्ष अपंग आवेदकों को व्यावसायिक मार्गदर्शन एवं निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार दिलवाने में सहायता करता है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधायें/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा, उपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, उपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 3 प्रतिशत का आरक्षण, महिलाओं के लिए खोले गये औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान (गर्ल्ज) आई.टी.आई, सिलाई तथा कटाई केन्द्र (टेलरिंग सेन्टर) में 5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण तथा 200 रोस्टर प्वाईंट में आरक्षण का निर्धारण जो कि पहला, 30 वां, 73 वां, 101 वां, 130 वां, 173 वां है। (पहला व 101वां दृष्टिहीनों के लिए 30वां तथा 130वां गुगें–बहरों के लिए 73वां तथा 173 लोकोमोटर अपंगता वालों के लिए है) वर्ष 2012–13 के दौरान 1.4.2012 से 30.11.2012 तक सक्रिय पंजिका में 922 विकलांगों को पंजीकृत करके विकलांग पंजीकृतों की संख्या 17,014 हो गई है। 43 अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है।

## न्यूनतम मजदूरी

**12.6** हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यून्तम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड बनाया है जो कि अनुसूचित व्यवसायों के मजदूरों के न्यूनतम दर तय तथा उसके संशोधन के बारे में प्रदेश सरकार को परामर्श देता है। सरकार द्वारा दिनांक 1.9.2012 से सभी अनुसूचित/ व्यवसायों के अर्ध–कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रेणी के कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम दर ₹130.00 प्रतिदिन व ₹3,900 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹150 प्रतिदिन व ₹4,500 प्रतिमाह की है।

## श्रमिक कल्याण उपाय

**12.7** बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत राज्य सरकार ने जिला सतर्कता समितियां तथा उप–मण्डल सतर्कता समितियों का गठन बन्धुआ मजदूर प्रणाली के कार्यान्वयन एवं मोनिटरिंग के हेतु किया गया है। बन्धुआ मजदूर प्रणाली तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियमों पर स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सपर्ट ग्रुप की रिपोर्ट पर आधारित राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक झगड़े निपटाने के लिए दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं जिसमें से एक का मुख्यालय शिमला में है, जिसका कार्य क्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन व सिरमौर है तथा दूसरा धर्मशाला में वर्ष 2004–05 में स्थापित किया गया है,

जिसका कार्य क्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, उना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू एवं लाहौल–स्पिति है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत इन दोनों श्रम अदालतों में जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद के बराबर, एक–एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गए हैं।

## कर्मचारी भविष्य निधि एवं बीमा योजना

**12.8** राज्य कर्मचारी बीमा योजना सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्दी जिला सोलन, मेहतपुर, गगरेट, बथरी जिला उना, पांवटा साहिब, काला अम्ब जिला सिरमौर, गोलथाई जिला बिलासपुर, मण्डी, नैर चौक, भंगरोटू, चक्कर व गुटकर, रती जिला मण्डी, औद्योगिक क्षेत्र शोघी व शिमला नगरनिगम क्षेत्र जिला शिमला में लागू हैं। लगभग 3,500 संस्थानों में 1,60,000 बीमा कामगार/ कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31.12.2012 तक पंजीकृत किए गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत 7,656 संस्थानों में कार्यरत 9,72,379 कामगारों को लाया गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत 31.12.2012 तक 1,223 ट्रेड यूनियनज पंजीयक ट्रेड यूनियन एवं श्रम आयुक्त कार्यालय में पंजीकृत हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (4) के अन्तर्गत 615 रिर्पोट प्राप्त हुई है और निर्याणक कार्यवाही पूर्ण की गई है जिसके परिणामस्वरूप, 169 औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय व न्यायियक प्राधिकरणों द्वारा अधिनिर्णित करने हेतु अधिसूचित किए गए जबकि 190 औद्योगिक विवाद अधिनिर्णय अस्वीकार किए गए।

## औद्योगिक सम्बन्ध

**12.9** प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों में विकास होने से औद्योगिक सम्बन्धों के गतिविधियों को काफी महत्व प्राप्त हो रहा है। प्रदेश में औद्योगिक झगडों को निपटाने व औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने के लिये एक समाधान मशीनरी कार्यरत है । समझौता अधिकारी के कार्य संयुक्त श्रमायुक्त, उप–श्रमायुक्त, श्रम अधिकारियो, व श्रम निरीक्षको को सौंपे गये हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र अधिकार में यह कार्य देख रहे हैं। ऐसे मामलों में जहां समझौता अधिकारी किसी मान्य समझौते को करवाने में असफल रहते हैं, वहां उच्च अधिकारियों द्वारा निदेशालय स्तर पर हस्तक्षेप किया जाता है। कामगारों, श्रमिकों तथा जल–विघुत परियोजनाओं के प्रबन्धकों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय बोर्ड तथा परियोजना स्तर की त्रिपक्षीय समितियां प्रत्येक जिले में सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित की है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक औद्यौगिक इकाई में जहां एक उद्योग में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं एक समिति गठित की जाती है जिसमें श्रमिकों के तथा नियोजक के प्रतिनिधि सम्मलित होते हैं।

## भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मगार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियम) अधिनियम,1996 व सैस अधिनियम,1996

**12.10** इस अधिनियम के अर्न्तगत भवन व अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य कल्याण तथा सुरक्षा का प्रावधान है। दिनांक 31.12.2012 तक कुल

784 औद्योगिक ईकाइयां तथा 12,078 लाभान्वित कामगारों को पंजीकृत किया गया तथा ₹ 128.96 करोड़ की राशि बोर्ड के पास जमा किये जा चुके है।

## दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969

**12.11** हिमाचल प्रदेश सरकार दूकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969 तथा उसके अर्न्तगत नियमों में संशोधन कर अनुज्ञपति के नवीनीकरण का समय एक वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया जिसके फलस्वरुप संस्थानों एवं वाणिज्य संस्थानों के मालिकों को एक वर्ष के बजाए पांच वर्ष तक नवीनीकरण कर सकेंगें। इससे दूकानदारों को प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण नहीं करवाने में समय की बचत होगी। इस अधिनियम की अधिसूचना 4 मई, 2012 द्वारा फिर से संशोधन की गई है और इसके प्रावधानों को और सख्त बनाते हुए जुर्माने की राशि बढा दी गई है ताकि कार्यरत श्रमिकों को कार्य का सही व समुचित वातावरण व लाभ प्रदान किये जाने सुनिश्चित किये जा सके।

## कामगारों को पहचान पत्र देने बारे

**12.12** श्रमिकों के शोषण को रोकने हेतु व कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा हिमाचलियों को निजि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु सरकार द्वारा सभी कामगारों को अधिनियमों में संशोधन कर पहचान पत्र जारी करना आवश्यक किया है। यह पहचान पत्र सम्बन्धित श्रम अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये होगें। दिनाक 30.11.2012 तक 2,94,286 पहचान पत्र जारी कर दिये गये हैं।

# 13. विद्युत

**13.1** आर्थिक विकास में विद्युत एक महत्वपूर्ण निवेश है। विद्युत का राजस्व उत्पादन और रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है जिससे लोगों के रहन– सहन के स्तर में बढ़ावा मिला है।

**13.2** हिमाचल को विस्तृत हाईड्रो विद्युत परियोजना का गौरव प्राप्त है। प्रारम्भिक जल, विज्ञान, तलरूप तथा भौमकीय अन्वेषणों के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पांच नदी क्षेत्रों यमुना, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब से जल विद्युत उत्पादन का अनुमान बड़े, मध्यम, लघु व सूक्ष्म जल परियोजनाएं बना कर लगभग 23,000 मैगावाट आंका गया है। 8,368 मैगावाट विद्युत विभिन्न अभिकरणों द्वारा जल दोहन से तैयार की जाएगी जिसमें से 473 मैगावाट भी शामिल है जो हि.प्र.राज्य विद्युत परिषद द्वारा उत्पादित की जाएगी।

जल स्त्रोत–वार अनुमानित विस्तृत सम्भाव्य उत्पादन क्षमता का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

**सम्भाव्य क्षमता**

| **नदी तट** | **क्षमता (मैगावाट)** |
|---|---|
| **1** | **2** |
| यमुना | 817 |
| सतलुज | 10,361 |
| ब्यास | 5,357 |
| रावी | 2,958 |
| चिनाब | 2,973 |
| स्वयं चिन्हित/नये चिन्हित | 534 |
| **कुल** | **23,000** |

**13.3** राज्य सरकार ने बहुमुखी विद्युत उत्पादन नीति अपनाई है जिसे निजी क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, केंद्र क्षेत्र तथा संयुक्त रूप में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। 23,000 मैगावाट विद्युत क्षमता का विवरण नीचे दर्शाया गया है।

## कुल चिन्हित सम्भाव्य जल विद्युत क्षमता

**(मैगावाट)**

| क्र. सं. | मद्द | राज्य क्षेत्र | केन्द्रीय/ संयुक्त क्षेत्र | निजी क्षेत्र | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5मैगावाट से ऊपर | 5 मैगावाट तक हिमउर्जा द्वारा | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | विद्युत क्षमता जो अभी तक दोहन की गई है | 473 | 5875 | 1815 | 205 | 8368 |
| 2. | परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन हैं | 521 | 2532 | 581 | 171 | 3805 |
| 3. | परियोजनाएं जो कार्यान्वयन स्तर पर हैं | 538 | 66 | 990 | 670 | 2264 |
| 4. | परियोजनाएं अन्वेषणाधीन हैं | 2087 | 775 | 3176 | 245 | 6283 |
| 5. | परियोजनाएं जो विवादित हैं | – | – | 1011 | – | 1011 |
| 6. | पर्यावरण संतुलन के कारण छोड़ी गई परियोजनाएं | – | – | 735 | – | 735 |
| 7. | परियोजनाएं जो आवंटित होनी हैं | – | – | 534 | – | 534 |
| | **कुल** | **3619** | **9248** | **8842** | **1291** | **23000** |

### जल विद्युत नीति

**13.4** जल विद्युत के दोहन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत नीति बनाई गई है। इस विद्युत नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:–

### अ) 5 मैगावाट तक की परियोजनाएं:

1. 2 मैगावाट तक की सभी परियोजनाओं का आवंटन केवल हिमाचलियों के लिए आरक्षित किया गया है एवं 2 से 5 मैगावाट तक की परियोजनाओं के आवंटन में हिमाचलियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।
2. छोटी परियोजनाओं से परियोजना के अनुबंध के आधार पर पहले 12 वर्षों तक 6 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों में 15 प्रतिशत व परियोजना की शेष अवधि के दौरान 24 प्रतिशत की दर से निशुल्क बिजली हिमाचल प्रदेश सरकार को मुहैया करवाने का प्रावधान है। इसके अलावा परियोजना निर्माता को 1 प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली स्थानीय विकास निधि के रूप में सरकार को

परियोजना के आजीवन काल तक उपलब्ध करवानी होगी।

3. कुल परियोजना लागत का 1 प्रतिशत भाग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा तथा विकासात्मक कार्यों में खर्च की जाने वाली राशि उक्त परियोजना को ही वहन करनी होगी।
4. परियोजना निर्माता को 70 प्रतिशत रोजगार हिमाचलियों को देना सुनिश्चित करना होगा।
5. हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी परियोजनाओं को राज्य के अन्तर्गत सरकार के अलावा किसी तीसरे पक्ष को बेचने या राज्य के बाहर अपने उपयोग में लाने हेतु प्रावधान किया है।
6. परियोजना निर्माता को परियोजना का संचालन 40 वर्षों की अवधि के पश्चात् राज्य सरकार को सौंपने को प्रावधान है।

## ब) 5 मैगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाएं:

1. 5 मैगावाट से अधिक की परियोजनाओं को निजि क्षेत्र के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से विद्युत उत्पादकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बोली द्वारा प्रतियोगिता के आधार पर आवंटन करने का प्रावधान किया गया है।
2. बोली दाताओं को सभी परियोजनाओं के आवंटन पर ₹20.00 लाख प्रति मैगावाट की पेशगी के रूप में देने तथा अतिरिक्त निशुल्क बिजली पर तीन टाईम बैन्ड रायल्टी चार्जिज के तौर पर परियोजना के प्रचालन समय तक समान दर पर हिमाचल प्रदेश सरकार को रायल्टी चार्जिज के रूप में पहले 12 वर्षों में (12+1) प्रतिशत, अगले 18 वर्षों में (18+1) प्रतिशत व अनुवन्ध के शेष 10 वर्षों की अवधि के दौरान (30+1) प्रतिशत की बिजली निःशुल्क तौर पर प्रचालन की अनुसूचित तारीख से देनी होगी।
3. परियोजना निर्माताओं को सभी परियोजनाओं पर कुल परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत भाग स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा तथा विकासात्मक कार्यों में खर्च की जाने वाली राशि उक्त परियोजना को ही वहन करनी होगी।
4. हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पन विद्युत नीति–2008 की तर्ज पर अधिसूचना जारी की जिसके तहत प्रदेश में परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के हितों हेतु सभी परियोजनाओं में कुल उत्पादित बिजली का एक प्रतिशत भाग अतिरिक्त रूप से सभी जल विद्युत परियोजनाओं से परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु खर्च करने का प्रावधान सुनिश्चित किया है। जिससे कि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों व स्थानीय लोगों के विकास को सुचारू रूप से लम्बे समय तक बनाए रखने हेतु यह प्रावधान किया गया है। जिससे कल्याणकारी योजनाएं तथा अन्य सामुहिक सहुलियतों के विकास के लिए आधारभूत ढांचा तैयार होगा। यह निधि परियोजना के जीवनकाल तक मिलती रहेगी। स्थानीय विकास निधि (लोकल ऐरिया डेवल्पमैंट फंड) को स्थानीय क्षेत्रों में सुचारू

रूप से खर्च करने व इसके प्रबन्धन हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5.10.2011 को अधिसूचना जारी की है।

5. परियोजनाओं का संचालन समय जब से वाणिज्यिक रूप से उत्पादन शुरू होगा तब से 40 वर्षों तक का होगा। उसके बाद परियोजनाएं बिना किसी कीमत के राज्य सरकार को देनी पड़ेगी।

6. परियोजनाओं में दक्ष एवं सामान्य बेरोजगार हिमाचली मूल के हिमाचलियों के लिए परियोजना चलाने के लिए एवं रख–रखाव के लिए आवश्यक रूप से रोजगार देना। परियोजना में अगर शत–प्रतिशत रोजगार किन्हीं कारणों से हिमाचलियों को देना संभव न हुआ तो भी 70 प्रतिशत रोजगार देना अनिवार्य है।

7. **कम से कम पानी का छोड़नाः** हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभी रन–ऑफ–द–रीवर स्कीमों में अनिवार्य रूप से न्यूनतम प्रवाह का 15 प्रतिशत हिस्सा उक्त नदी में हर समय छोड़ने का प्रावधान पर्यावरण, जल जीवों और स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के सरंक्षण हेतु किया गया है। परियोजना निर्माता को ऊपरलिखित न्यूनतम प्रवाह को नदी में छोड़ने व छोड़े गये जल प्रवाह को मापने हेतु उपयुक्त प्रबन्ध डाईवर्जन स्ट्रक्चर में करना अनिवार्य है।

8. **उत्पादित बिजली का व्ययनः** परियोजना निर्माता उत्पादित बिजली में से निशुल्क बिजली व अन्य का भुगतान करने के उपरान्त शेश बची बिजली का व्ययन अपनी इच्छानुसार करने हेतु मुक्त है।

9. **परियोजना निर्माण हेतु निर्धारित मील पत्थरों का पुर्नगठनः** परियोजनाओं का सुनियोजित ढंग से निर्माण करने हेतु सरकार ने परियोजनाओं के निर्माण को अधिक से अधिक वास्तविक बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पुर्नगठित कर इस सन्दर्भ में मार्गदर्शित निति को दिनांक 07.07.2012 को जारी किया जिससे कि अतिरिक्त समय का प्रावधान किया गया ताकि विभिन्न कारणों से अधर मे लटकी परियोजनाओं को पुनः रास्ते पर लाया जा सके।

10. **विद्युत क्षमता का बेहतर व अधिकरण उपयोगः** प्रदेश की कुल चिन्हित विद्युत क्षमता को बेहतरीन बनाने हेतु सरकार ने बहुचर्चित सलाहकारी फर्मों को सम्मिलित कर सभी नदियों में उपलब्ध कुल विद्युत क्षमता को बेहतरीन ढंग से दोहन करने का प्रयास किया है। जिससे नई विद्युत परियोजनाओं को चिन्हित करने व पहले से चिन्हित परियोजनाओं की क्षमताओं का पुनः आकलन करना व मानचित्र पर हर प्रकार की विद्युत परियोजनाओं का एकीकरण करने का कार्य मै0 लेहमेयर इन्टरनैश्नल (ई0) प्रा0 लि0 को आबंटित किया गया है। सभी पांच नदी क्षेत्रों का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को परिक्षण हेतु प्रेषित कर दी है। उक्त प्रेषित रिपोर्टों में प्रदेश में उपलब्ध कुल 23,000 मै0वा0 विद्युत क्षमता को लगभग 27,000 मै0वा0 तक बढ़ाना मुख्य लक्ष्य दर्शाया गया है।

11. **क्षमता की बढ़ौतरी**
सरकार ने परियोजनाओं से प्राप्त क्षमता को अधिकतम करने हेतु उपलब्ध मार्गदर्शिका को सुधार कर संशोधित नई मार्गदर्शन नीति लागु कर दी है क्योंकि पहली निति अनुसार परियोजना निर्माणकर्ताओं को परियोजना क्षमताओं को केवल 20 प्रतिशत तक बढ़ाना लाभप्रद था और यदि किसी परियोजना की क्षमता 20 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाई जाती है तो उस परियोजना पर अन्यायिक बोझ डाल दिया जाता था।

12. **परियोजना क्षेत्र में बदलावः** प्रदेश सरकार ने परियोजनाओं को और अधिक सुदृढ़ व लाभप्रद बनाने हेतु परियोजनाओं के क्षेत्रों में जरुरी बदलाव लाने की स्वीकृति का प्रावधान 15.06.2010 से लागु कर दिया।

13. **परियोजनाओं की प्रगति का आकलन वेब आधारित पद्वति के माध्यम से करनाः** सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समयानुसार पूर्ण होना सुनिशिचित करने हेतु सरकार ने एन.आई.सी. की सहायता से बनाई जा रही पद्वति के आधार पर शीघ्र अति शीघ्र लागू करने हेतु प्रयासरत है। इस पद्वति में परियोजना निर्माणकर्ताओं को अपनी परियोजनाओं की अध्ययन स्तिथि समय समय पर वेब के माध्यम से स्वयं अवगत करवाने का प्रावधान रखा गया है।

14. **स्थानीय क्षेत्र विकास निधिः** स्थानीय विकास निधि के फण्ड को विभिन्न स्तरों तक बढाने के लिए सरकार ने दिनांक 5–10–2011 को स्थानीय क्षेत्र विकास निधि प्रबन्धन को दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए परियोजना लागत 1.5 प्रतिशत का प्रावधान दिसम्बर,2006 में अधिसूचित किया है एवं महत्वपूर्ण खर्चों को यह खाता वहन करेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त सरकान ने परियोजना प्रभावित क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए नगर प्रोत्साहन योजना दिनांक 30–11–2009 को अधिसूचित की है जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से चालू हुई परियोजना की तिथि से अतिरिक्त निःशुल्क बिजली का एक प्रतिशत की दर से परियोजना प्रभावित क्षेत्र के लोगों के सुधार के लिए परियोजना के भाग के रूप में परियोजना के जीवनकाल तक दिया जाएगा।

15. **परियोजनाओं के निर्माण से पडने वाले सयुंक्त दुष्प्रभावों का आकलनः**–केंद्रीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश नदी क्षेत्रों में पडने वाले दुष्पप्रभावों के लिए प्रतिष्ठित एजैंसियों से विस्तृत आकलन/ अध्ययन करवा रही है। सतलुज एवं चिनाव नदियों पर यह आकलन/ अध्ययन करवाने के लिए यह कार्य आई.सी.एफ.आर.ई एवं आर.एस. एनवाइरोलिंक को दिया गया है और इसी तरह अन्य नदी बेसिन पर उक्त अध्ययन करवाने के लिए कदम उठाए गए है। जिस के अन्तर्गत ब्यास नदि बेसिन पर यह अग्रिम चरण के तौर

पर उर्जा मंत्रालय भारत सरकार के पास अन्तिम रूप देने के लिए है।

## हि0प्र0राज्य विद्युत परिषद लिमिटिडः

### 13.5 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं और विभागीय योजनाऐं

#### (i) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

प्रदेश के सभी विद्युत रहित गांवों/बस्तियों को विद्युतिकृत करने और सभी नए घरों को बिजली पहुंचाने के उद्देश्य से अप्रैल 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरु की गई थी जिसके अन्तर्गत केन्द्र से 90 प्रतिशत राशि अनुदान और 10 प्रतिशत राशि ऋण के रुप में प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। मैसर्ज आर. ई.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य विद्युत बोर्ड ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जिलावार विद्युतीकरण योजनाएं बनाई है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में सुचारू एवं गुणवतापूर्ण विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत 44,496 ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान की जाएगी जिनमें कि 12,483 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं जिन्हें मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह सभी योजनाएं आर.ई.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार टर्न–की आधार पर बनाई जा रही हैं, जिससे इन्हें पूरा करने में कम समय लगेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत 2092 नए उपयुक्त क्षमता के विद्युत वितरण उपकेन्द्र तथा लाईनें स्थापित कर सभी 12 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण होगा।

**10वी पचंवर्षीय योजनाः** इस योजना के दौरान चम्बा जिला के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मैसर्ज आर.ई.सी. द्वारा दसवीं योजना के लिए दिसम्बर, 2005 में ₹25.02 करोड़ की योजना को स्वीकृत किया गया था, जिसे कि अब संशोधित कर ₹66.33 करोड़ कर दिया गया है। आर.ई.सी. द्वारा ₹59.65 करोड़ की कुल राशि पहली, दूसरी और तीसरी किस्तों के रूप में जारी की गई और ₹42.37 करोड़ की अदायगी कर दी गई है। लगभग ₹6.14 करोड़ के बिल फर्म को अदायगी के लिए पहले ही प्रक्रिया में हैं। इस प्रकार दिसम्बर 2012 तक ₹48.51 करोड़ की कुल वितिय प्रगति हुई है।

**दिसम्बर 2012 तक चम्बा जिला में किए गए कार्यः**

चम्बा जिला में दिसम्बर 2012 तक 24.480 किलोमीटर 33 के.वी. एच. टी. लाईन, 205.769 किलोमीटर 11 के. वी. एच.टी. लाईन, 404.665 किलोमीटर एल.टी. लाईन, 175 विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर, चार 33/11 के.वी. विद्युत उपकेन्द्रों का संवर्धन (कोटी, सिंहुता, नकरोड और घरोला), 977 बी.पी.एल. घरों का विद्युतीकरण और पांगी खण्ड के 15 विद्युत रहित गांवों को बिजली प्रदान की गई है।

**11वीं पचंवर्षीय योजनाः** 11वीं योजना के दौरान 11 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सिरमौर, शिमला, सोलन, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल एवं स्पीति के लिए ₹275.53 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इन 11 जिलों के लिए ₹231.44 करोड़ की राशि पहली, दूसरी और तीसरी

किस्त के रूप में जारी की गई है। दिसम्बर 2012 तक ₹239.53 करोड़ का खर्चा हो चुका है तथा ₹1.98 करोड़ के बिल देय के लिए प्रक्रिया में है। इस तरह दिसम्बर 2012 तक कुल वित्तीय प्रगति ₹241.51 करोड़ की है। 11वीं पचंवर्षीय योजना के दौरान 11 जिलों के 70 विकास खंडों में कार्यों का निष्पादन पूरे जोरों पर है। जिला चम्बा की पागीं तहसील तथा किन्नौर एवं लाहौल स्पिति जिलो में ठडां मौसम, बर्फबारी तथा आसानी से लेबर न मिलने व सिमित कार्य अवधि के कारण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जिला चम्बा, किन्नौर, लाहौल एवं स्पिति जिलों की योजनाओं के कार्यों को पूर्ण करने की तिथि को बढ़ाने के लिए मामला कार्याकारी निदेशक (आर.जी.जी.वी.वाई.), मैं0 आर. ई. सी. लिमीटेड नई दिल्ली को भेजा गया है और मै0 आर.ई.सी. लिमिटेड अधिकारीगण द्वारा 10वीं और 11वीं योजना की परियोजनाओं को 31 मार्च 2013 तक वांछनीय वितीय सहायता जारी रखने की सहमति दे दी है। आर.जी.जी.वी.वाई. योजना के अंतर्गत दिसम्बर 2012 तक किए गए कार्य की प्रगति इस प्रकार से हैः–

| क्र0 सं0 | मद्द | ईकाई | योजना का कुल प्रावधान | दिसम्बर 2012 तक संचित प्रगति | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक उपलब्धि | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10वीं योजना की परियोजनाएं** | | | | | |
| 1 | 33के.वी. नए उपकेन्द्र | | 1 | कार्य प्रगति पर है | 95.00 |
| 2 | 33 के.वी.एचटी लाईनें | कि.मी. | 64.00 | 24.480 | 38.25 |
| 3 | 11 के.वी..एचटी लाईनें | कि.मी. | 212.520 | 207.407 | 97.59 |
| 4 | एलटी लाईनें | कि.मी. | 472.180 | 404.665 | 85.70 |
| 5 | वितरण ट्रांसफारमरज | संख्या | 175 | 175 | 100.00 |
| 6 | वी.पी.एल. गृह कनैक्शन | संख्या | 647 | 977 | 151.00 |
| 7 | विद्युतरहित गांवों का विद्युतीकरण | संख्या | 15 | 15 | 100.00 |
| **11वीं योजना की परियोजनाएं** | | | | | |
| 1 | 33के.वी. उपकेन्द्रों का सम्बधर्न | संख्या | 4 | 4 | 100.00 |
| 2 | 22/11के.वी.एच.टी लाईनें | कि.मी. | 1721.18 | 1397.648 | 81.20 |
| 3 | एल.टी. लाईनें | कि.मी. | 5433.25 | 5452.340 | 100.35 |
| 4 | वितरण ट्रांसफारमरज | संख्या | 1917 | 2163 | 112.83 |
| 5 | वी.पी.एल. गृह कनैक्शन | संख्या | 11836 | 13776 | 116.39 |
| 6 | विद्युत रहित गांवों का विद्युतीकरण | संख्या | 76 {(93-(7+10} | 68 | 89.47 |

प्रदेश में 100 प्रतिशत घरों को विद्युत पहुंचाने के उदेश्य से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर. जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत मैसर्ज आर.ई. सी.लि. द्वारा 12 जिलों के लिए ₹341.86 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इसके अंतर्गत अभी तक ₹291.09 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। राज्य में इन योजनाओं के अंतर्गत 12 जिलों में कार्य टर्न की आधार पर दिया जा चुका है और दिसम्बर 2012 तक इस पर ₹290.02 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

जनसंख्या 2001 के आधार पर राज्य में इस समय 17,495 जनसंख्या गांव है जिसमें से 109 गांवों को विद्युत रहित गांव चिन्हित किया गया है। 11 गांव तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए संभव नहीं है और 7 गांवों का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष बचे 91 गांवों में से दिसम्बर 2012 तक 83 गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और 8 विद्युत रहित गांव गांवों का विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है। जिलावार विद्युत रहित/ विद्युतीकृत गांवों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

| क0 स0 | जिला का नाम | विद्युत रहित गांव | गांव जो तकनीकी रूप से विद्युतीकरण के लिए संभव नहीं है/ जिनका विद्युतीकरण किया जा चुका है। | गांव की सख्या जिनका विद्युती–करण होना है। | गांव की सख्या जिनका विद्युतीकरण किया गया है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चम्बा | 16 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | कांगडा | 2 | 2 | .. | .. |
| 3 | किन्नौर | 40 | 6 | 34 | 31 |
| 4 | लाहौल–स्पिति | 29 | 1 | 28 | 23 |
| 5 | मण्डी | 12 | .. | 12 | 12 |
| 6 | शिमला | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 7 | सिरमौर | 1 | .. | 1 | 1 |
| | **कुल** | **109** | **18** | **91** | **83** |

## (ii) पुनर्गठित त्वरित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम

### (आर–ए.पी.डी.आर.पी.)

उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने तकनीकि एवं वाणिज्यिक घाटे को 15 प्रतिशत तक परियोजना क्षेत्रों मे कम करने के लिए पुनर्गठित उर्जा विकास सुधार कार्यक्रम चालू किया है। यह कार्यक्रम 2 भागों में विभाजित है, भाग (अ) और (ब)। भाग (अ) में तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे की जांच करने के लिये विभिन्न परियोजनाएं जैसेः आधारभूत आंकडे स्थापित करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां जैसेः मीटर आंकडे एकत्रण, मीटर अध्ययन बिल बनाना, संग्रहण, जी.आई.एस., एम.आई.एस. उर्जा ऑडिट, नए कनैक्शन, कनैक्शन काटना, ग्राहक देख–रेख सेवाएं, वेब सेल्फ सेवाएं इत्यादि। भाग (ब) में वितरण प्रणाली को सुदृढ बनाने के लिए परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

### भाग–अ

उर्जा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में 14 पात्र नगरों की विस्तृत परियोजना विवरण के आधार पर अगस्त 2010 में ₹96.40 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। आर.ए.पी.डी.आर.पी. भाग (अ) के अन्तर्गत परियोजना के लिए कुल लागत ₹128.46 करोड़ है। शेष राशि का प्रबन्ध स्वयं निधि द्वारा करना है। भारत सरकार ने पॉवर फाइनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस कार्यक्रम के लिये नोडल एजेंसी के रुप में नियुक्त किया है। आर–ए.पी.डी.आर.पी. भाग (अ) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में 14 नगरों नामतः शिमला, सोलन, नाहन, पाँवटा साहिब, बद्दी, बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, ऊना और योल निधिकरण के लिए योग्य पाये गये।

**कार्यक्षेत्रः** आर–ए.पी.डी.आर.पी. भाग (अ) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित कार्यों को सम्मिलित किया गया हैः–

1. डाटा सेंटर (शिमला में), डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर (पाँवटा साहिब में), और 14 नगरों अर्थात शिमला, सोलन, नाहन, पाँवटा साहिब, बद्दी, बिलासपुर, मण्डी, सुन्दरनगर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, ऊना और योल के विभिन्न कार्यालयों में अपेक्षित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं बाह्य उपकरणों को उपलब्ध करवाना।
2. डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर स्तर पर निम्नलिखित सॉफ्टवेयर प्रणालियों का विकास एवं कार्यान्वयनः–
   (क) मीटर आंकडे एकत्रण प्रणाली।
   (ख) ऊर्जा ऑडिट।
   (ग) आइडेंटिटी एवं एसेस मैनेजमेंट प्रणाली।
   (घ) बिज़नैस इंटैलिजेंस एवं डाटा वेयर हाउसिंग युक्त मैनेजमेंट सूचना प्रणाली।
   (ड़) इन्टरप्राइज मैनेजमेंट प्रणाली एवं नेटवर्क मैनेजमेंट प्रणाली जो कि हार्डवेयर का भाग है।

**सलाहकार/कार्यान्वयन शाखा चयनः** मै0 टेलिकम्युनिकेशन कन्सल्टैंट इंडिया लिमिटेड़, नई दिल्ली को सहायता संघ मै0 वयाम टैकनोलोजी इंड़िया लिमिटेड के साथ संयुक्त रुप से आई.टी. सलाहकार के रुप में 31 जुलाई 2009 को कुल लागत ₹39,70,800 में आई.टी. सलाहकार के लिये चयनित किया गया। आई.टी. सलाहकार का उद्देश्य उपयुक्ततः विवरण बनाने, बोली दस्तावेज, बोली प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन पर नजर रखने में एच. पी. एस. ई. बी. लिमिटेड़ की सहायता करना है। मै0 एच. सी. एल. इन्फोसिस्टमस् लिमिटेड, नोएड़ा को आई. टी. कार्यान्वयन शाखा के रुप में 30 अगस्त 2010 को कुल लागत ₹99.14 करोड़ के लिये चयनित किया गया।

**नवीनतम स्थिति एवं समापन सारणीः**

- डाटा सेंटर, शिमला में चालू किया जा चुका है। डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर, पाँवटा साहिब में सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर स्थापना/विन्यास कार्य पूर्ण हो चुका है तथा डिज़ास्टर रिकवरी सेंटर की जनवरी 2013 के अन्त तक चालू होना अपेक्षित है।
- 14 परियोजना क्षेत्रो में रिंग फैंसिंग का कार्य पूर्ण कर लिया है। 14 नगरों के आधारभूत तकनीकी एवं वाणिज्यिक घाटे के आंकड़े, मै0 पॉवर फाइनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा मार्च–जून 2012 में स्थापित किये जा चुके हैं।
- मार्गदर्शी नगर (नाहन) समेत कुल 6 नगरों अर्थात नाहन, बिलासपुर, सुन्दरनगर, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, और योल को डाटा सेंटर के साथ एकीकृत कर लिया गया है और शेष 7 नगरों अर्थात् शिमला, सोलन, पाँवटा साहिब, बद्दी, मण्डी, चम्बा, और ऊना को जनवरी 2013 के अन्त तक डाटा सेंटर के साथ एकीकृत कर लिया जाएगा। एम.डी.ए.एस., ई.ए., आई.ए.एम.एस. और एम.आई.एस. के विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुखण्ड विकसित किये जा चुके हैं और डाटा सेंटर में स्थापित कर दिये गये हैं।

- 12 नगरों में मॉडेम पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और 2 नगरों अर्थात् शिमला और बद्दी में कार्य प्रगति पर है जो कि जनवरी 2013 तक स्थापित कर दिए जाएगें।
- आर.–ए.पी.डी.आर.पी. के अनुरुप जी. आई.एस. प्रणाली का दूसरी प्रणालियों के अनुखण्डों के साथ एकीकरण का कार्य प्रगति पर है जो कि जनवरी 2013 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है।
- एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड़ के कर्मचारियों को प्रशिक्षण का आयोजन दिसम्बर 2012 – मार्च 2013 के दौरान करने का प्रस्ताव है।

भाग–अ आर.–ए.डी.पी.आर.पी. परियोजना वर्ष 2012–13 में पूर्ण हो जाएगी।

**कार्यक्रम से अपेक्षित लाभः**

आर.–ए.पी.डी.आर.पी. भाग (अ) योजना का केन्द्र असलियत में घाटे को निरन्तर कम करके दिखाना है तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निरन्तर सही आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, उर्जा ऑडिट के क्षेत्र में एक विश्वसनीय एवं स्वचालित पद्धति को स्थापित करना है।

**भाग–ब**

ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने आर–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना प्रारम्भ की और जिन नगरों की जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 30,000 (10,000 विशेष वर्ग के राज्यों) से ज्यादा है, उन्हें इस कार्यक्रम के दायरे में रखा गया। विशेष वर्ग के राज्य जैसेकि हिमाचल प्रदेश के लिए भारत सरकार का ऋण (लोन) आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के लिए पूरी परियोजना की कीमत का 90 प्रतिशत होगा और 10 प्रतिशत का प्रबन्ध उपयोग कर्ता द्वारा निजि तौर/ऋण से करना होगा। आर–ए0पी0डी0आर0पी0 के नियमों के अनुसार ए0टी0 व सी के नुक्सानों में कमी के आधार पर भारत सरकार द्वारा भाग–ब के के लिए ऋण के रूप में दिया गया प्रतिवर्ष वितांश, पांच सालों के लिए अनुदान में परिवर्तित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 14 नगरों नामतः बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, कुल्लु, मण्डी, नाहन, पौंटा साहिब, सोलन, शिमला, सुन्दरनगर, ऊना और योल की जनसंख्या 10,000 से ज्यादा होने के कारण यह नगर आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के अधीन रखे गए हैं। इन नगरों के लिए योजना में नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, और 11के0वी0 तथा 22 के0वी0 स्तर के उपकेन्द्रों, ट्रांसफारमरों/ट्रांसफारमर केन्द्रों, 11 के0वी0 और एल0टी0 लाईनों का पुनःसंचालन, लोड का विभाजन, फीडर विभाजन, लोड संतुलन, एच0वी0डी0एस0 (11के0वी0), एरियल बन्चड कन्डक्टरिंग (arial bunched conductoring) विद्युत चुम्वकीय ऊर्जा मीटरों की टैंपरप्रूफ मीटरों के साथ प्रतिस्थापना, कपैस्ट्र बैंक की स्थापना, चलते–फिरते सर्विस केन्द्र और 33 के0वी0 या 66 के0वी0 प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रावधान है। आरन्भ में आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सभी 14 कस्बों के लिए ₹322.18 करोड़ (ऋण ₹289.97 करोड़) मै0 पी0एफ0सी0/ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा स्वीकृत किए गए थे। 66/11 के0वी0 उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता न होने के कारण और सम्बन्धित 66 के0वी0 लाईनों के मार्गाधिकार की

समस्या के चलते बद्दी तथा शिमला कस्बों की योजनाओं को संशोधित किया गया। शिमला और बद्दी कस्बों की संशोधित आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) की डी0पी0आर0 के लिए मै0 पी0एफ0सी0 ने क्रमशः ₹120.34 करोड़ और ₹84.10 करोड़ की राशि दिनांक 08.02.2012 को स्वीकृत कर दी। परिणामस्वरूप, योजना के लिए स्वीकृत प्रारम्भिक राशि ₹322.18 करोड़ (ऋृण की राशि ₹289.97 करोड़) को ₹338.97 करोड़ (ऋृण की राशि ₹305.07 करोड़) पर संशोधित किया गया। प्रतिरूप राशि (योजना की कुल कीमत का 10 प्रतिशत) ₹33.90 करोड़ भी मै0 पी0एफ0सी0 ने जून 2012 के दौरान स्वीकृत कर दी थी। इन 14 नगरों के लिए मै0 पी0एफ0सी0 ने ₹101.684 करोड़ की अपफ्रन्ट राशि जारी कर दी है। नगर वार आर–ए0पी0डी0 आर0पी0 भाग (ब) योजनाओं की स्वीकृत स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

| क0स0 | कस्बे का नाम/ परियोजना क्षेत्र | ऋण संख्या | भारत सरकार ऋण (₹ करोड़) | पी एफ सी ऋण (₹ करोड़) | परियोजना की कुल लागत (₹ करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बद्दी | 4134001 | 75.69 | 8.41 | 84.10 |
| 2 | बिलासपुर | 4134002 | 1.87 | 0.21 | 2.08 |
| 3 | चम्बा | 4134003 | 2.64 | 0.29 | 2.93 |
| 4 | धर्मशाला | 4134004 | 9.28 | 1.03 | 10.31 |
| 5 | हमीरपुर | 4134005 | 5.81 | 0.65 | 6.46 |
| 6 | कुल्लु | 4134006 | 6.66 | 0.74 | 7.40 |
| 7 | मण्डी | 4134007 | 17.32 | 1.92 | 19.24 |
| 8 | नाहन | 4134008 | 5.46 | 0.61 | 6.07 |
| 9 | पॉवटा साहिव | 4134009 | 32.97 | 3.66 | 36.63 |
| 10 | शिमला | 4134010 | 108.30 | 12.04 | 120.34 |
| 11 | सोलन | 4134011 | 20.32 | 2.26 | 22.58 |
| 12 | सुन्दरनगर | 4134012 | 5.90 | 0.65 | 6.55 |
| 13 | ऊना | 4134013 | 6.58 | 0.73 | 7.31 |
| 14 | योल | 4134014 | 6.27 | 0.70 | 6.97 |
| | **कुल** | | **305.07** | **33.90** | **338.97** |

इस योजना में नगरों में उपयोगकर्ता कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का भी प्रावधान रखा गया है, जहॉ ए0टी0 व सी0 घाटा 15 प्रतिशत से नीचे लाया जाएगा। तदा्नुसार मै0 पी0एफ0सी0 द्वारा इन सभी 14 नगरों जो कि आर–ए0पी0डी0आर0पी0 (भाग–ब) के अन्तर्गत आते हैं, के लिए ₹9.76 करोड़ प्रोत्साहन योजना के तहत स्वीकार किए गए हैं।

11 नगरों नाहन, सोलन, हमीरपुर, कुल्लु, सुन्दरनगर, बिलासपुर, धर्मशाला, ऊना, योल, मण्डी और चम्बा के सभी कार्यों तथा 3 कस्बों बद्दी, शिमला और पौंटा साहिब के आंशिक कार्यों की निविदाएं मई से जुलाई, 2012 के दौरान अवार्ड कर दी गई हैं। शिमला, बद्दी और पौंटा साहिब कस्बों में बाकी बचे हुए कार्यों, नये उपकेन्द्रों व लाईनों को छोड़कर जिनके लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जारी है, के लिए निविदाएं आमन्त्रित कर दी गई हैं तथा फरवरी, 2013 तक कार्य अवार्ड करने की सम्भावना है।

नई दिल्ली में 13 जुलाई 2011 को हुए ऊर्जा मन्त्रियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसार आर–ए0पी0डी0आर0पी0 में समावेश के लिए जनसंख्या के आधार पर पात्रता को 30,000 (10,000 विशेष वर्ग के राज्यों के लिए) को घटाकर अब 15,000 (5,000 विशेष वर्ग के राज्यों के लिए) किया गया एवं विशेष वर्ग राज्यों के सभी जिला मुख्यालयों को जनसंख्या को आधार बनाए बिना आर–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में शामिल करना स्वीकृत किया गया। हिमाचल प्रदेश में 17 कस्बे ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) 5000 से अधिक है व 2 जिला मुख्यालय को जो कि ऐसे कस्बों को छोड़कर हैं जिनकी जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है और पहले ही आर–ए0पी0डी0 आर0पी0 में शामिल कर लिए गए हैं। इन कस्बों के लिए योजना बनाई जा रही है और जब भी मै0 पीएफसी/ ऊर्जा मन्त्रालय से दिशा–निर्देश मिलेंगे तो इसे स्वीकृति हेतु उनके पास भेज दिया जाएगा।

**आई. टी. पहल/सुघारः**

**13.6**

**(i) जी.आई.एस./जी.पी. एस आधारित परिसम्पति मानचित्रण, उपभोक्ता इंडैक्सिग एवं एच.पी.एस.ई.बी.एल. की सम्पति के मूल्यांकन सहित एच.पी.एस.ई.बी.एल. के स्थाई परिसंपति लेखा को तैयार करना जी. आई. एस. पैकैज कहा जाता है।**

- एच.पी.एस.ई.बी. लिमिटेड़ में पूरे बोर्ड का जी.आई.एस./जी.पी.एस आधारित उपभोक्ता अनुक्रमण सहित सम्पति मानचित्रण और एच.पी.एस.ई.बी.एल. के सम्पति का मूल्यांकन, करने का निर्णय लिया था, जिसको बिलिंग के कंप्युट्रीकरण, उर्जा लेखांकन, बिजली नेटवर्क प्रबंधन, सी. आर. एम. और सूचना प्रणाली प्रबंधन के आधार के रुप में प्रयुक्त किया जाएगा और बोर्ड के नवीनतम बैंलेंस शीट के साथ उचित मिलान के बाद उत्पादन, संचालन और वितरण तीनों विंगों के लिए इनके वर्तमान मूल्य के आधार पर स्थाई परिसंपति लेखा तैयार किया जाएगा।
- शिमला ऑपरेशन सर्कल की भौगोलिक सीमाओं के अन्दर जी. आई. एस./जी. पी. एस आधारित उपभोक्ता इन्डैक्सिंग सहित सम्पति मानचित्रण और एच. पी. एस. ई. बी. एल. के सम्पति का मूल्यांकन का काम बिलिंग पैकेज़ के साथ एकीकरण को छोड कर पूर्ण कर लिया गया है, जो कि जनवरी,2013 तक कर लिया जाएगा। बाकी शेष 11 ऑपरेशन सर्कल के सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है। 15 जनवरी 2013 तक सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा और सत्यापन के लिए जमा कर दिया जाएगा। समग्र परियोजना का काम मार्च 2013 तक पूर्ण होना अपेक्षित है।

**(ii) कम्पयूटरीकृत बिलिंग और विद्युत अकाउंटिंग पैकेज (आई.टी. पैकेज)**

**नवीनतम स्थितिः**

अनुबंध के भाग–2 के अन्तर्गत शेष 11 वृत, 24 मण्डल और 122 उपमण्डलों में 10 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को रोलओवर परियोजना के तहत लागू किया गया है। इन सभी स्थानों पर में बी.एस.एन.

एल. द्वारा कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई गई है। 13 दिसंबर, 2012 तक 124 उपमण्डलों में कम्प्यूटरीकृत बिलिंग शुरु कर दी गई है, शेष 8 उपमण्डलों में कनेक्टिविटी समस्याओं के कारण कम्प्यूटरीकृत बिलिंग का कार्य शुरु नहीं हो सका है। बी.एस.एन. एल. अधिकारियों को इस समस्या के बारे में सूचित किया गया है और बी. एस. एन. एल. अधिकारियों द्वारा तत्काल समाधान का आश्वासन दिया गया है।

**भविष्य की योजनाः**

शेष 61 उपमण्डलों में, जो आई. टी. पैकेज़ के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं थे, कम्प्यूटरीकृत बिलिंग का कार्य शीघ्र शुरु कर दिया जाएगा। इन उपमण्डलों के लिए हार्डवेयर, पहले से ही ई. आर. पी. पैकेज में शामिल किया गया है, जिसके लिए एल.ओ.ए. जारी किया जा चुका है। इन उपमण्डलों के उपभोक्ता डाटा डिजिटीकरण के लिए एल.ओ. ए. मै0 एस.ए.आर. प्रौद्योगिकी द्वारा स्वीकार किया गया है।

**(iii) उद्यम संसाधन योजना (ई.आर.पी) का राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में कार्यान्वयनः–**

- 21.4.2010 को इस कार्य का अवार्ड मैसर्ज टी.सी.एस. को दिया गया। इस बारे में अनुबन्ध पर 17 जून 2010 को हस्ताक्षर किए गए।
- प्रथम चरण जिसमें मुख्यालय और परिचालन वृत शिमला को रखा गया है इन्हें जनवरी 2013 से क्रियान्वित करने की सम्भावना है जो कि मार्च 2013 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
- दूसरे चरण में पूरे बोर्ड के शेष बचे कार्यालय आते है, को अगस्त 2013 से शुरू करने का प्रावधान है। शेष बचे अनुबंधों /प्रक्रियांओं को भी इसी चरण में पूर्ण कर लिया जाएगा।

**विभाग की भविष्य योजनाएं**

**13.7**

- राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कार्यालयों का कम्पयूटरीकरण।
- राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं को सुनिश्चित व गुणवतापर्ण विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए नए विद्युत उपकेन्द्रों का नई एच.टी. एवं एल.टी. लाईनों सहित निर्माण व संवर्धन।
- औद्योगिक उपभोक्ताओं की स्वचालित मीटर रीडिंग।
- वित वर्ष 2011–12 से वित वर्ष 2013–14 के दौरान 12,97,818 सिंगल फेस और 20,319 थ्री फेस पुराने इलैक्ट्रोमैकेनिक मीटरों को इलैक्ट्रोनिक मीटरों से बदलने का प्रस्ताव।
- संचार व वितरण हानियों को कम कर 13 प्रतिशत करना।
- पहले व दूसरे चरण में 1,40,477 नम्बर गले सड़े विद्युत खम्बों को बदलने का प्रस्ताव।
- कम लागत सेवाओं से सुधरी कार्यक्षमता में सुधार।

## हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेडः

**13.8** हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि हि0 प्र0 सरकार का एक सरकारी उपक्रम है, का गठन 27 अगस्त, 2008 को प्रदेश के संचार प्रणाली को मजबुत करने तथा भविश्य में बनने वाली जल विद्युत परियोजनाओं को विद्युत संचार की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया।

कॉरपोरेशन को सौंपे गए कार्यों में मुख्यतः प्रदेश में बनने वाली सभी नई 66 के0वी0 की क्षमता से उपर की लाईनों व विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण करने के साथ–2 विद्युत वोल्टेज में सुधार, वर्तमान संचार ढांचे में सम्बर्धन व मजबुती प्रदान करने तथा विद्युत उत्पादन केन्द्रों व संचार लाईनों का निर्माण करते हुए प्रदेश के मास्टर संचार पलान को लागू करना सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त निगम को एक स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है जिसके अन्तर्गत संचार से जुड़े सभी मुद्दों पर सैन्ट्रल ट्रांसमिशन यूटीलिटी, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, केन्द्रीय व राज्य के उर्जा मंत्रालयों तथा हि0 प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से समन्वय रखने के अतिरिक्त निजी, केन्द्र व राज्य क्षेत्र के विद्युत उत्पादक इकाईयों के लिए संचार से जुड़ी योजना बनाना भी सम्मिलित है।

संचार प्रणाली की योजना बनाते समय विश्वसनियता, सुरक्षा, पर्यावरण हितैशी तथा आर्थिकी के साथ–साथ प्रदेश की जनता की स्वच्छ, सुरक्षित व स्वस्थ्यवर्धक पर्यावरण की उम्मीदों को भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान में रखा जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा हि0 प्र0 उर्जा संचार निगम को 350 मिलियन डॉलर का ऋण एशियन विकास बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। जिसमें से प्रथम चरण के कार्य के लिए 113 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता हस्ताक्षरित हो चुका है तथा ऋण जनवरी, 2012 से प्रभावी हो गया है जिसके अनतर्गत निम्न 4 परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।

- किनौर जिले में 400/220/66 के0वी0 2X315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, वांगतू का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य सम्भवतः वर्ष 2013 के दौरान शुरू कर दिया जाएगा।
- किनौर जिले में 220/66/22 के0वी0 के विद्युत उप–केन्द्र, भोक्टू का कार्य शुरू हो गया है तथा इसे अक्तूबर, 2013 तक तैयार कर दिया जाएगा।
- 400/220/66 के0वी0 2X315 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, प्रगतिनगर, (कोटखाई) जिला शिमला का कार्य इस वर्ष शुरू कर दिया जाएगा। यह कार्य सम्भवतः वर्ष 2013 के दौरान शुरू कर दिया जाएगा।
- हाटकोटी से प्रगतिनगर जिला शिमला में 220 के0वी0 क्षमता की संचार लाईन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

हि0 प्र0 प्रदेश संचार निगम द्वारा नई आने वाली पन बिजली परियोजना से विद्युत दोहन को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्य आर0ई0सी0 की ऋण योजना में किये जा रहे हैं :–

- जिला कुल्लू में 33/220 के0वी0 तथा 2X31.5 एम0वी0ए0 के क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, फोजल जिला कुल्लू का निमार्ण कार्य वर्ष 2013 में पूरा कर दिया जाएगा।
- जिला चम्बा में 33/220 के0वी0 तथा 63 एम0वी0ए0 क्षमता के विद्युत उप–केन्द्र, करियां जिला चम्बा का कार्य प्रगति पर है तथा यह कार्य वर्ष 2013 में पूरा कर दिया जायेगा।

ए0डी0बी0 ऋण के ट्रांच–।। में 110 मिलियन डालर अनुमोदित हुए हैं और वर्ष 2013 में ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया जायेगा। इस ट्रांच में जिला किनौर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा और मण्डी में 66 के0वी0 और इससे अधिक के उप–केन्द्रो और लाईनों के निर्माण के लिए निधि सम्मिलित है।

राज्य/केंद्रीय/संयुक्त/निजी क्षेत्र एवं हिमउर्जा के द्वारा विद्युत दोहन की संभाव्य क्षमता का विवरण निम्न है:–

**i) राज्य क्षेत्रः**

| क्रं. सं. | परियोजना का नाम | नदी तट | क्षमता (मैगावाट) |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | आन्ध्रा | यमुना | 16.95 |
| 2 | गिरी | यमुना | 60.00 |
| 3 | गुम्मा | यमुना | 3.00 |
| 4 | रूक्ती | सतलुज | 1.50 |
| 5 | चावा | सतलुज | 1.75 |
| 6 | रौंगटोंग | सतलुज | 2.00 |
| 7 | नोगली | सतलुज | 2.50 |
| 8 | भावा | सतलुज | 120.00 |
| 9 | घानवी | सतलुज | 22.50 |
| 10 | विनवा | ब्यास | 6.00 |
| 11 | गज | ब्यास | 10.50 |
| 12 | वनेर | ब्यास | 12.00 |
| 13 | बस्सी(उहल–11) | ब्यास | 60.00 |
| 14 | लारजी | ब्यास | 126.00 |
| 15 | खौली | ब्यास | 12.00 |
| 16 | साल–।। | रावी | 2.00 |
| 17 | होली | रावी | 3.00 |
| 18 | भूरी सिंह पावर हाउस | रावी | 0.45 |
| 19 | किलाड | चिनाव | 0.30 |
| 20 | थिरोट | चिनाव | 4.50 |
| 21 | भाबा ओगमैंटेशन | सतलुज | 4.50 |
| 22 | हिमउर्जा (राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत) | – | 1.95 |
| | **उप–योग–(i)** | | **473.40** |

**ii) केंद्रीय/ संयुक्त क्षेत्रः**

| क.सं. | परियोजना | नदी तट | क्षमता (मैगावाट) |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | यमुना परियोजनाएं (हि.प्र.का भाग) | यमुना | 132 |
| 2 | भाखड़ा | सतलुज | 1478 |
| 3 | नाथपा झाखड़ी | सतलुज | 1500 |
| 4 | वैरा स्यूल | रावी | 198 |
| 5 | चमेरा–। | रावी | 540 |
| 6 | चमेरा–।। | रावी | 300 |
| 7 | उहल–। (शानन) | व्यास | 110 |
| 8 | पौंग डैम | व्यास | 396 |
| 9 | वी.एस.एल. | व्यास | 990 |
| 10 | चमेरा–।।। | रावी | 231 |
| | **उप–योग–(ii)** | | **5875** |

## iii) निजी क्षेत्र :

### क. 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाएंः

| क्रम संख्या | परियोजना का नाम | नदी तट | संस्थापित क्षमता (मैगावाट) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बास्पा–।। | सतलुज | 300 |
| 2. | मलाना–। | ब्यास | 86 |
| 3. | पतिकरी | ब्यास | 16 |
| 4. | टॉस | ब्यास | 10 |
| 5. | सरबरी–।। | ब्यास | 5.4 |
| 6. | एलायन दुहांगन | ब्यास | 192 |
| 7. | करछम वांगटू | सतलुज | 1000 |
| 8. | अप्पर ज्वाईनर | रावी | 12 |
| 9. | सुमेज | सतलुज | 14 |
| 10 | व्यास कुंड | ब्यास | 9 |
| 11. | मलाना–।। | ब्यास | 100 |
| 12 | बुधील | रावी | 70 |
| | **उपयोग– (क)** | | **1814.4** |

### ख. 5 मैगावाट तक की परियोजनाएंः

| क.सं. | परियोजना का नाम | क्षमता (मैगावाट) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | सुक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5 मैगावाट तक की हिमउर्जा द्वारा प्रचलन में | 205 |
| | **उपयोग– (ख)** | **205** |
| | **योग–iii (क + ख) (1814.4+205)** | **2,019.4** |

**कुल प्रचलनाधीन परियोजनाएं**
**दिसम्बर,2012 तकः(i)+(ii)+(iii) = 473.4+5875+2019.4 = 8,368 मैगावाट**

## अ निजी क्षेत्र में निष्पादित परियोजनाएंः

### 1. वासपा जल विद्युत परियोजना–।। (300 मैगावाट)

वासपा–।। जल विद्युत परियोजना का निष्पादन करने के लिए मै0 जै प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेंड के साथ हिमाचल सरकार ने एम.ओ.यू. एवम् कार्यान्वयन समझौता नई दिल्ली में 23.11.1991 तथा 1.10.1992 को किया गया है। एक दो एवं तीन इकाई में क्रमशः 24.5.2003, 29.5.2003 तथा 8.6.2003 को विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

## 2 मलाना जल विद्युत परियोजना (86 मैगावाट)

इस परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदेश सरकार तथा मै0 राजस्थान स्पिनिगं तथा विविगं मिल्ज के साथ नई दिल्ली में 28.8.1993 को एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कार्यान्वयन समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार तथा राजस्थान स्पिनिगं तथा विविगं मिल्ज के बीच 13.3.1997 को हुआ बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार, मै0 राजस्थान स्पिनिगं तथा मै0मलाणा कम्पनी लि0 के बीच 3.3.1999 को समझौता हस्ताक्षर हुए। कम्पनी ने 27.9.1998 को परियोजना का कार्य शुरू कर दिया। वित्तीय राशि के रूप में केन्द्रीय विद्युत निंयामक ने ₹332.71 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। परियोजना में 5.7.2001 से विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है।

## 3. पतिकारी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (16 मैगावाट)

इस परियोजना का कार्यान्वयन समझौता 9.11.2001 को मै0 ईस्ट ईन्डिया पैट्रोलियम लि0 के साथ हस्ताक्षरित हुआ। इस परियोजना का कार्यान्वयन पतिकारी पावर प्रा0लि0 के द्धारा किया जाना है। तकनीकी आर्थिक अनुमति हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिष्द् द्धारा 27.9.2001 को प्रदान कर दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹126 करोड़ है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के साथ 14.1.2003 को पी.पी.ए. हस्ताक्षरित किया गया। परियोजना जनवरी, 2008 को चालू हो गई है।

## 4 एलियन दुंहागन हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (192 मैगावाट)

इस परियोजना के निर्माण की अनुमानित राशि ₹922.36 करोड़ है। सरकार ने मैसर्ज राजस्थान स्पिनिंग एवं विविंग मिल्ज के साथ 28अगस्त,1993 को एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता 22.2.2001 को हस्ताक्षरित किया। सरकार ने 5.11.2005 को मैर्सज राजस्थान स्पिनिंग एंव विविगं मिल्ज लि0, मै0 एम.पी.सी.एल. तथ जनरैटिंग कम्पनी, मै0 ए.वी. हाइड्रो पावर लि0 के साथ समझौता किया। परियोजना अगस्त, 2010 को चालू हो गई है।

## 5 सरवरी हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (5.4 मैगावाट)

सरकार ने मै0 हाइड्रोवाट लिमिटिड के साथ **15.03.2001** को एम.ओ. यू. पर हस्ताक्षर किए तथा कम्पनी के साथ कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता **28.2.2009** को हस्ताक्षरित किया। परियोजना अगस्त,2010 को चालू हो गई है।

## 6. टौस हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (10 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हिमाचल सरकार ने मै0 साई इंजीनियरिंग फांउडैशन, नया शिमला के साथ एम. ओ. यू. एवं कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना 2009–10 के दौरान चालू हो गई है।

## 7. करछम वांगटू हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (1000 मैगावाट)

यह परियोजना मैं0 करछम हाईड्रो कारापोरेशन लि0, नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹6,930 करोड़ हैं। परियोजना का वार्षिक उत्पादन 4,560 एम.यू. है। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार एवं जै प्रकाश इंडस्ट्रीज लि0 नई दिल्ली के साथ क्रमशः 28.8.1993 एवं 18.11.1999 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना 18.11.2005 को शुरू की गई

एवं अगस्त, 2011 को पूर्ण हो गई है तथा परियोजना अगस्त,2011 में चालू हो गई है।

### 8. अप्पर ज्वाइनर हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (12 मैगावाट)

यह परियोजना मै0 तेजस सारनिका हाईड्रो एनर्जीज़ प्रा0 लि0 को दी गई है।एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता हिमाचल प्रदेश सरकार एवं मै0 तेजज सारनिकन हाइड्रो एनर्जीस प्रा0 के साथ क्रमशः 12.01.2005 एंव 11.07.2008 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना जुलाई, 2011 को चालू हो गई है।

### 9 सुमेज (14 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 रंगाराजु वेयर हाउसिंग प्रा0 लि0, के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 12.01.2005 व 11.12.2008 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना मार्च, 2012 को चालू हो गई है।

### 10 ब्यासकुण्ड (9 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कपिल मोहन एवं एसोसिएट्स हाईड्रो पॉवर प्रा0 लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 23.03.2001 व 1.10.2009 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना जून, 2012 को चालू हो गई है।

### 11 मलाना–।। हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (100 मैगावाट)

मलाना –।। जल विद्युत परियोजना कुल्लू जिला में व्यास नदी पर बनाई जानी है जिसे मै0 एवरेस्ट पावर प्रा0 लि0 नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹633.47 करोड़ है। इस परियोजना से अनुमानित 428 मैगा युनिट वार्षिक उर्जा उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने मै0 एवरेस्ट पावर प्राइवेट लि0 के साथ 27.5.2002 को, तथा 14.1.2003 को एम ओ यू तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी समझौता हस्ताक्षरित किया। यह परियोजना जुलाई, 2012 को चालू हो गई है।

### 12 बुधील हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (70 मैगावाट)

एम.ओ.यू. एवं कार्यान्वयन समझौते पर मै0 लैंको पावर प्राईवेट लि0 और सरकार के साथ 23.9.2004 एवं 22.11.2005 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना मै0 लैंको ग्रीन पावर प्राईवेट लि0 को दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹418.80 करोड़ होगी। यह परियोजना अगस्त, 2012 को चालू हो गई है।

## ब. परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन हैं:

### i) राज्य क्षेत्रः

| क.सं. | परियोजना का नाम | नदी तट | क्षमता (मैगावाट) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बस्सी आगुमैन्टैशन | ब्यास | 4.5 |
| 2 | गानवी–।। | सतलुज | 10 |
| 3 | उहल–।।। | ब्यास | 100 |
| 4 | कशांग–। | सतलुज | 65 |
| 5 | कशांग–।।–।।। | सतलुज | 130 |
| 6 | सावड़ा कुडू | यमुना | 111 |
| 7 | सैंज | ब्यास | 100 |
| | **कुल** | | **520.5** |

## ii) केन्द्रीय / संयुक्त क्षेत्रः

| क.सं. | परियोजना का नाम | नदी तट | क्षमता (मैगावाट) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | पार्वती–।। | ब्यास | 800 |
| 2 | पार्वती–।।। | ब्यास | 520 |
| 3 | कोलडैम | सतलुज | 800 |
| 4 | रामपुर | सतलुज | 412 |
| | **कुल** | | **2,532** |

## iii) निजी क्षेत्रः

### क) 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाएंः

| क.सं. | परियोजना का नाम | नदी तट | क्षमता (मै0वा0) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | नियोगल | ब्यास | 15 |
| 2 | फोजल | ब्यास | 9 |
| 3 | तांगनू रोमोई–। | यमुना | 44 |
| 4 | तांगनू रोमोई–।। | यमुना | 6 |
| 5 | लम्बाडूग | ब्यास | 25 |
| 6 | बड़ागांव | ब्यास | 24 |
| 7 | बनैर–।। | ब्यास | 6 |
| 8 | रौड़ा | सतलुज | 8 |
| 9 | सोरंग | सतलुज | 150 |
| 10 | तिदोंग–। | सतलुज | 100 |
| 11 | चांजु–। | रावी | 36 |
| 12 | कूट | सतलुज | 24 |
| 13 | लोअर उहल | ब्यास | 13 |
| 14 | कूर्मी | सतलुज | 8 |
| 15 | राला | सतलुज | 9 |
| 16 | अप्पर नांटी | सतलुज | 12 |
| 17 | जोगिनी | सतलुज | 16 |
| 18 | नांटी | सतलुज | 14 |
| 19 | पौड़ी ताल लासा | यमुना | 24 |
| 20 | रौड़ा–।। | सतलुज | 20 |
| 21 | ब्रुआ | सतलुज | 9 |
| 22 | ज्यूरी | सतलुज | 9.6 |
| | **कुल (क)** | | **581.6** |

**ख) 5 मैगावाट तक की परियोजनाएं:**

| क.सं. | परियोजना का नाम | क्षमता (मै0वा0) |
|---|---|---|
| 1. | सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं 5 मैगावाट तक की हिमऊर्जा द्वारा प्रचलन में | 171 |
| | **कुल (ख)** | **171** |
| | **कुल (III) (क+ख) 581.6+171** | **752.6** |

**कुल परियोजनाएं जो निष्पादनाधीन हैं**

**i+ii+iii = 520.5+2,532+752.6 = 3,805 मैगावाट**

**निर्माणाधीन परियोजनाएं:**

**(i) हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद लिमिटिड के अधीन:**

| क0 स0 | परियोजना का नाम | स्थापित क्षमता (मै0वा0) | सम्भावित उत्पादन ( मि0 यू0 ) | चालू होने की सम्भावित तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उहल चरण–।।। | 100.00 | 391.19 | मार्च, 2014 |
| 2 | घानवी चरण–।। | 10.00 | 56.30 | फरवरी, 2013 |
| | **कुल** | **110.00** | **447.49** | |

**1. उहल चरण –।।। हाईड्रो विद्युत परियोजना (100मै0वा0)**

नेरी और राणा खड्ड के अन्तर्ग्रहण (Intake) के निर्माण कार्य दिसम्बर, 2011 तथा सर्ज साफ्ट के निर्माण कार्य जनवरी, 2012 में पूरे कर लिये हैं। मुख्य सुरंग के अतिरिक्त परियोजना के दूसरे अन्य निर्माण कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण कर लेने का अनुमान है। परियोजना के कार्य बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले है जो कि अपर्याप्त संचार व्यवस्था, कमजोर भू–संरचना, प्रवेश द्वार से मुख्य सुरंग का निर्माण रेतीले पत्थरों, मिट्टी युक्त पत्थरों व कंकरीले पत्थरों के साथ भारी मात्रा में पानी के प्रवाह से मिश्रित हैं। ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी गति व ठीक ढ़ंग से कार्य न करने के कारण मुख्य सुंरग की सविंदा को दो बार निरस्त करना पड़ा, तदोपरान्त मुख्य सुंरग का शेष कार्य ठेकेदार को सौंप दिया है। मुख्य सुंरग की खुदाई का कार्य फरवरी, 2013 में समाप्त करने का अनुमान है तथा इसका सम्पूर्ण कार्य दिसम्बर, 2013 में समाप्त हो जाएगा। परियोजना की मार्च, 2008 मे मुल्यों पर आधारित कुल लागत ₹940.84 करोड़ है। चुलाह से बस्सी 132 के.वी. एक तरफा परिक्रमा (15.288 किलोमीटर) और चुलाह से हमीरपुर दो तरफा परिक्रमा (34.307 किलोमीटर) ट्रांसमिशन लाईन का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

**2. घानवी चरण –2 (10 मै0वा0)**

घानवी द्वितीय चरण परियोजना घानवी नाला पर जो की सतलुज नदी की सहायक उपनदी है पर जल प्रवाह आधारित है। इस परियोजना में घानवी नाला के पानी को बदलने के लिए ड्राप टाइप ट्रैचं वीयर प्रस्तावित है। बदला गया पानी 1.8 मीटर ब्यास की डी

आकार 1440 मीटर लम्बी सुरगं तथा एक पैन स्टाक 165 मी0 उंचा 7 क्युविक मीटर डिजाईन से छोड़कर, दो टरवाईनों को 10 मै0वा0 विद्युत उत्पादन करने के लिए भूमिगत् विद्युत गृह लाया जाएगा। वार्षिक विद्युत उत्पादन 75 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में 56.30 मि0 यू0 आंका गया है। सभी घटकों जैसे कि सिविल, मकैनिकल तथा इलैक्ट्रिकल कार्य पूरे जोरों पर है। सिविल कार्य पर नवम्बर, 2012 तक चुलाह से बस्सी ₹7941.89 लाख खर्च हो चुके हैं। इस परियोजना को फरवरी, 2013 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

**(ii) हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के अधीनः**

| क्र0स0 | परियोजना का नाम | क्षमता (मैगावाट) |
|---|---|---|
| **क) निष्पादनाधीन परियोजनाएं** | | |
| | **राज्य क्षेत्र** | |
| 1. | साबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना | 111 |
| 2. | एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण–।) | 65 |
| 3. | एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण–।। और ।।।) | 130 |
| 4. | सैंज जल विद्युत परियोजना | 100 |
| 5. | शौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना | 450 |
| | **उप–जोड़(क)** | **856** |
| **ख) अन्वेक्षित परियोजनाएं** | | |
| 1. | रेणुका डेम जल विद्युत परियोजना | 40 |
| 2. | चिढ़गांव मझगांव जल विद्युत परियोजना | 60 |
| 3. | एकीकृत कशाँग जल विद्युत परियोजना (चरण–IV) | 48 |
| 4. | जिस्पा जल विद्युत परियोजना | 300 |
| 5. | सुरगानी सुन्डला जल विद्युत परियोजना | 48 |
| 6. | नकथान जल विद्युत परियोजना | 520 |
| 7. | थाना पलोन जल विद्युत परियोजना | 141 |
| 8 | त्रिवैणी महादेव जल विद्युत परियोजना | 78 |
| | **उप–जोड़(ख)** | **1235** |
| **ग) प्रारम्भिक सम्भाव्य चरण परियोजनाएं** | | |
| 1. | छोटी सायचू जल विद्युत परियोजना | 26 |
| 2. | सायचू साच खास जल विद्युत परियोजना | 104 |
| 3. | लुजाई जल विद्युत परियोजना | 45 |
| 4. | सायचू जल विद्युत परियोजना | 43 |
| 5. | देवथल चान्जू जल विद्युत परियोजना | 38 |
| 6. | चान्जू जल विद्युत परियोजना | 42 |
| 7. | खाब जल विद्युत परियोजना | 636 |
| | **उप–जोड़(ग)** | **934** |
| | **कुल जोड़ (क+ख+ग)** | **3025** |

**हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 के द्वारा निर्माणाधीन/निष्पादनाधीन परियोजनाएं:**

**1. साबड़ा कुडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट)**

साबड़ा कुडडू जल विद्युत परियोजना (111 मैगावाट) शिमला जिला में पब्बर नदी के ऊपर जो कि तौंस नदी के दांहिने किनारे की उपनदी है तथा यमुना नदी की एक मुख्य सहायक नदी है पर विकसित की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत हाटकोटी के समीप एक डायवरजन बैराज, इनटेक, सरफेस डिसिलटिंग टैंक, 12.30 कि0मी0 लम्बी हैड रेस टनल (एच0आर0टी0) भूमिगत सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट एवं भूमिगत विद्युतगृह नदी के बाएं किनारे पर बनाया जा रहा है। यह परियोजना 213.50 मी0 कुल उंचाई से प्रति वर्ष 385.78 लाख यूनिट ₹4.44 प्रति यूनिट की दर से 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में उर्जा उत्पन्न करेगी। यह परियोजना दिसम्बर,2014 में पूर्ण हो जाएगी। सभी संवैधानिक कार्य विशेष एजैंसी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके कार्य को चार पैकेज में बांटा गया है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना के एच0आर0टी0 में भूगर्भीय परेशानियां उत्पन्न हो गई है जिसका तकनीकी समाधान मिल गया है और यह परियोजना वर्ष 2014 में पूर्ण हो जाएगी।

**2. एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना (243 मैगावाट)**

एकीकृत कशांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किनौर जिले के कशांग और कैरांग नालों (जो कि सतलुज नदी की उपनदियां) पर निम्न चार अवस्थाओं में बनाई जा रही है:–

- **चरण–I (65 मैगावाट):** प्रथम चरण में कशांग नाले का पानी मोड़कर कुल 830 मी0 ऊंचाई का उपयोग करके सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 245.80 लाख यूनिटस ₹2.85 प्रति यूनिट दर पर उत्पादन किया जाएगा। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इस परियोजना के पूर्ण होने का समय जनवरी 2014 तय किया है, जबकि यह परियोजना अक्तूबर,2013 को चालू कर दी जाएगी।
- **चरण–II एवम् III (130 मैगावाट):** प्रथम चरण की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केरांग धारा का पथांतरण कर भूमिगत जल परिचालक तंत्र द्वारा प्रथम चरण की उपरी धारा में सम्मिलित कर प्रथम चरण की उपलब्ध 820 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 790.93 लाख यूनिटस ₹1.81 प्रति यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना चालू होने की तिथि फरवरी,2017 रखी गई है।
- **चरण–IV (48 मैगावाट):** यह एक आत्मनिर्भर योजना है जिसमें केरांग धारा की संभावित उर्जा को द्वितीय चरण के पथांतरण जगह की उपरी धारा से प्राप्त किया जाएगा। इस योजना में लगभग 300 मी0 उंचाई का उपयोग कर केरांग धारा के दाहिने किनारे भूमिगत विद्युतगृह बनाकर ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा।

**3. सैंज जल विद्युत परियोजना (100 मैगावाट)**

सैंज जल विद्युत परियोजना का विकास कुल्लू जिला में सैंज नदी पर किया जा रहा है, जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी है। इस परियोजना में बांध के पानी को मोड़कर जो सैंज नदी पर निहारनी गांव के समीप है का कुल 409.60 मी0 उंचाई का उपयोग करके सैंज नदी के दाहिने किनारे पर सूंढ गांव के नजदीक भूमिगत विद्युतगृह में प्रति वर्ष 322.23 लाख यूनिटस ₹3.74

प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना ई.पी.सी. विधि द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।इस परियोजना के पूर्ण होने का समय दिसम्बर,2015 रखा गया है, जबकि एच0पी0पी0सी0एल0 के द्वारा इस परियोजना के पूर्ण होने की अवधि फरवरी,2015 की गई है।

**4. शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना (450 मैगावाट)**

शौंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर जिला किन्नौर में पोवारी गांव के पास स्थित है और सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर रली गांव के समीप भूमिगत विद्युतगृह में कुल 148 मी0 उंचाई का उपयोग करके प्रति वर्ष 1578.95 लाख यूनिटस ₹3.98 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सभी संवैधानिक मंजूरियां प्राप्त की जा चुकी है । यह परियोजना ई.पी.सी विधि द्वारा निर्मित की जा रही हैं तथा परियोजना का कार्य दो पैकेजो में किया जा रहा है, 1. सिविल एवं हाईड्रो मकैनिकल पैकेज, 2. ई0 एण्ड एम0 पैकेज। सिविल एवं हाईड्रो मकैनिकल पैकेज को अगस्त 2012 में आंबटित किया जा चुका है जबकि ई0 एण्ड एम0 पैकेज को मार्च 2013 में आंबटित कर दिया जाएगा। यह परियोजना अगस्त, 2017 में पूर्ण हो जाएगी।

**5. रेणुका डैम जल विद्युत परियोजना (40मैगावाट):**

रेणुका डेम जल विद्युत परियोजना जो ददाहू जिला सिरमौर में गिरी नदी पर शुरू की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए 148 मीटर उंची चटटान से पानी गिराकर और 148 मीटर उंचे बांध के छोर पर विद्युत गृह बनाया जाएगा। इसके जलाशय में 49,800 हैक्टर पानी का संग्रह सुनिश्चित किया जाएगा तथा जिसमें से 23 क्युविक मीटर पानी दिल्ली को स्थिर आपूर्ति के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश प्रति वर्ष 199.99 लाख यूनिटस ₹2.38 प्रति यूनिट की दर से बिजली का उत्पादन अपने उपयोग के लिए करेगा। मार्च,2009 के भावों के स्तर पर इस परियोजना के निर्माण की लागत सी0 डब्लू0 सी/सी0ई0ए0 द्वारा ₹3,498.86 करोड़ निर्धारित की है, इस परियोजना को भारत सरकार ने ''**राष्ट्रीय महत्व**'' की परियोजना घोषित किया गया है। अतः इन परियोजनाओं के जल घटक का 90 प्रतिशत व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभ–पक्ष लाभार्थी द्वारा भुगतान किया जाएगा।

**ब. अन्य ऊर्जा विकास क्षेत्र :–**

भारत तथा प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा की मांगो को पूरा करने के लिये हि0 प्र0 पा0 का0 लि0 जल ऊर्जा विकास के अलावा अन्य ऊर्जा क्षेत्रों जैसे उष्मीय, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत, सौर तथा वायु ऊर्जा में कार्य करना चाहता है। रानीगंज, पश्चिम बंगाल में 500 मै0 वा0 का संयुक्त उपक्रम द्वारा उष्मीय ऊर्जा संयत्र स्थापित किया जा रहा है।

सौर ऊर्जा के दोहन के लिए बिलासपुर जिला के नयनादेवी जी क्षेत्र के नजदीक में बैरा–डोल (5मैगावाट) जगह का चयन किया गया है । सौर परियोजना के लिए वन शुद्रि प्राप्ति की प्रक्रिया चालू है । आई0पी0एच0, पी0डब्लू0डी0 और एच0पी0एस0ई0बी0एल0 से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिये जा रहे हैं । हि०प्र०पा० का०लि० ए.आई.पी.पी के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम द्वारा पवन ऊर्जा के दोहन के लिए योजना बना रहा है ।

### iii) निजी क्षेत्र के अधीनः

### 5 मैगावाट से उपर की परियोजनाएंः

| क.सं. | परियोजना का नाम | नदी तट | क्षमता (मै0वा0) |
|---|---|---|---|
| 1 | नियोगल | ब्यास | 15 |
| 2 | फोजल | ब्यास | 9 |
| 3 | तांगनू रोमोई–। | यमुना | 44 |
| 4 | तांगनू रोमोई–।। | यमुना | 6 |
| 5 | लम्बाडूग | ब्यास | 25 |
| 6 | बड़ागांव | ब्यास | 24 |
| 7 | बनैर–।। | ब्यास | 6 |
| 8 | रौड़ा | सतलुज | 8 |
| 9 | सोरंग | सतलुज | 150 |
| 10 | तिदोंग–। | सतलुज | 100 |
| 11 | चांजु–। | रावी | 36 |
| 12 | कूट | सतलुज | 24 |
| 13 | लोअर उहल | ब्यास | 13 |
| 14 | कूर्मी | सतलुज | 8 |
| 15 | राला | सतलुज | 9 |
| 16 | अप्पर नांटी | सतलुज | 12 |
| 17 | जोगिनी | सतलुज | 16 |
| 18 | नांटी | सतलुज | 14 |
| 19 | पौड़ी ताल लासा | यमुना | 24 |
| 20 | रौड़ा–।। | सतलुज | 20 |
| 21 | ब्रुआ | सतलुज | 9 |
| 22 | ज्यूरी | सतलुज | 9.6 |
| | **कुल** | | **581.6** |

### 1. नियोगल हाईड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (15 मैगावाट)

नियोगल जल विद्युत परियोजना कांगड़ा जिला के नियोगल जो की ब्यास नदी की सहयोगी नदी है बनाया जाना है। यह परियोजना मै0 ओम पावर कार्पोरशन लि0 नई दिल्ली को दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹61.74 करोड़ होगी। इस परियोजना से वार्षिक उत्पादन 82 मैगा यूनिट होना है। इस परियोजना के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का मै0 ओम पावर कार्पोरेशन लि0 नई दिल्ली के साथ एम.ओ. यू. 28.8.93 को हस्ताक्षरित हुआ है। कम्पनी के साथ 4.7.1998 को जो कार्यान्वयन समझौता हुआ था, कम्पनी के द्वारा समय पर परियोजना का कार्य शुरू न करने पर एंव वित्तीय औपचारिकतांए पूर्ण न कर पाने की वजह से 27.11.2004 को रदद् कर दिया है जिस का फैसला केबिनेट ने 31.5.2004 को लिया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चौथा अनुपूरक कार्यान्वयन समझौता 27.10..2006 को कम्पनी के साथ किया। उर्जा खरीदने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मै0 पतिकारी पावर प्रा0 लि0 ने पी.पी.ए. हस्ताक्षरित किया। अब निर्माण कार्य प्रगति

पर है। परियोजना 2012–13 में बन कर चालू हो जाएगी।

**2. फोजल हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (9 मैगावाट)**

यह परियोजना मै0 फोजल पॉवर प्रा0 लि0, नई दिल्ली को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹49.17 करोड़ है। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 21.6.2000 एंव 13.04.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। यह परियोजना वर्ष 2013–14 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

**3. तागंनू रोवांई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट स्टेज–। (44 मैगावाट)**

तांगनू रोवाई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट शिमला जिला के तांगनू रोमाई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। यह परियोजना मै0 तांगनू रोवांई पावर जनरेशन प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित राशि ₹239.73 करोड़ है। इस परियोजना से विद्युत का वार्षिक उत्पादन 211.05 मैगा युनिट होगा। एम.ओ.यू. मै0 पी.सी.पी. इन्वेस्टमैंट लि0 और सरकार के बीच 5.7.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। सरकार, मै0 तांगनू रोवाई पावर जनरेशन लि0 के साथ क्रियाान्वयन समझौता नई हाइड्रो उर्जा नीति के अन्तर्गत 28.7.2006 को कर लिया है। यह परियोजना 44 मैगावाट उत्पादन के लिए 2014–15 में चालू हो जाएगी।

**4. तागंनू रोवांई स्टेज –।। हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट (6 मैगावाट)**

तांगनू रोवाई हाईड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट शिमला जिला के तांगनू रोवाई जो यमुना की सहायक नदी है पर स्थित है। सरकार तथा कम्पनी के बीच एम.ओ.यू. एवं क्रियाान्वयन समझौता क्रमशः 5.7.2002 एवं 28.7.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। परियोजना के मुख्य घटकों पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। यह परियोजना 6 मैगावाट उत्पादन के लिए 2013–14 में चालू हो जाएगी।

**5. लम्बाडुग हाइड्रोइलैक्ट्रिक परियोजना (25 मैगावाट)**

यह परियोजना मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्रोजैक्ट प्राईवेट लि0 को दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹149.81 करोड़ है। एम.ओ.यू. मै0 हिमाचल कन्सोरिटीयम पावर प्राईवेट लि0 के साथ सरकार द्वारा 14.6.2002 को हस्ताक्षरित हुआ। कार्यान्वयन समझौता 28.1.2006 को हस्ताक्षरित किया गया। कम्पनी भू–अर्जन संबंधी विभिन्न प्रकार की निकासी की प्रकिया में है। इस परियोजना का कार्य 2014–15 में पूर्ण होने की संभावना है।

**6. बड़ागांव हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (24 मैगावाट)**

यह परियोजना मैं0 कन्चनजंगा पावर प्रा0लि0, एफ–34 सैक्टर नोयडा यू0पी0 को दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹168.09 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 6.6.2002 एंव 25.11.2006 को हस्ताक्षरित हुआ। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 12.1.2009 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना वर्ष 2014–15 तक बन कर तैयार हो जाएगी।

**7. बनेर–।। हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (6 मैगावाट)**

यह परियोजना मै0 प्रोडिजी हाइड्रो पावर प्राईवेट लिमिटिड को दी गई है। इस परियोजना की लागत ₹30.36 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 29.5.2000 तथा 1.10.2001 को हस्ताक्षर किए गए। अनुपूरक कार्यान्वयन समझौते पर 9.8.2007 को हस्ताक्षर किए गए। यह परियोजना वर्ष 2013–14 में चालू हो जाएगी।

**8. रौड़ा हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (8 मैगावाट)**

यह परियोजना मै0 डी.एल.आई. पावर (इंडिया) प्रा0 लि0 पुणे को दी गई है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹42.03 करोड़ हैं। मै0 डी.एल.आई. पावर (इंडिया) प्रा0 लि0 पुणे के साथ 4.2.1996 एवं 24.3.2008 को एम.ओ.यू. एवं कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस यह परियोजना वर्ष 2014–15 में चालू हो जाएगी।

**9. सोरंग हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (100 मैगावाट)**

यह परियोजना मै0 हिमाचल सोरंग पावर प्राईवेट लिमिटिड को प्रदान की गई है। परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत ₹586.00 करोड़ हैं। एम.ओ.यू एवं कार्यान्वयन समझौता क्रमशः 23.9.2004 एवं 28.1.2006 को हुआ। इस परियोजना में निर्माणकर्ता 50 मैगावाट की अतिरिक्त इकाई स्थापित करेगा जिससे सोरंग परियोजना की क्षमता 150 मैगावाट हो जाएगी तथा 100 मैगावाट क्षमता की स्थापना 2012–13 तक हो जाएगी।

**10. तिदोंग–I हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (100 मैगावाट)**

यह परियोजना मै0 नुजीवीदु सीडज प्रा0 लि0 को प्रदान की गई है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹500.11 करोड़ हैं। एम.ओ.यू. एवं कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 23.9.2004 एवं 28.7.2006 को हस्ताक्षर हुए। यह परियोजना 2014–15 तक चालू हो जाएगी।

**11. चांजु–I हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (36 मैगावाट)**

यह परियोजना मै0 इण्डो आर्या सैन्ट्रल ट्रांसपोर्ट्स को दी गई है। 25 मैगावाट संस्थापित क्षमता के लिए एम.ओ.यू. 20.12.2007 को हस्ताक्षरित किया गया। 36 मैगावाट के लिए हि0प्र0रा0वि0बो0लि0 ने टैक्नो इकोनोमिक कलीयरैंस के लिए डी.पी.आर. प्रस्तुत की है जिसके कार्यान्वयन समझौता पर 12.6.2009 को हस्ताक्षर हुए हैं। चांजू–।। के उन्नयन में अड़चन आने के कारण मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचारधीन है।

**12. कुट (24 मैगावाट)**

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कुट एनर्जी प्रा0 लि0, नोयडा, यू0 पी0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 28.04.2007 व 25.05.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना की अनुमानित लागत ₹196.5 करोड़ है। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है तथा यह वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

**13. लोअर उहल (13 मैगावाट)**

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 ट्राईडैंट पॉवर सिस्टम लि0, के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 05.02.2005 व 29.12.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है तथा यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

**14. कूर्मी (8 मैगावाट)**

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 चण्डीगढ़ डिस्टीलरज़ एवं बोटलरज़ लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 19.06.2007 व 10.01.2009 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है तथा यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

**15 राला (9 मैगावाट)**

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 राला हाइड्रो पॉवर

प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 18.10.2006 व 07.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

### 16 अप्पर नांटी (12 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 नांती हाइड्रो पॉवर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 27.10.2006 व 12.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

### 17 जोगिनी (16 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 गंधारी हाइड्रो पॉवर प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 27.10.2006 व 19.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

### 18 नांती (14 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 सूर्य कांता हाइड्रो पॉलट्रीज़ प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. दिनांक 12.11.2005 को और कार्यान्वयन समझौता हि0 प्र0 सरकार व मै0 सूर्य कांता हाइड्रो एनर्जिज प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक 12.11.2008 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

### 19 पौडिताल लासा (24 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 श्री जयलक्ष्मी पॉवर कॉरपोरेशन लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 06.06.2002 व 26.10.2006 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

### 20 रौरा–।। (20 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 चण्डीगढ़ डिस्टीलरिज़ एवं बोटलरज़ लि0 के बीच एम.ओ.यू. और कार्यान्वयन समझौता दिनांक 27.10.2006 और मै0 रौरा नॉन–कन्वैनश्नल एनर्जिज प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक 1.10.2009 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है तथा यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

### 21 ब्रुआ (9 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 कॉन्टीनैन्टल कम्पोनैन्टस प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. और कार्यान्वयन समझौता दिनांक 09.12.2000 और मै0 ब्रुआ हाइड्रोवॉट प्राइवेट लि0 के साथ दिनांक 23.09.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2013–14 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

### 22 ज्यूरी (9.6 मैगावाट)

इस परियोजना के लिए हि0 प्र0 सरकार और मै0 टैकनॉलौजी हाउस प्राइवेट लि0 के बीच एम.ओ.यू. व कार्यान्वयन समझौते पर क्रमशः 12.01.2005 व 23.02.2011 को हस्ताक्षर हुए। परियोजना के मुख्य घटकों का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2015–16 के दौरान निष्पादन के लिए तैयार हो जाएगी।

## हिम उर्जा

**13.9** हिमउर्जा ने नवीकरणीय उर्जा को लोकप्रिय बनाने हेतु भरसक प्रयास किए हैं। यह कार्यक्रम प्रदेश में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय तथा राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है। उर्जा कार्यकुशल तथा अपारम्परिक उर्जा साधनों जैसे सौर जल तापीय संयंत्र, सौर प्रकाशवोल्टिय रोशनियां इत्यादि को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रयास जारी हैं। हिमउर्जा सरकार को राज्य में लघु जल विद्युत (5 मैगावाट तक) के तीव्र दोहन हेतु भी सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 2012–13 के दौरान उपलब्धियां (दिसम्बर, 2012 तक तथा मार्च,2013 तक प्रत्याशित) तथा वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा निम्न हैः

### (क) सौर उष्णता संबन्धी कार्यक्रम

(i) **सौर जल तापीय संयत्रः** दिसम्बर, 2012 तक 1,69,070 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्र मार्केट मोड माध्यम से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्त्र्गत प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं मार्च, 2013 तक प्रत्याशित उपलब्धि 2,00,000 लीटर प्रतिदिन होगी। वर्ष 2013–14 के लिए 2,00,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर जल तापीय संयत्रो की स्थापना का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत रखा गया है।

(ii) **सौर कुक्करः** चालू वित वर्ष के दौरान 2,500 वाक्स टाईप तथा 240 डिश टाईप सौर कुकर की आपूर्ति हेतु आदेश जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत जारी किए गए हैं तथा मार्च,2013 तक 2000 वाक्स टाईप तथा 200 डिश टाईप सौर कुकर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाए जाने प्रत्याशित उपलब्धि है। वर्ष 2013–14 के लिए 2,000 वाक्स टाईप तथा 200 डिश टाईप सौर कुकर का लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत रखा गया है।

### (ख) सौर प्रकाशवोल्टिय कार्यक्रम

(i) **सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियाः** चालू वित वर्ष के दौरान 5,174 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनीयां सामूहिक प्रयोग के लिए दिसम्बर,2012 तक भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत स्थापित की जा चुकी है। मार्च,2013 तक की प्रत्याशित उपलब्धि 9000 होगी। वर्ष 2013–14 के लिए 25,000 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनीयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जो कि भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत हैं।

(ii) **सौर प्रकाशवोल्टिय उर्जा संयंत्रः** 31 मार्च,2013 तक 60 किलोवाट सौर प्रकाशवोल्टिय उर्जा संयंत्रों की स्थापना भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत प्रत्याशित है। वर्ष 2013–14 के लिए 150 किलोवाट सौर प्रकाशवोल्टिय उर्जा संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है जो कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन/जन–जातीय उपयोजना (90:10) के अन्तर्गत है।

**(ग) निजि क्षेत्र की सहभागिता से निष्पादित की जा रही 5 मैगावाट क्षमता तक की लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएं**

इस अवधि के दौरान 23 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 60.95 मैगावाट है के लिए कार्यान्वयन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 5 परियोजनाएं जिनकी कुल क्षमता 23.50 मैगावाट है स्थापित की गई है। 48 परियोजनाएं जिनकी संस्थापित क्षमता 94.41 मैगावाट हैं वर्ष के दौरान आंवटित की गई है। वर्ष 2013–14 के लिए 13 परियोजनाएं जिनकी संकलित क्षमता 35.70 मैगावाट है की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

**(घ) हिमउर्जा द्वारा निष्पादित की जा रही लघु/छोटी जल विद्युत परियोजनाऐं**

(i) **लघु/ छोटी जल विद्युत परियोजनाएंः** हिम उर्जा द्वारा चलाई जा रही लघु विद्युत परियोजनाएंः लिंगटीं (400 किलोवाट), कोठी (200 किलोवाट), जुथेड़ (100 किलोवाट), पुरथी (100 किलोवाट), सुराल (100 किलोवाट), घरोला (100 किलोवाट) तथा साच (900 किलोवाट) तथा विलिंग (400 किलोवाट) जिनमें उत्पादन हो रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान दिसम्बर,2012 तक इन परियोजनाओं से 34,97,763 यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। अन्य परियोजनाऐं बड़ा भंगाल (40 किलोवाट) तथा सराहन (30 किलोवाट) भी हिमउर्जा द्वारा निष्पादित की गई है। बड़ा भंगाल परियोजना से बिजली की आपूर्ति स्थानीय लोगों को बहुत ही कम स्थिर मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा रही है।

19 नई परियोजनाएं हिमउर्जा को सरकार द्वारा आवंटित की गई हैं। इनमें से 16 परियोजनाओं (63.05 मैगावाट) व्यवहार्य है जिनमें से 15 की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उर्जा निदेशालय को टी.ई.सी. के लिए भेजी गयी हैं। 10 परियोजनाओं हेतु टी.ई.सी. प्राप्त हो गयी है । शेष 1 परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

(ii) **लघु जल विद्युत जनरेटर सेटसः** हिमउर्जा ने चम्बा जिला के पांगी उप–मण्डल में लघु जल विद्युत जनरैटर सेटस स्थापित किए हैं। पांगी घाटी में स्थापित जनरेटर से सैचू, साहली तथा हिल्लौर को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इनमें मीटर नहीं लगे हैं। इनसे स्थानीय लोगों / नजदीकी क्षेत्र को बहुत ही कम स्थिर मुल्य पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। इनके रख रखाव तथा मुरम्मत पर होने वाला खर्च इनसे प्राप्त होने वाली आय की तुलना में बहुत अधिक है।

**(ड़) राज्य स्तरीय उर्जा पार्क**

हिमउर्जा द्वारा भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय की स्कीम अनुसार 2 राज्य स्तरीय उर्जा पार्कों की स्थापना की जानी है जिनकी नवीनतम प्रगति निम्न प्रकार है:

- उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन में राज्य स्तरीय उर्जा पार्क की स्थापना का कार्य कुछ

छोटे अंतिम परिष्करण के अतिरिक्त तकरीवन पूरा हो चुका है।

- एन.आई.टी. हमीरपुर में अन्य राज्य स्तरीय उर्जा पार्क स्थापित करने हेतु विभिन्न सयंत्रों की आपूर्ति और स्थापना का कार्य कम्पनी को दे दिया गया है।

## (च) सौर शहरों का विकास

शिमला तथा हमीरपुर शहर को भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम अनुसार सौर शहरों के रूप में विकसित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी 5 वर्षों के दौरान पारम्परिक उर्जा की मांग में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लाना है जो कि उर्जा गुणवता माप तथा अक्षय उर्जा की आपूर्ति में वृद्वि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । शिमला को सौर शहर के रूप में विकसित करने हेतु अन्तिम मास्टर प्लान भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेजा गया है तथा हमीरपुर सौर शहर वारे अन्तिम मास्टर प्लान के प्रारूप को परामर्शदाता द्वारा भारत सरकार के सुझावों अनुसार अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

## (छ) क्षेत्र विशेष प्रदर्शन परियोजना स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय तथा 12 उपायुक्त कार्यालयों के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं । हिमाचल प्रदेश सचिवालय में एक 6.5 किलोवाट का सौर उर्जा प्लांट, 2,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता (2x1000 LPD) का सौर जल तापीय सयंत्र तथा 6 सौर प्रकाशवोल्टिय गली रोशनियां की स्थापना की गई है। जबकि प्रत्येक उपायुक्त कार्यालय में एक 4 किलोवाट का सौर उर्जा प्लांट लगाने हेतु निविदाओं का आकंलन किया जा रहा है।

## (ज) बजट प्रावधानः

वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य योजना/ गैर योजना के अंतर्गत आंवटित बजट अनुसार ₹ 340.00 लाख आई.आर.ई.पी. तथा एन.आर. एस.ई. के तहत राज्य में अक्षय उर्जा कार्यक्रमों के विकास तथा जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य को पूरा करने के लिए खर्च किए जाएंगे।

# 14. परिवहन एवं संचार

## सड़कें तथा पुल (राज्य क्षेत्र)

**14.1** सड़कें आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक घटक हैं। जल मार्ग तथा रेलवे जैसे संचार के विशेष व अनुकूल साधन न के बराबर होने के कारण सड़कें ही हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हिमाचल प्रदेश में न के बराबर सड़कों से आरम्भ करके प्रदेश सरकार ने दिसम्बर,2012 तक 34,480 कि.मी. वाहन चलने योग्य सड़कें जिसमें जीप एवम् ट्रैक सड़कें भी सम्मिलित हैं का निर्माण कर लिया हैं। इस प्रकार सरकार सड़कों के क्षेत्र को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है। वर्ष 2012–13 के लिए इस हेतु ₹749.10 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया गया। वर्ष 2012–13 का लक्ष्य एवं दिसम्बर,2012 तक की उपलब्धियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं:–

### सारणी 14.1

**टिप्पणीः लक्ष्य प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना**

| मद | इकाई | लक्ष्य 2012–13 | उपलब्धियां दिसम्बर 2012 तक | 2012–13 सम्भावित |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1.वाहन चलने योग्य सड़कें | कि0मी0 | 500 | 361 | 500 |
| 2.जल निकास | कि0मी0 | 650 | 547 | 650 |
| 3.पककी तथा विरालित सडकें | कि0मी0 | 600 | 650 | 700 |
| 4.जीप चलने योग्य सड़कें | कि0मी0 | 25 | 21 | 25 |
| 5. पुल | संख्या | 40 | 28 | 40 |
| 6. गांव जुड़े | संख्या | 99 | 73 | 99 |

**14.2** हिमाचल प्रदेश 31.12.2012 तक 9,861 गांव सड़कों से जोड़े गए जिनका ब्यौरा सारणी 14.2 में दिया जा रहा है।

### सारणी 14.2

| सड़कों से जुड़े गांव | 31 मार्च को संख्या | | | | 2012–13 दिसम्बर, 2012तक |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1500 से अधिक आबादी वाले गांव | 202 | 205 | 208 | 208 | 208 |
| 1000–1500 की जनसंख्या वाले | 262 | 266 | 266 | 268 | 270 |
| 500–1000 की जनसंख्या वाले | 1151 | 1208 | 1216 | 1231 | 1239 |
| 200–500 की जनसंख्या वाले | 3092 | 3191 | 3240 | 3316 | 3353 |
| 200से कम की जनसंख्या वाले | 4536 | 4671 | 4700 | 4765 | 4791 |
| **कुल** | **9243** | **9541** | **9630** | **9788** | **9861** |

## राष्ट्रीय उच्च मार्ग (केन्द्रीय क्षेत्र)

**14.3** हिमाचल प्रदेश में 1,553 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिसमें शहरी लिंक रोड़ज तथा बाईपास सम्मिलित है के सुधार के कार्य इस वर्ष भी जारी रहे। अभी तक ₹43.20 करोड़ दिसम्बर,2012 तक खर्च किए गए।

## रेलवे

**14.4** प्रदेश में केवल दो छोटी लाईने शिमला–कालका (96 किलोमीटर) और जोगिन्द्रनगर–पठानकोट (113 किलोमीटर) तथा नंगल डैम–चरूडू (33 किलोमीटर) बडी लाईन है।

## पथ परिवहन

**14.5** पथ परिवहन राज्य में आर्थिक कार्यकलाप हेतु यातायात का एक मुख्य साधन है क्योंकि अन्य परिवहन सेवाएं जैसे रेलवे, वायुमार्ग, टैक्सी, आटो रिक्शा इत्यादि नगण्य के बराबर है इसीलिए पथ परिवहन निगम को प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रदेश में अन्य परिवहन सुविधाएं नगण्य होने के कारण निगम की स्थापना आर.टी.सी. अधिनियम–1950 के अन्तर्गत की गई जिससे प्रदेश के लोगों को दक्ष, पर्याप्त एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके। निगम द्वारा वर्ष 2012–13 में अनुमानित राजस्व में ₹17 करोड़ की वृद्वि हुई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश के जनमानस को राज्य में तथा राज्य से बाहर लोगों को 2,137 बसों (2,062 एच.आर.टी.सी.+75 जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत दिसम्बर,2012 तक) द्वारा यात्री परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। कुल 2,075 प्रचालन मार्गों से 1,65,400 हजार कि0मी0 क्षेत्र तय किया गया।

**14.6** लोगों की सुविधा के लिए निम्नलिखित योजनाएं इस वर्ष भी लागू रहीं।

i) **यलो तथा स्मार्ट कार्ड योजनाः** विभाग ने यात्रियों को आकर्षित करने के लिए यलो एवं स्मार्ट कार्ड नाम की योजना अंकित की गई है। निगम में समूह छूट योजना भी लागू की है।

ii) **वाल्वो लगजरी वातानुकुल बसेः–** निगम ने प्रतिष्ठाग्राही मार्गों पर 16 वाल्वो लगजरी वातानुकुलित तथा 4 इसूजू बसें शिमला–मनाली तथा धर्मशाला–दिल्ली के लिए चलाई हैं।

iii) **वातानुकुलित बसेंः–** निगम ने 21 टाटा/ लैलैण्ड की वातानुकुलित बसें सुखद श्रेणी में प्रतिष्ठाग्राही मार्गों दिल्ली, चण्डीगढ़, हरिद्वार तथा धर्मशाला, नालगढ़, रामपुर, जोगिन्द्रनगर, मनाली पर चलाई गई हैं।

iv) **डीलक्स / सेमी डिलक्स बसेंः** परिवहन विभाग रिकॉग–पिओ, मनाली, हमीरपुर, धर्मपुर, चम्बा, धर्मशाला, ज्वालाजी तथा मण्डी से दिल्ली, चण्डीगढ, शिमला, देहरादून, धर्मशाला तथा मनाली के लिए 40 डिलक्स तथा 31 सेमी–डिलक्स बसों का संचालन कर रहा है।

v) निगम द्वारा पंजाब, जम्मू–कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा दिल्ली राज्यों को भी अपनी बसें चलाई हैं।

vi) निगम द्वारा भैया दूज व रक्षा बन्धन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। मुसलिम महिला के लिए भी "बकरीद तथा ईद" पर भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है।

vii) **शिमला शहर में टैक्सी सेवाएंः** निगम द्वारा प्रतिबन्धित मार्गों पर वरिष्ठ नागरिकों, अपंगों तथा रोगियों और आम जनता को आरामदायक परिवहन सुविधा प्रदान करने के उदेश्य से शिमला शहर में 21 टैक्सियों की सेवाओं का संचालन

किया है इसे और अधिक सशक्त किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक क्षेत्र को कवर किया जा सके।

viii) **ऑन लाईन बुकिंगः** शिमला, रामपुर, चण्डीगढ, दिल्ली, हरिद्वार, चम्बा, धर्मशाला, कांगडा, मेकलोड़गंज, पालमपुर, बैजनाथ, जसूर, हमीरपुर, ज्वालाजी, बिलासपुर, कुल्लू, मनाली, मण्डी, सुन्दरनगर तथा सरकाघाट से सभी प्रकार की बसों के लिए 100 प्रतिशत ऑनलाईन आरक्षण सेवा दी है तथा लोकमित्र केन्द्रों के माध्यम से भी यह सेवा उपलब्ध है।

ix) **बस अडडों का विस्तार एवं निर्माणः** हि. प्र. बस अडडा प्रबंधक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा स्वारघाट, मैहरे, संधोल, करसोग, बच्छबाड (सरकाघाट) तथा कोटली में बस अडडों का निर्माण किया जाना है। हमीरपुर, उना तथा परवाणू के बस अड्डों का निमार्ण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

x) **आधुनिक बस ठहराव** :– पी.पी.पी. आधार पर सात आधुनिक बस ठहराव बिलासपुर, चिन्तपूर्णी, बद्द्वी, रोहडू, मनाली, नालागढ़ तथा बैजनाथ निर्माण के लिए प्रस्तावित हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने अनुमति भी प्रदान कर दी है।

xi) **शॉपिंग माल बस ठहराव एवं बहुमंजिला कार पार्किंगः**– पालमपुर में पी.पी.पी. आधार पर शॉपिंग माल एवं बहुमंजिला कार पार्किंग तथा लक्कड बाजार शिमला में बस ठहराव के साथ ही बहुमंजिला कार पार्किंग निर्माण प्रस्तावित है।

xii) **नई कार्यशालाः**– हिमाचल प्रदेश नगर विकास प्राधिकरण के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में उना, सुन्दरनगर तथा चम्बा में नई कार्यशाला निर्माण के लिए प्रस्तावित है।

## परिवहन विभाग

**14.7** विभाग परिवहन सेवाओं को केन्द्रीकरण और यातायात सुविधाओं को सुचारू तौर से चलाने के लिए विभिन्न अधिनियम के अन्तर्गत बचनबद्व है। जैसे गाड़ियों का पंजीकरण, परमिट जारी करना, ड्राईविंग लाईसैंस, प्रदूषण मानक नियंत्रक अनुदेशों का सख्ती से केन्द्रीय मोटर अधिनियम–1988 के अन्तर्गत अनुसरण आदि करना है।

उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के टैक्स/ फीस जैसेः टोकन टैक्स, एस.आर.टी. आर. पी.एफ. तथा लाईसैंस फीस आदि से वर्ष 2012–13 के दौरान ₹12,816.57 लाख की राजस्व प्राप्तियां नवम्बर,2012 तक प्राप्त की गई जबकि विभिन्न प्रकार के मोटर वाहन अपराध के माध्यम से गाड़ियों के चालान द्वारा ₹415.65 लाख (नवम्बर,2012तक) की राशि एकत्र की गई। विभाग ने इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप किए गयेः–

i) **हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजनाः**

परिवहन विभाग ने नई योजना "हिम ग्रामीण परिवहन स्वरोजगार योजना" चलाई है। इस योजना के तहत नए रूट परमिट, विशेषकर नई खोली गई "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और मुख्यमंत्री पथ योजना" (22 यात्रियों की क्षमता से

अधिक नहीं) के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं एवं चालक/ परिचालक सहकारी सभाओं तथा विधवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुदृढ़ करने के लिए दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत कुल 70 मार्गों का आंवटन किया गया है।

ii) **दुर्घटना को कम करने के उपाय** ड्राईवर द्वारा चलती गाड़ी में मोबाईल सुनने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ड्राईविंग स्कूल में 30 दिन के स्थान पर 60 दिन का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। ड्राईविंग स्कूल का नियमित निरीक्षण, दुर्घटना स्थल की पहचान, ब्लैक स्पॉट तथा लापरवाही से गाड़ी चलाना आदि नियमों का सख्ती से पालन करना ताकि दुर्घटनाओं को टाला जा सके।

iii) **राष्ट्रीय उच्च मार्ग दुर्घटना आपदा सेवा योजना** सड़क सुरक्षा नियम के तहत भारत सरकार द्वारा 13 कैन के लिए प्रदेश को प्रचलित वर्ष 2012–13 में दिसम्बर,2012 तक स्वीकृति प्रदान की है। विभाग द्वारा 20 कैन, 18 रोगी वाहन, 10 सीमुलेटर, 15 गति अवरोधक राडार, 20 धुम्रपान मीटर तथा 20 गैस मापयंत्रों के लिए जो कि भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है जिसमें से 10 स्मोक मीटर और 10 गैस एनलाइजर प्राप्त हो चुकी है जो कि हिमाचल प्रदेश में समस्त सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आंवटित किए जा चुके हैं।

iv) **उत्तराखण्ड राज्य से अनुबंधः** दोनों राज्यों के परिवहन साधनों को सुचारू तौर से चलाने के लिए उत्तराखण्ड सरकार से अनुबंध किया गया।

v) **धर्मकांटा की स्थापनाः** सामान ढोने वाले वाहनों के अधिक भार को नापने के लिए 8 धर्मकांटे प्रवेश पुलों/अर्न्तराज्य सीमाओं पर लगाए गए।

vi) **कम्पयूटरीकरणः** प्रचालकों को उपयुक्त सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग से सम्बन्धित कार्यकलाप को निपटाने को प्राथमिकता के आधार पर कम्पयूटिकरण किया जा रहा है। सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों एवं परिवहन बैरियरों का भी कम्पयूटरीकरण किया है। शीघ्र ही इस सुविधा से पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भी जोड दिया जाएगा।

vii) **उच्च सुरक्षा पंजीकरण पट्टिकाः** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में हि.प्र. राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के पंजीकृत वाहनों की संख्या पट्टिका को उच्च स्तरीय सुरक्षित पंजीकृत पट्टिकाओं में बदलने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत 3,65,563 वाहनों (एच.एस.आर.पी.) का 31.12.2012 तक उच्च सुरक्षा पंजीकरण हो चुका है और यह प्रकिया अभी भी जारी है।

# 15. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

**15.1** हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए आर्थिकी के निर्वाह की अपार सम्भावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि इसे भविष्य के लिए विकास का एक मुख्य आधार तन्त्र अनुभव किया जा रहा है। पर्यटन कार्य कलापों में सहायक सभी आधार स्त्रोत व संसाधन प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जैसेः– भौगोलिक व सांस्कृतिक विभिन्नता, स्वच्छ, शांत व सुन्दर नदियां व झरनें, पवित्र स्थल, एतिहासिक स्मारक और महत्वपूर्ण व स्नेहिल लोग।

**15.2** हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन उद्योग को अत्यन्त उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए समुचित संरचना का विकास किया है जिसके अंतर्गत जन उपयोगी सेवाएं जैसे सड़कें, संचार, हवाई अडडे, परिवहन सुविधाएं, जलआपूर्ति एवं नागरिक सुविधाओं का प्रावधान सम्मिलित है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहरों की तरह गांव में भी सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर्यटन विकास में सहायक समुचित संरचना विकास व निर्माण के लिए भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के लिए पर्यटन के अंतर्गत ₹2,169.50 लाख एवं नागरिक उड्डयन के अंतर्गत ₹89.24 लाख का प्रावधान किया गया है। अभी दिसम्बर,2012 तक 59,585 बिस्तरों की क्षमता के 2,609 होटल विभाग में पंजीकृत हैं।

**15.3** वर्ष 2012–13 के दौरान भारत सरकार ने निम्न योजनाएं स्वीकृत की हैं :–

(₹ लाख में)

| क्र0 सं0 | पर्यटन सर्किट/गन्तव्य का नाम | भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि | भारत सरकार द्वारा जारी राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | शिवालिक रेंज को एक पर्यटक सर्किट में रास्तों पर्यटन सुविधाएं एकीकृत विकास हेतु। | 797.44 | 637.95 |
| 2 | हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गन्तव्यों के एकीकृत विकास हेतु मुख्य पयर्टक स्थलों में पार्किंग सुविधाएं | 461.27 | 369.01 |
| 3 | जिला मण्डी के गन्तव्य क्षेत्र स्वारघाट में योजना के तहत पर्यटन गतिविधियों का विकास | 459.02 | 367.21 |
| 4 | जिला मण्डी के गन्तव्य क्षेत्र सरकाघाट में योजना के तहत पर्यटन गतिविधियों का विकास | 464.71 | 371.77 |
| 5 | धौलाधार रेंज को एक पयर्टक सर्किट में रास्तों पर्यटन सुविधाएं एकीकृत विकास हेतु। | 797.44 | 637.95 |
| 6 | जिला कांगड़ा में मसरूर त्यौहार का आयोजन,2012 | 15.00 | 15.00 |
| 7 | जिला मण्डी में शिवरात्रि उत्सव का आयोजन,2013 | 5.00 | 5.00 |
| 8 | जिला कुल्लू में दशहरा उत्सव का आयोजन,2012 | 5.00 | 5.00 |
| 9 | जिला चम्बा में मिंजर उत्सव का आयोजन,2012 | 5.00 | 5.00 |
| 10 | केन्द्रीय वित्तीय सहायता के तहत सी.बी.एस.पी. तथा हुनर से रोजगार तक योजना | 243.92 | 195.13 |
| 11 | हिमालयन बाइकिंग का आयोजन,2012 | 10.00 | 10.00 |
| 12 | पैराग्लाईडिंग 2012 का आयोजन | 10.00 | 10.00 |
| | **कुल** | **3273.80** | **2629.02** |

**15.4** विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के भिन्न–भिन्न स्थानों पर निम्नलिखित 7 रज्जू मार्ग निजि क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से लगाने का प्रस्ताव है जो इन्हें बनाएं, चलाएं तथा स्थानान्तरित करें।

1. भून्तर से बिजली महादेव, जिला कुल्लू।
2. पलचान से रोहतांग (मनाली), जिला कुल्लू।
3. न्यूगल (पालमपुर), जिला कांगड़ा।
4. शाहतलाई से दियोटसिद्व, जिला बिलासपुर।
5. खटयारा से टरयूंड, जिला कांगड़ा।
6. आनन्दपुर साहिब से नयनादेवी जी जिला बिलासपुर।
7. गांव जिया से आदि हिमानी चामुण्डा जिला कांगड़ा।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा सरकारी–निजी क्षेत्र की भागीदारी से निम्न छः परियोजनाओं को चलाने हेतु प्रयास किए गए हैं:–

| क्रम संख्या | स्थल का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | बद्दी, जिला सोलन |
| 2. | 15 मील बड़ागांव, जिला कुल्लू |
| 3. | झंटीगरी, जिला मण्डी |
| 4. | शोजा बन्जार, जिला कुल्लू |
| 5. | बिलासपुर |
| 6. | सुकैती, जिला सिरमौर |

प्रिंट व इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से राज्य में पयर्टन को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रचार के क्षेत्र में विभाग ने 'ब्रांड हिमाचल' को आकर्षक डेस्टिनेशन के अंतर्गत् **'कभी भुला न पाआगे'** शीर्षक के अन्तर्गत स्थापित किया है।

**15.5** पर्यटन विकास में पर्यटन सूचना का प्रसार महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पर्यटन विभाग पर्यटक सूचना की पुस्तिकाएं तैयार करता है तथा निजी होटल मालिकों के साथ विभाग तथा पर्यटन निगम प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले पर्यटन मेलों व उत्सवों में भाग लेता है।

**15.6** समय–समय पर पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार–पत्रों, दूरदर्शन एवं इलैक्ट्रोनिकी माध्यम की सहायता ली गई। विभाग द्वारा 20 वर्षों की राज्य पर्यटन मास्टर योजना तैयार की है तथा अन्य विभाग भी अपनी विभागीय गतिविधियों में पर्यटन को ओषधि के रूप में विकसित कर रहे हैं

**15.7** विभाग द्वारा राज्य में बेरोजगार युवकों के लिए विभिन्न साहसिक व सामान्य प्रशिक्षण का अयोजन किया गया जैसे ट्रेकिंग, जल क्रीड़ा, स्कींग, ई.डी.पी., रीवर रॉफटिंग व वर्ड वॉचिंग इत्यादि। विभाग प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है । इस वर्ष विभाग द्वारा पर्यटन से संबंधित निम्न कार्यकमों का आयोजन किया गयाः–

1. विश्व पर्यटन दिवस (दिनांक 27 सितम्बर, 2012)
2. पर्वत मोटर साईकिल गतिविधि, 2012

## नागरिक उडडयन

**15.8** वर्तमान में प्रदेश में शिमला, कांगड़ा व कुल्लु–मनाली तीन हवाई अडडे है। जिनकी अद्यतन स्थिति इस प्रकार से है:–

**क) शिमला हवाई अडडा :** शिमला हवाई अडडे के रनवे का आकार 4,100 फीट था परन्तु वास्तव में 3,800 फुट का आकार ही उपयोग किया जा रहा है। रनवे छोटा होने के कारण केवल ए.टी.आर स्तर के विमान के लिए सेवा ही उपलब्ध है।

**ख) कुल्लु हवाई पट्टी** :–इस हवाई अड्डे के रनवे का आकार 3,800 X 100 फुट है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सूचित किया है कि इस हवाई अडडे के रनवे को 550 मी0 से 1678 मीटर तक और बढ़ाने का प्रस्ताव है जिससे ATR–72 टाईप का एयरक्राफट इस हवाई अडडे पर उड़ान भर सके।

**ग) कांगड़ा हवाई पटटी** :–इस हवाई पटटी के रनवे का आकार 3,900 X 100 फुट था जिसे 4,500 फुट तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम द्वारा ATR–72

टाईप के एयरक्राफट की उड़ाने शुरू करने के लिए सर्वेक्षण किया गया है तथा रनवे को 418 X 250 मीटर तक बढ़ाने और अन्य कार्यों हेतु 26 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है।

**हैलीपैड** :

**15.9** प्रदेश में 57 हैलीपैड है तथा 12 नये हैलीपैडों के निर्माण का मामला विचाराधीन है।

**हैली–टैक्सी सेवाएं** :

**15.10** सरकार द्वारा राज्य के दुगर्म एवं जन–जातीय क्षेत्र में यातायात को और सुगम बनाने हेतु हैली–टैक्सी सेवा आरम्भ करने का निर्णय लिया है। हैली–टैक्सी सेवा द्वारा राज्य में हवाई सम्बन्ध बनाने के लिए शिमला–चण्डीगढ़–दिल्ली के बीच में चलाई जा सकती है।

# 16. शिक्षा

## शिक्षा

**16.1** शिक्षा मानव योग्यताओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। सरकार के विशेष प्रयासों से ही राज्य साक्षरता में अग्रणी राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 83.78 प्रतिशत है। राज्य में पुरूषों व स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है। पुरूषों की 90.83 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में स्त्रियों की साक्षरता दर 76.60 प्रतिशत है। इस अंतर को पूरा करने के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

## प्रारम्भिक शिक्षा

**16.2** राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की पहुंच तक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करने का प्रयास किया है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1984 में स्थापित हुआ था। 1.11.2005 से इसका नाम "प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय" कर दिया है। सरकार की नीतियों का कियान्वयन जिला प्राथमिक उप शिक्षा निदेशक तथा खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसका उद्धेश्यः–

- प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वजनीकरण लक्ष्य प्राप्त करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवता प्रदान करना।
- प्रारम्भिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना।

वर्तमान में प्रारम्भिक शिक्षा में 10,861 अधिसूचित प्राथमिक पाठशालाएं हैं तथा 10,620 कियाशील हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में 2,344 माध्यमिक पाठशालाएं अधिसूचित हैं तथा 2,339 कियाशील हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्धारा प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा जरूरत वाले स्कूलों में नई नियुक्तियां की जा रही हैं। सरकार विकलांग बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बचनबद्व है। विकलांग बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भर्ती करवाया जा रहा है।

**16.3** स्कूलों में अधिक से अधिक उपस्थिति बढ़ाने व स्कूल छोड़ने की प्रवृति को रोकने व बढ़ौतरी की दर को बनाए रखने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां व प्रोत्साहन जैसे गरीबी छात्रवृति, छात्राओं के लिए उपस्थिति छात्रवृति, सेवारत सैनिकों के बच्चों को छात्रवृति, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के छात्रों को आई.आर.डी.पी. छात्रवृति, प्री मैट्रिक छात्रवृति, लाहौल व स्पिति प्रणाली पर छात्रवृति तथा सेवारत सैनिक जो सीमा क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके बच्चों को छात्रवृति दे रही हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में गैर जन–जातीय क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. छात्रों तथा अनुसूचित जाति के छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। जन–जातीय क्षेत्र उप–योजना के अंतर्गत भी छात्रों को मुफत पुस्तकें तथा वर्दी दी जाती है। महिला साक्षरता दर बढ़ाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी वर्ग की लड़कियों को प्राथमिक स्कूलों में मुफत पाठ्य पुस्तकें भी दी जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी/सरकारी

सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में 1 सितम्बर,2004 से सभी छात्र–छात्राओं को प्रत्येक स्कूल दिवस पर पकाया हुआ गर्म भोजन दिया जा रहा है। प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों में 1,077 माध्यमिक पाठशालाओं में कम्पयूटर शिक्षा प्रारम्भ की गई है। सरकार द्वारा 100 चयनित पाठशालाओं में वर्ष 2008–09 से छठी कक्षा से पंजाबी एवं उर्दु भाषाओं को पढ़ाने हेतु निर्णय लिया है।

## उपरी प्राथमिक शिक्षा स्तर

**16.4** वर्ष 2012–13 में विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:–

i) मिडल मैरिट छात्रवृति के अन्तर्गत छात्र और छात्राओं को क्रमशः ₹400 व ₹800 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

ii) आई.आर.डी.पी. परिवार से संबंधित बच्चों को ₹ 250 प्रति छात्र तथा ₹ 500 प्रति छात्रा वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

iii) अनुसूचित जाति परिवार के प्री–मैट्रिक छात्रों को (पहली से पांचवीं कक्षा तक) ₹150 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

iv) सैनिकों के बच्चों को ₹150 छात्रवृति प्रति विद्यार्थी पहली से पांचवीं तथा छठी से आठवीं तक के छात्र को ₹250 व ₹500 प्रति छात्रा प्रतिवर्ष दी जा रही है।

v) अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों से सम्बन्धित प्री–मैट्रिक छात्रों को (पहली से पांचवीं कक्षा तक) ₹750 तथा (छठी से आठवीं कक्षा तक) ₹900 वार्षिक छात्रवृति दी जा रही है।

## सर्व शिक्षा अभियान

**16.5** राज्य में सर्व शिक्षा अभियान परियोजना पूर्व गतिविधियों के साथ शुरू किया गया जिसमें मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए जोर दिया गया। जिसके अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालयों में आधारभूत ढ़ाचें को बेहतर बनाना, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों एवम् अध्यापकों की क्षमता निर्माण, विद्यालयों की मेपिंग, शिक्षा की बेहतरी के लिए लघू योजनाएं आदि प्रमुख गतिविधियां थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन के लिए शिक्षा की पहुंच को आसान बनाना, विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, लिंग अनुपात को समाप्त करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव और 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा के साथ प्रारम्भिक शिक्षा को पूरा करवाना और विद्यालयों के प्रबन्धन में पूर्ण सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना था।

**16.6** सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा में गुणवता के सुधार में प्रयास निम्न हैं:–

- **विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए**

  हिमाचल प्रदेश में वास्तव में विद्यार्थियों की संख्या दर 99 प्रतिशत है जो यह दर्शाता है कि विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या न के बराबर है। फिर भी यह प्रयास किए जा रहे हैं कि इन बच्चों को गैर–आवासीय सेतु पाठ्यक्रम केन्द्र (NRBCCs) के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा दी जाए। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल मे होना चाहिए। एक अन्य अध्ययन जो कि भारतीय बाजार अनुसंधान ब्यूरो (IMRB) और 'प्रथम' गैर–सरकारी संस्था के द्वारा करवाया गया,

जिसमें ये पाया गया कि हिमाचल प्रदेश में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है। जिला बिलासपुर और लाहौल स्पिति में कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर नहीं है। प्रदेश में यह पाया जाता है कि देश के कई क्षेत्रों से पलायन करके बच्चें प्रदेश के शहरी व उप शहरी क्षेत्रों में आ जाते हैं जिसके कारण विद्यालयों से बाहर रह रहे बच्चों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। इन पलायन करके आने वाले बच्चों की संख्या जानने एवम् इनको विद्यालयों में नामांकन करने के लिए सभी जिलों को हर वर्ष जुलाई और दिसम्बर महीने में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम एन0आर0बी0 सी0 के तहत इन बच्चों को नामांकित किया और विशेष तौर पर तैयार किए गए अध्ययन सामग्री के बाद इन्हे इनकी आयु अनुरूप कक्षा में विद्यालयों में नामांकित करना होता है। प्रदेश में 2,414 विद्यालय से बाहर रह रहे विद्यार्थियो जिसमे 105 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल है के लिए उनकी आयु अनुरूप शिक्षा एन.आर.बी.सी के माध्यम से दी जा रही है। आयु अनुरूप कक्षा के दाखिले के लिए विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं।

- **समावेशित शिक्षा**

  हिमाचल प्रदेश में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे चाहे वे किसी भी प्रकार की श्रेणी की अपंगता से ग्रसित हो, वाले कुल 18,211 बच्चे चिन्हित किए गए हैं। 15,700 बच्चों को विभिन्न नियमित पाठशालाओं में लिया गया है तथा 2,511 बच्चों को विभिन्न रणनीतियों के तहत शिक्षा के दायरे में लाया गया है। 6–14 वर्ष तक की आयु के अधिक अक्षमता से ग्रसित विशेष आवश्यकताओं वाले इन बच्चों के लिए प्रारम्भिक स्तर पर गृह आधारित शिक्षा दी जा रही है। इन बच्चों में 530 बच्चों को विभिन्न जिलों में 24 गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाया गया है व शेष बच्चों को सेवारत अध्यापको द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है।

- **स्त्रोत शिक्षकों द्वारा शैक्षिक समर्थन**

  समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षकों का क्षमता निर्माण सर्व शिक्षा अभियान का अभिन्न अंग है। लगभग 1,332 सेवारत अध्यापकों को इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश भोज मुक्त विद्यालय (भोपाल) द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवाएं अति गम्भीर विकलांगता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम का सहारा लिया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षित अध्यापक प्रत्येक माह में लगभग 5 दिन इन बच्चों को गृह आधारित शिक्षा प्रदान कर रहें है। इन विशेष सुविधाओं को प्रदान करने में दैनिक जीवन के कौशल जैसेः (1)स्वंय सहायक कौशलः शौच, भोजन, स्नान आदि (2)मोटर क्रियाएंः इस के अन्तर्गत भौतिक चिकित्सक। व्यवसायिक चिकिसिक के द्वारा शारीरिक, मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों को प्रशिक्षिण प्रदान किया जाता है।

- **चिकित्सीय सेवायें**
  मस्तिष्क पक्षाघात वाले बच्चों की पहचान कर भौतिक चिकित्सकों, व्यावसायिक चिकित्सकों, स्पीच थैरेपिस्ट की सहायता से चिकित्सीय सेवाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई। चूंकि भौतिक चिकित्सकों की कमी के कारण यह सर्व शिक्षा अभियान के सामने बड़ी चुनौती थी इस आधार पर कुछ जिलों में उन्हें Visiting basis पर नियुक्त किया गया हैं।

- **IEP/ITP तैयार करना**
  प्रत्येक विशेष बच्चे का व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम तैयार किया गया और तदोपरान्त प्रत्येक विशेष बच्चें के लिए त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किये गये। हल्के और मध्यम श्रेणी के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए पहले चरण में क्रियात्मक शिक्षा लागू की गई। अब इस तरह के बच्चे को Open स्कूलों के माध्यम से स्कूल शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल किया जा रहा है।

- **व्यवसायिक प्रशिक्षण**
  कुछ अच्छे स्तर वाले विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए कई जिलों में व्यवसायिक प्रशिक्षण शुरू किये गये जैसेः मोमबत्ती बनाना, चॉर्ट बनाना, पेपर बैग फाइल कवर, लिफाफे आदि।

- **अभिभावकों के लिए परामर्श**
  पुनर्वास प्रक्रिया का महतवपूर्ण पहलू है विशेष बच्चों के अभिभावकों के लिए परामर्श प्रक्रिया, सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है व इसके परिणाम भी उत्साह जनक प्राप्त हुये है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में विशेष प्रशिक्षित अध्यापक जन गृह आधारित कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों को परामर्श देते है।

- **सामुदायिक भागीदारी**
  प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है व समुदाय का भरपूर समर्थन मिला है।

- **शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम**
  सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक और अन्य सहायक स्टाफ की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हे ओरिएंटेशन कार्यक्रम के द्वारा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने हेतु संसाधन शिक्षा महत्वपूर्ण रूप में कार्य कर रही है।

- **विशेष बच्चों के लिए देखभाल केन्द्र**
  जिला शिमला, मंडी और कांगड़ा में तीन देखभाल केन्द्र स्थापित किए गए है जिनमे लगभग 46 मानसिक व बहुविकलांग बच्चे शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

- **चिकित्सीय मूल्यांकन**
  सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान हेतु चिकित्सीय शिविर आयोजित किये जा रहे है। इन चिकित्सीय शिविरों द्वारा प्रत्येक बच्चे को आवश्यकतानुसार सहायता उपकरण जैसे व्हील चेयर, चश्मे, सी.पी.चेयर इत्यादि प्रदान की गई। उन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शल्य चिकित्सा की गई जिन्हें शैक्षणिक

व्यवस्था को लगाने तथा अपंगता का स्तर प्रमाणित करने के लिए उच्च स्तर पर स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क किया जा रहा है तथा इसके लिए योजना बनाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है।

- **आने–जाने के लिए यात्रा भत्ता**
  चिकित्सा शिविर में आने–जाने के लिए विशेष आश्यकता वाले बच्चों के लिए एक सहायक तथा यात्रा भत्ता दिया गया। गंभीर रूप से अक्षम श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समूह को शिविर तक लाने व ले जाने के लिए स्थानीय स्तर पर परिवहन सुविधा किराए पर लेने की स्वीकृति दी गई।
- **अच्छी व बड़े मुद्रण वाली पुस्तकें**
  शिमला के विशेष आश्यकता वाले बच्चों के स्कूल ढली में कक्षा I-VIII की अच्छे व बड़े अक्षर वाली पाठ्य पुस्तकें दी गई और हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अच्छी व बड़े मुद्रण वाली पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई।
- **बाधा रहित पहुंच**
  हिमाचल प्रदेश के कुल 2,875 विद्यालयों में जहां भवन में जगह सम्भव है, बाधा रहित पहुंच प्रदान की गई हैं।
- **आई.ई. क्रिया कलापों का मुल्याकंन**
  रिसार्स अध्यापकों व एन.जी.ओ. का सही मुल्याकंन के लिए राज्य परियोजना अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने एक मुल्याकंन प्रपत्र तैयार किया है जिनमें निम्न प्रकार की शर्ते होगीं।

i) सर्व शिक्षा अभियान द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी गैर–सरकारी संगठन को वित्तिय सहायता न प्रदान करना।

ii) सभी गैर–सरकारी संगठनों के पास प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों का भारतीय पुर्नवास परिषद् (RCI) से पंजीकृत होना आवश्यक है।

iii) सभी संसाधन शिक्षकों को प्रतिमाह अपनी मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला के समावेशित समन्वयक व खण्ड स्त्रोत समन्वयक को जमा करवाना आवश्यक है और अन्त में सभी जिला के परियोजना अधिकारियों द्वारा संकलित रिर्पोट राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना आवश्यक है।

## शैक्षणिक व्यवस्था में सभी बच्चों को रखे रखना

**16.7** राज्य में विद्यालय से बाहर रह रहे बच्चों व स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर बहुत कम है या न के बराबर है। राज्य सरकार स्कूल छोड़ने की प्रवृति कम करने में सफल रही है। डी.आई.एस.ई. डाटा के अनुसार एलिमैंटरी स्तर पर यह दर बहुत ही कम है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य परियोजना कार्यालय ने सभी सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं का सर्वेक्षण करवाने पर पाया कि वर्ष 2001–02 में 98 प्रतिशत बच्चे ग्रेड–1 नामांकित थे तथा 2 प्रतिशत बच्चे ही प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ड्राप आउट रेट चैक करने में काफी हद तक सफल रही है। परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान ने **"प्रथम"** के साथ मिलकर बच्चे की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था विकसित कर रहा है।

## बालिका शिक्षा

**16.8** प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रदेश के चार जिलों शिमला, मण्डी, सिरमौर तथा चम्बा जिला के 8 शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में प्रारम्भिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) चल रहा है। (चम्बा के मेहला, पांगी, तीसा, भरमौर व सलूणी, जिला मण्डी के सराज, जिला शिमला के चौहारा व जिला सिरमौर के शिलाई ब्लॉक) में जहाँ 1991/2001 जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से नीचे व लिंग अनुपात राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। तीन खण्ड़ चम्बा का भरमौर, शिमला का चौहारा व मण्ड़ी का सरॉज जो 1991 जनगणना के अनुसार NPEGEL की शर्तों को पूरा कर रहे थे, अब 2001 की जनगणना अनुसार इन खण्डों में साक्षरता दर राष्ट्रीय स्तर से ऊपर है। मॉडल स्कूल स्कूलों में एक अतिरिक्त कमरा, लड़कियों के लिए शौचालय, बालिका–शिक्षा अनुकूल शिक्षण अधिगम साम्रगी, पुस्तकालय व खेल गतिविधियां आदि की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त NPEGEL के अन्तर्गत शिक्षा कौशल गतिविधिया जैसें कराटे, सिलाई, चम्बा रूमाल कढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक उपचार, योग, चित्रकला, दरी बनाना, आचार, चटनी बनाना, स्वास्थ्य शिक्षा योग, कम्पयूटर शिक्षा, मोमबती बनाना, हस्तकला, उद्यान एवं बागवानी, अग्निशमन, मशरूम उत्पादन, खिलौने बनाना, बुनाई, टाट–पटटी बनाना, झाड़ू बनाना इत्यादि।

## कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

**16.9** वर्तमान मे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े खण्डों में विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं व अल्पसंख्यक (Minority) बालिकाओं के लिए 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) का प्रावधान किया गया हैं। इन प्रत्येक विद्यालय में 50 बालिकाएं इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं। 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में से 8 विद्यालय पूर्णतया निर्मित है व 2 विद्यालय प्रगति पर हैं।

## बच्चों के सीखने का स्तर

**16.10** राज्य में आठवीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा पहले ही समाप्त कर दी गई है और कोई भी बच्चा प्रारम्भिक स्तर तक किसी प्रकार की औपचारिक परीक्षा नहीं देगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, धारा 29 के तहत सभी प्रारम्भिक पाठशालाओं सतत समग्र मूल्यांकन माध्यम द्वारा बच्चों का मूल्यांकन जॉच पुस्तिका में दर्ज किया जाता है। आज रटना, व लिखित परीक्षा के बजाए उपचारात्मक शिक्षण पर बल दिया गया है। बच्चों के अधिगम संवर्धन हेतु प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दो महत्वकांक्षी कार्यक्रम 'आधार' व 'संवृद्धि' चलाए गए है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को सीखने की गति को Child Tracking प्रणाली द्वारा ग्रेड दर्ज किया जाएगा। इस प्रणाली के अन्तर्गत विशेष रूप से विकसित सॉफटवेयर में छात्रों की उपलब्धियॉ, शैक्षिक प्रगति और अन्य प्रासंगिक जानकारी का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस अभिलेख में छात्र का कक्षावार, स्कूल, संकूल, खण्ड व जिलावार प्रगति का त्रैमासिक संकलन किया जाता हैं। इस सॉफटवेयर में प्रत्येक बच्चें की संचयी उपलब्धि को स्कूली शिक्षा पूर्ण होने तक रिकॉर्ड रखा जाएगा। प्रत्येक बच्चें को अलग पहचान संख्या दी जाएगी ताकि बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल (राज्य में

अपितु राज्य के बाहर) आसानी से Trace किया जा सकेगा।

## विद्यालयों का मुल्याकंन

**16.11** निरीक्षण, अनुश्रवण और मूल्यांकन को राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत की जा रही विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण किया जाता है ताकि इनका कार्यान्वयन सही ढ़ंग से हो सके। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत राज्य मिशन प्राधिकरण, सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश ने अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट में अनुश्रवण को आवश्यक रूप से शामिल किया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राज्य अनुश्रवण समिति बनाई गई है जिसमें पांच सदस्य मुख्यालय, एक सदस्य डाईट तथा सम्बन्धित कार्य क्षेत्र के अधिकारी शामिल है। अनुश्रवण समिति स्कूल के विकास तथा अन्य संबन्धित जानकारियां अनुश्रवण प्रपत्र पर भरती है तथा उन पर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा की जाती है। अब तक 67 खण्डों के 700 से अधिक विद्यालयों व सभी कस्तूरबा बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जा चुकी हैं।

## क्षमता निर्माण

**16.12** SIEMAT द्वारा राज्य के खण्ड स्त्रोत समन्वयकों (BRCs) की SSA, RTE व EFA सम्बन्धित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तिमाही बैठक/कार्यशाला शुरू की गई है। सभी BRCs को नियमित रूप से विभिन्न खण्ड व स्कूल स्तर पर गतिविधियों व कार्यक्रमों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

## शिक्षा की गुणवता में सुधार के प्रयास

**16.13**

- **पाठ्य क्रम/पाठ्य पुस्तक नवीकरण**

  कक्षा पहली से पांचवी तक पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का NCF 2005 के अनुसार नवीकरण किया जा रहा है। इस कार्य को पूरा करने के लिए पाठ्य क्रम लेखकों (प्राथमिक अध्यापक, SCERT संकाय व विशेषज्ञ) के समूह को चिन्हित किया गया है। पाठ्य क्रम को तैयार करने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा हैं।

- **अध्यापक प्रशिक्षण**

  अध्यापकों का सशक्तिकरण करना सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य है। प्रतिवर्ष प्रारम्भिक अध्यापकों के लिए 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

- **शिक्षण अधिगम सामग्री/बाल मेला**

  यह आयोजन अध्यापक और बच्चों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केन्द्र है। इसमें अध्यापकों और बच्चों को एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करने का मौका मिलता है ।

- **कार्यात्मक (Functional) पुस्तकालय**

  राष्ट्रीय पाठयचर्या प्रारूप – 2005 इस बात पर जोर देता है कि बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करें। पुस्तकालय को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां विभिन्न स्तरों पर की जा रही है :–

i) पुस्तकालय का प्रयोग प्रशिक्षण मॉडयूल का एक अभिन्न अंग है।

ii) रूम टू रीड के सहयोग से 200 स्कूलों व 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों मे पुस्तकालय स्थापित करना।

iii) बच्चों और अध्यापकों से प्राप्त रचनाओं के आधार पर अक्कड़–बक्कड़ पत्रिका का प्रकाशन।

- गुणवता को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर 'आधार' कार्यक्रम प्राथमिक स्तर और सम्वृद्वि कार्यक्रम उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए चलाए जा रहे हैं । अनुपूरक सामग्री तैयार की गई तथा प्रदेश के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध करवाई गई हैं ।
- अध्यापकों की सक्रिय भागीदारी द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण मॉडूल राज्य स्तर पर तैयार किया गया।
- कम्पयूटर सहायक अधिगम (CAL) कार्यक्रम प्रदेश में 1,077 स्कूलों में 6–8 कक्षा के बच्चों के लिए शुरू की गई है। अध्यापक प्रशिक्षण मे एवरान का सहयोग लिया जा रहा है। 282 पाठशालाओं में यह कार्य एवरान एजुकेशन लिमिटिड को सौंपा गया है। शेष 795 पाठशालााओं में उपलब्ध अध्यापकों द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- गिरिराज साप्ताहिक के माध्यम से प्रचार–प्रसार सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी एवं उपलब्धियां हिमाचल सरकार द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र 'गिरिराज साप्ताहिक' के अन्तिम बुधवार को प्रतिमाह प्रकाशित की जा रही हैं। साप्ताहिक के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा प्रारम्भिक शिक्षा संबंधी समस्त गतिविधियों एवं उपलब्धियों को समस्त जन समुदाय/ अध्यापकों/ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों तक पहुंचाया जा रहा है।
- राज्य स्तर पर SCERT, DIETs, SMCs मुख्य अध्यापकों, प्रशिक्षित अध्यापकों व अध्यापकों के सहयोग से प्रधान शिक्षा सचिव हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए 'गुणवत्ता योजना' (Quality Plan) तैयार किया गया। इस योजना को दोबारा उप–निदेशक (एस0एस0ए0) जिला परियोजना अधिकारी (एस0एस0ए0), BPEOs (खण्ड प्राथमिक अधिकारी) खण्ड स्त्रोत समन्वयक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, SMCs/स्त्रोत समूह के सदस्यों व शिक्षकों के साथ चर्चा की गई। सभी स्कूलों में

पदाधिकारियों को 'राज्य गुणवत्ता' योजना के विभिन्न पहलुओं और प्रावधानों को स्कूली शिक्षा में लागू करने के निर्देश दिए गए है।

- शिक्षा में गुणवत्ता के लिए स्कूल प्रणाली में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान अनुसार पुर्नउत्थान किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश "बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009" के अन्तर्गत राज्य के शिक्षा का अधिकार नियम (RTE Rules) की 01–04–2010 अधिसूचना जारी कर दी गई है।

### खेल–कूद किया–कलाप

**16.14** वर्ष 2012–13 में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में बच्चों की खेल–कूद क्रिया कलाप के लिए ₹93.00 लाख का प्रावधान है। इससे बच्चों को केन्द्र स्कूलों, खण्ड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर तक के खर्च को वहन किया जाता है। विभाग इन गतिविधियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा युवा खेल सेवाऐं विभाग के सहयोग द्वारा प्रायोजित करता है ।

### योग शिक्षा

**16.15** योग शिक्षा, इतिहास, संस्कृति और हिमांचल के युद्व बीरों के लिए विभाग द्वारा कक्षा छठी से आठवीं तक के लिए एक विशेष पुस्तक बनाई है जिसे आगामी शैक्षणिक सत्र 2012–13 से हिमाचल की सभी पाठशालाओं में लागू कर दिया गया है।

### प्राथमिक शिक्षा के भवनों का निमार्ण बारे

**16.16** वर्ष 2012–13 के लिए सरकार ने ₹654.00 लाख का बजट प्रावधान किया है ताकि स्कूलों की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके जिसके साथ प्रदेश की जरूरतमंद पाठशालाओं को कमरों की मांग पूरी की जा सके ।

## उच्च /उच्चतर शिक्षा

**16.17** राज्य सरकार ने शिक्षा को उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर लिया है जिसके फलस्वरूप शिक्षा पर होने वाला व्यय हर वर्ष बढ़ता जा रहा है उसी तरह इसके संस्थानों में भी बढ़ौतरी हो रही है। दिसम्बर,2012 तक 836 उच्च पाठशालाएं, 1,330 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 80 महाविद्यालय हैं जिसमें एस.सी.ई.आर.टी., बी.एड. तथा 05 संस्कृत महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं, राज्य में कार्यरत हैं।

### छात्रवृति योजनाएं

**16.18** समाज के वंचित वर्ग के शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए राज्य व केंद्रीय सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां/ वजीफे प्रदान किये जा रहे हैं। छात्रवृतियां निम्न प्रकार से हैं:–

(i) **स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के शीर्ष 2,000 मेधावी छात्रों को 10वीं की परीक्षा के परिणाम पर आधारित जमा एक व जमा दो कक्षाओं के लिए ₹10,000 की राशि वार्षिक प्रति छात्र/छात्रा छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011–12 में 2,908 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(ii) **ठाकुर सैन नेगी उत्कृष्ठ छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जन–जाति के 100 छात्र तथा 100 छात्राओं को 10वीं की परीक्षा में घोषित परिणाम के मेधावी छात्रों में से जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए ₹11,000 की राशि प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 2011–12 में 319 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(iii) **महर्षि बाल्मिकी छात्रवृति योजनाः** बाल्मिकी समुदाय की सभी छात्राओं को जिनके अभिभावक (स्वच्छता से संबंधित) अस्वच्छ व्यवसाय करते हैं को दसवीं कक्षा से विश्वविद्यालय स्तर तक ₹ 9,000 प्रति छात्रा प्रति वर्ष छात्रवृति प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2011–2012 में 57 छात्राओं को यह छात्रवृति प्रदान की गई है।

(iv) **डा. अम्बेदकर मेधावी छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1,000 और 1,000 अन्य पिछड़ा वर्ग के मेधावी छात्रों को मैट्रिक के परीक्षा के परिणाम घोषित मेधावी छात्रों में से को जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं के लिए योग्यता के आधार पर ₹10,000 वार्षिक प्रति छात्र छात्रवृति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2011–12 में 1,391 अनुसूचित जाति और 1,338 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

(v) **उच्च विद्यालय मेधावी छात्रवृति योजनाः** यह छात्रवृति 300 उन छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाती है जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा में मैरिट प्राप्त की हो। डे स्कोलर को ₹1,000 तथा छात्रवास में रहने वालों को ₹ 1,500 प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2011–12 में 98 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की गई है।

(vi) **संस्कृत छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 9वीं एवं दसवीं कक्षा के लिए ₹ 250 प्रति माह तथा जमा एक एवं जमा दो के लिए ₹300 प्रतिमाह की दर से उन्हें प्रदान की जाती है जिन्होंने संस्कृत विषय में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया हो।

(vii) **इन्दिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृति योजनाः** इस योजना के अन्तर्गत 150 छात्र/छात्राओं को जमा दो परीक्षा के बाद महाविद्यालय स्तर तक पढ़ने या व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने पर ₹ 10,000 वार्षिक छात्रवृति प्रति छात्र/छात्रा बिना किसी आर्थिक आधार पर पूर्णतयः मैरिट के आधार पर प्रदान किये जातें हैं। वर्ष 2011–12 में 124 छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया।

उपरोक्त छात्रवृति योजनाओं के अलावा अन्य छात्रवृति योजनाएं प्रदेश में इस प्रकार हैः–

**1. आई.आर.डी.पी.छात्रवृति योजनाः**

इस योजना के अतर्गत ₹300 प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को, ₹ 800 मासिक +1 व +2 के छात्रों तथा ₹ 1,200 मासिक महाविद्यालय स्तर के उन विद्यार्थियों को जो छात्रावास में नहीं रहते हैं ₹ 2,400 मासिक जो छात्रावास में रहते हैं तथा आई.आर.डी.पी. परिवारों से संबंध रखते हैं और सरकार द्वारा संचालित या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं को

प्रदान किये जाते हैं। वर्ष 2011–12 में 89,245 छात्रों को लाभान्वित किया गया ।

2. **विभिन्न युद्वों के दौरान मारे गए/अपंग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए छात्रवृतिः**

इस योजना के अतर्गत ₹300 (छात्र) तथा ₹ 600 (छात्रा) प्रतिमाह कक्षा 9वीं और 10वीं तथा ₹ 800 मासिक +1 व +2 छात्रों तथा ₹1,200 मासिक महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय/ छात्रावास में न रहने वाले स्तर के विद्यार्थियों तथा ₹ 2,400 मासिक छात्रावास में रहने वाले छात्रों को प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न संकियाओं/ युद्वों के दौरान मारे गए/ अंपग हुए सशक्त सेनाओं के कार्मिकों के बच्चे इस छात्रवृति के पात्र हैं।

3. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना):**

इस छात्रवृति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों/ छात्राएं जिनके माता पिता की वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम हो व अनुसूचित जन–जाति के छात्र/ छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹1,08,000 से कम हो तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹44,500 से कम हो। वे सभी पाठयक्रमों के लिए पूरा निर्वाह भत्ता और पूरी फीस के छात्रवृति नियमानुसार पात्र होगें। यह छात्रवृति उन्हीं छात्र/छात्रों को दी जाएगी जो पात्र छात्र/छात्राएं सरकारी/ सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत हो। वर्ष 2011–12 में कुल लाभार्थी अनुसूचित जाति–11,235, अनुसूचित जन–जाति –3,819 अन्य पिछड़ा वर्ग–5,664 है।

4. **सैनिक स्कूल छात्रवृति योजनाः**

यह छात्रवृति उन विद्यार्थियों को देय है जो सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में कक्षा 6 से 10+2 कक्षा तक पढ़ रहे हों तथा हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हो। वर्ष 2011–12 में कुल 520 विधार्थी लाभान्वित किए गये।

5. **पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए(केन्द्रीय प्रायोजित योजना):**

यह छात्रवृति उन छात्र/छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹ 44,500 से अधिक न हो यह छात्रवृति सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ही मान्य होगी। वर्ष 2012–13 के लिए इस योजना के अंतर्गत 22,756 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रावधान है।

6. **अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की छात्राओं को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के लिए अनुदानः**

इस योजना के अंतर्गत अनुदान राशि हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति की उन छात्राओं को देय है जिन्होंने हि0प्र0 शिक्षा बोर्ड से आंठवीं की परीक्षा उतीर्ण कर नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो को अनुदान राशि ₹ 3,000 दी जाती है। वर्ष 2011–12 में 7,718 लड़कियों को लाभान्वित किया गया।

## संस्कृत शिक्षा का प्रसार

**16.19** संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु प्रदेश सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं जिनका विवरण निम्न है:–

(क) उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृति प्रदान करना।

(ख) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाने वाले संस्कृत प्रवक्ताओं के वेतन के लिए अनुदान देना।

(ग) संस्कृत विद्यालयों का आधुनिकीकरण करना।

(घ) प्रदेश सरकार को संस्कृत उत्थान तथा शोध/शोध परियोजना हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना।

## अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

**16.20** प्रदेश में सेवारत अध्यापकों को शिक्षा की नवीनतम तकनीक से परिचित करवाने के उद्धेश्य से इनटेल तकनीक इंडिया प्राईवेट लिमिटिड बैंगलूर द्वारा कम्पयूटर की शिक्षा पूरे प्रदेश में दी जा रही है और इन कार्यक्रमों को और भी सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एस.सी.ई.आर.टी., सोलन, जी.सी.टी.ई. धर्मशाला, फेयरलॉन, शिमला/ एन.आई.ई.पी.ए., नई दिल्ली/ सी.सी.आर.टी/ एन.सी.ई.आर.टी./ आर. आई.ई. अजमेर आदि संस्थानों में विभिन्न संगोष्ठियों तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

## यशवन्त गुरूकुल आवास योजना

**16.21** प्रदेश के जन–जातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों के उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में नियुक्त अध्यापकों को समुचित आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 1999 से चलाई गई है। इसके अंतर्गत 61 पाठशालाएं चिन्हित की गई हैं।

## निःशुल्क पाठय पुस्तकें

**16.22** राज्य सरकार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आई.आर.डी.पी. से सम्बन्धित विद्यार्थियों को छठी से दसवीं कक्षा तक पाठयक्रम की पुस्तकें मुफत दी जा रही हैं। वर्ष 2011–12 में इस योजना के अंतर्गत ₹ 9.61 करोड़ व्यय किए गए जिससे 1,38,704 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

## व्यवसायिक शिक्षा

**16.23** व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम वर्तमान में 25 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में चलाया जा रहा है जिसमें 6 पाठयक्रम पढ़ाये जा रहे हैं।

(i) इलैक्ट्रोनिक टैकनोलोजी।
(ii) कम्पयूटर तकनीक।
(iii) लेखा परीक्षा।
(iv) इलैक्ट्रिकल।
(v) उद्यान।
(vi) फूड प्रीजर्वेशन

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 75 नए स्कूलों में चार नए पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक शिक्षा औटोमोवाईल, खुदरा, सुरक्षा तथा आई.टी. आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है।

## विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

**16.24** 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग छात्रों को विश्वविद्यालय स्तर तक वर्ष 2001–02 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हैं।

## छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा

**16.25** प्रदेश में विश्वविद्यालय स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है जिसमें व्यवसायिक एवं

प्रौफैशनल पाठ्यक्रम भी सम्मिलित है। केवल शिक्षा शुल्क ही माफ किया जा रहा है।

## सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा

**16.26** प्रदेश के 968 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा दी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 4,764 विद्यार्थी वर्ष 2011–12 के दौरान लाभान्वित हुए। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अनुसूचित जाति, बी.पी.एल. परिवारों के छात्रों को 50 प्रतिशत आई.टी. में शुल्क छूट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से देने की घोषणा की है।

## राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः

**16.27** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक स्तर यानि 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं को प्रभावी बनाने हेतु आरम्भ किया गया है। यह परियोजना भारत सरकार के 75 प्रतिशत और राज्य सरकार के 25 प्रतिशत के पैट्रन में कार्यान्वित की जा रही है। पी.ए.बी. द्वारा इस परियोजना के लिए ₹ 20,698.15 लाख की राशि की मंजूरी दे दी है जिसमें से ₹ 2,801.62 लाख की राशि विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त कर ली गई है और इसका उपयोग स्कूल वार्षिक अनुदान, सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के मुख्याध्यापकों/ प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के अंतर्गत स्वीकृत उच्च स्कूलों के स्टाफ के मानदेय के लिए उपयोग किया जा रहा है।

## आदर्श विद्यालय

**16.28** माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आदर्श विद्यालयों को खोले जाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए शिक्षा खण्डों के अंतर्गत जहां ग्रामीण महिला शिक्षा दर 46.13 प्रतिशत से कम है और जैण्डर गेप 21.59 प्रतिशत से अधिक है। समस्त विद्यार्थियों को विशेषकर शिक्षा में अक्षम छात्राओं को जो कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग से संबन्धित हैं को पूर्ण रूप से शिक्षित किया जाना है ताकि विद्यार्थियों को वर्तमान युग में प्रतिस्पर्धात्मक गुण में वृद्वि के साथ–साथ रोजगारनोमुख अवसर प्राप्त हो सके। इन प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में चम्बा जिले के पांगी, तीसा, सलूनी एवं मैहला खण्ड तथा सिरमौर जिला के शिलाई खण्ड को चुना है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में पांच आदर्श पाठशालाएं स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 के लिए 90 प्रतिशत केन्द्रीय भाग के रूप में ₹ 6.78 करोड़, हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसाइटी –कम–सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन ओथोरिटी को जारी कर दिए हैं तथा ₹ 0.75 करोड़ (10 प्रतिशत राज्य भाग के रूप में) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला चम्बा तथा सिरमौर में दिए गए हैं।

## शिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों को छात्रावासः

**16.29** केन्द्रीय प्रायोजित यह योजना शिक्षा के पिछड़े खण्डों की माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं

की छात्राओं के लिए छात्रावास बनने एवं छात्रावास सुविधा को सशक्त करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे की 9वीं से 12वीं तक की छात्राएं लाभान्वित होगी। यह योजना शिक्षा के पिछड़े खण्डों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने एवं लिंग अनुपात को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेगी। केन्द्र सरकार का 90 प्रतिशत भाग जो कि ₹ 95.63 लाख की पहली किश्त के स्वरूप में जारी कर दी है तथा राज्य सरकार की 10 प्रतिशत, ₹ 9.56 लाख की पहली किश्त प्रस्तावित है। जिला सिरमौर व चम्बा के पक्ष में शिलाई और सांच के लिए क्रमशः ₹19.12 लाख और ₹ 6.37 लाख राज्य भाग के रूप में जारी कर दिये हैं।

## सूचना एवं प्रसारण प्रोद्यौगिकी

**16.30** यह योजना मानव विकास संसाधन मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 628 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 9वीं से 12वीं कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को LCD टेलिविजन और LCD Projector के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एक Computer lab और 2 smart classrooms बनवाए जाएगें। चरण–।। एवं ।।। में 618 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं, 848 उच्च पाठशालाओं तथा 5 स्मार्ट स्कूलों को इस परियोजना के अंतगर्त लाया जा रहा है और यह परियोजना मार्च,2016 तक जारी रहेगी।

## तकनीकी शिक्षा

**16.31** वर्ष 1968 में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विभाग की स्थापना की गई थी तथा जुलाई 1983 में व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी इस विभाग के अर्न्तगत् लाया गया। वर्तमान में विभाग का कार्य क्षेत्र तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। आज हिमाचल प्रदेश के इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी प्रदेश में ही तकनीकी शिक्षा तथा फार्मेसी में स्नातक डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स स्तर की शिक्षा के लिए विभिन्न संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। प्रदेश मे इस समय 1 राष्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, 1 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मण्डी स्थित कमांद, 1 जवाहर लाल नेहरू राजकीय इन्जीनियरिंग महाविद्यालय सुन्दरनगर, 1 राष्ट्रीय फैंशन टैक्नोलाजी संस्थान कांगड़ा, 17 निजी इन्जीनियरिंग कालेज, 10 सरकारी बहुतकनीकी संस्थान और 18 निजी क्षेत्र में बहुतकनीकी संस्थान, 75 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एक संस्थान विकलांग व्यक्तियों के लिए, 8 महिला प्रशिक्षण संस्थान, 1 मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 122 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, एक राजकीय बी–फार्मेसी महाविद्यालय रोहडू, निजी क्षेत्र में 12 बी–फार्मेसी महाविद्यालय और 2 डी–फार्मेसी प्रदेश में कार्यरत हैं। इंजीनियरिंग एवं बी–फार्मेसी महाविद्यालयों में स्नातक स्तर की शिक्षा दी जाती है। 11 इंजीनियरिंग एवं नान–इंजीनियरिंग शाखाओं में डिप्लोमा स्तर की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान की जा रही है। आई.टी.आई. में 1,2 और 3 वर्षीय पाठयक्रमों द्वारा 24 विभिन्न इंजीनियरिंग और 22 गैर–इंजीनियरिंग शाखाओं में सर्टीफिकेट स्तर तक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा स्तर–वार क्षमता निम्नानुसार हैः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | डिग्री स्तर | – | 7,490 |
| 2. | बी फार्मेसी | – | 940 |
| 3. | डिप्लोमा स्तर | – | 9,610 |
| 4. | आई.टी.आई./ आई.टी.सी. | – | 29,780 |
| | **कुल** | – | **47,820** |

**16.32** इसके अतिरिक्त 01 इंजीनियरिंग कालेज बंदला जिला बिलासपुर में तथा 05 बहुतकनीकी क्रमशः एक–एक बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर तथा लाहौल एवं स्पिति में शैक्षणिक सत्र अगस्त, 2013 में खोले जाने प्रस्तावित है। जवाहर लाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सुन्दरनगर को शिक्षा गुणवता सुधार कार्यक्रम (द्वितीय चरण) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस महाविद्यालय में भौतिक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने हेतु ₹12.25 करोड़ मंजूर किए गए हैं। भारत सरकार/ विश्व बैंक से कुल स्वीकृत राशि ₹12.25 करोड़ में से ₹2.02 करोड़ की धनराशि 90:10 पैटर्न पर जारी कर दी गई है। वर्तमान में चल रहे 9 बहुतकनीकी संस्थानों में महिला छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु ₹ 1.00 करोड़ प्रत्येक संस्थान की दर से तथा ₹ 2.00 करोड़ प्रति संस्थान की दर से सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।

**16.33** कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई स्किल डबल्पमैन्ट इन्सीएटिव स्कीम के अन्तर्गत स्कूल छोड़ चुके नौजवान, अकुशल एवं कुशल कामगार जो कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं, की कुशलता का स्तर बढ़ाने हेतु इस समय विभाग में 104 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (65 सरकारी क्षेत्र और 39 निजी क्षेत्र) पंजीकृत हैं, कुल स्वीकृत राशि ₹7.62 करोड़ में से ₹3.90 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत 15,384 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और 2,230 व्यक्ति विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

**16.34** विभाग में 14 विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोलन, उना, रामपुर, शमशी, मण्डी, चम्बा, शाहपुर, नादौन, नाहन, शिमला तथा रिकांगपीओ तथा आई.टी.आई. (महिला) मण्डी, आई.टी. आई. (महिला) शिमला तथा आईटीआई रोंगटोंग (काजा) को श्रेष्ठ केन्द्रों (Centres of Excellence) में स्तरोन्नत किए हैं तथा कुल ₹2,722.00 लाख की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। यह राशि इन संस्थानों में आधुनिक औजार एवं उपकरण, अध्यापकों को मानदेय एवं प्रशिक्षण प्रदान करना तथा भवन निर्माण इत्यादि पर खर्च की जा रही है।

**16.35** औद्योगिक क्षेत्र में प्रशिक्षणार्थियों को अधिक रोजगार प्रदान किए जाने हेतु उनकी निपुणता को निखारने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस के अतिरिक्त 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सार्वजनिक एवं निजी सांझेदारी प्रथा जिस बारे राज्य स्तरीय कमेटी और सी.आई.आई., पी.एच.डी. चेम्बर ऑफ कार्मस एवं हिमाचल प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संगठनों में आपसी परामर्श उपरान्त स्तरोन्नत किया गया है तथा ₹ 82.50 करोड़ की धनराशि संबंधित संस्थानों में भारत सरकार से भी प्राप्त हो चुकी है।

# 17 स्वास्थ्य

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

**17.1** लोगों को प्रभावी एवं सुगम इलाज के लिए सरकार ने चिकित्सा सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सेवाएं आरोग्य देने वाली, प्रतिबंधक, प्रोमोटिव एवं पुर्नवास जैसी सेवाएं 54 चिकित्सालयों, 76 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 473 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो, 11 ई. एस.आई. औषधालयों तथा 2,066 उपकेंद्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम उपकरण, विशेष सुविधाएं, डाक्टर तथा पैरा मैडिकल स्टाफ को सुदृढ़ करने के लिए वर्तमान ढांचे को सुदृढ़ कर रही है।

**17.2** वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में विभिन्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

i) **राष्ट्रीय वैक्टर बोरन रोग नियंत्रण कार्यक्रमः** इस कार्यक्रम के अंतर्गत 61 ज्वर चिकित्सा डिपो कार्य कर रहे हैं। वर्ष के दौरान (नवम्बर,2012तक) इस कार्य के अंतर्गत 3,66,620 रक्त पटिकाओं का परीक्षण किया गया जिनमें से 208 अनुकूल पाई गई और इस अवधि में कोई भी मृत्यु का मामला प्रकाश में नही आया ।

ii) **राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रमः** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचलित दर जो वर्ष 1995 में 5.14 प्रति दस हजार थी, 30.11.2012 में घटकर 0.25 प्रति दस हजार रह गई। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1994–95 में कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया और विश्व बैंक की सहायता से जिलों में कुष्ठ रोग समितियां गठित की गई। 2012–13 के दौरान नवम्बर,2012 तक 114 नए पीड़ित रोगियों का पता लगाया गया तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत 115 मामले रोग मुक्त किए गए तथा 184 कुष्ठ रोगी उपचाराधीन हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से मुफत में एम.डी.टी. प्राप्त कर रहे हैं।

iii) **राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रमः–** इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 1 क्षय रोग चिकित्सालय, 12 जिला क्षय रोग केंद्र/क्लीनिक,44 क्षयरोग युनिट और 175 माईक्रोस्कोपिक केंद्र, जिनमें 310 बिस्तरों का प्रावधान है, कार्यरत हैं। वर्ष 2012–13 में 30.9.2012 तक 10,788 नए रोगियों का पता लगाया गया जिनमें इस बीमारी के लक्षण अनुकूल पाए गए तथा 58,651 व्यक्तियों के थूक की जांच की गई। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सभी जिलों को इस परियोजना के अंतर्गत लाया गया है।

iv) **राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रमः**– वर्ष 2012–13 में निर्धारित लक्ष्य 21,000 के अन्तर्गत नवम्बर,2012 तक 17,244 मोतिया विन्द आप्रेशन किये गये जिनमें 16,834 मोतिया विन्द आप्रेशन में आई.ओ.एल लगाए गये। वर्ष 2012–13 के दौरान 1,20,000 स्कूली बच्चों की नेत्र स्क्रीनिंग तथा आंखों की रोशनी की जांच का लक्ष्य है जिसके अंतर्गत नवम्बर,2012 तक 1,77,966 विद्यार्थियों की जांच की गई।

v) **राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमः**– यह कार्यक्रम प्रदेश में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंग के रूप में सामुदायिक आवश्यकता निर्धारण नीति के आधार पर चलाया जा रहा है। भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिवार कल्याण क्रियाकलापों का अनुमान संबंधित क्षेत्र/जनसंख्यां की जरूरतों अनुसार बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के दौरान नवम्बर,2012 तक क्रमशः 3,726 बन्धयाकरण, 12,980 लूप निवेश, ओ. पी. प्रयोगकर्ता 27,142 एवं सी.सी. प्रयोगकर्ता 71,992 किए गए।

vi) **व्यापक टीकाकरण कार्यक्रमः**– हिमाचल प्रदेश में यह कार्यक्रम आर. सी.एच. के अंतर्गत चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माताओं, बच्चों तथा बहुत छोटे बच्चों में मृत्यु दर तथा रूग्णता को कम करना है। टीकाकरण से बचाव वाली अन्य बिमारियों जैसे क्षयरोग, गलघोटू घनुष्टकार नवजात टैटनस, पोलियो तथा खसरा जैसी बीमारियों में भी गत वर्षों में सराहनीय कमी आई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे सारणी 17.1 में दी गई हैः–

**सारणी संख्या 17.1**

| क्र. सं. | मद | 2012–13 | |
|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धियां (नवम्बर 2012 तक) |
| 1 | डी0 पी0 टी0 | 115000 | 72976 |
| 2 | पोलियो | 115000 | 73068 |
| 3 | बी0 सी0 जी0 | 115000 | 78468 |
| 4. | हैपाटाइटस–बी | 115000 | 73104 |
| 5 | मीजल | 115000 | 75102 |
| 6 | विटामिन ए (पहली खुराक) | 115000 | 73077 |
| 7 | पोलियो (बुस्टर) | 116000 | 66001 |
| 8 | डी0 पी0 टी0 (बुस्टर) | 116000 | 66063 |
| 9 | विटामिन ए (पांचवीं खुराक) | – | 83652 |
| 10 | डी0 टी0 (5–6 वर्ष) | 115000 | 71851 |
| 11 | टी0 टी0 (10 वर्ष) | 115000 | 88218 |
| 12 | टी0 टी0 (16 वर्ष) | 128000 | 102531 |
| 13 | टी0 टी0 (गर्भवती मातायें) | 132000 | 73005 |
| 14 | माताओं को आयरन फालिक एसिड | 132000 | 69597 |

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष की तरह पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान पुनः चलाया गया। इस अभियान का प्रथम चरण 20.01.2013 तथा दूसरा चरण 24.02.2013 के लिए निर्धारित किया गया था।

vii) **राष्ट्रीय एडस नियंत्रण कार्यक्रमः**– वर्ष 2012–13 में दिसम्बर,2012 तक 1,20,211 जांच किए व्यक्तियों में से 545 एच.आई.वी. के अनुकूल मामले

पाए गए। रक्त सुरक्षा के अधीन राज्य में 18 रक्त बैंक कार्यरत हैं।

- **एकीकृत जांच एवं परामर्श केन्द्र कार्यकम** :–हिमाचल प्रदेश में कुल 49 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्रों द्वारा जांच एवं परामर्श सुविधाएं प्राप्त करवाई जा रही है। वर्ष 2012–13 के दौरान कुल जांच किए गए लोगों में 35,187 गर्भवती महिलाएं थीं जिनमें से 21 एच.आई. वी. से ग्रसित हैं। हिमाचल प्रदेश में दो मोबाईल आई.सी.टी.सी. वैन भी कार्यरत है।
- **यौन रोग नियंत्रणः**– हिमाचल प्रदेश में कुल 18 आर.टी.आई./ एस.टी.आई क्लीनिक द्वारा यौन रोगियों का उपचार किया जा रहा है। 2012–13 में 16,786 लोगों ने आर. टी.आई./ एस.टी.आई. सेवाएं लीं।
- **रक्त सुरक्षा कार्यकमः**–राज्य में 15 रक्त कोषों के माध्यम से रक्त एकत्रित किया जा रहा है। 3 ब्लड कम्पोनेंट सेपरेषन युनिट आई.जी. एम.सी. शिमला, जोनल अस्पताल मण्डी और आर.पी.जी.एम.सी.टांडा में कार्यरत हैं। वर्ष 2012–13 में 247 स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। प्रदेश में स्वैच्छिक रक्तदान की प्रतिशतता 2012–13 में 86 प्रतिशत पाई गई। एक मोबाईल रक्त बस 4 डोनर कोचों के साथ भी राज्य में कार्यरत हैं।
- **एंट्री रेट्रोवायरल उपचार कार्यकमः**– प्रदेश में 3 एंट्री रेट्रोवायरल उपचार केन्द्र .आई.जी. एम.सी. शिमला, जिला अस्पताल हमीरपुर और आर.पी.जी.एम.सी.टांडा में स्थित है और 8 लिंक ए.आर.टी. केन्द्रों द्वारा एच.आई.वी. के साथ रह रहे लोगों को मुफत दवाईयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- **लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाए** :– हिमाचल प्रदेश में उच्च जोखिम पूर्ण समूह के लिए 24 लक्षित हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। गत वर्ष में 2,897 लोगों को यौन रोग संबंधित सुविधाएं प्रदान करवाई गई हैं जिसमे से 24,360 लोगों को एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र में इलाज करवाने हेतु भेजा गया। प्रदेश में गैर सरकारी संगठन द्वारा 51 जागरूकता शिविरों तथा 129 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया।
- **सामुदायिक सहायता केन्द्रः**–प्रदेश में सामुदायिक सहायता केन्द्र टांडा, शिमला और हमीरपुर में स्थापित है जिसमें एच.आई.वी./ एड्स से ग्रसित के साथ रह रहे लोगों का इलाज एंटी रेट्रोवायरल उपचार केन्द्रों के माध्यम से चल रहा है।

**(viii)राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः**–इस योजना के अन्तर्गत 94 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घण्टे आपातकालीन सेवाओं के लिए चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त 572 रोगी कल्याण समितियां जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चल रही है। 30.11.2012 तक ₹3.80 करोड़ की राशि सभी रोगी कल्याण समितियों को वितरित कर दी गई हैं।

## स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसंधान

**17.3** राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा, पैरा मैडिकल और नर्सिंग को बेहतर प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य गतिविधियों और दन्त सेवाओं को मोनीटर तथा समन्वित करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना वर्ष 1996–97 में की गई।

**17.4** इस समय प्रदेश के दो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला तथा डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टाण्डा एवं एक सरकारी दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में कार्यरत है। इस के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में चार दन्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, सुन्दरनगर, सोलन, नालागढ़ एवं पांवटा साहिब तथा तीन परिषदें हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य परिषद, हिमाचल प्रदेश नर्सिंग परिषद एवं हिमाचल प्रदेश पैरा मेडिकल परिषद कार्यरत हैं। 33 जी.एन.एम. स्कूल ( 5 सरकारी एवं 28 निजी) में 1,240 विद्यार्थियों वाला नये बैच को प्रवेश दिया गया है। 580 नर्सिंग विद्यार्थियों को 13 बी0एस0सी0 नर्सिंग महाविद्यालय (एक सरकारी एवं 12 निजी) में प्रवेश दिया गया है। विभाग की (संस्थान अनुसार) निम्न मुख्य उपलब्धियां हैं।

### (क) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयः

यह राज्य का मुख्य चिकित्सा संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में की गई। इसको उन्नयन कर सुपर स्पैशिलिटि संस्थान में तबदील कर दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2012–13 के दौरान विभिन्न विषेशज्ञताओं में स्नात्कोत्तर उपाधि की 81 से 90 सीटें की गई है। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष नर्सिंग स्कूल का ग्रेड बढ़ाकर नर्सिंग महाविद्यालय करने हेतु ₹ 520.50 लाख प्रदान किए गए। यह महाविद्यालय जिसका नाम सिस्टर निवेदिता नर्सिंग महाविद्यालय रखा गया है में 60 सीटें बी.एस.सी. नर्सिंग तथा 30 सीटें पोस्ट बेसिक नर्सिंग की हैं। इस संस्थान के रेडियोथेरिपी विभाग में क्षेत्रीय केंसर केन्द्र की स्थापना हेतु ₹ 120 लाख राज्य सरकार की तरफ तथा शेष ₹ 480 लाख भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दिए गए हैं। वर्तमान में पुरानी कैथ प्रयोगशाला के स्थान पर ₹ 7 करोड़ की लागत से एक नई कैथ प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है। कैंसर विभाग में ₹ 3.10 करोड़ की सिमूलेटर मशीन खरीदी गई है जो कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए मददगार होगी। इस वित्तीय वर्ष में विवाहित चिकित्सक छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा जिसकी लागत ₹ 1.60 करोड़ लोक निर्माण विभाग के पास जमा कर दिए गए हैं। महाविद्यालय को सशक्त बनाने हेतु ₹ 5.44 करोड़ विभिन्न विभागों की जरुरत के अनुसार उन्नत तकनीक के उपकरण खरीदने के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। संस्थान द्वारा प्रशासनिक भवन के स्थान पर 240 बिस्तर के भवन का निर्माण का प्रावधान किया गया है।

### वित्तीय उपलब्धियांः

इस वित्तीय वर्ष 2012–2013 मे संस्थान के लिए राजस्व में ₹ 93,89,51,000 तथा पूंजीगत शीर्ष में ₹ 300.00 लाख प्रदान किए गए।

### (ख) डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टाडाः–

डाक्टर राजेन्द्रा प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगड़ा स्थित टांडा हिमाचल प्रदेश का द्वितीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई।

वर्ष 1999 में प्रथम बैच आरम्भ किया गया तथा 24.02.2005 को एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्रदान की गयी। एम0 सी0 आई0 द्वारा एम0 बी0 बी0 एस0 की 50 सीटों को बढाकर 100 सीटों की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा वर्तमान में 14वां बैच प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है। इस महाविद्यालय में विभिन्न विभागो में 48 पी0 जी0 विद्यार्थियों को विकिरण, निश्चेतन तथा शल्य विभागों में डी.एन.बी. पाठ्यक्रम (प्रत्येक विभाग में में 2 सीटों सहित) में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में 26 नर्सिंग विद्यार्थियों का 7वां बैच बी.एस.सी पैरा मेडिकल पाठयक्रम का प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है।

इस संस्थान के विभिन्न विभागों में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने हेतु 13 अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सितम्बर, 2012 तक 12 न0 टाईप–5 आवासीय मकानों का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बर्न यूनिट की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 440.80 लाख स्वीकृत किए गए जिसमें से ₹ 277.00 लाख की राशि निर्माण कार्य एवं फर्नीचर खरीदने के लिए जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल सरकार ने नर्सिंग शिक्षा, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित करने हेतु ₹ 20.00 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। क्षय रोगों के लिए, अत्याधुनिक आई.आर.एल. प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

**वित्तीय उपलब्धियांः**

वित्तिय वर्ष 2012–13 के लिए राजस्व शीर्ष में ₹ 4,649.98 लाख तथा पूंजीगत शीर्ष में ₹ 400.00 लाख प्रदान किए गए।

**(ग) दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालयः–**

हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय प्रदेश में पहला महाविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई जिसमें प्रतिवर्ष 20 प्रवेशार्थियों की क्षमता थी। वर्ष 2007–08 से यह क्षमता 60 विद्यार्थियों के लिए आरम्भ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2006–07 से स्नातकोतर सर्जन के पाठयक्रम हेतु 4 विशेषज्ञ पाठ्यक्रम में 2–2 विद्यार्थियों का प्रवेश प्रारम्भ किया गया। दन्त स्वास्थ्य और दन्त मकैनिक कोर्स 20–20 विद्यार्थियों की क्षमता के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आरम्भ किया गया।

दन्त महाविद्यालय एवं चिकित्सालय को खोलने का उद्वेश्य राज्य के लोगों को बेहतर दन्त स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दंत चिकित्सों एंव पैरा मैडिकल स्टॉफ की मांग को देखते हुए किया गया तथा लोगों को पूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा रही है। इस वर्ष (1.1.2012 से 31.12.2012 तक) 202 अन्तरंग तथा 34,311 वाह्य रोगियों का इलाज किया गया, 7 दन्त चिकित्सा कैप के अन्तर्गत 2,135 रोगियों का इलाज कर मुफ्त दवाईयां वितरित की गई।

**वित्तीय उपलब्धियांः**

राजकीय दन्त महाविद्यालय शिमला में सुचारू कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लिए ₹ 943.78 लाख राजस्व, शीर्ष गैर–योजना ₹ 10.00 लाख राजस्व शीर्ष (योजना) के लिए आबंटित किए गए।

## आयुर्वेद

**17.5** भारतीय चिकित्सा पद्वति (आयुर्वेद) तथा होम्योपैथी का प्रदेश में लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य सरकार द्वारा भी इस पद्वति को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984 में अलग से भारतीय चिकित्सा पद्वति विभाग की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2 क्षेत्रिय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 2 वृत आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 3 जनजातीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 9 जिला चिकित्सालय, 1 प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सालय, 1,108 आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र, 14 दस/बीस बिस्तरों वाले अस्पताल, 3 युनानी स्वास्थ्य केंद्र, 14 हाम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 4 आमची क्लीनिक (जिनमें एक कार्यशील है) कार्य कर रहे हैं। विभाग के अतंर्गत 3 आयुर्वेदिक फार्मेसियां जो कि जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी, माजरा जिला सिरमौर तथा पपरोला जिला कांगडा में कार्यरत है। ये फार्मेसियां आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। पपरोला जिला कांगड़ा में 50 विद्यार्थी प्रतिवर्ष की क्षमता से बी.ए.एम.एस. की उपाधि और आयुर्वेदिक शिक्षा देने के लिए राजीव गांधी स्नातकोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय कार्यरत है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में काया–चिकित्सा, शाल्क्य तंत्र, शल्य तंत्र, प्रसूति तन्त्र, मूल सिद्धान्त, द्रव्य गुण, रोग निदान, पंचकर्म एवं बाल रोग की स्नातकोतर कक्षाएं भी शुरू कर दी हैं। विभाग द्वारा जोगिन्द्रनगर में 29 छात्रों की क्षमता का आयुर्वेदिक (बी) फार्मेसी कोर्स आरम्भ किया गया है। आयुर्वेदा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मलेरिया उन्मूलन, परिवार कल्याण, मुक्त अनीमिया, एडस, टीकाकरण, पल्स पोलियो अभियान आदि में भी योगदान दिया जाता है। वर्ष 2012–13 के लिए ₹1,72,16,75,000 का बजट का प्रावधान किया गया है जिसमें ₹1,53,16,75,000 गैर योजना तथा ₹ 19,00,00,000 योजना में है।

## जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का विकास

**17.6** राज्य के विभिन्न जड़ी बूटियों के स्त्रोतों का संरक्षण करने हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में जोगिन्द्रनगर (जिला मण्डी), नेरी (जिला हमीरपुर) व डुमरेड़ा (जिला शिमला) तथा जंगल झलेड़ा (जिला बिलासपुर) में हर्बल गार्डनज की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, आयुष विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अर्न्तगत ₹ 70.09 करोड़ मूल्य की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त 5 लघु नर्सरियां–प्रत्येक एक हैक्टेयर के निजी क्षेत्र में स्थापित की जाएगी तथा 93.60 हैक्टेयर भूमि पर किसानों द्वारा औषधीय पौधों की खेती की जाएगी।

## औषधि जांच प्रयोगशाला

**17.7** वर्ष 2012–13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान डी.टी.एल. जोगिन्द्रनगर द्वारा सरकारी एवं निजी फार्मेसियों के 791 नमूनों का विश्लेषण किया गया जिससे ₹ 87,000 का राजस्व प्राप्त किया गया।

## विकासात्मक गतिविधियां:

**17.8**

i) वर्ष 2012–13 में आयुष चिकित्सा को लोकप्रिय एवं आम जनता को इस बारे जागरूक करने हेतु विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न

स्थानों में 44 निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 6,459 रोगियों का उपचार किया गया। राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय, पपरोला में क्षेत्रीय जरारोग उत्कृष्ठ संस्थान की स्थापना की गई है। गैर सरकारी संस्थाओं व आम जनता को जागरूक करने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 6.06 करोड़ की औषधियां आयुर्वेदिक स्वास्थय संस्थाओं में वितरित की गई ।

ii) **राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी**

वर्तमान में तीन फार्मेसियों द्वारा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से रोगियों को मुफत वितरण हेतु कर रहा है। यह फार्मेसियां माजरा जिला सिरमौर, जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी व पपरोला जिला कांगड़ा में कार्यरत है। पपरोला में स्थित फार्मेसी राजकीय स्नात्कोतर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के छात्रों को क्रियात्मक कार्य हेतु भी उपयोग में लाई जाती है।

विभाग की तीनों आयुर्वेदिक फार्मेसियों के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा आधुनिक मशीनें व उपकरण लगाने हेतु समय–समय पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आयुर्वेदिक फार्मेसी, जोगिन्द्रनगर के सुदृड़ीकरण हेतु ₹1.15 करोड़ की वितीय सहायता प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

विभाग की तीनों फार्मेसियों से औषधियों का वितरण हि0प्र0 के आयुर्वेद संस्थानों को किया जाता है। वर्तमान में विभाग राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से कच्ची जड़ी–बूटियों का औषधियों निर्माण करने हेतु, क्रय कर रहा है।

iii) **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनः**

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस ध्येय से आरम्भ किया गया कि ग्रामीणों को श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकें। भारत सरकार, आयुष विभाग द्वारा इस विभाग के प्रस्ताव पर वर्ष 2008–09 में ₹ 18.90 करोड़ की राशि 70 सी. एच.सी एवं 10 क्षेत्रीय/जोनल अस्पतालों में आयुष उपचार केन्द्र स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए हैं । भारत सरकार द्वारा ₹ 22 लाख की राशि सी.एच.सी एवं ₹ 35 लाख प्रति क्षेत्रीय/जोनल अस्पतालों/महाविद्याालय अस्पताल के लिए प्राप्त करवाए गए हैं।

- सरकार द्वारा 155 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के इस पोलिसी के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 139 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद भर दिए गए हैं।
- इस पोलिसी के अन्तर्गत 2012–13 में मु0 ₹ 5.00 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन फलैक्सीपुल के अन्तर्गत वेतन के लिए आयुर्वेद ईकाइयों को ग्रामीण पी.एच.सी./सी.एच.सी. में स्थापना हेतु स्वीकृत किए गए हैं। आयुष विभाग, भारत सरकार से इन इकाईयों में

संरचनात्मक ढांचा, औषधियों/ उपकरणों आदि हेतु ₹2,862.96 लाख की परियोजना प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित किया गया है।

- **वर्ष 2012–13 के दौरान उपलब्धियां:**
  - i) जिला मण्डी, हि0 प्र0 में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला गया।
  - ii) दो आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र को बढ़ाकर 10 – बिस्तरीय अस्पताल बनाया गया।
  - iii) 20 बिस्तरों वाले जिला आयुर्वैदिक अस्पताल, हमीरपुर को 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत किया।
- **वर्ष 2013–14 के लिये प्रस्तावित लक्ष्य**

  विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 के लिये 4 नये आयुर्वेदिक अस्पताल खोलना, 1 होम्योपैथिक स्वास्थय केन्द्र खोलना, एक आयुर्वेदिक औषधालय का दर्जा बढाकर 10–बिस्तरीय अस्पताल बनाने हेतु। एक 10/20 बिस्तरीय आयुर्वेदिक औषधालय को 50 बिस्तरीय अस्पताल में बदलने हेतु तथा 11 पंचकर्मा/ क्षारसूत्र चिकित्सा केन्द्र आरम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

# 18 समाज कल्याण कार्यक्रम

**समाज कल्याण एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण**

**18.1** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा बेसहारा महिलाओं जो नैतिक खतरे में हों, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैः–

**सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना**

**18.2**

**(क) वृद्धावस्था पैंशनः**–ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है तथा उनकी देख–रेख/पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹9,000 से अधिक न हो। परिवार की वार्षिक आय व्यक्तिगत आय के अतिरिक्त ₹15,000 से अधिक न हो। इनको ₹450 प्रतिमाह पैंशन दी जाती है।

**(ख) अपंग राहत भत्ताः**–ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें 40 प्रतिशत या इससे अधिक स्थाई अपंगता हो जिनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹9,000 से अधिक न हो। परिवार की वार्षिक आय व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त समस्त स्त्रोतों से ₹15,000 से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत से अधिक अंपगता वाले व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पैंशन प्रदान की जा रही है बशर्ते कि वे किसी सरकारी/ गैर सरकारी बोर्ड व निगम में कार्यरत न हो तथा किसी अन्य प्रकार की पैंशन प्राप्त न कर रहा हो। वृद्धावस्था तथा अपंग राहत भत्ता हेतु चालू वितीय वर्ष 2012–13 में 1,14,877 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इन योजनाओं हेतु ₹8,326.73 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2012 तक ₹5,503.09 लाख व्यय किए जा चुके है।

**(ग) विधवा/परित्यक्त महिला/एकल नारी पैंशन** :–ऐसी महिला जो विधवा,परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख–रेख /पालन पोषण का उचित साधन न हों तथा न ही व्यस्क बच्चे हों व उनकी वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से ₹9,000 से अधिक न हो। ऐसी विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी जिनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय के अतिरिक्त परिवार की वार्षिक आय ₹15,000 से अधिक न हो। इनको भी ₹450 प्रतिमाह पैंशन दी जाती है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2012–13 में 62,211 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹ 3,524.98 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2012 तक ₹2,307.16 लाख व्यय किए जा चुके है ।

**(घ) कुष्ठ रोगी पुर्नवास भत्ताः**–ऐसे कुष्ठ रोगी जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उपचाराधीन हो ऐसे कुष्ठ रोगियों पर कोई भी आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है। ऐसे कुष्ठ रोगियों को ₹450 प्रतिमाह रोगी पुर्नवास भत्ता दिया जाता है।

इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2012–13 में 1,482 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹99.41 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2012 तक ₹49.02 लाख व्यय किए जा चुके है ।

**(ड़) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पैंशन योजना** :–इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवारों के सभी सदस्य पात्र है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2012–13 में 94,607 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹2,718.00 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2012 तक ₹2,089.75 लाख व्यय किए जा चुके है ।

**(च) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पैंशन योजना**:–इस योजना के अंतर्गत 40 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों की विधवाओं को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2012–13 में 8,981 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹303.01 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2012 तक ₹177.60 लाख व्यय किए जा चुके है।

**(छ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पैंशन योजना**:–इस योजना के अंतर्गत 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों को उपरोक्त पैंशन दी जा रही है। इस योजना हेतु चालू वितीय वर्ष 2012–13 में 394 पैंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा ₹11.50 लाख के बजट प्रावधान में से 31.12.2012 तक ₹7.53 लाख व्यय किए जा चुके है।

उपरोक्त सभी केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार से ₹200, ₹300 व 80 वर्ष से अधिक आयु के पैंशनरों हेतु ₹500 प्रति पैंशनर की दर से प्राप्त होते है जबकि शेष ₹250, ₹150 व 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को ₹300 तथा मनीआर्डर भेजने पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है जिसका बजट प्रावधान राज्य वृद्वावस्था, विधवा तथा अपंग पैंशन योजना के बजट में किया गया है।

## स्वरोजगार योजना

**18.3** विभाग 4 निगमों द्वारा जो कि हि0प्र0 अल्पसंख्यक वित एवं विकास निगम, हि0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम है को स्वंय रोजगार योजनाएं चलाने हेतु निवेश शीर्ष के अंतर्गत् राशि उपलब्ध करवा रहा है। इन निगमों के लिए वर्ष 2012–13 के लिए ₹420.00 लाख है, दिसम्बर,2012 तक ₹171.00 लाख की राशि निर्गत कर दी गई।

## अनुसूचित जाति/जन–जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण

**18.4** इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं:–

i) **अन्तर्जातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन**:– अनुसूचित जाति एवं गैर अनुसूचित जाति में छुआछूत की परम्परा को मिटाने के लिए सरकार अन्तर्जातिय विवाह प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है। इसके अंतर्गत अर्न्तजातीय विवाह के लिए ₹25,000

प्रति दम्पति प्रोत्साहन हेतु दिये जाते हैं। वर्ष 2012–13 मे इस योजना के अंतर्गत ₹49.25 लाख और 196 का लक्ष्य रखा गया 128 दम्पतियों को दिसम्बर, 2012 तक ₹32.00 लाख खर्च करके लाभ पहुंचाया गया।

ii) **गृह अनुदानः**– इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹17,000 से अधिक न हो, को ₹48,500 प्रति परिवार आवास निर्माण हेतु दिये जा रहे हैं। वर्ष 2012–13 में ₹2,066.00 लाख रखे गए, 4,256 का लक्ष्य रखा गया है तथा 3,285 व्यक्तियों को इस वर्ष के दौरान दिसम्बर,2012 तक ₹1,593.07 लाख खर्च करके लाभान्वित किया गया।

iii) **कम्पयूटर प्रशिक्षण व कार्य में निपुणता तथा संबंधित कार्यकलापः**– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, तथा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हो या जिनकी वार्षिक आय ₹60,000 से कम हो उन्हें मान्यता प्राप्त कम्पयूटर कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभाग द्वारा ₹1,200 प्रतिमाह प्रति अभ्यर्थी प्रशिक्षण फीस वहन की जाती है। प्रशिक्षण पर अधिक खर्च आने पर अतिरिक्त राशि अभ्यर्थी को स्वंय व्यय करनी पड़ती है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवार को ₹1,000 प्रतिमाह छात्रवृति दी जा रही है। प्रशिक्षण ग्रहण करने के पश्चात अभ्यर्थी को छः माह के लिए विभिन्न कार्यालयों में कम्पयूटर दक्षता हासिल करने के लिए रखा जाता है। इस अवधि में अभ्यर्थी को ₹1,500 प्रतिमाह राशि दी जाती है। वर्ष 2012–13 के लिए ₹3.12 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है जिसमें से 31.12.2012 तक ₹95.27 लाख व्यय किए गए तथा 465 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

iv) **अनुवर्ती कार्यकमः**– इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय ₹11,000 से अधिक न हो, को औजार/सिलाई मशीनें खरीदने के लिए ₹1,500 प्रति लाभार्थी को सहायता दी जाती है। वर्ष 2012–13 में इस योजना के अंतर्गत ₹99.11 लाख का प्रावधान रखा गया और लक्ष्य 7,622 का रखा गया है जिसमें से ₹ 29.84 लाख की राशि दिसम्बर,2012 तक व्यय की गई जिससे 2,015 लोग लाभान्वित हुए।

v) **अनु0 जाति जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के अन्तर्गत पीड़ित अनुसूचित जाति/जन–जाति परिवारों को राहतः**– उपरोक्त अधिनियम के नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति के उन परिवारों को वितीय राहत दी जाती है जिन पर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाति के आधार पर अत्याचार किए जाते हैं। वर्ष 2012–13 के लिए ₹15.00 लाख का बजट इस योजना के लिए रखा गया जिसमें से ₹4.70 लाख की राशि दिसम्बर,2012 तक व्यय करके 35 परिवारों को सहायता दी गई।

**विकलांग कल्याण**

**18.5** विभाग विकलांगजन के लिए वर्ष 2008–09 से "सहयोग" नाम से एक विस्तृत एकीकृत योजना को आरम्भ कर उसका संचालन कर रहा है जिसके मुख्य घटकों की 31.12.2012 तक की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निम्न रूप से है:–

i) **विकलांग छात्रवृतिः**– इसका मुख्य उद्वेश्य विकलांग विद्यार्थी जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक है व जिनके माता–पिता की वार्षिक आय ₹60,000 से अधिक नहीं है, को इस घटक के अंतर्गत जो विद्यार्थी छात्रावासों में नहीं रहते हैं उनकी छात्रवृति ₹350 से ₹750 प्रतिमास तथा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को ₹1000 से ₹2000 तक प्रतिमास छात्रवृति प्रदान की जाती है। ₹52.95 लाख के बजट के विरूद्व दिसम्बर,2012 तक ₹31.40 लाख व्यय किए गए।

ii) **विकलांग विवाह अनुदानः**– सक्षम युवक व युवतियों को विकलांगजन से विवाह हेतु (जिनकी विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न हो) प्रोत्साहित करने के आशय से ₹8,000 से ₹15,000 तक राज्य सरकार द्वारा विवाह अनुदान देने का प्रावधान है। इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत ₹26.00 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्व दिसम्बर,2012 तक ₹11.08 लाख व्यय हुए जिससे 129 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

iii) **सर्वेक्षण एवं अनुसंधानः**– इस योजना के अन्तर्गत् इस वित्तीय वर्ष में ₹0.50 लाख का बजट प्रावधान है। सर्वेक्षण को प्रत्येक वर्ष संशोधित किया जाएगा। विकलांगता के क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं अनुसधांन गैर सरकारी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव मंगवाएं हैं।

iv) **जागरूकता अभियानः**– इस घटक के अंतर्गत् खण्ड एवं जिला स्तर के केम्पों का आयोजन किया जाता है जिसमें विकलांगजन संघ के प्रतिनिधियों पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों को आंमत्रित किया जाता है। इन शिविरों में विकलांगजनों के चिकित्सा प्रमाण–पत्र बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगजन को चलाई जा रही विभागीय योजनाओं के बारे जागरूक किया जाता है। वर्ष 2012–13 में ₹6.35 लाख की राशि का प्रावधान है। दिसम्बर,2012 तक इस योजना के अंतर्गत् सारी राशि व्यय की जा चुकी है।

v) **स्वः रोजगारः**– 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को लघु औद्योगिक ईकाईयां के लिए अल्प संख्यक वित एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं जिसपर कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ₹10,000 या परियोजना लागत का 20 प्रतिशत (जो भी कम हो) का उपदान उपलब्ध करवाता है। वर्ष 2012–13 में हि0प्र0 अल्प संख्यक वित एवं विकास निगम द्वारा दिसम्बर,2012 तक ₹1.55 करोड़ पात्र मामलों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

vi) **कौशल विकासः**– चयनित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के

माध्यम से विकलांगजनों को चयनित व्यवसायों में व्यवसायिक प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है और ₹1,000 प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षार्थी को छात्रवृति दी जाती है। इस वर्ष 40 विकलांग बच्चों को 6 आई.टी.आई. में 10 व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया है वित्तीय वर्ष में ₹10.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

vii) **पुरस्कार योजनाः**— इस योजना के अंतर्गत् निजी क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा अधिकतम विकलांगजन को रोजगार देने व विकलांगता के बाबजूद उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार देने का प्रावधान है। उत्कृष्ट विकलांगजन को ₹10,000 व निजी उद्यमी को ₹25,000 के नकद पुरस्कार देने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में इसके लिए ₹0.50 लाख का प्रावधान है।

viii) **विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षाः**— प्रदेश में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए दो संस्थान ढल्ली व सुन्दरनगर में स्थापित हैं। सुन्दरनगर में स्थापित संस्थान का नाम बदलकर विशेष योग्यताओं वाले बच्चों के संस्थान का नाम आई.सी. एस.ए. रखा गया है। इस संस्थान में 20 दृष्टिवाधित तथा 86 श्रवणदोष की लड़कियां दाखिल हैं। इस संस्थान के लिए ₹13.00 लाख के बजट के प्रावधान से दिसम्बर,2012 तक ₹5.30 लाख व्यय हुए हैं इस वर्ष ढल्ली स्कूल के लिए हि0प्र0 बाल कल्याण परिषद को ₹18.98 लाख की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त विभाग, प्रेम आश्रम उना में 30 मानसिक रूप से अविकसित बच्चों की पढ़ाई, फीस व रहने आदि का खर्चा वहन कर रही है। इस वर्ष ₹9.10 लाख का बजट प्रावधान था और दिसम्बर,2012 तक सारी राशि व्यय की जा चुकी है।

ix) **विकलांगता पुनर्वास केन्द्रः**— प्रदेश में हमीरपुर व धर्मशाला में दो विकलांगता पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं जो कि क्रमशः ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर व भारतीय रैडक्रॉस सोसाइटी धर्मशाला द्वारा चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2012—13 में ₹10.00 लाख का बजट प्रावधान है।

## अनुसूचित जाति उप—योजना

**18.6** अनुसूचित जातियों के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए आधारभूत संरचना के विकास को त्वरित गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति उप—योजना एवं अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं को वर्ष 2002 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाकर स्थानान्तरित कर दिया है। 2002 से पूर्व यह कार्य जन—जातीय विभाग द्वारा किया जा रहा था।

**18.7** प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या किसी क्षेत्रों में केंद्रित न होकर समूचे प्रदेश में फैली हुई है और सभी लोगों का समान रूप से विकास किया जाना है। अनुसूचित जातियों के संबंध में आर्थिक विकास का दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधार पर नहीं है जबकि जन—जातीय उप योजना क्षेत्रीय आधार पर है। जिला बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, सोलन, शिमला और सिरमौर अनुसूचित जाति अधिकता वाले जिले हैं।

जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य औसत से अधिक है। राज्य में इन छः जिलों में कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या का 61.31 प्रतिशत है।

**18.8** अनुसूचित जाति उपयोजना को आवश्यकता के अनुरूप एवं प्रभावी बनाने, योजना के कार्यान्वयन एवं मौनीटीरिंग/अनुश्रवण के लिए इकहरी प्रशासनिक प्रणाली शुरू की है। सभी जिलों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर बजट आंवटित किया गया है जो दूसरे जिलों के लिए नहीं बदला जा सकता। प्रत्येक जिला में जिलाधीश इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभागों/ क्षेत्रीय विभागों के अधिकारियों के परामर्श से जिला स्तरीय योजनाएं तैयार करते हैं।

**18.9** अनुसूचित जातियों के कल्याण से संबंधी सभी कार्यक्रमों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया गया है। यद्यपि अनुसूचित जाति समुदाय के लोग सामान्य योजना एवं जन–जाति उप–योजना में लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी अनुसूचित बहुल्य गांवों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए विशेष लाभकारी कार्याक्रम शुरू किए गए हैं। राज्य योजना के कुल बजट का 24.72 प्रतिशत अनुसूचित उप–योजना के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार अनुसूचित जाति के परिवारों को रोजगार प्रदान करने व उनकी आय में वृद्वि करने के लिए अधिक से अधिक वास्तविक योजनाएं तैयार करके विशेष प्रयास कर रही है।

**18.10** अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए डिमांड–32 में अलग उप–शीर्ष "789" बनाया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति उप–योजना से संबंधित सारे बजट को इस नए शीर्ष में किया गया है। इस निधि को एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंतर्गत स्थानान्तरित किया जा सकेगा ताकि इस उप–योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत बजट प्रयोग करना सुनिश्चित बनाया जा सकेगा। वर्ष 2011–12 में अनुसूचित जाति उपयोजना में राज्य योजना के अंतर्गत् आंवटित बजट ₹811.00 करोड़ में से ₹830.35 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं जबकि वर्ष 2012–13 अनुसूचित जाति उप–योजना के अंतर्गत् आंवटित बजट ₹914.64 करोड़ में से 30.9.2012 तक ₹266.23 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

**18.11** जिला स्तर पर जिला स्तरीय समीक्षा एंव कार्यन्वयन कमेटी गठित की गई है। जिसके अध्यक्ष सम्बन्धित जिला से मन्त्री तथा उपाध्यक्ष जिलाधीश होता है। जिला परिषद का चेयरमैन और खण्ड विकास समिति के सभी चेयरमैन और अन्य स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्ति इस कमेटी के गैर सरकारी सदस्य और अनुसूचित जाति उप–योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारी सरकारी सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव विभागाध्यक्षों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कार्य निष्पादन के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समन्वय एवं समीक्षा जो कि अनुसूचित जाति उप–योजना की समीक्षा करती है की समिति बनाई गई है।

## 20 सूत्रीय कार्यक्रम (10क)

**18.12** वर्ष 2011–12 में ग्रामीण विकास विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 95,772 अनुसूचित जाति परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। वर्ष 2011–12 में 58,000 अनुसूचित जाति परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 57,587

परिवार लाभान्वित हुए। वर्ष 2012–13 में 30.11.2012 तक 29,289 लक्ष्य के मुकाबले 42,235 अनुसूचित जाति परिवार लाभाविन्त हुए है।

## बाल कल्याण

### "मुख्यमन्त्री बाल उद्वार" योजना

**18.13**

**(क)** अनाथ, अर्ध–अनाथ तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल के लिए विभाग बाल/बालिका आश्रमों के चलाने हेतु अनुदान प्रदान कर रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा सराहन, सुन्नी, रॉकवुड, दुर्गापुर (शिमला), कुल्लू, तिस्सा, भरमौर, कल्पा(2), शिल्ली (सोलन), भरनाल, डैहर (मण्डी) और चम्बा में बाल–बालिका आश्रम चलाए जा रहें है। विभाग द्वारा परागपुर (कांगडा) तथा मशोवरा, टुटीकण्डी, मासली (शिमला), सुजानपुर (हमीरपुर) तथा किल्लाड़ (चम्बा) में बाल/बालिका आश्रमों का संचालन किया जा रहा हैं। इन आश्रमों में बच्चों को निःशुल्क खाने–पीनें तथा रहने के प्रबन्ध के अतिरिक्त 10+2 तक शिक्षा दी जाती है। तथा 10+2 के बाद उच्चतर अध्ययन हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना में उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कैरियर मार्ग दर्शन, प्रशिक्षण और रोजगार देकर पुनर्वास करने का प्रावधान हैं। इन आश्रमों में 1,060 बच्चों को रहने की सुविधा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए ₹275.00 लाख का प्रावधान है तथा दिसम्बर,2012 तक ₹80.15 लाख खर्च किए जा चुके हैं।

**(ख) प्रदेश में बाल/बालिका सुरक्षा योजना (Foster Care Services)** किशोर न्याय अधिनियम–2000 संशोधित 2006 के नियम–2007 के क्रमांक 34 में प्रावधान के अनुरूप दिनांक 19.7.2012 से लागू की गई है, इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अनाथ/असहाय बच्चे जिसका पालन बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित अन्य परिवार के पालना दम्पति द्वारा किया जाता है। ऐसे पालना दम्पति को 500 प्रति माह प्रति बच्चे की दर से इस योजना के अन्तर्गत राशि दी जाती है।

**(ग) समेकित बाल संरक्षण योजना ऐसे अनाथ/असहाय बच्चेः** कठिन परिस्थितियों में रहने बाले बच्चों के कल्याण और उन परिस्थितियों तथा गतिविधियों की सुभेद्यता में कमी लाने मे योगदान देना, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण उन्हें बेसहारा छोड देने तथा अलग कर देने की ओर जाते है, इसे अग्रलिखित द्वारा अर्जित किया जाएगा। इस वितीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत ₹2,65,55,000 (केन्द्रीय हिस्सा) आवंटित किए गए हैं, जिसमें से माह दिसम्बर तक ₹17.50 लाख व्यय कर दिए गए है ।

## महिला कल्याण

**18.14** महिलाओं के कल्याण के लिए प्रदेश में विभिन्न स्कीमें चल रही हैं। प्रमुख स्कीमें जो चलाई जा रही हैं वह इस प्रकार से हैंः–

**(क) नारी सेवा सदन मशोवराः–** इस योजना का मुख्य उद्वेश्य, विधवा, बेसहारा तथा निराश्रय महिलाऐं तथा

जिनको नैतिक खतरा हो को आश्रय, खाद्य, कपड़ा, शिक्षा तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है। ऐसी महिलाओं को सदन छोड़ने पर पुर्नवास के लिए ₹10,000 तक की राशि प्रति स्त्री आर्थिक सहायता भी दी जाती है। वर्ष 2011–12 में इस गृह के संचालन के लिए ₹ 30.49 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था जिसमें से दिसम्बर,2012 तक ₹12.53 लाख खर्च किए गए।

**(ख) मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः**–इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेसहारा लड़कियों को शादी के लिए दिनांक 5.9.2012 से ₹21,000 का अनुदान दिया जाता हैं जिनकी वार्षिक आय ₹15,000 से अधिक न हो। वर्ष 2012–13 में इस उद्वेश्य के लिए ₹143.00 लाख का प्रावधान रखा गया जिसमें दिसम्बर, 2012 तक ₹43.20 लाख खर्च किये गये जिससे 360 लाभार्थियों को लाभ पहुंचा।

**(ग) महिला स्वरोजगार योजनाः**– इस योजना के अंतर्गत ₹2,500 उन महिलाओं को आय संवर्धन हेतू प्रदान किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹7,500 से कम है। वर्ष 2012–13 के दौरान इस योजना के अंतर्गत ₹7.00 लाख का प्रावधान किया गया। दिसम्बर,2012 तक ₹2.40 लाख की राशि व्यय करके 96 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

**(घ) विधवा पुनर्विवाह योजनाः**– इस योजना का उद्वेश्य विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करके पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत दम्पति को ₹25,000 के रूप में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2012–13 के दौरान इस योजना के अंर्तगत ₹35.00 लाख का प्रावधान किया गया जिसमें से दिसम्बर,2012 तक 72 दम्पतियों को ₹18.00 लाख दिए गए।

**(ड़) मदर टेरेसा असहाय मातृ सम्बल योजनाः**– इस योजना का मुख्य उद्वेश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली निःसहाय महिलाओं को अपने बच्चों के पालन पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निःसहाय महिलाएं या जिनकी आय ₹1,8000 से कम है तथा जिनके बच्चों की आयु कम से कम 18 वर्ष हो के पालन पोषण हेतु ₹3,000 प्रतिवर्ष प्रति बच्चा सहायता राशि दी जाती है। सहायता केवल दो बच्चों तक ही दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के लिए ₹296.00 लाख का प्रावधान था जिसमें से दिसम्बर,2012 तक ₹231.90 लाख व्यय किये गए। 16,957 बच्चों को लाभान्वित किया गया।

**(च) इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना**

वर्ष 2010–11 में भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित ''इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना'' प्रायोगिक तौर पर हमीरपुर जिला के लिए स्वीकृत की गई। इस योजना का मुख्य उद्वेश्य गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के प्रसव पूर्व एवं प्रसव उपरान्त उचित पोषण स्तर में सुधार लाना है। प्रैक्टिसिस्, केयर तथा सर्विस यूटीलाइजेशन'' स्वीकृत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 19 वर्ष से उपर की गर्भवती

तथा धात्री महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रसव–पूर्व एवं प्रसव उपरान्त उनकी कमाई में होने वाली कमी की प्रतिपूर्ति हेतु ₹4,000 निम्नानुसार दिये जाने का प्रावधान है (राज्य/ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर)। पहला चरण : ₹1,500. दूसरा चरणः ₹1,500 तथा तीसरा चरणः ₹1,000 हैं। वर्ष 2011–12 में ₹174.24 लाख तथा वर्ष 2012–13 में ₹42.44 लाख भारत सरकार द्वारा जारी किए गए जिसमें से दिसम्बर 2012 तक ₹2,18,14,196 व्यय किए जा चुके हैं ।

**(छ) ''हि0प्र0 माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना 2011''**

यह योजना अनुसूचित जाति की बी. पी.एल. श्रेणी के परिवारों की महिलाओं के लिए वित वर्ष 2011–12 में शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत् 50 प्रतिशत की राशि जो कि अधिकतम ₹1,300 होगी उपदान के रूप में गैस कनैक्शन खरीदने के लिए पात्र महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना के विधान के तहत प्रतिवर्ष 75 अनुसूचित जाति की बी.पी.एल. महिलाएं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2012–13 के लिए इस योजना के अन्तर्गत ₹66.00 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2012 तक ₹65.98 लाख व्यय किए जा चुके हैं तथा 804 गैस कनैक्शन जारी किए जा चुके हैं ।

**(ज) विशेष महिला उत्त्थान योजनाः–**

राज्य सरकार ने ऐसी महिलाओं, जो नैतिक खतरें में हैं, को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए ''विशेष महिला उत्थान योजना'' बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना शुरू की है । योजना के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ₹3,000 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह की दर से स्टाईफंड तथा ₹800 प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से टेस्ट फीस देने का प्रावधान है। जो महिलाएं स्वरोजगार परियोजनाएं शुरू स्थापित करना चाहती हैं उन्हें महिला विकास निगम से लोन लेने पर परियोजना लागत के 20 प्रतिशत के बराबार उपदान अथवा ₹10 हजार प्रति लाभार्थी, जो कम हो देने का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में योजना के अन्तर्गत ₹146 लाख का बजट प्रावधान है। दिसम्बर 2012 तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला, गंगथ (जिला कांगड़ा) सोलन तथा शमशी (जिला कुल्लू) में 142 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं ।

**(झ) बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन सेवायें योजना 2012:**

यह योजना दिनांक 22.09.2012 को बतौर 100 प्रतिशत राज्य योजना अधिसूचित की गई है । इस योजना का उद्देश्य बलात्कार पीड़ितों को वित्तीय सहायता तथा परामर्श, चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि समर्थन सेवायें प्रदान करने का प्रावधान है। प्रभावित महिला को ₹75,000 तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में ₹25,000 की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष 2012–13 में ₹50 लाख के बजट का प्रावधान है जिसमें से 23

महिलाओं को ₹5.75 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान कर दी गई है।

## समेकित बाल विकास सेवाएं

**18.15** समेकित बाल विकास सेवायें कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में 78 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कुल 18,354 आंनवाड़ी केन्द्रों व 256 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्न 6 प्रकार की सेवायें बच्चों, गर्भवती / धात्री माताओं को प्रदान की जा रही हैं पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षाए , टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच, संदर्भ सेवायें, शालापूर्व शिक्षा, अनुपूरक पोषाहार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.4.2009 से केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है । वित्त वर्ष 2012–13 के लिए आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत प्रावधित बजट ₹15,954 लाख था जिसमें से ₹1,166 लाख राज्य का हिस्सा केन्द्रीय का हिस्सा ₹14788 लाख है दिसम्बर,2012 तक ₹10,866 लाख व्यय किए गए। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को प्रतिमाह ₹3,000 व ₹1,500 क्रमशः का मानदेय निर्धारित किया गया है जिसका 10 प्रतिशत राज्य सरकार और 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ₹300, ₹200 व ₹250 क्रमशः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका एवं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकताओं को प्रतिमाह दिए जाते हैं।

## बेटी है अनमोल योजना

**18.16** यह योजना गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों से सम्बन्ध रखने वाली दो लड़कियों तक को लाभान्वित करने के लिए 05–07–2010 से आरम्भ की गई है। इस का मुख्य उद्देश्य जन्म के समय लड़की के प्रति नकारात्मक रवैये को बदलना, लड़की के विवाह की आयु को बढ़ाना तथा आय के स्त्रोत उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करना हैं। जन्म के पश्चात बालिका के नाम बैंक/डाकघर में दिनांक 2.6.2012 से ₹10,000 जमा कर दिये जाते हैं जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर लड़की द्वारा खाते में से आहरित किये जा सकते हैं।

**ii) छात्रवृतिः** स्कूल जाने पर इन लड़कियों को स्कूल में प्रवेश से बारहवीं कक्षा तक निम्नलिखित दरों पर ₹300 से ₹1,500 प्रतिवर्ष छात्रवृति वार्षिक तौर पर भी दी जाती हैः

| | |
|---|---|
| 1.कक्षा एक से तीन | ₹ 300 प्रति वर्ष |
| 2.कक्षा चार | ₹ 500 प्रति वर्ष |
| 3.कक्षा पांच | ₹ 600 प्रति वर्ष |
| 4.कक्षा छः से सात | ₹ 700 प्रति वर्ष |
| 5.कक्षा आठ | ₹ 800 प्रति वर्ष |
| 6.कक्षा नौ से दस | ₹ 1,000 प्रति वर्ष |
| 7.कक्षा 10+ 1 तथा 10 +2 | ₹ 1,500 प्रति वर्ष |

वर्ष 2012–13 में इस योजना के अन्तर्गत ₹220.00 लाख व्यय का बजट प्रावधान किया गया है तथा दिसम्बर,2012 तक ₹220.00 लाख व्यय किए गए हैं तथा 20,706 बालिकाएं लाभान्वित हुई।

## किशोरी शक्ति योजना

**18.17** 100 प्रतिशत केन्दीय प्रायोजित योजना के रूपमें किशोरी शक्ति योजना प्रदेश के 8 जिलों में 46 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना, अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा किशोरियों में साक्षरता को बढ़ावा देना, गृह

आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाना, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बधी ज्ञान को बढ़ाना है तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही विवाह करने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना के आधार पर केन्द्रीय सरकार प्रतिवर्ष प्रति परियोजना ₹1.10 लाख प्रदान करती है। यदि भारत सरकार द्वारा निधि उपलब्ध करवाए तो प्रदेश सरकार अधिकतम ₹50.60 लाख प्रतिवर्ष व्यय कर सकती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में दिसम्बर, 2012 तक 36,256 किशोरियों को पूरक पोषाहार 373 को कौशल विकास प्रशिक्षण, 44,969 को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियॉ एवं 28,376 को पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी गई है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु भारत सरकार द्वारा ₹50.60 लाख की राशि स्वीकृत/निर्गत की गई है तथा दिसम्बर, 2012 तक ₹23.10 लाख व्यय कर दिए गए हैं ।

## पूरक पोषाहार कार्यक्रम

**18.18** समेकित बाल विकास सेवाऐं कार्यक्रम के तहत विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनवाड़ियों में बच्चों, गर्भवती/धात्री माताओं तथा बी0पी0एल0 किशोरियों को निम्नलिखित दरों पर 1.4.2009 से पूरक पोषाहार दिया जा रहा है पूरक पोषाहार की दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन) बच्चे ₹4.00 गर्भवती/ धात्री माताएं/ बी0पी0एल0 किशोरियां ₹5.00 अति कुपोषित बच्चे ₹6.00 है। इस कार्यक्रम पर होने वाले व्यय को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाता है। चालू वित्त वर्ष 2012–13 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ₹3,240.00 लाख का राज्य बजट प्रावधान है तथा दिसम्बर,2012 तक ₹3,645.42 लाख खर्च किया जा चुके हैं। भारत सरकार से भी पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2012 तक ₹2,241.93 लाख अनुदान प्राप्त हुआ है। दिसम्बर,2012 तक बच्चे 4,47,298, गर्भवती/धात्री माताएं 1,00,924 तथा 1,35,417 बी.पी.एल. किशोरियां लाभान्वित हुई हैं।

## राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना–(सबला):

**18.19** किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर भारत सरकार द्वारा 4 जिलों क्रमशः सोलन, कुल्लू, चम्बा तथा कांगडा के लिए 19.11.2010 में प्रायोगिक आधार पर सबला नामक योजना चलाई गई है। योजना के अन्तर्गत इन ज़िलों में संचालित प्रत्येक बाल विकास परियोजना हेतु ₹3.80 लाख भारत सरकार द्वारा किशोरियों में साक्षरता को बढावा देने, गृह आधारित एवं व्यवसायिक कौशल में सुधार लाने, उनमें स्वास्थ्य, पोषाहार, स्वच्छता, गृह प्रबन्धन एवं बच्चों की देख–रेख सम्बधी ज्ञान को बढ़ाने हेतु प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2010–11 में ₹120.60 लाख तथा वर्ष 2011–12 में ₹60.80 लाख की राशि भारत सरकार द्वारा नोन पोषाहार घटक के अन्तर्गत 1,64,027 किशोरियों को विभिन्न सेवाओं के लाभ हेतु स्वीकृत किए गए। दिसम्बर,2012 तक ₹1,53,79,798 व्यय किए जा चुके हैं। किशोरियों को पूरक पोषहार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसका व्यय 50:50 आधार पर प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। भारत सरकार से पोषाहार प्रदान करने हेतु 2012–13 में ₹567.04 लाख भारत सरकार से तथा ₹174.98 लाख राज्य सरकार का हिस्सा प्राप्त हो चुके हैं तथा ₹594.53 लाख व्यय किए जा चुके हैं। 99,161 किशोरियों को पूरक पोषहार के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है ।

# 19. ग्रामीण विकास

## ग्रामीण विकास

**19.1** ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्वेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, क्षेत्र विकास तथा विभिन्न क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को लागू करना है। राज्य में निम्नलिखित राज्य तथा केंद्रीय प्रायोजित विकासात्मक योजनाएं/ कार्यक्रम कार्यान्वित हो रहे हैं:–

## स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

**19.2** स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रदेश में वर्ष 1999–2000 से चलाई गई है। यह योजना एक होलिस्टिक पैकेज है जिसमें स्वरोजगार के पहलुओं जैसे स्वंय सहायता ग्रुपों में गरीबों का संगठन, प्रशिक्षण, उधार, प्रौद्योगिकी, विपणन तथा संरचना इत्यादि को शामिल करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले लाभ–भोगी परिवारों को "स्वरोजगारी" कहा जाता है। यह योजना उधार व उपदान कार्यक्रम का समायोजन है। एस.जी.एस.वाई योजना के अंतर्गत उपदान सहायता समान रूप से परियोजना कीमत का 30 प्रतिशत होगी जिसकी अधिकतम सीमा ₹7,500 निर्धारित है। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति एवं विकलांग व्यक्ति के परिवारों को 50 प्रतिशत तथा अधिकतम ₹10,000 उपदान के रूप में रखे गये हैं। स्वरोजगार परिवारों को योजना कीमत 50 प्रतिशत तथा प्रति व्यक्ति ₹10,000 या ₹1.25 लाख जो भी कम हो उपदान के रूप में दिए जाते है। एस.जी.एस.वाई. स्कीम गरीब परिवारों में से अति संवेदनशील परिवारों पर केंद्रित की गई है। स्वरोजगार स्कीम के अंतर्गत 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/ जन–जाति, 40 प्रतिशत महिलाएं तथा 3 प्रतिशत विकलांग लाभान्वित होगें। इस योजना का व्यय केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 अनुपात के आधार पर किया जा रहा है।

**19.3** स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 (दिसम्बर तक) 452 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसमें से 443 समूहों के 4,126 गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों ने आयवर्धक गतिविधियां अपना ली है। इन समूहों को अब तक ₹349.40 लाख अनुदान के रूप में तथा ₹1,586.05 लाख ऋण के रूप में प्रदान किये गये हैं। इसके अतिरिक्त एस. जी.एस.वाई. स्कीम के अंतर्गत् 776 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को भी ₹69.86 लाख अनुदान तथा ₹451.97 लाख ऋण के रुप में प्रदान किये गए हैं।

किन्नौर व लाहौल–स्पिति जिलों को छोड़कर प्रदेश के समस्त जिलों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा इन केन्द्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण युवाओं को जिला के अग्रणी बैंकों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा अब तक 10,704 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

## स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं के लिए कुशलता विकास परियोजना (समस्त प्रदेश के लिए)

**19.4** भारत सरकार द्वारा यह परियोजना ₹117.00 लाख की कुल लागत से दिनांक 08.12.2009 से समस्त प्रदेश के लिए अनुमोदित की गई है तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के

अनुपात से उपदान की राशि वहन की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 1,700 ग्रामीण परिवारों के युवाओं को हिमकोन के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत् अब तक 520 निर्धन ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा उन सभी को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा ₹29.25 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

## स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कुशलता विकास परियोजना (जिला हमीरपुर के लिए)

**19.5** भारत सरकार द्वारा यह परियोजना ₹226.68 लाख की कुल लागत के साथ जिला हमीरपुर के लिए अनुमोदित की गई है। उपदान की राशि भारत सरकार तथा कार्यान्वयन संस्था द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जा रही है तथा इस परियोजना के अन्तर्गत 2,000 गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण परिवारों के युवाओं को आई0टी0एफ0टी0, चण्डीगढ़ के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक 1,726 निर्धन ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका हैं इनमें से 1,341 युवकों को रोजगार दिया जा चुका है तथा योजना के अंतर्गत ₹198.61 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

## वाटरशैड

**19.6** ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत बंजर क्षेत्रों, सूखा ग्रस्त तथा मरूस्थल क्षेत्र के विकास हेतु भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार विभाग द्वारा एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.डी.पी.) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारम्भ से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकीकृत बंजर भूमि के अन्तर्गत 67 परियोजनाएं (873 माइक्रो वाटरशैड) जिनकी कुल लागत ₹ 254.12 करोड़ है के अंतर्गत् 4,52,311 हैक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अन्तर्गत 412 सूक्ष्म जलागम स्वीकृत हैं जिनकी कुल लागत ₹116.50 करोड़ तथा 2,05,833 हैक्टेयर भूमि के विकास किया जाना है। मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत 552 सूक्ष्म जलागम जिनकी कुल लागत मु0 ₹159.20 करोड़ है तथा 2,36,770 हैक्टेयर भूमि के विकास किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के आरम्भ से दिसम्बर,2012 तक एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्लयू.डी.पी.) पर ₹231.84 करोड़, सूखाग्रस्त कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) पर ₹104.10 करोड़, मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) ₹ 96.20 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा एकीकृत वाटरशैड प्रबन्धन योजना (आई.डब्लयू.एम.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 2009–10, 2010–11 तथा 2011–12 में प्रदेश के सभी जिलों के लिए 110 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनकी कुल लागत ₹885.08 करोड़ प्रस्तावित है तथा 5,90,056 हैक्टेयर भूमि का विकास 4 से 7 सालों में किया जाना प्रस्तावित है जिसके लिए ₹145.81 करोड़ की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हो चुकी है तथा इस राशि में से दिसम्बर,2012 तक ₹56.28 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।

## इन्दिरा आवास योजना

**19.7** इन्दिरा आवास योजना केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. लाभभोगी को ₹48,500 प्रति परिवार नये मकान बनाने के लिए सहायता दी जा रही है। लाभार्थियों का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जा रहा है। केंद्र तथा राज्य सरकार 75:25 के अनुपात से इस योजना पर व्यय करती है। वर्ष 2012–13 में 6,271 नए मकानों के निर्माण का लक्ष्य है तथा दिसम्बर,2012 तक 6,404 नए मकान स्वीकृत हुए व 1,059 मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष मकान बनाने का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के अधीन दिसम्बर,2012 तक ₹1611.70 लाख खर्च किए गए।

## मातृ शक्ति बीमा योजना

**19.8** यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। इस योजना के अन्तर्गत् 10 वर्ष से 75 वर्ष तक की महिलाएं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं लाभ के लिए पात्र हैं। यह परिवार की बीमागत महिला को मृत्यु या अपंगता जो निम्न प्रकार से हुई हो राहत प्रदान करती है। दुर्घटना से किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के दौरान जैसे कि नसबंदी, सिजेरियन, गर्भाशय, वक्षस्थल निकालने, प्रजनन के समय, किसी प्रकार की दुर्घटना से, डूबने से, बाढ़ में बहने से, भू–स्खलन, कीटडंक, सर्पडंक, भूचाल, आंधी तूफान से तथा विवाहित महिला के पति की दुर्घटना में हुई मृत्यु में लागू है। योजना के अन्तर्गत बीमा राशि को निम्न प्रकार से प्रदान किया जाता है:–

(i) मृत्यु पर ₹1,00,000
(ii) पूर्ण स्थाई अपंगता पर ₹1,00,000
(iii) एक अंग और एक आंख या दोनों अंग या दोनों आंखों की क्षति पर ₹1,00,000
(iv) एक आंख या एक अंग की क्षति पर ₹50,000
(v) पति की मृत्यु पर ₹1,00,000

वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान ₹158.00 लाख दिसम्बर,2012 तक जिलों के समस्त डी.आर.डी.ए. को आंवटित कर दिए गए हैं।

## अटल आवास योजना

**19.9** यह योजना इन्दिरा आवास योजना की पद्धति पर ही चलाई जा रही है। इस प्रकार अटल आवास योजनाओं के अन्तर्गत चालू वित वर्ष के लिए 2,499 मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से 403 मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा ₹652.04 लाख व्यय किये जा चुके है।

## गुरु रवि दास सार्वजनिक उन्नयन योजना

**19.10** गुरू रवि दास सार्वजनिक उन्नयन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए ₹1,000.00 लाख का आबंटन किया जाएगा। पूर्व में एक विधान सभा क्षेत्र में केवल 5 वार्ड ₹3.00 लाख प्रति वार्ड इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हो रहे थे, अब वार्ड की संख्या बढाकर 7 कर दी है तथा प्रति वार्ड राशि को बढ़ाकर ₹3.00 लाख से बढ़ाकर ₹5.00 लाख कर दिया है। यह प्रस्तावित किया है कि अनुसूचित जाति बहुल वार्ड के उन लोगों को, जिनको अन्य योजनाओं के अन्तर्गत न लिया गया हो, उन्हें इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

## सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (अब निर्मल भारत अभियान)

**19.11** सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012–13 के दौरान निर्मल भारत अभियान नाम दिया गया है, के मुख्य उददेश्य निम्नलिखित हैं:–

क) ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार करना।

ख) देश के सभी ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल स्थिति प्राप्त करने के साथ–2022 तक निर्मल भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना।

ग) जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।

घ) ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वशिक्षा अभियान के तहत शामिल न किए गए विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को समुचित स्वच्छता सुविधाओं के साथ कवर करना और छात्रों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ सफाई की आदतों को बढ़ावा देना।

ड) पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए सस्ती तथा उपयुक्त प्रौद्यौगिकियों को बढ़ावा देना।

च) ग्रामीण क्षेत्राों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय प्रबंधित पर्यावरण स्वच्छता प्रणाली/ पद्वति विकसित करना।

प्रदेश में स्वच्छता अभियान सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण के माध्यम से स्थाई एवं रचनात्मक समुदायिक सोच की व्यवस्था का विकास कर रहा है ताकि लोग अपने लिए स्वच्छता से सम्बन्धित आवश्यकताओं की मांग करें तथा उसके उपरान्त उन्हें पूरा करने के लिए उचित कदम उठाए। वर्तमान में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य है। इस कार्यक्रम की वर्तमान परियोजना अनुसार 31–12–2012 तक की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां निम्न प्रकार से है:–

## वित्तीय प्रगति

(₹ लाख में)

| | |
|---|---|
| कुल परियोजना परिव्यय | 19632.55 |
| केन्द्रीय भाग | 13118.40 |
| राज्य भाग. | 4997.33 |
| लाभार्थी भाग. | 1516.82 |
| जारी राशि | 12758.57 |
| केन्द्र द्वारा जारी | 8748.19 |
| राज्य द्वारा जारी | 3189.25 |
| लाभार्थी द्वारा जारी | 821.13 |
| खर्चा/व्यय | 10219.02 |
| केन्द्रीय भाग से | 7059.59 |
| राज्य भाग से | 2571.68 |
| लाभार्थी भाग से | 587.75 |

## वित्तीय प्रगति

## वर्ष वार प्रगति टी.एस.सी.(एन.वी.ए.)

(₹ लाख में)

| वर्ष | केन्द्र | | राज्य | |
|---|---|---|---|---|
| | जारी राशि | व्यय | जारी राशि | व्यय |
| 2007–08 | 1024.50 | 355.13 | 113.22 | 117.14 |
| 2008–09 | 778.76 | 466.90 | 469.63 | 170.78 |
| 2009–10 | 1116.80 | 1312.38 | 400.00 | 563.66 |
| 2010–11 | 2939.78 | 2130.20 | 711.51 | 702.71 |
| 2011–12 | 469.57 | 1274.65 | 813.71 | 591.66 |
| 2012–13 दिसम्बर, 12 तक) | 1666.96 | 909.21 | 423.20 | 281.14 |

## भौतिक प्रगति

(संख्या)

| घटक | लक्ष्य | उपलब्धि |
|---|---|---|
| 1.व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय | | |
| i) बीपीएल शौचालय | 218167 | 249317 |
| ii)एपीएल शौचालय | 632583 | 780447 |
| कुल (i+ii) | 850750 | 1029764 |
| 2.स्कूल शौचालय | 20738 | 17193 |
| 3.आंगनवाड़ी शौचालय | 10308 | 8526 |
| 4.स्वच्छता परिसर | 1229 | 790 |

## भौतिक प्रगति

(संख्या)

| वर्ष | व्यक्तिगत शौचालय (एपीएल+ बीपीएल) | स्कूल शौचालय | आंगनबाडी शौचालय | समुदायिक स्वच्छता परिसर |
|---|---|---|---|---|
| 2007–08 | 136043 | 1858 | 484 | 23 |
| 2008–09 | 313872 | 1959 | 994 | 35 |
| 2009–10 | 239576 | 4701 | 2302 | 63 |
| 2010–11 | 216571 | 6429 | 4400 | 310 |
| 2011–12 | 30066 | 802 | 132 | 163 |
| 2012–13 (दिसम्बर, 12 तक) | 4409 | 370 | 84 | 123 |

निर्मल भारत अभियान की गाईडलाईन अनुसार नया बेस लाईन सर्वे सभी जिलों में किया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सभी जिलों की परियोजनाएं संशोधित की जाएगी।

## महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना

**19.12** महिला मण्डलों को स्वच्छता अभियान की गतिविधियों में बढ़ावा देने के लिए, महिला मण्डल प्रोत्साहन योजना को प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ा गया है। इस योजना की नवीनतम दिशा निर्देशों अनुसार उन महिला मण्डलो को इस योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है जिन्होनें अपने गांव/वार्ड व ग्राम पंचायत को बाह्य शौच मुक्त करने व इसके स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए इस योजना में ₹129.68 लाख संबधित महिला मण्डलों को प्रदेश में वितरित करने का प्रावधान किया गया है।

## निर्मल ग्राम पुरस्कार

**19.13** सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने अक्तूबर,2003 में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजन प्रारम्भ की तथा वर्ष 2005 में प्रथम बार पुरस्कार वितरित किए गए। पंचायती राज संस्थाओं व अन्य संस्थानों के द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता पर किए गए उल्लेखनीय कार्यो को पहचान प्रदान करना निर्मल ग्राम पुरस्कार की मांग है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान सूचना शिक्षा व सम्प्रेषण, क्षमता विकास, व स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय आधारित सामाजिक समूहो, गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से व्यवहार परिवर्तन पर अधिक जोर देता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के मुख्य उद्देश्य निम्न है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को सामाजिक एवं राजनैतिक बहस का मुद्दा बनाना।
2. खुले में शौच मुक्त वातावरण एवं साफ सुथरे आदर्श गांव विकसित करना जो कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्त्रोत हों।
3. खुले में शौच प्रथा (ओ.डी.एफ.) को पूर्णतयः बंद करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए कदमों के स्थायित्व को बनाए रखने के लिए उनको प्रोत्साहन प्रदान करना
4. सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में सामुदायिक लामबंदी को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा वैश्वीय स्वच्छता के बढ़ावे के लिए संस्थाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचान प्रदान करना

हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षों के निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेताओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| वर्ष | निर्मल ग्राम पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|
| 2007 | 22 ग्राम पंचायतें |
| 2008 | 245 ग्राम पंचायतें व एक खण्ड |
| 2009 | 253 ग्राम पंचायतें |
| 2010 | 168 ग्राम पंचायतें |
| 2011 | 323 ग्राम पंचायतें |
| **कुल** | 1,011 ग्राम पंचायतें तक एक खण्ड |

**नोटः–** भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2012 में निर्मल ग्राम पुरस्कार की गाईडलाईन में संशोधन किया गया है।

## राज्य प्रोत्साहन योजनाएं

### महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरस्कार (एम0वी0एस0एस0पी0)

**19.14** प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में राज्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महार्षि वाल्मिकी सम्पूर्ण स्वच्छता पुरूस्कार योजना प्रारम्भ की गई जिसके अर्न्तगत

खण्ड/जिला/मण्डल व राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ ग्राम पंचायतों को राज्य स्तरीय समारोह में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त (स्वतन्त्रता दिवस) को पुरस्कृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. खण्ड स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹1.00 लाख
2. जिला स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹3.00 लाख
   (क) 300 से कम ग्राम पंचायतों के लिए जिला में एक पुरस्कार)
   (ख) 300 से अधिक के ग्राम पंचायतों के लिए जिला में दो पुरस्कार )
3. मण्डल स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹5.00 लाख
4. राज्य स्तरीय विजेता ग्राम पंचायत– ₹10.00 लाख

इस योजना के अर्न्तगत वर्ष 2012–13 के दौरान ₹147.00 लाख की पुरस्कार राशि विभिन्न खण्ड, जिला, मण्डल, राज्य स्तरीय विजेताओं को प्रदान की गई।

## स्कूल स्वच्छता प्रोत्साहन योजना

**19.15** राज्य सरकार द्वारा स्कूल स्वच्छता के अंतर्गत एक नई प्रोत्साहन योजना दिसम्बर,2009 से प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत खण्ड व जिला स्तर के सबसे स्वच्छ प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को पुरस्कार प्रदान किया जाता था। वर्ष 2011–12 के दौरान इस योजना के मापदण्डों में कुछ बदलाव किया गया है और अब इस योजना में हाई/हाई सकैण्डरी स्कूलों को भी शामिल किया गया है। यह प्रतियोगिता आधारित प्रोत्साहन योजना प्रति वर्ष फरवरी माह से प्रारम्भ होकर 15 अप्रैल को समाप्त होती है जिसका विवरण निम्न है:–

- जिला स्तर पर सबसे स्वच्छ प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई/हाई सकैण्डरी स्कूलों को प्रथम पुरस्कार के रूप में ₹50,000 की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र।
- खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार ₹20,000 की पुरस्कार राशि व प्रशंसा प्रमाण पत्र।
- द्वितीय पुरस्कार (केवल खण्ड स्तर पर) ₹10,000

वर्ष 2012–13 के लिए इस योजना के लिए कुल पुरस्कार राशि ₹ 87.30 का प्रावधान किया गया है।

## महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

**19.16** भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अधिसूचित किया तथा 2 फरवरी, 2006 में इसे लागू किया गया। इस अधिनियम में ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ऐसी गृहस्थी की जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। प्रदेश में प्रथम चरण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को जिला चम्बा तथा जिला सिरमौर में 2 फरवरी, 2006 को लागू किया गया। द्वितीय चरण में इस योजना को जिला मण्डी तथा जिला कांगड़ा में

1.4.2007 से लागू किया गया तथा तीसरे चरण में शेष आठ जिलों में 1.4.2008 से इस योजना को लागू किया गया। वर्ष 2012–13 में दिसम्बर, 2012 तक भारत सरकार द्वारा ₹ 321.37 करोड़ तथा प्रदेश सरकार के राज्स हिस्से के रूप में ₹34.89 करोड़ रोजगार गारंटी फंड में जमा किए जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत जिलों के पास ₹465.19 करोड़ (दिसम्बर, 2012 तक) उपलब्ध है और ₹ 47.50 करोड़ रोजगार गारंटी फंड में जमा हैं तथा दिसम्बर,2012 तक ₹309.77 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं तथा 4,11,828 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवा कर 159.36 लाख कार्य दिवस अर्जित किये जा चुके हैं।

# 20. आवास एवं शहरी विकास

**20.1** हिमाचल प्रदेश सरकार का आवास विभाग, आवास एवम शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से समाज के विभिन्न आय वर्ग के लोगों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न श्रेणियों के मकानों/ फलैटों के निर्माण और प्लाटों को विकसित करने का कार्य करता है। मार्च, 2012 तक प्राधिकरण द्वारा 12,405 मकान/ फलैटों का निर्माण तथा 4,824 प्लाटों का विकास विभिन्न आवासीयों योजनाओं के अर्न्तगत किया गया है।

**20.2** इस वर्ष में ₹11, 541.73 लाख बजट के अन्तर्गत 1 मकान, 175 फलैटों का निर्माण करने, 156 प्लाटों को विकसित करने के लिए तथा विभिन्न विभागों के डिपॉजिट कार्यों को करने का प्रावधान रखा गया है। दिसम्बर, 2012 तक ₹6,588.00 लाख का खर्चा किया जा चुका है।

**20.3** आर्थिक आधार मुख्यतः हुडको तथा राष्ट्रीय आवास बैंको से ऋण लेकर, स्वतः वित्त योजना के आंवटियों से तथा विभिन्न सरकारी विभागों के डिपोजिट कार्यो से प्राप्त होता है।

**20.4** वर्ष 2011–12 के दौरान हिमुड़ा ने हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 9 मकान तथा 53 फलैटों का निर्माण किया है । इस अवधि के दौरान हिमुड़ा ने 348 प्लाटों को भी विकसित किया है। दिसम्बर,2012 तक हिमुडा ने 50 फलैटों तथा 45 प्लाटों का निर्माण किया है।

**20.5** ठियोग, छबरोगटी, फलावरडेल, सन्जौली, मन्दाला परवाणु, जुरजा (नाहन) और बटोलीखुरद (बददी) मे आवासीय कालोनियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा सम्भतः मार्च 2013 तक पूर्ण कर दिया जायेगा। वर्तमान में हिमुड़ा के पास 412.00 बीघा जमीन है। भूमि अर्जित का कार्य शिलीहर कोट कन्डी 70.00 बीघा (जिला कुल्लू), मोहाल, राजवाडी 80.03 बीघा (जिला मण्डी), मोहाल अणु तहसील रोहडू 50.00 बीघा (जिला शिमला) मोहाल, मजहारी 98.00 बीघा तहसील कण्डाघाट (जिला सोलन), मोहाल, बनगढ, महेतपुर 190.00 कनाल (जिला उना) में आवासीय कलौनी स्थापित करने का कार्य चल रहा है। वर्ष 2012–13 के दौरान हिमुडा ने 110 भवन निर्माण का लक्ष्य रखा था जिसमें से दिसम्बर तक 79 भवन पूर्ण करके अबंटित किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष के अन्त तक हिमुडा लक्ष्य को पूर्ण करने की उम्मीद रखता है।

**20.6** हिमुडा विभिन्न विभागों के डिपोजिट कार्य जैसे की सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता, जेल, पुलिस, युवा खेल एवं सेवाये, पशु पालन, शिक्षा, मछली पालन, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल बस अडडा प्रबन्ध एवं विकास प्राधिकरण, शहरी विकास निकाय, पंचायती राज और आर्युवेदा विभाग का निर्माण कर रहा है।

**20.7** बददी, फेज–3 में (फुडकोर्ट) बी0 सी0 एस0 फेज–3 में नई वाणिज्य

परिसर का निर्माण किया जा रहा है । अटल नगर (कालूझण्डा) मे 11 प्लॉट शिक्षण संस्थानों, चार विश्वविद्यालय के विकास के लिए बेचे गये है । इसके अतिरिक्त हिमुडा ने मांग सर्वेक्षण के लिए आवेदन मांगे थे, जिसके लिए भू–अर्जन का कार्य विभिन्न स्थानों पर चल रहा है जिसके लिए उत्साहपूर्वक जबाव मिल रहा है।

**20.8** हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमुडा को भारत सरकार की जवाहर लाल नहेरू शहरी नवीकरण मिशन के अर्न्तगत नोडल ऐजेन्सी घोषित किया है शहरी गरीबो के लिए मूलभुत सुविधाओं की योजना के अन्तर्गत 176 फलैटों (आशियाना–2 ) ढली, शिमला, का निर्माण किया जा रहा है और आई0एच0एस0 डी0पी0 के अर्न्तगत हमीरपुर में 152 फलैटों का, परवाणु में 192 फलैटों का निर्माण और नालागढ़ में 128 फलैटों का कार्य पूर्ण होने के कगार पर है । यु0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0टी0 के अर्न्तगत हिमुडा मण्डी कस्बे मे सड़कों, रास्तों और नालों के चैनलाईजेशन का कार्य किया है ।

## शहरी विकास

**20.9** संविधान के 74वें संशोधन के फलस्रूप शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार शक्तियां एवं कियाकलाप बहुत अधिक बढ़ गए है। प्रदेश में नगर निगम, शिमला समेत कुल 50 शहरी स्थानीय निकाय लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार प्रतिवर्ष इन शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान राशि प्रदान कर रही है।

**20.10** राज्य चौथे वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 2012–13 में सभी मजदूरी स्थानीय निकायों को ₹5,707.00 लाख की राशि प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इस राशि में इन निकायों को विकास कार्यों तथा आय–व्यय के अंतर को दूर करने के लिए सहायता राशि भी शामिल है।

### जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजनाः

**20.11** माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3दिसम्बर,2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य शहरों का एकीकृत रूप से आर्थिक विकास कुशल, न्यायोचित तथा जिम्मेदार शहरों की आर्थिक तथा सामाजिक सरंचना, गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु तथा विभिन्न शहरी संस्थाओं को सशक्त करना एवं उनकी कार्य प्रणाली में सुधार लाने हेतु शहरों को विकसित करना है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मे केवल शिमला शहर को राजधानी होने के नाते शामिल किया गया है।

**20.12** हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आवास तथा शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था नामांकित किया गया है। इस योजना के अर्न्तगत मुख्यतः सड़कों का विकास, जलापूर्ति, मल निकासी, पार्किंग, सुरंगे तथा कूड़ा प्रबन्धन इत्यादि कार्य किया जाना है। वर्ष 2012–13 में ₹187.00 लाख सामान्य योजना तथा ₹643.00 लाख अनुसूचित जन–जाति योजना में बजट का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक इस योजना मे निम्न कार्य अनुमोदित किए गए हैं।

1. शिमला नगर के लिए ठोस कूड़ा प्रबन्धन में बेहतरी लाना।
2. ऑकलैंड हाउस स्कूल, शिमला मोटर सड़क पर सुरंग को खोदने व चौड़ा करने का कार्य।
3. शिमला शहर के लिए जल आपूर्ति प्रणाली का पुर्नवास।
4. शिमला शहर के लिए शहरी परिवहन में 75 बसों को खरीदना।
5. शिमला के विभिन्न कटिबन्धों में मल व्यवस्था तथा छूटे हुए क्षेत्रों / घिसी पिटी मल व्यवस्था की कायाकल्प करना।
6. शिमला नगर के गरीबों को आशियाना–। और ।। आवास योजना।

## एकीकृत गृह एवं मलिन बस्ती विकास योजना

**20.13** इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए उपयुक्त आवास तथा मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस योजना में 25 वर्ग मीटर में एक रिहायशी ईकाई (दो कमरे, एक रसोई तथा शौचालय) के निर्माण का प्रावधान है। एक रिहायशी ईकाई ₹ 1.00 लाख की लागत से बनाया जाना है। यह योजना जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना का भाग है। इस में अंशदान 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा ₹7,203.89 लाख की आठ योजनाओं को (हमीरपुर 443.32 लाख, धर्मशाला 942.31 लाख, सोलन 958.30 लाख, परवाणु 1,167.98 लाख, बददी 1,475.39 लाख, नालागढ़ 546.59 लाख, सुन्दरनगर 999.00 लाख, सरकाघाट 671.00 लाख) हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत कर दिया है जिसके अन्तर्गत 328 रिहायशी युनिट धर्मशाला, 336 रिहायशी युनिट सोलन, 152 रिहायशी युनिट हमीरपुर, 192 रिहायशी युनिट परवाणु, 480 रिहायशी युनिट बददी, 128 रिहायशी युनिट नालागढ़, 208 रिहायशी युनिट सुन्दरनगर, 130 रिहायशी युनिट सरकाघाट में बनाए जाने हैं। हिमुडा को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी संस्था नांमाकित किया गया है। चालू वित वर्ष 2012–13 में ₹500.00 लाख का बजट प्रावधान है जो कि 31.3.2013 तक खर्च किए जाएंगे।

## शहरी क्षेत्रों में सड़कों का रखरखाव

**20.14** 50 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगभग 1,416 किलोमीटर सड़कों, रास्ते, गलियों तथा 1,139 किलोमीटर नालियों का रख–रखाव किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जितनी लम्बाई की सड़कों, गलियों तथा रास्तों का रख–रखाव किया जा रहा है उसके अनुपात में उन्हें ₹600.00 लाख इस वित्तीय वर्ष में प्रदान किए गए हैं।

## स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

**20.15** स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के अर्न्तगत मुख्य उद्वेश्य शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहें बेरोजगारों व अपूर्ण बेरोजगारों को इस योजना में स्वयं रोजगार व मजदूरी रोजगार हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2012–13 में इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की भागीदारी के रूप में ₹29.00 लाख प्रदान किए जा रहे हैं तथा केन्द्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2012–13 में ₹671.23 लाख प्रदान किए जाने हैं जिसमें से ₹335.61 लाख प्रदान किए जा चुके हैं।

### छोटे तथा मध्यम शहरी संरचना विकास योजना(यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)

**20.16** भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में छोटे व मध्यम शहरी विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी) को पुनः संरचित कर इस का नाम छोटे तथा मध्यम शहरी सरंचना विकास योजना (यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी) रखा गया तथा हिमाचल प्रदेश द्वारा हिमुडा को इस योजना का कार्यान्वयन सौंपा गया है। इस योजना के तहत चार शहरों हमीरपुर, धर्मशाला, सरकाघाट तथा मण्डी को लाया जा चुका है तथा अन्य 7 शहरों की योजनाएं अनुमोदनार्थ, भारत सरकार को भेजी गई है। इस योजना में शहरी अधोसंरचना जैसे कि कूडा कचरा प्रबन्धन, नालों का चैनेलाईजैशन, वर्षा जल निकासी हेतु नालियां, सीवरेज योजनाएं, सड़कों को चौड़ा करना और पार्किंग का निर्माण इत्यादि करवाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में ₹ 5,670.00 लाख का बजट प्रावधान है जिसमें से ₹ 36.29 करोड़ प्रदान किए जा चुके हैं।

### मल व्यवस्था योजना

**20.17** वित्त वर्ष 2012–13 में प्रदेश के 27 शहरों में चल रही मल निकासी व्यवस्था योजनाओं को पूरा करने हेतु ₹ 27.00 करोड़ सामान्य योजना तथा विशेष घटक योजना में उपलब्ध करवाए गए हैं जिसमें से ₹ 18.00 करोड़ सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग को प्रदान किए जा चुके हैं। यह योजना सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।

### 13वॉ वित्तायोग अनुदान

**20.18** 13वें वित्तायोग के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को दो प्रकार का अनुदान स्वीकृत किया है जो कि सामान्य बुनियादी अनुदान और सामान्य निष्पादन अनुदान हैं। यह अनुदान राशि शहरी स्थानीय निकायों को 60 प्रतिशत जनसंख्या तथा 40 प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर आवंटित की जा रही है। ₹1,744.88 लाख सामान्य बुनियादी अनुदान एवं सामान्य निष्पादन अनुदान जारी किया गया। इसके अतिरिक्त 13 सैलानी शहरों में पार्किंग निर्माण, मलनिकासी तथा गंदा पानी निकास एवं ठोस कचरा प्रवंधन सयन्त्र के निमार्ण हेतु ₹20.00 करोड़ प्रदान किए जा चुके हैं। 13वें वित्तायोग की सिफारिशों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों के लिए सर्विस लेवल बैंचमार्क अधिसूचित किए गए है ताकि लोगों को पार्किंग निर्माण, मल निकासी तथा गंदा पानी निकास एवं ठोस कचरा प्रवंधन जैसी मूलभूत सुविधाएं जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।

## नगर एवम् शहरी योजना

**20.19** सन्तुलित विकास और विनियमन द्वारा भूमि संसाधनों में कमी के मद्देनजर जनसांख्यिक और सामाजिक आर्थिक तथ्यों को विवेकपूर्ण उपयोग करके कार्यात्मक, आर्थिक, पर्यावरणीय सतत् और सौन्दर्यात्मक जीवन सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। पर्यावरण के संरक्षण, विरासत और मूल्यवान भूमि संसाधनों के सतत् विकास के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी द्वारा नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 को 21 योजना क्षेत्रों (जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.94 प्रतिशत) और 34 विशेष क्षेत्रों (जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.27 प्रतिशत) है में लागू किया गया है।

**20.20** खरवार, चाम्बी, गगरेट–अम्ब, दाड़लाघाट, घुमारवीं, सुन्दरनगर और बाघा योजना क्षेत्रों के गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। ठियोग, चिन्तपुर्णी तथा धर्मशाला (संशोधित) की विकास योजना तैयार कर ली गई है और संबृद्वि जारी है। विकास योजना नामतः वाकनाघाट, कुल्लू, भुन्तर, रोहडू, मैहतपुर, रामपुर (संशोधित) का कार्य प्रगति पर है। बल्ह घाटी, केन्द्रीय हिमाचल, कांगड़ा घाटी, उत्तरी हिमाचल, कुल्लू घाटी, शिमला कैपिटल सिटी और दक्षिण हिमाचल की क्षेत्रीय योजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। कण्डाघाट, कमांद, चौपाल, घुमारवीं, रोहतांग, जाबली और चमेरा योजना क्षेत्र व विशेष क्षेत्र के विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र का कार्य तकरीबन पूर्ण हो चुका है तथापि अतिरिक्त धर्मशाला भू–उपयोग मानचित्र तैयार किया जा चुका है1 इस पर जनता के आपत्ति एवं सुझाव का कार्य प्रगति पर है। योजना क्षेत्र चौपाल, जाहू–भॉबला–सरकाघाट, जोगिन्द्रनगर, बड़सर, सुजानपुर, श्री रेणुका जी, श्री नैना देवी जी और सांगला कामरू के गठन का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इस विभाग के पक्ष में स्वीकृत एक करोड़ रूपयें में से इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 31–12–2012 मे 24.69 लाख रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

**अन्य उपलब्धियांः**

1 प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय योजना एवं विकास बिल को हिमाचल प्रदेश अपार्टमैंट एवं सम्पत्ति विनियम विधेयक, 2005 में समायोजित करने बारे।

2. योजना क्षेत्र / विशेष क्षेत्र की स्थानीय योजना के लिए डिजिटल आधार मानचित्र की प्राप्ति के तौर तरीकों को AGiSAC के साथ अन्तिम रूप दे दिया गया है। 35 योजना क्षेत्र / विशेष क्षेत्रों के मानचित्रों को डिजिटल आधार मानचित्र बनाने के लिए AGiSAC को भेज दिया गया है।

3. शहरी स्थानीय निकायों के राज मिस्त्री, वास्तुकार, अभियन्ता और अधिशाषी अधिकारियों की आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित क्षमता निर्माण के ईकाइयों (Modules) को बनाकर राजस्व विभाग को प्रस्तुत किया गया है।

4. विनियम / फसाड मानक नियन्त्रण एवं सड़क के किनारे पर सुविधायें, निजी भूमि मालिकों और पर्यटन की दृष्टि से चिन्हित पर्यटन स्थलों जो कि पर्यटन विभाग द्वारा अंकित किये गये हैं के बारे मानक तैयार कर दिनांक 25–4–2012 को सरकार को भेज दिये है।

5. हैरिटेज एडवाइजरी कमेटी द्वारा स्वीकृत टी0सी0पी0ओ0 मॉडल धरोहर संरक्षण दिशा निर्देश 2011 को हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार सुझावों के अनुरूप अनुमोदन कर स्वीकृति हेतु सरकार को प्रेषित किया है।

6. हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और स्थाई धरोहर विरासत की राज्य सूची तैयार कर सरकार को भेज दी गई है।

7. शिमला योजना क्षेत्र में कार्य दक्षता को सक्षम बनाने हेतु GPS

सक्षम सचल फील्ड अनुप्रयोग प्रणाली को मार्गदर्शक के रूप में लागू किया जा चुका है।

8 हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 लागू है।

**वर्ष 2013–14 हेतु लक्ष्य**

**20.21** 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्लान वित्तीय वर्ष 2013–14 तैयार कर लिया गया है जिसमें कि योजना क्षेत्र, विशेष योजना क्षेत्र, क्षेत्रीय भू–उपयोग मानचित्र, विकास योजनाओं को तैयार किया जाना है जो निम्न प्रकार से हैः–

1 अर्की, राजगढ़, बंजार, नूरपुर, नगरोटा, सुन्नी, करसोग–तत्तापानी, घागस, संतोखगढ़ एवं चुवाड़ी नामक 10 योजना क्षेत्रों का गठन करना।

2 सुन्दरनगर, जाहू, झझेरा, जोगिन्द्रनगर, नादौन, घागस नामक छः योजना क्षेत्रों एवं चायल, उदयपुर, ताबों, चामुण्डा, पौंग डैम, हाटकोटी, रिकांगपिओं और सांगला नामक आठ विशेष क्षेत्रों का भू–उपयोग मानचित्र बनाना। इसी प्रकार बल्ह घाटी, कांगड़ा घाटी, कैपिटल सिटी एवं केन्द्रीय हिमाचल नामक चार क्षेत्रीय भू–उपयोग मानचित्र बनाना ।

3 13 विकास योजनाओं को तैयार करना जिसमें से 7 योजना क्षेत्र नामतः पांवटा–साहिब(संशोधित) कमांद, नादौन, चौपाल, घुमारवीं, श्री नैना देवी जी, ऊना (संशोधित) और छः विशेष क्षेत्र नामतः नग्गर,चामुण्डा, हाटकोटी, चमेरा, रिकांगपिओ और जाबली।

# 21 पंचायती राज

## पंचायती राज

**21.1** वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषदें, 77 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। 73वें संशोधन के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं का वर्तमान में चौथा कार्यकाल वर्ष 2011 में प्रारम्भ हुआ है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट में समय–समय पर किए गए प्रावधानों के अनुरूप या उनमें कार्यकारी निर्देशों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न शक्तियां और कार्य सौंपे गये हैं। ग्राम सभाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं को सरकार ने और अधिक अधिकार व कार्य सौंपे हैं जिनमें ग्राम पंचायतों को सिलाई अध्यापिका, पंचायत चौकीदार तथा प्राथमिक पाठशालाओं में अंशकालिक जलवाहक की अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। पंचायत सहायक, कनिष्ठ लेखापाल, लिपिक व आशुटंकक की नियुक्ति का अधिकार पंचायत समिति को तथा सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियंता तथा निजि सहायक की नियुक्ति का अधिकार जिला परिषद को दिया गया है। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की योजना तथा परियोजना का अनुमोदन करने तथा ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों में व्यय की गई धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

**21.2** ग्राम पंचायतों को समस्त प्राथमिक पाठशाला भवनों का स्वामित्व तथा रखरखाव सौंपा गया है। ग्राम पंचायतों को भूमि मालिकों से भू–राजस्व एकत्रित करने की शक्ति प्रदान की गई है तथा एकत्रित राशि के उपयोग करने के बारे ग्राम पंचायत स्वयं निर्णय लेगी। पंचायतों को विभिन्न प्रकार के कर, फीस तथा शुल्क अधिरोपित करने तथा आय बढ़ाने वाली परिसम्पतियों के निर्माण हेतु ऋण लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पंचायतों को योजना बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। मोबाईल टावर लगाने एवं शुल्क अधिरोपित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्राधिकृत किया गया है। किसी भी तरह के खनिज के खनन के लिए जमीन पट्टे पर देने से पूर्व संबंधित पंचायत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायतों को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन गुजारा भत्ता के लिए तथा ₹ 500 प्रतिमाह तक गुजारा भत्ता प्रदान करने हेतु आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है। ग्राम पंचायते क्षेत्र में ₹1.00 प्रति बोतल की दर से शराब की बिक्री पर सैस ग्राम पंचायतों को हस्तातंरित किया गया है और इससे प्राप्त निधि को वह विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन पर व्यय कर सकेगी।

**21.3** यह अनिवार्य किया गया है कि कृषि, पशु–पालन, प्राथमिक शिक्षा, वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, बागवानी, सिंचाई एवं जन–स्वास्थ्य, राजस्व और कल्याण विभाग के गांव स्तर में कृत्यकारी, उस ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेगें जिसकी अधिकारिता में वे तैनात हैं और यदि ऐसे गांव स्तर के कृत्यकारी बैठकों में उपस्थित नहीं होते हैं तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के माध्यम से उनके नियंत्रक

अधिकारी को मामले की रिर्पोट करेगी, जो रिर्पोट प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे कृत्यकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा और ऐसी रिर्पोट पर की गई कार्यवाही के बारे में ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को सूचित करेगा।

**21.4** पंचायती राज संस्थाओं को हस्तातंरित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

i) ग्राम पंचायत के प्रधानों को नियम–11 हिमाचल प्रदेश Forest Produce Transit (Land Route) नियम, 1978 के अंतर्गत वन उत्पादित 37 प्रजातियों के निर्गम के लिए परमिट जारी करने हेतु वन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ii) राज्य सरकार ने पंचायती राज पदाधिकारियों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय संशोधित दरों के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जिला परिषद को ₹ 5,000 तथा ₹3,500 प्रति मास, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पंचायत समिति को ₹2,500 तथा ₹ 2,000 प्रति मास तथा प्रधान व उप–प्रधान ग्राम पंचायत को ₹1,800 एवं ₹ 1,500 प्रति मास मानदेय प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सदस्य जिला परिषद और सदस्य पंचायत समिति के मानदेय की संशोधित दरें क्रमशः ₹2,000 तथा ₹ 1,800 प्रति मास कर दी गई हैं और ग्राम पचांयत के सदस्यों को मास में अधिकतम दो बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक फीस की दर को ₹ 175 प्रति बैठक कर दिया गया है।

iii) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों को, पंचायत से सम्बन्धित कार्य करने हेतु भ्रमण के लिए, दैनिक एवं यात्रा भत्ते की अदायगी हेतु अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

iv) राज्य सरकार ने सरकारी विश्राम गृहो में जिला परिषद तथा पंचायत समिति के पदाधिकारियों को भ्रमण के दौरान ठहरने की सुविधा प्रदान की गई है।

v) सरकार ने पंचायत चौकीदारों को वर्दी उपलब्ध करवाने हेतु ₹ 19,58,880 प्रति वर्ष का अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

vi) पिछले चार वर्षों में सरकार द्वारा 128 ग्राम पंचायतों के पंचायत घरों के निर्माण हेतु तथा 130 पुराने पंचायत घरों के अपवर्धन/ मुरम्मत हेतु क्रमशः ₹ 3.40 लाख व ₹1.00 लाख प्रति पंचायत की दर से राशि प्रदान की गई। इस उद्देश्य हेतु ग्राम पंचायतों को समय–समय पर ₹ 7.26 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

vii) पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्ध/ नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक इस प्रकार से हैः– पंचायत सहायक को क्रमशः (अनुबंध) ₹5,910, पंचायत सचिव (अनुबंध) ₹7,810, कनिष्ठ लेखापाल (अनुबंध) ₹7,810, (नियमित) ₹5910–20200+1900, कनिष्ठ अभियन्ता (अनुबंध) ₹14,100 (नियमित)10300–34800 +3800, कनिष्ठ आशुलिपिक (अनुबंध) ₹8,710 (नियमित), 5910–20200+ 2800,सहायक अभियन्ता (अनुबंध) ₹21,000, (नियमित) 15660–39100+5400, सिलाई अध्यापिका

₹1,600, विकास खण्ड अभियंता ₹18,000, पंचायत चौकीदार को ₹1,800 कर दिए गए हैं।

viii) राज्य सरकार ने पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थानों बैजनाथ और मशोबरा, जो कि पंचायती राज पदाधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्कताओं को पूर्ण करते हैं, के पुर्ननिर्माण का निर्णय लिया है। इन प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक सुविधाये प्रदान करने के उदेश्य से इन्हे पुर्ननिर्मित करने पर ₹ 13.00 करोड़ व्यय किए जा रहे है। इसके अतिरिक्त मण्डी जिला के थुनाग में ₹ 6.48 करोड़ की लागत से नये प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जा रहा है।

ix) भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना के अर्न्तगत सिरमौर व चम्बा जिला को वर्ष 2007–08 से पांच वर्षों के लिए क्रमशः ₹78.77 करोड़ तथा ₹65.45 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाने की प्रस्तावना है जिसमें से इस स्कीम के अर्न्तगत, इन जिलों द्वारा विकासात्मक कार्यों के निष्पादन हेतु तैयार की गई योजना के आधार पर अब तक कुल ₹ 133.94 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2011–12 से पंचायती राज मंत्रालय ने इस योजना के अन्तर्गत जिला चम्बा के लिए राशि को ₹ 15.53 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 16.65 तथा जिला सिरमौर के लिए ₹ 12.97 करोड़ से ₹ 13.57 करोड़ किया है जिसमें से ₹ 15.11 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

x) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अन्तर्गत पंचायती राज पदाधिकारियों के क्षमतावर्धन के लिए भारत सरकार को एक भावी तथा वार्षिक योजना से सम्बन्धित प्रस्तावना ₹ 37.29 करोड़ की राशि प्रदान करने हेतु भेजी गई जिसमें से ₹4.33 करोड़ स्वीकृत किए गए तथा राज्य सरकार को ₹ 2.30 करोड़ की राशि प्रथम किश्त के रूप में जारी कर दी है। प्रथम चरण में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 96 प्रतिशत पंचायती राज प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया द्वितीय चरण में थिमेटिक प्रशिक्षण को दिनांक 28.11.11 से आरम्भ किया है।

xi) 13वें वितायोग के तहत इस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 80.80 करोड़ प्रदान किये जायेंगे जिसमें से ₹ 40.40 करोड़ की पहली किश्त जारी की जा चुकी है।

xii) ईपीआरआई योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय दो साफ्टवेयर नामतः परिवार रजिस्टर तथा निर्वाचित पदाधिकारियों बायोडाटा एवं प्रशिक्षण प्रबन्धन साफ्टवेयर तैयार एवं रोल आउट किए गए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एवं विकसित किए गए 12 साफ्टवेयर में से 4 साफ्टवेयर जैसे प्रियासाफट, प्लानपल्स, नेश्नल पंचायत पोरटल तथा नेश्नल पंचायत डायरैक्टरी को रोल आउट किए गए है।

# 22. सूचना एवम् विज्ञान प्रौद्योगिकी

## सूचना प्रौद्योगिकी

### हिमस्वान

**22.1** स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) योजना तीन मुख्य स्तम्भों में से महत्वपूर्ण स्तम्भ है। हिमस्वान, ई–गवर्नैंस के तीन मुख्य स्तम्भों में सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ है जिसका मुख्य उद्धेश्य विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दिए जाने वाली सेवाओं को प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ–साथ विभिन्न विभाग अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित कम्पयूटर प्रोग्राम को हिमस्वान के माध्यम से राज्य स्तर पर चला सकेगें। हिमाचल प्रदेश को देश के पहले ऐसे राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ जिसने हिमस्वान परियोजना को सबसे पहले 5 फरवरी, 2008 को स्थापित किया है। योजना का उद्वेश्य सरकारी क्षेत्र में सरकार से सरकार तथा सरकार से आम लोगों के बीच निकटतम संबंध स्थापित करना है।

### हिमस्वान की वर्तमान स्थिति

132 पवांईंट ऑफ प्रेसेन्स (PoP) स्थापित किए जा चुके हैं। PoP की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

- 130 PoP परिचालित हैं।
- 2 PoP स्पिति स्थित काजा और पांगी बी.एस.एन.एल. द्वारा जोड़े जाने हैं। बी.एस.ए.टी. कनैक्शन इन क्षेत्रों में प्रदान किए जा रहे हैं।
- राज्य में अब तक 1,320 सरकारी कार्यालय जोड़े जा चुके हैं।
- थर्ड पार्टी ऑडिट एजैंसी हिमस्वान संचालक की सेवाओं की निगरानी कर रहा है।

## 3366 सार्वजनिक सेवा केन्द्रों की स्थापना

**22.2** केन्द्र सरकार के इस परियोजना अनुसार राज्य की पंचायतों में 3,366 लोक मित्र केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। परियोजना का उद्धेश्य सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाओं को जनता के कल्याण के लिए दूर–दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना है। इस परियोजना के अंतर्गत सरकारी, निजी एवं सामाजिक क्षेत्रों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में निजी कम्पनियों के माध्यम से कम्पयूटर केंद्र खोले जा रहे हैं। निविदा के आधार पर इस परियोजना का संचालन दो निजी कम्पनियों जूम डेवेलपरस द्वारा जिला कांगड़ा में तथा टेरा सोफ्ट एवं जी. एन.जी कम्पनी द्वारा मण्डी/शिमला डिवीजन में किया जा रहा है। 3,366 केन्द्रों में से 2,839 केन्द्र खोले जा चुके हैं तथा 1,962 केन्द्र जिला प्रशासन द्वारा स्थापित कर दिए गए हैं। लोक मित्र केन्द्रों के द्वारा दो प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैंः सरकारी (जी.टू.सी.) एवं व्यापारिक (बी.टू. सी)वर्तमान में लगभग 1,991 लोक मित्र केन्द्र प्रदेश की जनता को निम्नलिखित सरकारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैंः–

1. नकल जमाबन्दी,
2. शजरा नसव,
3. ई–समाधान,
4. बिजली के बिलों का भुगतान,

5. एच.आर.टी.सी. बसों की टिकटों की बुकिंग,
6. पानी के बिलों का भुगतान,
7. वि0एस0एन0एल0 पोस्टपेड बिलों का भुगतान

अतिरिक्त सेवाएं विभागों से परामर्श के बाद आरम्भ की जा रही हैं। इन सरकारी सेवाओं के अतिरिक्त लोक मित्र केन्द्रों के द्वारा मोबाइल एवं डी.टी.एच. रिचार्ज, जीवन बीमा, सामान्य बीमा, आई.टी. प्रशिक्षण, पैन कार्ड, टंकण, सी.डी.बर्निंग इत्यादि व्यापारिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

## कृषि संसाधन सूचना तंत्र व नेटवर्किंग (एग्रिसनेट)

**22.3** एग्रिसनेट परियोजना के द्वारा नागरिकों विशेषकर किसानों तथा बागवानों तक कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मत्स्य विभाग से सम्बन्धित सेवाओं एवं सूचनाओं को पहुंचाना है। एग्रिसनेट परियोजनों में सभी चारों विभागों से संबंधित सूचना का डेटाबेस तैयार किया गया है।

- लगभग 500 कर्मचारियों को बुनियादी प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।
- जी.टू.जी. प्रशिक्षण सभी चार लाईन विभागों के कर्मचारियों को राज्य में पूरा किया जा चुका है।

## विषयवस्तु सेवा प्रदाता (सी.एस.पी.)

**22.4** सी.एस.पी. भारत सरकार की प्रायोजित योजना है। इस परियोजना का उद्वेश्य राज्य विशिष्ट विषयवस्तु की पहचान करना और भारत के राष्ट्रीय पोर्टल के लिए योगदान देना, कोंपयाल के बाद और एन.पी.आई. की विषय वस्तु को बनाए रखने की अवधि के दौरान संविदा के सम्पर्क के साथ इस संबंध में सरकार के विभागों के लिए योगदान देना।

## परियोजना की वर्तमान स्थिति

- 70 रूप, 30 सेवाएं, विभिन्न विभागों की 105 योजना और 21 विभागीय वैबसाइटस इस परियोजना के अधीन तैयार की जा चुकी हैं

## इलैक्ट्रानिक सरकारी अधिप्राप्ति

**22.5** इस लक्ष्यवर्धी परियोजना को सरकार की खरीद–फरोख्त को सरलीकृत, पारदर्शी और परिणाम अभविनियसत (Result Oriented) करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। यह पाइलट आधार पर आई.पी.एच., पी.डब्लयू. डी और स्टोर के नियंत्रक में कार्यान्वित की जा रही है। यह एपलिकेशन NIC., शिमला द्वारा डेवलप की जा रही है। परियोजना पर प्रशिक्षण सरकारी अधिकारियों के अलावा उन विभागों के बोली लगाने वाले/कोंटरेकटर को भी दिया गया है।

## परियोजना की वर्तमान स्थिति

- परियोजना अधिकतर विभागों में कार्यान्वित की जा रही है जो इस प्रकार हैः डीसी फॉर टैम्पल अधिप्राप्ति, एचपीएसईबी, स्वास्थ्य विभाग, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, वन विभाग, एच.पी.एस.ई.डी. सी., महिला एवं बाल विकास निगम, उद्योग, मुद्रण भण्डार और स्थिर विभाग। कृषि विपणन बोर्ड, एच.सी. डी.आई.एस.पी., हिमुडा, पालमपुर विश्वविद्यालय, राजस्व विभाग, योजना विभाग, हिपा, डी.आर.डी.ए., मंदिर ट्रस्ट दियोटसिद्व, पिंजर ट्रस्ट, कालीबाड़ी और देजी साहिब।

- इन विभागों का/बोली दाता का प्रशिक्षण जनवरी,2012 में पूरा कर दिया गया है। अभी तक कुल 987 सरकारी कर्मचारियों और 320 बोलीदाताओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

## राज्य पोर्टल एवं राज्य सेवा वितरण प्रणाली

**22.6** सेवा वितरण प्रणाली ई. गवर्नेस आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण अंग है। इस परियोजना के अंतर्गत नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकेगें एवं नागरिकों के द्वारा किए गए आवेदन इंटरनेट के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजे जाएगें। 14 विभागों की 49 सेवाएं इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को पहुंचाई जाएगी।

## ई–सर्विसेज एस.एस.डी.जी. के माध्यम से:–

1. आवेदन प्रपत्र ई–रूपों में परिवर्तित करके पोर्टल पर उपलब्ध है।
2. नागरिक इ–फार्म का उपयोग कर लागू कर सकते हैं।
3. ई फार्म में एस.एस.डी.जी. के द्वारा संबंधित विभाग तक पहुंचाए जाते हैं तथा आई.डी. संख्या के द्वारा वर्तमान स्थिति का पता लगाया जा सकता है।
4. उसके पश्चात फार्म निर्धारित प्रक्रिया से गुजरते हैं।
5. निर्धारित प्रक्रिया के उपरान्त अंतिम डिलिवरेवल्स पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं और सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।
6. पहले चरण में 15 सेवाओं को 1 मई,2012 से नागरिकों को राज्य पोर्टल www.eserviceshp. gov.in पर पर उपलब्ध कराया गया है।
7. तृतीय चरण की सेवाओं के रोल आउट के भुगतान संबंधी एकीकरण के लिए प्रवेश द्वार पर सुविधा उपलब्ध करवाने में डी.आई.टी. और एन.एस.डी.एल. डाटावेस मैनेजमैंट लिमिटिड के साथ 13 दिसम्बर,2012 को प्रवेशद्वार पर भुगतान संबंधी आदयगी की सहुलियत के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
8. 6 विभाग जो इनकी सेवाओं के लिए द्वितीय चरण में लंबित हैं सरकार के आदेश परियोजना के अधीन विभाग द्वारा प्राप्त किए गए हैं जो प्रक्रिया अधीन हैं।

## एन.ई.जी.पी. के अंतर्गत क्षमता निर्माण

**22.7** भारत सरकार की कैपसिटी बिल्डिंग परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों, जो कि विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य सरकार की सहायता की तैनाती करना इत्यादि है।

परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को आई.टी.प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है एवं राज्य ई–मिशन टीम का गठन किया गया है।

1. विभाग द्वारा NiSG के सौजन्य से गत 27 से 29 दिसम्बर,2012 को STeP कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम ई–शासन की सेवाओं और कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से प्रदेश भर के विभिन्न विभागों में चलाने के लिए आयोजित किया गया था।
2. इस परियोजना में आज तक 2,217 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है।

3. SeMT परियोजना के तहत एम/एस विप्रो के माध्यम से वर्तमान में दो संसाधन तैनात किए गए हैं और 7 NeGD के माध्यम से तैनात किए गए हैं।
4. SeMT ने ई–शासन परियोजना के तहत 87 दस्तावेजों के बारे में विभिन्न विभागों के लिए रिपोर्ट तैयार कर ली है।

## समाजिक न्याय और अधिकारिता के अधीन कल्याणकारी निगमों का कम्पयूटरीकरण

**22.8** इस परियोजना का उद्वेश्य सभी 5 निगमों अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला विकास निगम, अल्पसंख्यक और विकलांग निगम के क्रियाकलापों का कम्पयूटरीकृत करना है। परियोजना पी.पी.पी. मॉडल में कार्यान्वित किया जा रहा है।

## परियोजना की वर्तमान स्थिति

- समझौते पर 23.7.2011 पर हस्ताक्षर किए गए और इस परियोजना पर काम शुरू कर दिया।
- UAT पूरा हो गया है, प्रशिक्षण दिया जा चुका है डाटा प्रविष्टी पूरी हो गई है।
- सॉफटवेयर का शुभारंभ 17 सितम्बर,2012 को किया गया और सभी निगमों के लिए यह लाईव है।
- डाटा प्रविष्टियां 31.3.2011 तक की पूरी कर ली गई है। सभी जिलों की 17 लोकेशन पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन–जाति की साईट पर उपलब्ध हैं।
- डाटा प्रविष्टियां 31.3.2011 तक की पूरी हो गई है तथा हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम की साईट पर उपलब्ध है।
- डाटा प्रविष्टियां 31.3.2011 तक की पूरी हो गई है तथा हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक एवं वित आयोग की साईट पर उपलब्ध है।
- बंद खातों की डाटा प्रविष्टी की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के पिछड़े वर्ग के वित और विकास निगम पोर्टल के लिए सभी लाईव ऋण खातों में रहते हैं।

## हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला का कम्पयूटरीकरण

**22.9** इस परियोजना का एकमुश्त (Turnkey) आधार पर मैसर्ज वयम टेक्नोलॉजी लिमिटेड को आंवटित किया गया है। निष्णात सेवा करार (Master Service Agreement) तैयार किया गया और उसे बोर्ड की स्टेंडिंग परिषद द्वारा जाचने के लिए भेजा गया है। यह परियोजना शिक्षा बोर्ड की शाखाओं/ अनुभागों जैसेः–ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम, लेखा और शुल्क प्रबंधन सिस्टम, एस्टेब्लिशमेंट, गोपनीयता, जारी डुप्लिकेट अंक सूची, आर. टी.आई., डिस्पेच प्रबंधन इत्यादि को समाविष्ट करेगी।

## परियोजना की वर्तमान स्थिति

- M/s Vayam Technologies को सॉफटवेयर बनाने, आवश्यक हार्डवेयर को भेजना, स्थापित करना और ऑपरेशन और परियोजना की देखरेख करने के लिए इम्पैन्लमेंट एजैंसी अगले 3 साल के लिए नियुक्त की गई है।
- 18 मडयूल में से 12 मडयूल को विकसित किया गया है और पोर्टल पर उपलब्ध है।

- आवश्यक हार्डवेयर और सॉफटवेयर विनिर्देश प्रति के रूप में दिया गया है।

## हिपा के लिए विडियो कान्फैंसिंग आधारित लर्निंग परियोजना

**22.10** इस परियोजना का उद्वेश्य विडियो कान्फ्रैसिंग द्वारा प्रदेश के पंचायत सहायकों व प्रतिनिधियों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण देना है।

### परियोजना की वर्तमान स्थितिः

- राज्य में 80 जगहों पर वी.सी. उपकरण की आपूर्ति, इन्स्टॉल करने, ऑपरेशन और रख–रखाव हेतु मैसर्ज एयरटैल को परियोजना के आरम्भ होने से अगले 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना गया है।
- (Final Acceptance Testing) परियोजना कार्यान्वित हो चुकी है।

## राजस्व न्यायालय मामला निगरानी प्रणाली (आर.सी.एम.एस.)

**22.11** इस सॉफ्टवेयर का निर्माण सूचना प्रौद्यागिकी विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न स्तरों के राजस्व न्यायालयों जैसेः–मण्डलायुक्त, डी.सी.ऑफिस, एस.डी.एम. ऑफिस, तहसीलदार व नायब तहसीलदार के उपयोग के लिए किया गया है। इस प्रणाली द्वारा नागरिक अपने राजस्व मुकदमों से संबंधित जानकारी व निर्णय ऑन लाइन http://hp.gov.in/rcms देख सकते हैं। इस सॉफटवेयर में लगभग 20 रिपोर्टस, रेवन्यू कोर्ट के अनुसार तैयार कर सकते हैं।

### परियोजना की वर्तमान स्थितिः

- आर.सी.एम.एस. सभी रेविन्यू कोर्ट में कार्यान्वित किया जा चुका है।
- जिला राजस्व न्यायालय के कर्मचारियों को सॉफटवेयर का प्रशिक्षण विडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रदान कर दिया गया है।
- अभी तक 259 में से 236 राजस्व न्यायालय इस निगरानी प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं।

## अभियोग निगरानी प्रणाली

**22.12** किसी भी सरकारी विभाग के लिए न्यायिक मुकदमों की निगरानी एक कठिनतम कार्य है। सूचना प्रौद्यागिकी विभाग द्वारा इसके लिए एक सॉफ्टवेयर "अभियोग निगरानी प्रणाली" तैयार किया गया है जिसके द्वारा सेक्रेटरी/ विभागाध्यक्ष द्वारा न्यायिक मुकदमों की निगरानी सरल तरीके से की जा सकती है और विचाराधीन मुकदमों, निर्धारित समय में उनका उतर तैयार करना, मुकदमों की वर्तमान स्थिति और निजी उपस्थिति का कार्य सचेत रूप से किया जा सकता है। एडवोकेट जनरल विभाग का अलग से मॉडयूल तैयार किया गया है।

### परियोजना की वर्तमान स्थितिः

- एडवोकेट जनरल कार्यालय दिन प्रतिदिन मुकदमे का स्टेटस अद्यतन कर रहा है।
- इस सॉफटवेयर के द्वारा उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों के मुकदमों की निगरानी की जा रही है।
- सरकारी विभाग मामलों की ताजा स्थिति http://hp.gov.in/ lms पर जान सकते हैं।

## परिवार पंजीकृत कम्पयूटरीकरण

**22.13** इस विंडोज आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी

विभाग द्वारा पंचायती राज विभाग के लिए परिवार पंजीकरण की प्रक्रिया को कम्पयूटरीकृत करने के लिए किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में जन्म, मृत्यु और विवाह संबंधित एंटेरीज एवं रिपोर्टस की सुविधाओं (modules) का विकास किया गया है।

## जन सेवा केन्द्र

**22.14** जन सेवा केन्द्र परियोजना का उद्वेश्य आई.सी.टी. (ICT) आधारित सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं को एक पारदर्शी, गतिशील, आर्थिक रूप से उप–तहसील स्तर तक उपलब्ध करवाना है। इसका मुख्य उद्वेश्य सरकार से नागरिकों तक, व्यापारियों का नागरिकों तक तथा नागरिकों का नागरिकों तक सेवा प्रदान करना है। इस उद्वेश्य की पूर्ति के लिए सेवाओं को एक छत के नीचे मुहैया करवाना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। कांगड़ा जिला के अंतर्गत 8 सुगम केन्द्रों में लोगों को सुविधाएं देने के लिए आधुनिक संरचना प्रदान की गई है।

## ई–प्रणाली

**22.15** ई–प्रणाली एक इलेक्ट्रोनिक माध्यम है जिसके द्वारा सरकारी पत्रों को प्रेषित किया जाता है। यह एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर है जो विशेष रूप से सरकारी विभागों के पत्रों को इलैक्ट्रान द्वारा भेजने, फैक्स /ई–मेल एवं भविष्य में संदर्भ के लिए भंडार के लिए डिजाइन व विकसित किया गया है। जरूरी संदेश/ आदेश भी इस सॉफ्टवेयर में एस.एम.एस. अलर्ट के माध्यम से फील्ड कार्यालयों में ई–मेल/प्रेषण से सृजित किए जा सकते हैं। यह परियोजना http://hp.gov.in/ed पर उपलब्ध है। इस प्रेषण के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैः

- पत्रों का तेजी से डिलीवरी और शीघ्र प्राप्ति।
- कागज आदि सामग्री की कम लागत।
- कोई डाक वितरण व्यय नहीं।
- ऑन लाइन सरवर पर आंकड़ों/ पत्रों का अभिलेख।
- श्रमिक खर्चों की कमी।
- मानवीय भूल को दूर करना।

## परियोजना की वर्तमान स्थितिः

- सॉफ्टवेयर तैयार http://hp.gov.in/ed)
- ई–प्रेषण सॉफ्टवेयर, ई–निक शिमला के कार्यालय एम.आई.एस. के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
- ई–आफिस योजना बाद में सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में चलाने की योजना बनाई गई है।

## गेट वे पेमैंट

**22.16** राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी देयों का भुगतान करने के लिए इलेक्ट्रोनिक ऑनलाइन अदायगी के लिए ऑनलाइन भुगतान सुविधा स्थापित की है। यह सुविधा सरकारी कार्यालय के अलावा बिजली के बिलों का भुगतान के लिए HPSEBL/ MCs/ ULBs/ Boards/ Corporations में प्रयोग कर सकते है। नागरिक अपने बिजली के बिल/देय आदि का भुगतान करने के लिए इस परियोजना का प्रयोग कर सकते हैं। सरकारी विभाग इस तरह से नागरिक के देय तेजी से प्राप्त कर सकते हैं।

## परियोजना की वर्तमान स्थिति

- इस समय यह सुविधा HRTC/HPTDC के पोर्टल में चलाई जा रही है।

- केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीकृत भुगतान तथा एकीकरण की प्रक्रिया प्रस्तावाधीन है तथा इसके बारे में अनुबंध कानून विभाग को पुनरीक्षण के लिए अग्रेषित किया गया है।

**कैडस्ट्रल मानचित्र का अंकीकरण:**

**22.17** इस परियोजना का उद्देश्य, मौजूदा कैडस्ट्रल मानचित्र का सुरक्षित करना और आर.ओ.आर. **(Record of Rights)** और भविष्य में कोई अपडेशन भी इस परियोजना के माध्यम से करना। इस प्रकार एक ही समय में जमाबंदी की नकल आदि विभिन्न सेवा केन्द्रों जैसे सुगम केंद्र, लोक मित्र केंद्र के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।

**परियोजना की वर्तमान स्थिति**

- यह परियोजना जिला चम्बा और सिरमौर में संचालित की जा चुकी है।

**अस्पताल प्रंबंधन सूचना पद्वति (HMIS):**

**22.18** हिमाचल प्रदेश के नागरिक को महत्वूपर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए अस्पताल में प्रबंधन सूचना पद्वति राज्य की एक पहल है। इस परियोजना का उद्वेश्य अस्पताल के नित्यकर्म के क्रियाकलापों को और रोगी का रिकार्ड रखने के लिए चिकित्सा का इतिहास/ उसके पंजीकरण से अस्पताल को छोड़ने तक का ट्रैक रखना। देश के संस्थानों में IGMC शिमला एकमात्र ऐसा संस्थान है जो इस परियोजना को चला रहा है।

**एकमात्र आई.डी. (आधार)**

**22.19** यू.आई.डी.ए.आई. का उद्वेश्य हर नागरिक को एक अद्वितीय पहचान नंबर जारी करना है जो कि नागरिक की जन सांख्यिकीय और बायोमीट्रिक जानकारी से जुड़ा होगा। नागरिक इस आधार को खुद ही भारत में कहीं भी पहचानने और सरकारी लाभ और सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।

**यू.आई.डी. के लाभ**

1. आधार पहचान सत्यापन का एकल स्रेत बन जाएगा। निवासियों को बैंक खाता, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसैंस प्राप्त करने के लिए बार–बार समर्थन पहचान दस्तावेजों को प्रदान करने की जरूरत नहीं है।
2. पहचान का एक स्पष्ट सबूत प्रदान करके, आधार गरीबों और वंचितों को औपचारिक बैकिंग प्रणाली से जोड़ेगा तथा सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करेगा।
3. आधार प्रवासियों की पहचान में गतिशीलता देगा।

**यू.आई.डी. की वर्तमान स्थिति**

यह परियोजना मै0 एम/एस विप्रो लिमिटेड, मै0 एम/एस आइऐल एण्ड एफएस और मै0 एम/एस आई–ग्रांडी को दी गई है।

- उना, हमीरपुर और बिलासपुर देश में उन जिलों में से एक है जहां नामांकन चरण–। मार्च,2012 में पूरा किया गया।
- राज्य में 68,56,509 निवासी 2011 जनगणना के अनुसार हैं।
- 54,80,466 निवासियों का आधार में नामाकंन 22.1.2013 तक कर लिया गया है और 48,32,489 यू.आई.डीज राज्य में निवासियों को प्रदान किए गए हैं।